इस्लाही ख़ुतबात

11

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

इस्लाही ख़ुतबात

(11)

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती

मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक

मुहम्मद इमरान क़ासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस, 3289786,3289159, आवास, 3262486

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	इस्लाही ख़ुतबात जिल्द (11)
ख़िताब	मौलाना मुहम्मद तकी उस्मानी
अनुवादक	मुहम्मद इमरान क़ासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर ख़ान
तायदाद	2100
प्रकाशन वर्ष	मई 2002
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस, 3289786,3289159, आवास, 3262486

मुख़्तसर फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

तफ़्सीली फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

क्र.स.	क्या?	कहां?
	(116) ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल (पहला हिस्सा)	

(118) ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल (तीसरा हिस्सा)

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

मश्विरा करने की अहमियत

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. (ال عمران: ۱۵۹)

آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علیٰ ذالك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین

तम्हीद

बुज़ुर्गाने मोहतरम व प्यारे भाईयो! इन्सान को अपनी ज़िन्दगी में ऐसे मर्हले पेश आते हैं जिनमें उसको यह कश्मकश होती है कि यह काम करूं या न करूं? या उसके सामने कई रास्ते होते हैं, अब उसको यह कश्मकश होती है कि कौन सा रास्ता इख़्तियार करूं? हुज़ूरे अक़्दस नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे मौक़ों के लिए दो कामों की हिदायत दी है: एक इस्तिख़ारा करना, दूसरे मश्विरा करना। इस्तिख़ारा का बयान पिछले जुमे को ज़रूरत के मुताबिक़ अल्हम्दु लिल्लाह हो गया था (यह बयान इस्लाही खुतबात की जिल्द नम्बर दस में शाया हो चुका है) दूसरी चीज़ जिसका इस हदीस में बयान है, वह है "मश्विरा" यह मश्विरा

भी दीन का एक अज़ीम अध्याय है। अल्लाह तआला ने मुसलमानों की खुसूसियत बयान करते हुए फ़रमायाः

"وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ" (الشورٰى:٣٨)

यानी उनके मामलात आपस में मश्विरे के ज़रिए तय किए जाते हैं। जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें खुद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला ने यह हुक्म देते हुए फ़रमायाः

"وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ" (ال عمران:٩٠)

यानी आप सहाबा-ए-किराम से अपने मामलात में मश्विरा किया करें। इसलिए जब नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मश्विरा करने का हुक्म दिया जा रहा है तो हम जैसे लोग तो और ज़्यादा मश्विरे के मोहताज हैं।

मश्विरा कैसे शख़्स से किया जाए?

लेकिन इस मश्विरे के सिलसिले में चन्द बातें समझ लेनी ज़रूरी हैं:

१. पहली बात यह है कि मश्विरा हमेशा ऐसे शख़्स से करना चाहिए जिसको मश्विरे से मुताल्लिक़ मामले में पूरी जानकारी और समझ हासिल हो। जब ऐसे शख़्स के पास जाकर मश्विरा करेंगे तो अल्लाह तआला उसमें बर्कत अता फ़रमायेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसे शख़्स से मश्विरा किया जिसको उस मामले में कोई इल्म और जानकारी हासिल नहीं है, अव्वल तो वह शख़्स मश्विरा ही क्या देगा, और अगर मश्विरा देगा तो उस मश्विरे से फ़ायदा क्या होगा। इसलिए जिस शख़्स से हम मश्विरा लेने जा रहे हैं, उसके बारे में पहले अच्छी तरह मालूम कर लें कि वह मश्विरे का अहल भी है या नहीं? अगर वह अहल हो तो उस से मश्विरा कर लें, अगर अहल न हो तो उस से मश्विरा लेने से कुछ हासिल नहीं।

"लोकतंत्र" की नाकामी की वजह

इस्लाम के हुकूमत के निज़ाम की "शूराईयत" में और मौजूदा दौर के "लोकतंत्र" में यही बड़ा फ़र्क़ है। लोकतंत्र का जो निज़ाम इस वक़्त पूरी दुनिया में छा गया है, इस लोकतंत्र के निज़ाम में यह नहीं देखा जाता कि जिस से मश्विरा लिया जा रहा है वह वाक़ई मश्विरा देने का अहल भी है या नहीं? उसको उस मामले में बसीरत और समझ भी हासिल है या नहीं? दुनिया भर के अहम मामलात में मश्विरा करने के लिए बालिग़ राय देने की बुनियाद पर एक जमाअत का चयन कर लिया, उस चयन के नतीजे में एक से एक दुनिया परस्त, मक्कार, अय्यार शख़्स वोट हासिल करने के लिए खड़ा हो गया, और फिर बालिग़ राय देही की बुनियाद पर चुनाव शुरू हुए, अब हर एक से यह पूछा जा रहा है कि तुम्हारे नज़्दीक यह आदमी ठीक है या नहीं? फिर चुनाव भी सियासी जमाअतों की बुनियादों पर होने वाले जिसमें पार्टी के मन्शूरों की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि जो शख़्स देहात का रहने वाला काश्तकार और किसान है, जो बेचारा ग़ैर बे पढ़ा लिखा है, वह वोट देने से पहले तमाम पार्टियों के मन्शूरों का मुताला करे, और फिर यह फ़ैसला करे कि कौन सी पार्टी मुल्क के हक़ में फ़ायदेमन्द है, और उस पार्टी के नामज़द शख़्स को वोट दे। फिर आम तौर पर शरीफ़ आदमी जिसमें उन कामों को अन्जाम देने की अहलियत हो, उसको तो इस मैदान में उतरते हुए भी घिन आती है कि गन्दे तालाब में कहां उतरूं।

ना अहलों का चयन

बहर हाल, चुनाव के नतीजे में जो लोग एसम्बली में पहुंचे वे ना अहल होने के बावजूद पूरी क़ौम के मामलों में मश्विरे देते हैं और पूरी क़ौम उनके मश्विरों पर अमल करने की पाबन्द है। इसलिए मौजूदा लोकतंत्र के निज़ाम में अहलियत का कोई मेयार

नहीं, न वोट देने वाले में अहलियत का कोई मेयार है और न चुने जाने वाले के के लिए अहलियत का कोई मेयार है। बस इतना मेयार है कि उसकी उम्र १८ साल या २१ साल हो और उसका नाम वोटर लिस्ट के अन्दर दर्ज हो, बस यह अहलियत है। अब यह देखना कि वह तालीम याफ़्ता है या नहीं? कौम के मामलों को समझने की अक्ल रखता है या नहीं? इसका कोई मेयार नहीं। ईसका नतीजा यह है कि अंगूठा छाप लोग चुनाव में कामयाब होकर एसम्बली में पहुंच जाते हैं।

"लोकतंत्र" और "शूराईयत" का फ़र्क

इस्लाम में "शूराईयत" ज़रूर है लेकिन मज्लिसे शूरा के लिए मेयार अहलियत है। यानी ऐसे शख़्स से मश्विरा करो जो उस काम की अहलियत रखता है और उसकी समझ रखता है। इस्लाम की "शूराईयत" और मौजूदा पश्चिमी लोकतंत्र में यही बड़ा फ़र्क है, लोकतंत्र में बहुमत की बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं, जब कि कुरआन करीम का इर्शाद है:

"وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" (الانعام:١١٦)

यानी अगर आप ज़मीन के रहने वालों में से अक्सर की पैरवी करोगे तो वे अल्लाह के रास्ते से तुमको गुमराह कर देंगे। इसलिए जब किसी के पास मश्विरा के लिए जाओ तो पहले यह देखो कि उस शख़्स को उस मामले में जानकारी हासिल है या नहीं?

फ़न के माहिर से मश्विरा करो

जैसे बाज़ लोग मुझ से मश्विरा करते हैं कि फ़लां बीमारी में मुब्तला हूं आप मश्विरा दीजिए कि किस तरह इसका इलाज कराऊं और किस से कराऊं? अब मैं बीमारी को और उसके इलाज को क्या जानूं, भाई! किसी तबीब और डॉक्टर के पास जाओ, अगर इस बारे में मुझ से मश्विरा करोगे तो उस से क्या हासिल होगा! जो शख़्स वह काम जानता न हो तो वह उसके बारे में क्या मश्विरा

देगा। याद रखो! मश्विरा हमेशा उस शख़्स से लो जो उस काम का अहल हो। मेरे पास रोज़ाना बेशुमार लोगों के ख़त और फ़ोन आते हैं कि हमने यह ख़्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर बता दीजिए, हालांकि मुझे सारी उम्र ख़्वाब की ताबीर से मुनासबत नहीं हुई।

लोग मेरे पास आते हैं कि फ़लां काम के लिए तावीज़ दे दीजिए और मुझे तावीज़ बनाना नहीं आता। भाई! जिस आदमी के पास इस काम की अहलियत न हो, उसके पास उस काम के लिए क्यों जाते हो? हर शख़्स से वह काम लो जिस काम की अहलियत अल्लाह तआला ने उसको दी है।

दीन के मामलात में उलमा से मश्विरा करें

बहर हाल, मश्विरा के लिए सब से पहला काम सही आदमी की तलाश है, कभी कभी दीन के मामलों में लोग ऐसे लोगों के पास मश्विरे के लिए चले जाते हैं जिनको दीन का इल्म नहीं, जिसका नजीता यह होता है कि जिस से मश्विरा लिया गया उसने ग़लत जवाब दे दिया और सवाल करने वाले ने उस पर अ़मल शुरू कर दिया, ख़ुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह किया। मश्विरे में सब से पहला काम यह है कि जिस से मश्विरा लिया जा रहा है उसके बारे में मालूमात हासिल करो। अब बहुत से लोग मेरे पास तिजारत के बारे में मश्विरा करने के लिए आ जाते हैं कि यह तिजारत करें या फ़लां तिजारत करें। अब मुझे क्या मालूम कि तिजारत क्या होती है और किसके लिए कौन सी तिजारत मुफ़ीद है।

मश्विरे के लिए अहल होने की ज़रूरत

इसलिए मश्विरा करने से पहले उसके अन्दर अहलियत देखो कि यह शख़्स इस बारे में मश्विरा देने का अहल है या नहीं? अगर इंजीनियरिंग का कोई काम हो और वह मश्विरा करने के लिए डॉक्टर के पास चला जाए, और जब घर में कोई बीमार हो जाए

तो उसके बारे में मश्विरा करने के लिए इंजीनियर के पास चला जाए, अब बताइए वह शख़्स अहमक होगा या नहीं? इसी तरह जब दीन के मामलात में किसी से मश्विरा लेने के लिए जाओ तो पहले यह देखो कि जिस से मश्विरा ले रहा हूं वह मुस्तनद आलिम है या नहीं? आज हमारा पूरा समाज इस गुमराही के अन्दर मुब्तला है कि दीन के मामलों के बारे में मालूमात हासिल करने और मश्विरे के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास दीन का पूरा इल्म नहीं होता। जैसे किसी के बारे में यह सुन लिया कि वह बड़ी लच्छेदार तक़रीर करते हैं, या किसी को देख लिया कि उनका हुलिया बड़ा बुज़ुर्गाना और दीनदाराना है, बस उनसे दीन के बारे में मश्विरे शुरू कर दिए और उनसे फ़तवे पूछने शुरू कर दिए। याद रखिए! मश्विरे के लिए ग़लत आदमी का चुनाव इन्सान को ग़लत रास्ते पर डाल देता है।

किन मामलों में मश्विरा किया जाए?

मश्विरे के बारे में दूसरी बात समझने की यह है कि मश्विरा किस चीज़ के बारे में किया जाए? जो काम शरीअत ने फ़र्ज़ क़रार दे दिए हैं, या जो काम वाजिब क़रार दे दिए हैं, या हराम कर दिए हैं, तो ऐसे तमाम काम मश्विरे की जगह और महल नहीं हैं; इसलिए उनके बारे में मश्विरा नहीं किया जायेगा। इसलिए कि जिनको अल्लाह तआला ने फ़र्ज़ और वाजिब क़रार देकर करने का हुक्म दे दिया, वे तो करने ही हैं, और जिन कामों को हराम क़रार देकर उनसे रोक दिया, उनसे तो ज़रूर रुकना ही है, उनमें मश्विरे का क्या सवाल? जैसे कोई शख़्स यह मश्विरा करे कि नमाज़ पढ़ू या न पढ़ू, या यह मश्विरा करे कि शराब पियूं या न पियूं? ज़ाहिर है कि उनके बारे में मश्विरा करना बेवक़ूफ़ी है, क्योंकि ये काम मश्विरे के महल ही नहीं हैं।

"मश्विरा देने वाले" का पहला फ़र्ज़, अहलियत होना

तीसरी बात यह है कि जिस शख़्स से मश्विरा लिया जा रहा है उसके कुछ फ़र्ज़ हैं। हदीस शरीफ़ में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"المستشار مؤتمن" (ترمذی شریف)

यानी जिस शख़्स से मश्विरा लिया जाए वह अमानतदार होता है। यह मश्विरा लेना ऐसा है जैसे दूसरे के पास अमानत रखवा दी, ज़ाहिर है कि अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो उसका फ़र्ज़ है कि वह उसकी हिफ़ाज़त करे और ख़ियानत न करे। इसलिए जिस शख़्स से मश्विरा लिया जा रहा है अगर उसको उस मामले में जानकारी हासिल नहीं है, तो उसको साफ़ साफ़ कह देना चाहिए कि मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी और महारत हासिल नहीं है, इसलिए मैं इस सिलसिले में मश्विरा देने का अहल नहीं हूं। लेकिन आजकल अगर किसी से किसी मामले में मश्विरा लिया जाए तो चाहे उसको उस मामले में जानकारी और समझ हासिल हो या न हो, लेकिन कुछ न कुछ जवाब और मश्विरा ज़रूर दे देते हैं। सीधी सी बात यह है कि वह कह दे कि मश्विरा देना अमानत की बात है, और मैं इसका अहल नहीं, इसलिए मश्विरा लेने के लिए ऐसे आदमी के पास जाओ जो मश्विरा देने का अहल हो।

दूसरा फ़र्ज़, अमानतदारी

और अगर आपके अन्दर अहलियत है तो फिर मश्विरा लेने वाले की पूरी ख़ैर ख़्वाही मद्देनज़र रखते हुए उसके मुनासिब जो मश्विरा ज़ेहन में आए, दियानतदारी के साथ उसके सामने बयान कर दे, उस मश्विरा देने में इस बात की परवाह न करे कि अगर मैं इसको यह मश्विरा दूंगा तो शायद इसका दिल टूट जायेगा या यह मुझ से नाराज़ और रंजीदा हो जायेगा। क्योंकि जब उसने मश्विरा तलब किया है तो अब उसको वह बात बताओ जो तुम्हारे

नज़्दीक ईमानदारी के तौर पर उसके हक़ में भलाई की हो। यह न हो कि उसको राज़ी और ख़ुश करने के लिए उसको ग़लत मश्विरा दे दिया ताकि वह ख़ुश होकर चला जाए, चाहे वह बाद में गढ़े में जा गिरे उसकी परवाह नहीं, यह बात दुरुस्त नहीं।

जैसे मेरे पास बाज़ लोग किताब लिखने के बारे में मश्विरा लेने के लिए आते हैं, अब बज़ाहिर उसकी दिलदारी का तक़ाज़ा यह है कि उसका हौसला बढ़ाया जाए और किताब लिखने पर उसको मुबारक बाद दी जाए, लेकिन जब यह देखा कि यह शख़्स किताब लिखने का अहल नहीं है तो उसको नर्मी और प्यार से समझा दिया कि यह किताब लिखना आपका काम नहीं है, यह आपका मैदान नहीं है, आप कोई और काम करें। इसलिए उसके मुनासिब मश्विरा यही था, अब चाहे उस मश्विरे से नाराज़ हो या ख़ुश हो।

मश्विरा देने में ज़रूरत की वजह से ग़ीबत जायज़ है

या जैसे किसी शख़्स ने रिश्ता मांगने का मश्विरा लिया कि फ़लां जगह रिश्ता करूं या न करूं। उस वक़्त आपके नज़्दीक उसके हक़ में जो बेहतरी की बात हो वह बता दो, चाहे वह राज़ी हो चाहे नाराज़ हो। उसके बारे में जितनी मालूमात हासिल हैं वे बता दो। यह वह चीज़ है कि इसमें शरीअत ने "ग़ीबत" को भी माफ़ किया है। जैसे रिश्ते के मामले में कोई शख़्स आप से मश्विरा कर रहा है और आपके इल्म में उसकी कोई बात ख़राबी और ऐब की है और आपने उस मश्विरा लेने वाले को बता दिया कि उसके अन्दर यह ख़राबी है तो उस से ग़ीबत का गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जो मश्विरा ले रहा है उसकी ख़ैर ख़्वाही का तक़ाज़ा यह है कि उसको सही बात बता दी जाए। यह न सोचे कि अगर मैं इसको बता दूंगा तो फ़लां शख़्स नाराज़ हो जायेगा, उस से दुश्मनी खड़ी हो जायेगी, और इस वजह से ख़ामोश रहे, यह बात ठीक नहीं।

बल्कि उसको बता दे और उस से यह भी कह दे कि मैं आपकी ख़ैर ख़्वाही और बेहतरी के तहत आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर उसको इल्म हो गया कि यह बात मैंने बताई है तो उसको सदमा होगा, इसलिए आप उसको न बताएं। हदीस के अल्फ़ाज़:

المستشار مؤتمن

के ये मायने हैं, यानी जिस से मश्विरा लिया गया है वह अमानत दार है, और अमानत का तक़ाज़ा यह है कि वह सही मश्विरा दे।

''मश्विरा देने वाले'' का तीसरा फ़र्ज़, राज़दारी

और "जिस शख़्स से मश्विरा लिया जाए वह अमानत दार है" का एक मतलब और भी है। वह यह कि जो शख़्स तुम्हारे पास मश्विरा लेने के लिए आया है उसने तुम्हें अपना राज़दार बनाया है, अपने दिल की बात उसने तुम से कह दी है, अपनी मुश्किल तुम्हारे सामने रख दी है, अब यह तुम्हारे और उसके दरमियान राज़दारी का मामला हो गया, तुम उसके अमानत दार हो। यह न हो कि वह तो आप से मश्विरा लेने आया और उसने अपनी कोई उलझन आपके सामने पेश की, अब आपने सारी दुनिया में उसको लोगों के सामने गाना शुरू कर दिया कि फ़लां शख़्स तो यह बात कह रहा था, या उसके अन्दर तो यह ख़राबी है। भाई! जब उसने तुम से मश्विरा लिया है और तुम्हें अपना राज़दार बनाया है तो उसके राज़ को राज़ रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है, वह तुम्हारे पास अमानत है, अब उस मश्विरे की बात को दूसरों से ज़िक्र करना राज़ को खोलना है, जो गुनाह है और एक मुसलमान को रुस्वा करना है।

जैसे कोई शख़्स अपनी किसी बीमारी के सिलसिले में आप से मश्विरा करने आया, आपने उसको मश्विरा दे दिया। तो अब उस बात को अपने सीने में महफ़ूज़ रखो, अपने और उसके दरमियान

सीमित रखो, किसी और से उसका ज़िक्र न करो। क्योंकि वह मश्विरा तुम्हारे पास उसकी अमानत है, उस अमानत के अन्दर अगर तुम ख़ियानत करोगे तो बहुत बड़ी ख़ियानत होगी और बहुत बड़ा गुनाह होगा।

राज़ ज़ाहिर करना गुनाह है

आजकल हमारे समाज में इस बारे में कितनी ख़राबी पाई जाती है और मश्विरा लेने देने में इन बातों का लिहाज़ नहीं रखा जाता। बेचारा एक शख़्स आपको ख़ैरख़्वाह समझ कर आप से मश्विरा लेने के लिए आया था, तुमने उसका राज़ ज़ाहिर करना शुरू कर दिया, हालांकि इसी के नतीजे में झगड़े, फ़सादात और दुश्मनियां फैलती हैं, और फिर आपस में ना इत्तिफ़ाक़ियां हो जाती हैं। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "जिस शख़्स से मश्विरा लिया जाए वह अमानतदार है" फ़रमा कर इन तमाम चीज़ों का दरवाज़ा बन्द कर दिया।

चौथा फ़र्ज़, सही मश्विरा देना

फिर जानते बूझते ग़लत मश्विरा देना यानी आप जानते हैं कि जो मश्विरा दे रहा हूं वह सही नहीं, लेकिन उसका बुरा चाहने की वजह से या किसी और वजह से आपने उसको ग़लत मश्विरा दे दिया, तो उसके बारे में हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि जिस शख़्स से दूसरे भाई ने मश्विरा किया और उसने उसको ग़लत मश्विरा दे दिया तो फ़रमाया "फ़क़द ख़ानहू" यानी उसने उसकी अमानत में ख़ियानत की। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख़्स तुम्हारे पास अमानत के तौर पर पैसे रखवाए और तुम हड़प कर जाओ। जैसे उन पैसों को हड़प करना हराम है इसी तरह यह भी हराम है।

"मुशीर" का उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं

मश्विरे के बारे में एक अहम बात यह है कि मश्विरे के अन्दर अहलियत तो देखनी चाहिए, लेकिन उसमें छोटे बड़े का लिहाज़

नहीं है। यानी मश्विरा करने वाला यह न सोचे कि मैं बड़ा हूं छोटे से क्या मश्विरा करूं, बल्कि जो भी अहलियत रखने वाला हो उस से मश्विरा करो। मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुझे वसीयत करते हुए फ़रमाया कि जब तक तुम्हारे ज़ाबते के बड़े दुनिया में मौजूद हों उस वक़्त तक अपने बड़ों से मश्विरा करो। ज़ाबते के बड़े इसलिए कह रहा हूं कि हक़ीक़त में कौन बड़ा है यह तो अल्लाह तआला ही जानते हैं।

"बुज़ुर्गी ब-इल्म अस्त न ब-साल"

कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी उम्र में बड़ा है लेकिन दर्जे में छोटा है, और एक शख़्स उम्र में कम है लेकिन दर्जे में बड़ा है।

बड़े आप, उम्र मेरी ज़्यादा

याद आया। एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फ़रमा थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे रिश्ते में आपके चचा थे लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क़ नहीं था। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि चचा जान! मैं बड़ा हूं या आप बड़े हैं? मक़सद यह था कि किसकी उम्र ज़्यादा है? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या ख़ूबसूरत जवाब दिया: फ़रमाया कि बड़े तो आप ही हैं, उम्र मेरी ज़्यादा है।

बहर हाल, उम्र में बड़ा होने से यह लाज़िम नहीं आता कि इन्सान दर्जे में भी बड़ा हो, छोटे का इल्म ज़्यादा हो सकता है, छोटे का तक़्वा ज़्यादा हो सकता है, अल्लाह तआला के यहां छोटे की फ़ज़ीलत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि "ज़ाबते के बड़े" इसलिए कह रहा हूं कि हक़ीक़त में कौन बड़ा है, यह तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ज़ाबते में अल्लाह तआला ने जिसको बड़ा बनाया है, जैसे

बेटे के लिए बाप, शागिर्द के लिए उस्ताद, मुरीद के लिए शैख़, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई, ये ज़ाबते के बड़े हैं, जब तक ये ज़िन्दा हों उनसे मश्विरा करो।

हम उम्रों और छोटों से मश्विरा

फिर फ़रमायाः

जब ज़ाबते के बड़े मौजूद न रहें तो अपने बराबर के लोगों से मश्विरा करो, और जब अपने बराबर के लोग भी मौजूद न रहें तो अपने छोटों से मश्विरा करो।

और यह देखिए कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि "व शाविरहुम फ़िल्‌अम्रि" अब ज़ाहिर है कि आप से दर्जे में कोई दूसरा शख़्स बड़ा हो सकता है? लेकिन आप से कहा जा रहा है कि आप सहाबा-ए-किराम से मश्विरा करें। इसके ज़रिए यह तालीम दी जा रही है कि बड़े को भी अपने आपको मश्विरे से बेनियाज़ नहीं समझना चाहिए, चाहे छोटों से मश्विरा करना पड़े, लेकिन फिर भी मश्विरा करे। मश्विरे में अल्लाह तआला ने बर्कत रखी है। इसलिए मश्विरा लेते वक़्त यह न देखो कि जिस से मैं मश्विरा ले रहा हूं यह बड़ा है या छोटा है।

सुलह हुदैबिया का वाक़िआ

कभी कभी ऐसा होता है कि वह छोटा भी ऐसा मश्विरा दे देता है कि बड़े के ज़ेहन में वह बात नहीं आती। देखिए! सुलह हुदैबिया के मौक़े पर जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा-ए-किराम के साथ उमरा करने के लिए मक्का मुकर्रमा तश्रीफ़ ले गये, मक़ामे ज़ुलहुलैफ़ा से एहराम बांधा, और जब मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुदैबिया के मक़ाम पर पहुंचे तो मक्के के मुश्रिकों ने आपको और सहाबा-ए-किराम को रोक दिया और कहा कि हम आपको मक्का में दाख़िल नहीं होने देंगे। अब सहाबा-ए-किराम उमरा अदा करना चाहते हैं, और एहराम बांध

कर आए हुए हैं, जब कुफ़्फ़ारे मक्का ने उमरा अदा करने से रोक दिया तो सहाबा-ए-किराम को गुस्सा आ गया कि ये लोग उमरे की इबादत अदा करने में रुकावट बन रहे हैं, आख़िर कार वार्ता हुई और वार्ता के नतीजे में सुलह हो गई, और सुलह इस बात पर हुई कि इस मर्तबा तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम वापस मदीना मुनव्वरा चले जायें, इस मर्तबा उमरा नहीं करेंगे और अगले साल इस उमरे की क़ज़ा करेंगे।

अब बज़ाहिर क़ुरैश के काफ़िरों का यह मुतालबा बिल्कुल ग़लत था, क्योंकि ये हज़रात हरम के दरवाज़े तक पहुंचे हुए हैं, फिर भी उनसे कहा जा रहा है कि यहीं से वापस चले जाएं और अगले साल उमरा अदा करने के लिए आयें, इसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें थीं जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए दबी हुई शर्तें थीं, लेकिन चूंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह तआला की तरफ़ से यही हुक्म था कि इस वक़्त उनकी शर्तें मान ली जाएं अगरचे मुसलमानों के लिए वे दबी हुई शर्तें हैं। चुनांचे मुसलमानों ने मान लीं, उस मान लेने में भी बहुत सी हिक्मतें थीं।

चूंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम एहराम की हालत में थे, इसलिए यहां से शरीअत का यह मसला सामने आया कि जब कोई एहराम बांध कर आए और फिर उसके लिए उमरा करना मुम्किन न रहे और कोई दुश्मन रोक दे तो उस वक़्त उसको क्या करना चाहिए और किस तरह एहराम खोलना चाहिए? उस वक़्त क़ुरआने करीम के ज़रिए यह हुक्म नाज़िल हुआ कि अगर यह सूरत पेश आए तो एक जानवर क़ुर्बान करने के लिए हरम भेज दो, जिस वक़्त वह जानवर हरम में ज़िबह हो जाए उस वक़्त एहराम वाला अपने सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल दे। चुनांचे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम से फ़रमाया कि सब अपने अपने

जानवर हरम भेज दें और जानवर ज़िबह हो जाने के बाद एहराम खोल दें। सहाबा-ए-किराम ने जानवर भेज दिए और उनकी कुर्बानी हो गई।

फिर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-कराम से फ़रमाया कि अपने सर मुंडवा दो और एहराम खोल दो, ताकि फिर मदीना मुनव्वरा वापस चलें। लेकिन सहाबा-ए-किराम में से कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा। शायद पूरी सीरते तैयबा के दौर में यह एक वाक़िआ ऐसा है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम को किसी काम का हुक्म दिया और सहाबा-ए-किराम उसके लिए आगे नहीं बढ़े। वजह इसकी यह थी कि सहाबा-ए-किराम की तबीयत में यह जोशीले जज़्बात थे कि अगर हम चाहें तो कुरैशे मक्का को मज़ा चखा दें और उन पर हमला करके ज़बरदस्ती उमरा कर लें। इस किस्म के जज़्बात की वजह से आपका हुक्म मानने के लिए और एहराम खोलने और सर मुंडवाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। आं हज़रत सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दोबारा सहाबा-ए-किराम को हुक्म दिया कि सर मुंडवा कर एहराम खोल दें, लेकिन फिर भी कोई इस काम के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये वे सहाबा हैं कि सुलह हुदैबिया के मौक़े पर कुफ़्फ़ार की तरफ़ से बात चीत करने के लिए जो ऐलची आया था, उसने वापस जाकर लोगों को बताया कि मैंने सहाबा-ए-किराम का अजीब मन्ज़र देखा, वह यह कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वुज़ू फ़रमाते हैं तो वुज़ू का पानी अभी ज़मीन पर नहीं गिरता कि उस से पहले ही सहाबा-ए-किराम उसको लेकर अपने जिस्मों पर मल लेते हैं। और आपका थूक ज़मीन पर नहीं गिरता, बल्कि सहाबा-ए-किराम आगे बढ़कर उसको अपने जिस्म पर मल लेते हैं। ऐसे फ़िदाकार सहाबा-ए-किराम हैं लेकिन इसके बावजूद आप उनसे एहराम खोलने के लिए फ़रमा रहे हैं लेकिन एहराम खोलने

के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है।

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका मश्विरा करना

उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने ख़ेमे के अन्दर तश्रीफ़ ले गए, आपकी पाक बीवी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस सफ़र में आपके साथ थीं, आपने जाकर उनसे फ़रमाया कि आज मैंने अजीब मामला देखा जो इस से पहले कभी नहीं देखा, ये वे लोग हैं जो मेरे एक इशारे में जान छिड़कने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज मैंने दो मर्तबा एहराम खोलने के लिए कहा लेकिन कोई भी एहराम खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, गोया कि आपने इस बारे में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मश्विरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि वह आप से छोटी हैं, उनको आप से क्या निस्बत? लेकिन चूंकि मश्विरे का हुक्म है इसलिए उनसे मश्विरा किया। बहर हाल! हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मश्विरा देते हुए फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ये हज़राते सहाबा जज़्बात और जोश के आलम में मग़लूब हैं, इसलिए आप उनके इस तर्ज़े अमल का ख़्याल मत कीजिए, क्योंकि उनके दिल टूटे हुए हैं, और बार बार उनको कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिए! वह यह कि आप बाहर तश्रीफ़ ले जाएं और ख़ुद अपना सर मुंडवाकर अपना एहराम खोल दें, फिर देखिए क्या होता है।

इस मश्विरे का नतीजा

आपने उनसे फ़रमाया कि तुमने बहुत अच्छा मश्विरा दिया। चुनांचे आप ख़ेमे से बाहर तश्रीफ़ ले गये और एक सहाबी को बुलाकर अपने सर को मुंडवाना शुरू कर दिया। बस आपके सर मुंडाने की देर थी कि सहाबा-ए-किराम ने एक दूसरे के सर मूंडने

शुरू कर दिए और एहराम खोलना शुरू कर दिया, और यह सोचा कि जब नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एहराम खोल दिया तो हम आप से ज़्यादा ग़ैरत करने वाले कौन हैं। अब देखिए कि यह मश्विरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया। चुनांचे इन्हीं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कहा जाता है कि आप अक़्ल मन्द औरतों में से थीं, यानी उन औरतों में से थीं जिनको अल्लाह तआला ने अक़्ल और समझ का आला मक़ाम अता फ़रमाया था, और यह मश्विरा उनकी आला समझ की दलील है, और इस बात की दलील है कि वह सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नफ़सियात को समझती थीं कि जब ये हज़रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कोई काम करता हुआ देखेंगे तो फिर उनसे नहीं रहा जायेगा बल्कि फ़ौरन आपकी पैरवी में वह काम करना शुरू कर देंगे। बहर हाल! हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने से छोटे से मश्विरा किया। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़ेहन में वह बात आ गयी जो शुरू में नबी–ए–करीम सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़ेहन में नहीं आई। बहर हाल! इस वाक़िए से एक बात यह मालूम हुई कि छोटे से मश्विरा करना भी शरीअ़त का तक़ाज़ा है, और कई बार अल्लाह तआला छोटे के दिल में वह बात डाल देते हैं जो बड़ों के दिल में भी नहीं आती। न जाने कितने मौक़ों पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा–ए–किराम से मश्विरा किया। इसलिए छोटे से मश्विरा करते हुए आर और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए।

अपने जज़्बात को सुकून देने का नाम "दीन" नहीं "दीन" इत्तिबा का नाम है

हुदैबिया के इस वाक़िए से एक दूसरा बड़ा अज़ीमुश्शान सबक़ मिलता है, वह यह कि अपने जज़्बात की तस्कीन का नाम "दीन"

नहीं है, अपने जोश को ठन्डा करने का नाम "दीन" नहीं है, बल्कि दीन हक़ीक़त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म की इत्तिबा का नाम है, चाहे जज़्बात कुछ भी हों, मगर उस वक़्त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक्म का जो मुतालबा है वह करो, यही दीन है। अब देखिए! सुलह हुदैबिया के मौक़े पर सहाबा-ए-किराम के जज़्बात तो यह थे कि कुफ़्फ़ार से मुक़ाबला हो जाए और हम बुज़दिली में मुब्तला होकर उनकी दबी हुई शर्तों को क्यों मानें? लेकिन जब हुज़ूरे अक़्दस नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अ़मल देखा तो सारे जज़्बात ठन्डे पड़ गए।

लीडर और रहनुमा कैसा हो?

मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि बड़ी प्यारी बात फ़रमाया करते थे, वह यह कि लीडर और रहनुमा वह होता है जो अ़वाम को जिस तरह जोश दिलाकर चढ़ाए, उसी तरह उनका जोश उतार भी सके। यह न हो कि बांस पर चढ़ा तो दिया लेकिन जब उतारने का वक़्त आया तो खुद बेक़ाबू हो गए। अ़वाम के अन्दर जोशो ख़रोश पैदा कर दिया, और उसके नतीजे में लोग क़ाबू से बाहर हो गए, इसका नतीजा यह होता है कि फिर लीडर अ़वाम के पीछे चलता है और अ़वाम जो कहती है वही वह करता है, हालांकि लीडर का काम तो रहनुमाई करना है, अगर लोग ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनकी रहनुमाई करे। इसलिए लीडर वह है जो अ़वाम को जोश दिलाकर चढ़ाए तो उतार भी सके।

लीडर हो तो ऐसा

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दिलों में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिहाद का जज़्बा पैदा फ़रमाया, लेकिन जब जिहाद का मौक़ा नहीं था, जैसे सुलह हुदैबिया के मौक़े

पर तो फिर उनको इस तरह उतार दिया कि एक सहाबी ने भी उस मौक़े पर एक तलवार नहीं लहराई। इस से पता चला कि दीन हक़ीक़त में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म की इत्तिबा का नाम है। इस वक़्त मुझ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क्या मुतालबा है? उस मुतालबे को पूरा करने का नाम दीन है, अपने जज़्बात और अपना शौक़ पूरा करने का नाम दीन नहीं। जो अल्लाह तआला ने कहा वह करो। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसका नमूना बनकर दिखा दिया कि जब ग़ज़वा-ए-बदर और ग़ज़वा-ए-उहुद में फ़िदाकारी और जान निसार करने का मौक़ा आया तो वहां पहाड़ों की तरह डट गए, और जहां पीछे हटने का मौक़ा आया जैसे सुलह हुदैबिया पर तो वहां पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म के ऐन मुताबिक़ पीछे हट गए। इसी का नाम दीन है। बहर हाल! बात यह चल रही थी कि मश्विरा छोटों से भी होता है।

मश्विरे पर अ़मल ज़रूरी नहीं

मश्विरे के बारे में एक और मसला सुनिए! वह यह कि मश्विरा लेने का मक़सद क्या होता है? मश्विरा लेने का मक़सद यह होता है कि एक तजुर्बेकार और समझदार शख़्स की राय सामने आ जाए, लेकिन जिसने मश्विरा लिया है वह आपके मश्विरे पर अ़मल करने का पाबन्द नहीं है बल्कि उसको इख़्तियार है, अगर उसके दिल में वह मश्विरा उतर जाए तो उस पर अ़मल करे, और अगर उसके दिल में यह ख़्याल आ रहा है कि यह मश्विरा तो मुनासिब मालूम नहीं हो रहा है तो उस मश्विरे पर अ़मल न करे। शरई एतिबार से उसको इख़्तियार है। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को किसी बात पर मश्विरा दिया और उसने उस मश्विरे पर अ़मल नहीं किया तो उसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं कि उसने हमारी

बात नहीं रखी और हमारी बात नहीं मानी, या हमारा मश्विरा कबूल नहीं किया, इसलिए कि मश्विरे का मक्सद तो आपकी राय मालूम करनी थी, वह मालूम हो गई, अब उसको इख़्तियार है चाहे उस मश्विरे पर अमल करे और चाहे अमल न करे।

हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़िआ

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा कौन इस दुनिया में साहिबे राय होगा, लेकिन एक सहाबिया थीं हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा यह पहले बांदी थीं, बाद में मुसलमान हो गई थीं, उनके आक़ा ने उनका निकाह हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया था। शरीअ़त का उसूल यह है कि जब कोई औरत किसी की बांदी हो तो आक़ा उसका वली और सरपरस्त होता है, और मालिक को इख़्तियार होता है कि अपनी बांदी का जिस से चाहे निकाह कर दे, वह बांदी मना नहीं कर सकती। बहर हाल! आक़ा ने उनका निकाह कर दिया, और कुछ अर्से के बाद आक़ा ने उनको आज़ाद कर दिया। और शरीअ़त का दूसरा हुक्म यह है कि अगर बांदी आज़ाद कर दी जाए और आक़ा ने उसका निकाह पहले किसी से कर रखा हो तो बांदी को आज़ादी के बाद इख़्तियार मिलता है कि चाहे उस निकाह को बरक़रार रखे या चाहे तो ख़त्म कर दे। चुनांचे जब हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा आज़ाद हुईं तो हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शरीअ़त का यह हुक्म हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बता दिया कि अब तुम्हें इख़्तियार है कि चाहो तो अपने शौहर के निकाह में रहो और चाहो तो अलग हो जाओ। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर से खुश नहीं थीं, इसलिए उन्होंने अलग होने का इरादा कर लिया। उनके शौहर हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु को उनसे बहुत मुहब्बत थी, वह यह चाहते थे कि हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा उस निकाह को ख़त्म न करें बल्कि बाक़ी रखें।

हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु की हालते ज़ार

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि वह मन्ज़र अभी तक मेरी आंखों के सामने है कि मदीना मुनव्वरा की गलियों में हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे जा रहे होते थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे, और उनसे कह रहे होते थे कि खुदा के लिए मेरे साथ निकाह को ख़त्म न करें। लेकिन हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं मान रही थीं।

आपका हुक्म है या मश्विरा है?

आख़िर कार हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से जाकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं चाहता हूं कि हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा निकाह ख़त्म न करें, लेकिन उनका इरादा निकाह ख़त्म करने का है, आप कुछ सिफ़ारिश फ़रमा दें कि यह मेरे साथ निकाह को बरक़रार रखें। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया और उनसे फ़रमाया कि तुम उनके साथ निकाह क्यों बरक़रार नहीं रखतीं, इस निकाह को बरक़रार रखो। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि हुज़ूर! आप यह जो फ़रमा रहे हैं कि इस निकाह को बरक़रार रखो, यह आपका मश्विरा है या हुक्म है? अगर हुक्म है तो मुझे इन्कार करने की मजाल नहीं, फिर तो यक़ीनन इस हुक्म को मानूंगी और इस निकाह को बरक़रार रखूंगी। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह मेरा हुक्म नहीं है बल्कि मश्विरा है। हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया: फिर तो मैं आज़ाद हूं कि इस मश्विरे को क़बूल करूं या न करूं। बात यह है कि उनके साथ मेरी ज़िन्दगी गुज़रनी मुश्किल है, इसलिए मैं उनसे अलग होती हूं। आपने फ़रमाया ठीक है।

सहाबियात की समझदारी

अब आप सहाबियात की समझदारी और शऊर देखिए! एक तरफ़ नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ाई का भी हक़ अदा फ़रमाया और आप से यह पूछ लिया कि अगर आपका यह हुक्म है तो फिर अपनी राय, अपनी ख़्वाहिश, अपने जज़्बात, हर चीज़ को आपके हुक्म पर क़ुरबान कर दूंगी। लेकिन अगर आपका मश्विरा है तो मश्विरे के अन्दर शरीअ़त ने इख़्तियार दिया है कि चाहे मश्विरे पर अ़मल करें या अ़मल न करें, इसलिए मश्विरे की सूरत में मैं अपनी राय को इख़्तियार करूंगी। चुनांचे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी इस बात का बुरा नहीं माना और यह नहीं फ़रमाया कि ऐ बरीरा! तुमने हमारे मश्विरे को भी नहीं माना? हमारे मश्विरे को क़बूल नहीं किया? कोई बुरा नहीं मनाया, बल्कि एक एतिबार से उनके इस फ़ेल का अनुमोदन किया।

'हुक्म' और 'मश्विरे' में फ़र्क़

और शरीअ़त का यह हुक्म बता दिया कि जब कोई बड़ा किसी काम को कहे तो पहले यह अन्दाज़ा कर लो कि आया वह हुक्म दे रहा है या मश्विरा दे रहा है, अगर हुक्म दे रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। जैसे बाप या उस्ताद या शैख़ किसी बात का हुक्म दे रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन अगर मश्विरा दे रहे हैं तो मश्विरे के अन्दर दोनों रास्ते खुले हैं। इसलिए जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना मश्विरा न मानने पर बुरा नहीं मनाया तो हम और आप क्यों बुरा मनाते हैं कि हमने फ़लां को यह मश्विरा दिया था लेकिन हमारा मश्विरा नहीं माना गया।

ख़ूब समझ लीजिए कि दूसरे को मश्विरा देते वक़्त यह ज़ेहन में न रखें कि वह हमारा मश्विरा मानता है या नहीं मानता, बस अपनी तरफ़ से आप सिर्फ़ इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि

दियानत–दाराना तौर पर उसकी ख़ैर–ख़्वाही को मद्दे नज़र रखते हुए जो मश्विरा देना चाहें वह दे दें, आगे उसको इख़्तियार है। और आप से आख़िरत में यह सवाल नहीं होगा कि उसने आपके मश्विरे पर क्यों अ़मल नहीं किया, अल्लाह तआ़ला ने आपको दारोग़ा नहीं बनाया है, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया, अब उसका काम है कि वह उस पर अ़मल करे या न करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो।

खुलासा

ये मश्विरे के आदाब हैं जो हमें कुरआने करीम ने सिखाए हैं, और नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सुन्नत ने हमें सिखाए हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए मश्विरा लिया जाए और मश्विरा दिया जाए तो अल्लाह तआ़ला उसमें बर्कत अ़ता फ़रमाते हैं, फिर उस मश्विरे से कोई फ़ितना पैदा नहीं होता, उस से कोई नाइत्तिफ़ाकी, दुश्मनी और इख़्तिलाफ़ात पैदा नहीं होते, लेकिन जब इन अहकाम को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है तो फिर लोगों के दरमियान इसकी वजह से नाइत्तिफ़ाकियां और दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। अल्लाह तआ़ला हम सब को इन अहकाम पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

وآخردعوانا ان الحمدللہ رب العالمین

शादी करो

लेकिन अल्लाह से डरो

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. (النسآء:۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

तम्हीद

अल्हम्दु लिल्लाह अभी एक अज़ीज़ दोस्त (जनाब हनीफ़ कमाल साहिब) के निकाह की तक़रीब में हम सब को शामिल होने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह तआला इस निकाह को मुबारक फ़रमाए, आमीन। इस निकाह का खुतबा पढ़ते वक़्त ख़्याल यह हुआ कि आज इस मौक़े की मुनासिबत से भी और समाज की ज़रूरत के लिहाज़ से भी कुछ बातें निकाह के ख़ुतबे से मुताल्लिक़ बयान हो जाएं। क्योंकि यह खुतबा जो हर निकाह के वक़्त पढ़ा जाता है, इसका बड़ा अज़ीम मक़सद है, और हम आम तौर पर इस

मकसद को भुलाये हुए हैं, बल्कि निकाह के खुतबे का पढ़ना एक रस्म बनकर रह गया है, जिसमें निकाह के वक्त एक निकाह पढ़ाने वाले को बुलाया जाता है। वह खुतबे के अल्फ़ाज़ पढ़ लेता है, लोग सुन लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस सारे खुतबे का और जो आयाते करीमा इस खुतबे में तिलावत की जाती हैं, उनका एक अज़ीम मकसद है जिसमें हम सब के लिए निकाह से मुताल्लिक़ भी और आम ज़िन्दगी के बारे में भी बहुत बड़ा सबक़ और बहुत बड़ा पैग़ाम दिया गया है।

हुज़ूर के ज़माने में निकाह के वक्त नसीहत

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में तरीक़ा यह था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निकाह का खुतबा देते तो उस वक्त आप कुछ नसीहत की बातें भी इर्शाद फ़रमाया करते थे। अब नसीहत का वह तरीक़ा छूट गया है, और सिर्फ़ खुतबे की मसनून आयतें तिलावत करने पर इक्तिफ़ा कर लिया जाता है, इसलिए इस निकाह के खुतबे की रूह को समझने की ज़रूरत है।

निकाह के वक्त खुतबा

निकाह दो अफ़राद के दरमियान एक समाजी मुआहदा है, जिसमें दोनों तरफ़ से ईजाब व क़बूल होता है। जैसे निकाह पढ़ाने वाला जो बीवी का वकील और नुमाईन्दा होता है, वह शौहर से कहता है कि मैंने फ़लां औरत का निकाह तुम से किया, शौहर कहता है कि मैंने क़बूल किया। इसलिए जैसे ख़रीद व बेच के मुआहदों में ईजाब व क़बूल होता है। लेकिन ख़रीद व बेच में ईजाब व क़बूल करते वक्त खुतबा पढ़ने की और क़ाज़ी की ज़रूरत नहीं, लेकिन निकाह के वक्त ईजाब व क़बूल से पहले हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने खुतबा पढ़ने को मसनून क़रार दिया। अगरचे इस खुतबे के बग़ैर भी निकाह हो

जाता है, लेकिन ख़ुतबा पढ़ना सुन्नत है।

निकाह एक इबादत

इसलिए कि निकाह के मुआहदे में अल्लाह तआला ने दो शानें रखी हैं: एक शान तो समाजी मुआहदे की है, और दूसरी शान "इबादत" की है। क्योंकि निकाह बज़ाते ख़ुद एक इबादत है, बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि निकाह में मामले की शान मग़लूब है और इबादत की शान ग़ालिब है। बहर हाल! अल्लाह तआला ने इस निकाह को एक इबादत क़रार दिया, और इसके इबादत होने की वजह से इसमें ख़ुतबा पढ़ने को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुन्नत क़रार दिया।

निकाह के ख़ुतबे में तीन आयतें

निकाह के ख़ुतबे में तीन आयतें पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अगर ग़ौर किया जाए तो यह नज़र आयेगा कि इन आयतों में बराहे रास्त निकाह का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं, हालांकि क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतें हैं, जिनमें निकाह का ज़िक्र भी है, और निकाह के अल्फ़ाज़ भी हैं। मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि सोचने की बात यह है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूसरी आयतों को छोड़ कर इन तीन आयतों का ख़ास तौर पर क्यों इन्तिख़ाब (यानी चयन) फ़रमाया? इसको समझने के लिए पहले इन आयतों का तर्जुमा देखना मुनासिब है।

पहली आयत

पहली आयत जो तिलावत की जाती है वह सूरः "निसा" की पहली आयत है:

"يَآاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا" (سورة نسآء:١)

ऐ लोगो! तुम अपने उस परवर्दिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, एक जान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम हैं, और उसी एक जान से उसकी बीवी यानी हज़रत हव्वा अलैहस्सलाम को पैदा किया, और उन दोनों के आपसी ताल्लुक़ से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैलाये। फिर दोबारा फ़रमायाः और उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से हुकूक़ का मुतालबा करते हो। अगर किसी को दूसरे से अपना हक़ मांगना होता है तो वह यह कहता है कि अल्लाह के वास्ते मुझे मेरा हक़ दे दो। इसलिए फ़रमाया कि जिस अल्लाह का वास्ता देकर तुम अपना हक़ मांगते हो, उस से डरो कि कहीं उन हुकूक़ की अदायेगी में उसके हुक्म की कोई ख़िलाफ़ वर्ज़ी न हो जाए। और फिर फ़रमाया किः रिश्तेदारियों के आपसी हुकूक़ से डरो ताकि रिश्तेदारियों के हुकूक़ पामाल न हों, बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगहबान है, और तुम्हारी हर हर्कत को देख रहा है।

दूसरी आयत

दूसरी आयत सूरः आले इमरान की आयत है:

"يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ"

(سورة آل عمران:۱۰۲)

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है। और तुम्हें मौत न आये मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह के फ़रमांबर्दार और इताअ़त करने वाले हो। यानी सारी ज़िन्दगी इताअ़त गुज़ारी में ख़र्च करो। ताकि जब मौत आये तो उस वक़्त तुम अल्लाह तआ़ला के मुतीअ़ और फ़रमांबर्दार हो।

तीसरी आयत

तीसरी आयत सूरः अहज़ाब की है:

"يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا" (سورة احزاب:۷۰–۷۱)

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो, तक्वा इख्तियार करो, और सीधी बात करो, अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल में इस्लाह कर देंगे। और तुम्हारे सब काम बना देंगे, और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देंगे। और जो शख़्स अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करे उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की।

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निकाह के खुतबे में इन तीन आयतों को पढ़ने की तल्कीन फरमाया करते थे। अब सोचने की बात यह है कि आपने ख़ास निकाह के मौक़े पर इन तीन आयतों का क्यों इन्तिख़ाब यानी चयन फरमाया, जब कि निकाह से मुताल्लिक और बहुत सी आयतें कुरआने करीम में मौजूद हैं, और इन तीन आयतों में निकाह का कहीं ज़िक्र भी नहीं है।

तीनों आयतों में "तक्वा" का ज़िक्र

लेकिन इन तीन आयतों में ग़ौर किया जाए तो यह नज़र आयेगा कि इन तीन आयतों में जिस चीज़ का मुश्तरक तौर पर ज़िक्र है वह "तक्वा" है, और तीनों आयतें "तक्वा" के बयान से शुरू हो रही हैं। निकाह के मौक़े पर ख़ास तौर पर "तक्वा" की ताकीद इसलिए की जा रही है कि लोग उमूमन निकाह के मामले को दीन से ख़ारिज समझते हैं। और इस बारे में शरीअत के अहकाम को पीठ पीछे डाल देते हैं। निकाह से पहले भी और निकाह के वक़्त भी और निकाह के बाद भी इन अहकाम की तरफ़ ध्यान नहीं करते। इस वजह से निकाह के मौक़े पर ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद की जा रही है कि तक्वा इख्तियार करो। क्योंकि अगर ग़ौर किया जाए तो यह बात सामने आयेगी कि हक़ीक़त में यह निकाह का रिश्ता कभी सही मायने में खुशगवार नहीं हो सकता जब तक दिलों में तक्वा न हो, तक्वे के बग़ैर एक दूसरे के हुक़ूक़ सही मायने में अदा ही नहीं किये जा सकते।

शादीशुदा ज़िन्दगी के तीन मौके यानी एक निकाह से पहले, एक निकाह के वक़्त, एक निकाह के बाद, इन तीनों मौकों पर हमने दीन को पीठ पीछे डाला हुआ है। बस इतना ज़रूर कर लेते हैं कि निकाह के वक़्त किसी मौलवी साहिब को बुलाकर उनसे आयतें पढ़वा लीं, ख़ुतबा पढ़वा कर निकाह कर लिया। लेकिन उस निकाह से पहले क्या काम किया, और ऐन उस निकाह के वक़्त क्या अ़मल कर रहे हैं? और निकाह के बाद क्या करेंगे? उन तमाम आमाल से न ख़ुदा का कोई ताल्लुक़ और न ख़ुदा के रसूल का कोई ताल्लुक़, हालांकि यह निकाह एक इबादत है, और एक सवाब का काम है।

निकाह, फ़ितरी ख़्वाहिश पूरी करने का आसान रास्ता

फिर अल्लाह तआ़ला ने इस्लामी शरीअ़त में निकाह को इतना आसान बना दिया कि इस से ज़्यादा आसान कोई दूसरा मामला नहीं हो सकता। इसलिए कि जो दीन अल्लाह तआ़ला ने हमें अ़ता फ़रमाया है उसमें हमारी नफ़सियात की पूरी रियायत है : यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह तआ़ला मर्द के दिल में औरत की तरफ़ और औरत के दिल में मर्द की तरफ़ एक कशिश रखी है, इस कशिश का नतीजा यह है कि इन्सान की फ़ितरत यह तकाज़ा करती है कि ज़िन्दगी मर्द और औरत दोनों के आपसी मिलाप और साथ रहकर बसर हो। बाज़ मज़हब वे हैं जिन्होंने यह कह दिया कि यह कशिश शैतानी ख़्वाहिश है, इसलिए जब तक इस शैतानी ख़्वाहिश को नहीं मिटाओगे उस वक़्त तक अल्लाह तआ़ला की निकटता हासिल नहीं होगी। चुनांचे उन मज़ाहिब ने "रहबानियत" की बुनियाद डाली। और यह कह दिया कि निकाह और शादी न करो, अकेले ज़िन्दगी गुज़ारो। लेकिन इस्लाम जो दीने फ़ितरत है, वह जानता था कि यह कशिश इन्सान की फ़ितरत में दाख़िल है। अगर फ़ितरत से बग़ावत की जायेगी तो यह फ़ितरत ग़लत और

नाजायज़ और हराम रास्ते तलाश करेगी। चुनांचे कुरआने करीम का इर्शाद है:

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً" (الرعد:٣٨)

ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! हमने आप से पहले भी अंबिया भेजे, और हमने उनको बीवियां भी अता कीं, और औलाद भी अता की। इसलिए बीवी बच्चों से अलग ज़िन्दगी नहीं गुज़ारनी, बल्कि बीवी बच्चों के साथ ज़िन्दगी गुज़ारनी है, इसलिए कि यह फ़ितरत का एक तकाज़ा है। इसी वजह से अल्लाह तआला ने इस फ़ितरी तकाज़े को पूरा करने का जायज़ रास्ता इतना आसान कर दिया कि इसमें किसी किस्म की कोई पाबन्दी नहीं लगाई।

निकाह के लिए खुतबा शर्त नहीं

चुनांचे निकाह के वक़्त खुतबा पढ़ना भी कोई लाज़मी शर्त नहीं, वाजिब और फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सुन्नत ज़रूर है। अगर दो मर्द व औरत बैठ कर ईजाब व कबूल कर लें, और दो गवाह उस मज्लिस में मौजूद हों, या तो दो मर्द गवाह हों या एक मर्द और दो औरतें बतौरे गवाह मौजूद हों। तो बस निकाह हो गया, और वे दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। अल्लाह तआला ने इस निकाह को आसान कर दिया, ताकि इन्सान की जो फ़ितरी ख़्वाहिश है उसको पूरा करने का जायज़ रास्ता इतना आसान हो जाए कि उसमें दुश्वारी न हो। निकाह के लिए न मंगनी शर्त है न मेहंदी शर्त है, न तक़रीब शर्त है, न इज्तिमा शर्त है, न किसी को बुलाना शर्त है।

बर्कत वाला निकाह

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि:

"أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً" (مسند احمد:٦-٨٢)

यानी सब से ज़्यादा बर्कत वाला निकाह वह है जिसमें

मशक़्क़त कम से कम हो, ज़्यादा मशक़्क़त न उठाई गई हो, बल्कि सादगी के साथ बग़ैर किसी तक्लीफ़ के निकाह कर लिया गया हो। ऐसे निकाह में अल्लाह तआला ज़्यादा बर्कत अता फ़रमाते हैं।

हमने निकाह को मुश्किल बना दिया

लेकिन शरीअत ने इस निकाह को जितना आसान बना दिया था, हमने इसको इतना ही मुश्किल बना दिया। आज निकाह करना एक अज़ाब है, सालों और महीनों पहले से जब तक इसकी तैयारी न की जाए, और इस पर लाखों रुपया ख़र्च न किया जाए, उस वक़्त तक निकाह नहीं हो सकता। देखिए कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में किस तरह निकाह होते थे।

सादगी से निकाह करने का एक वाकिआ

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं। और 'अश्रा–ए–मुबश्शरा' में से हैं, यानी उन दस खुश नसीब सहाबा में से हैं जिनके बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सराहत के साथ खुशख़बरी दे दी कि ये जन्नत में जाने वाले हैं। यों तो तमाम सहाबा–ए–किराम का हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, लेकिन 'अश्रा–ए -मुबश्शरा' तो वे दस सहाबा हैं जो सब से ज़्यादा ख़ास हैं, उनमें से एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं।

हदीस शरीफ़ में है कि एक बार यह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में हाज़िर हुए, आपने देखा कि उनकी क़मीज़ पर एक ज़र्द निशान लगा हुआ है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क़मीज़ पर यह पीला निशान कैसे लग गया? जवाब में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! मैंने निकाह

किया है, निकाह की वजह से मैंने ख़ुश्बू लगाई थी यह उस ख़ुश्बू का निशान है। आपने उनको दुआ देते हुए फ़रमायाः "बारकल्लाहु ल-क व अ़लै-क" अल्लाह तआ़ला तुम्हें बर्कत अ़ता फ़रमाये, फिर फ़रमायाः

اولم ولو بشاة

यानी वलीमा कर लेना, चाहे एक बकरी के ज़रिए हो।

(बुख़ारी शरीफ़)

यह सादगी आप भी इख़्तियार करें

अब आप देखें कि हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ मुहाजिर सहाबा-ए-किराम में से हैं, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से आपका दूर का रिश्ता भी है, 'अ़श्रा-ए-मुबश्शरा' में हैं। लेकिन अपने निकाह में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी नहीं बुलाया, बल्कि निकाह के बाद आपके पूछने पर बताया कि मैंने निकाह कर लिया है। और फिर ख़ुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी शिकायत के तौर पर यह नहीं कहा कि तुमने अकेले अकेले निकाह कर लिया, हमें बुलाया भी नहीं, बल्कि बर्कत की दुआ दी कि "बारकल्लाहु ल-क व अ़लै-क" लेकिन यह फ़रमाया कि वलीमा कर लेना, चाहे उसके लिए एक बकरी ही ज़िबह करनी पड़े। अब देखिए कि निकाह की मज्लिस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक को भी दावत देने की ज़रूरत नहीं समझी। इतनी सादगी के साथ निकाह फ़रमा लिया।

आज अगर कोई शख़्स इस तरह निकाह कर ले कि अपने ख़ास लोगों को भी न बुलाये, तो फिर देखियेगा कि उस से लोगों को कितनी शिकायतें होंगी, कितने शिकवे और गिले होंगे कि यह साहिब तो अकेले अकेले निकाह करके बैठ गए, हमें पूछा तक नहीं, लेकिन हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कोई शिकायत

नहीं की।

हज़रत जाबिर को नवाज़ने का वाकिआ

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्सारी सहाबी हैं, और हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के महबूब सहाबी हैं। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उनके साथ मुहब्बत का बड़ा खुसूसी ताल्लुक था। उनका वाकिआ रिवायत में आता है कि एक बार गज़्वा–ए–बनी मुस्तलक से जिहाद करके वापस आ रहे थे, उनका ऊंट बहुत सुस्त रफ़्तार था और अड़ियल था। यह उसको तेज़ चलाने की कोशिश करते थे मगर वह नहीं चलता था। पूरा काफ़िला आगे निकल जाता और यह पीछे रह जाते थे। जब हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको देखा कि यह बार बार पीछे रह जाते हैं तो आप उनके पास गए और उनसे पूछा कि तुम काफ़िले के साथ साथ क्यों नहीं चलते, उन्होंने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! यह ऊंट चलकर नहीं देता, मैं इसको तेज़ चलाने की कोशिश करता हूं मगर यह फिर पीछे रह जाता है। आपने करीब की झाड़ी से एक लकड़ी तोड़ी और हल्के से वह लकड़ी चाबुक के तौर पर उस ऊंट को लगाई, जैसे ही आपने वह लकड़ी लगाई, बस वह ऊंट तो हवा हो गया और बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा, यहां तक कि तमाम काफ़िले से आगे निकल गया। आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फिर उनके करीब पहुंचे और आपने उनसे फ़रमाया कि अब तो तुम्हारा यह ऊंट बहुत तेज़ दौड़ रहा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह आपकी बर्कत से इतना तेज़ हो गया कि सब से आगे हो रहा है।

आपने उनसे फ़रमाया कि यह तो बहुत शानदार ऊंट है, क्या तुम यह ऊंट मुझे बेचोगे? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! बेचने की क्या बात है, अगर आपको

पसन्द है तो आप मेरी तरफ़ से हदिया क़बूल फ़रमा लें। आपने फ़रमाया कि हदिया नहीं बल्कि मैं तो क़ीमत देकर लूंगा। अगर बेचना चाहते हो तो बेच दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जिस क़ीमत पर चाहें ख़रीद लें। आपने फ़रमाया कि नहीं तुम बताओ कि किस क़ीमत पर बेचते हो? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमायाः या रसूलल्लाह! मैं इसको एक औक़िया चांदी के बदले बेचता हूं (औक़िया चांदी का एक वज़न होता था, जो तक़रीबन चालीस दिर्हम के बराबर होता था) आपने फ़रमाया कि तुमने तो बहुत ज़्यादा क़ीमत लगा दी। इस क़ीमत में तो बड़े बड़े ऊंट आ जाते हैं, उन्होंने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! आप जितनी क़ीमत लगाना चाहें लगा दें, आपने फ़रमाया कि चलो मैं एक औक़िया में ख़रीदता हूं। और मैं इसके पैसे मदीना मुनव्वरा पहुंच कर दूंगा।

उसके बाद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊंट से उतर कर खड़े हो गए, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि ऊंट से क्यों उतर गये? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह! यह ऊंट तो आपने ख़रीद लिया, अब यह आपका हो गया। आपने फ़रमाया कि तुम मदीना मुनव्वरा तक पैदल जाओगे, ऐसा करो कि तुम इसी पर सवारी करके मदीना मुनव्वरा तक पहुंच जाओ, वहां जाकर हम तुम से यह ऊंट ले लेंगे, और पैसे अदा कर देंगे।

जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो उन्होंने वह ऊंट हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास भेज दिया। लेकिन आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वह ऊंट भी उनको वापस कर दिया और एक औक़िया चांदी भी उनको दे दी। यह हक़ीक़त में उनको नवाज़ने का एक बहाना था।

सादगी से निकाह का दूसरा वाक़िआ

हदीस शरीफ़ में है कि जिस वक़्त वह ऊंट तेज़ चल रहा था और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी उनके साथ चल

रहे थे। उस वक़्त आपने उनसे पूछा कि भाई तुमने शादी भी की या नहीं? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह! मैंने जंग में आने से पहले निकाह कर लिया है। आपने फिर सवाल किया कि तुमने किसी कुंवारी से निकाह किया है या सैयबा (बेवा) औरत से निकाह किया है? उन्होंने जवाब दियाः या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! मैंने एक सैयबा औरत से निकाह किया है, जो पहले एक शख़्स के निकाह में थीं, जब उनके शौहर का इन्तिक़ाल हो गया तो मैंने उनसे निकाह कर लिया। आपने फिर सवाल किया कि तुमने कुंवारी से क्यों निकाह नहीं किया? उन्होंने जवाब दिया कि असल में मेरे वालिद साहिब का इन्तिक़ाल हो गया, और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, इसलिए मुझे एक ऐसी औरत की तलाश थी जो उनकी देखभाल कर सके, इसलिए अगर मैं नई उम्र की लड़की से निकाह करता तो वह उनकी सही देखभाल न कर सकती, इसलिए मैंने सैयबा औरत से निकाह किया। चुनांचे यह सुनकर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको दुआ दी और फ़रमाया कि "बारकल्लाहु ल–क व अलै–क व जम–अ बैनकुमा बिख़ैरिन" यानी अल्लाह तआला तुम्हें बर्कत दे और उलफ़त और मुहब्बत के साथ तुम दोनों को जमा करे। (बुख़ारी शरीफ़)

अब आप अन्दाज़ा लगाएं कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग में जाने से पहले मदीना मुनव्वरा में निकाह किया और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना मुनव्वरा में ही तशरीफ़ फ़रमा हैं, और उसके बाद जंग में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ रहे, फिर जब उस जंग और ग़ज़्वा से वापस हुए तो आपके पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने एक औरत से निकाह किया है। और उन्होंने इसकी ज़रूरत नहीं समझी कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को निकाह की मज्लिस में बुलाएं, न ही हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह

शिकायत की कि तुमने चुपके चुपके निकाह कर लिया, मुझे क्यों नहीं बुलाया।

दूसरों को बुलाने का एहतिमाम

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पूरी सीरते तैयबा में निकाह की सादगी का यह अन्दाज़ नज़र आता है कि जिस तरह अल्लाह तआला ने इस निकाह को आसान रखा था, सहाबा-ए-किराम ने उसको उतना ही असान और सादा रखा। मैं यह नहीं कहता कि अपने बड़ों को और रिश्तेदारों को निकाह के मौक़े पर बुलाना हराम और नाजायज़ है, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस मौक़े पर फ़रमाया कि अबू बक्र और उम्र को बुलाओ, निकाह होने वाला है। इस तरह ख़ास ख़ास लोगों को आपने बुलाया। इसलिए बुलाना जायज़ है। लेकिन निकाह के अन्दर एहतिमाम कि जब तक फ़लां शख़्स नहीं आ जायेगा और जब तक फ़लां शर्तें पूरी नहीं होंगी, और जब तक फ़लां फ़लां रस्में नहीं होंगी, उस वक़्त तक निकाह आयोजित नहीं होगा, शरीअत में ऐसे एहतिमाम की गुन्जाइश नहीं।

आज हमने हलाल को मुश्किल बना दिया

आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है, इसका नतीजा यह है कि जब हलाल के दरवाज़े बन्द कर दिए तो हराम के दरवाज़े खुल रहे हैं। आज अगर हलाल का रास्ता कोई शख़्स इख़्तियार करना चाहे तो उसके रास्ते में पाबन्दियां और रुकावटें हैं, और जब तक लाखों रुपये न हों वह हलाल रास्ता इख़्तियार नहीं कर सकता, जिसका नतीजा यह है कि लोग हराम की तरफ़ जा रहे हैं, और उसके दरवाज़े चौपट खुले हैं। उसके ज़रिए समाज में फ़साद फैल रहा है।

तीन चीज़ों में देरी मत करो

एक हदीस जो याद रखने की है वह यह है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि:

"ثلاثا لا تؤخرها، الصلاة اذا دخل وقتها، الجنازة اذا حضرت، والايم اذا وجدت لها كفوًا" (ترمذی شریف)

यानी तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें ताख़ीर और देर न करो।

१. जब जनाज़ा तैयार होकर आ जाए तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ने में देर न करो। नमाज़े जनाज़ा को जल्दी पढ़ने का हुक्म इतनी अहमियत रखता है कि बाज़ फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर ऐसे वक़्त में जनाज़ा आए जब कि जमाअत तैयार हो, तो फ़र्ज़ तो पहले अदा कर लिए जाएं, फ़र्ज़ों के बाद पहले जनाज़े की नमाज़ अदा की जाए, उसके बाद सुन्नतें अदा की जाएं। बाज़ फ़ुक़हा का कहना यह है कि फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें पढ़ना तो जायज़ है लेकिन नफ़्लें पढ़ना जायज़ नहीं, जब तक नमाज़े जनाज़ा न पढ़ लें, फ़तवा भी इसी क़ौल पर है। आम लोगों को यह मसला मालूम नहीं है, चुनांचे नमाज़े जनाज़ा का ऐलान होने के बावजूद लोग फ़र्ज़ के बाद नवाफ़िल पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि नफ़िलों की वजह से नमाज़े जनाज़ा में देर करना जायज़ नहीं।

२. दूसरी चीज़ यह बयान फ़रमाई कि जब नमाज़ का मुस्तहब वक़्त शुरू हो जाए तो उसके बाद नमाज़ में देर न करो। बल्कि जितनी जल्दी हो सके नमाज़ पढ़ लो। बाद में फिर वक़्त मिले या न मिले। फिर हालात मुवाफ़िक़ रहें या न रहें।

३. तीसरी चीज़ यह बयान फ़रमाई कि जब बे शौहर की लड़की का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके निकाह में देर न करो।

इसलिए इन तीन चीज़ों में ताख़ीर और देर न करनी चाहिए।

एक और हदीस में इर्शाद फ़रमाया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी मुनासिब रिश्ता मिलने पर लड़की का रिश्ता नहीं करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और बहुत फ़साद फैलेगा। वह फ़साद यह होगा कि जब आपने हलाल का रास्ता रोक दिया तो फिर हराम का रास्ता खुल जायेगा।

इन फ़ुज़ूल रस्मों को छोड़ दो

इसलिए शरीअत ने निकाह को जितना आसान बना दिया था आज हमने इसको इतना ही मुश्किल बना दिया। और इसको एक अज़ाब बना दिया, और तकल्लुफ़ वाला बना दिया। ख़ुदा जाने क्या क्या रस्में इसके अन्दर हमने अपनी तरफ़ से घड़ लीं कि पहले मंगनी होनी चाहिए और मंगनी के अन्दर फ़लां फ़लां रस्में होनी चाहिएं, शादी से पहले मेहंदी होनी चाहिए, इन रस्मों के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता। यह सब हमने अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े कर रखे हैं। इसका नतीजा यह है कि आज निकाहों में बे बर्कती हो रही है।

ऐलान करके निकाह करो

दूसरे निकाह के वक़्त अन्जाम दिये जाने वाले उमूर हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि निकाह एक इबादत है, हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

"اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد" (ترمذی شریف)

यानी निकाह का ऐलान करो, निकाह ऐलान करके होना चाहिए। हलाल और हराम में यही फ़र्क़ है कि हराम काम चोरी छुपे होता है, और ख़ुफ़िया तरीक़े से होता है। इसलिए निकाह में शरीअत ने यह ज़रूरी क़रार दिया कि ऐलान करके हो। लोगों को मालूम हो जाए कि फ़लां का निकाह फ़लां के साथ हो गया है। आगे फ़रमाया कि इस निकाह को मस्जिद में अन्जाम दो, इसको भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सुन्नत क़रार दिया।

इसलिए कि निकाह एक इबादत है, और अल्लाह तआला के हुक्म की तामील है और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अमल है। इसलिए जिस तरह नमाज़ इबादत है इसी तरह निकाह भी इबादत है, इसलिए इसको मस्जिद में अन्जाम देने की ताकीद फ़रमाई है।

निकाह के बाद मस्जिद में शोर शराबा

लेकिन यहां एक मसला और सुन लीजिए। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नबी होने की हैसियत से आप ही की निगाह वहां तक पहुंच सकती है, यह यह कि एक दूसरी हदीस में जहां आपने यह इर्शाद फ़रमाया कि निकाह मस्जिदों में अन्जाम दो, वहां साथ ही आपने यह भी इर्शाद फ़रमाया किः

"وَإِيَّاكُم وهيشات الأسواق" (ابوداؤد شریف)

यानी बाज़ारों की तरह शोर शराबे से बचो। अब हमारे यहां इसका रिवाज तो हो रहा है कि निकाह मस्जिद में होते हैं लेकिन इस हदीस के ज़रिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस तरफ़ तवज्जोह दिला रहे हैं कि ऐसा न हो कि निकाह तो मस्जिद में कर लिया, लेकिन निकाह के नतीजे में मस्जिद के अन्दर शोर शराबा शुरू हो गया। आजकल इसका लिहाज़ नहीं किया जाता, बल्कि निकाह की महफ़िल के बाद शोर व हंगामा शुरू हो जाता है। चूंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुबारक निगाह इस तरफ़ देख रही थीं कि जब लोग इस हुक्म पर अमल करेंगे तो कहीं इस गुनाह के अन्दर मुब्तला न हो जाएं, इसलिए आपने पहले ही ख़बरदार फ़रमा दिया कि मस्जिदों को बाज़ारों की तरह शोर शराबे से बचाओ।

इबादत में गुनाह की मिलावट

इसलिए जब निकाह इबादत है तो इबादत को गुनाह की मिलावट से पाक होना चाहिए। यह अजीब बात है कि इबादत भी

हो रही है और साथ साथ हराम काम भी हो रहा है। गुनाह भी हो रहा है। जैसे अगर कोई शख़्स नमाज़ भी पढ़े, और नमाज़ के दौरान रिकार्डिंग भी लगा दे। अब नमाज़ भी हो रही है और फ़िल्मी गाने भी चल रहे हैं। कोई शख़्स कितना ही गया गुज़रा क्यों न हो, लेकिन वह कम से कम नमाज़ के वक़्त गुनाह से परहेज़ करने की कोशिश करेगा। नमाज़ पढ़ते वक़्त अगर सामने तस्वीर होगी तो उस तस्वीर को हटा देगा। अगर मौसीकी बज रही होगी तो उसको बन्द कर देगा। पहले यह होता था कि अगर किसी काफ़िर ने नमाज़ के वक़्त मस्जिद के सामने बाजा बजा दिया तो उस पर फ़साद हो जाता था और मुसलमान उस पर अपनी जान दे देते थे। और अब माशा अल्लाह मस्जिदों के सामने खुद गाने बजाने शुरू कर दिए। इसलिए बिल्कुल नमाज़ के वक़्त और ऐन इबादत के वक़्त कम से कम इन्सान इस बात का एहतिमाम करता है कि कोई गुनाह का काम न हो।

निकाह की महफ़िल गुनाहों से पाक हो

इसलिए निकाह के इबादत होने का तक़ाज़ा यह है कि निकाह की महफ़िल जो इबादत की महफ़िल है, जो सुन्नत की अदायेगी की महफ़िल है और जो एक सवाब की महफिल है, और जिस महफ़िल पर अल्लाह तआला की रहमतें और बर्कतें नाज़िल हो रही हैं, कम से कम उस महफ़िल को तो गुनाहों से पाक किया जाए। आज हमने इस महफ़िल को हर तरह के गुनाहों का मलग़ूबा बना दिया है। मर्द और औरत का आज़ादाना मेल हो रहा है, औरतें बन संवर कर महफ़िल के अन्दर आ रही हैं, साथ में निकाह की इबादत भी हो रही है, यह कैसी इबादत हो रही है, यह कैसी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत की अदायेगी हो रही है।

हुक्म तो यह दिया जा रहा है कि अल्लाह से डरो, तो अगर उस निकाह को अन्जाम देते हुए नाफ़रमानियों का इर्तिकाब करोगे तो उस निकाह में बर्कत नहीं होगी। बर्कत उस वक़्त होगी जब

निकाह के मौक़े पर अल्लाह तआ़ला की इताअ़त की जाए, और उसको सादगी के साथ अन्जाम दिया जाए। उसमें कोई गुनाह का काम न हो। अगर लोगों का इज्तिमा बुला लिया तो यह कोई नाजायज़ और हराम काम नहीं है, दावत भी कर दी लेकिन गुनाह का कोई काम न किया जाए। इसलिए कि निकाह तो इसलिए किया जाए जा रहा है कि इन्सान की फ़ितरी ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए जायज़ तरीक़ा निकाला जाए। अगर गुनाह के काम इसके अन्दर किए जायेंगे तो निकाह के मक़सद के ख़िलाफ़ है। इसलिए निकाह की महफ़िल में गुनाह के कामों से परहेज़ किया जाए।

अच्छी शादी शुदा ज़िन्दगी के लिए परहेज़गारी की ज़रूरत

तीसरी बात निकाह के बाद तक़्वा यानी परहेज़गारी इख़्तियार करने की है। मेरे वालिद माजिद हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि मियां बीवी के ताल्लुक़ात उस वक़्त तक अच्छे नहीं हो सकते, जब तक दोनों के दिल में तक़्वा न हो, अल्लाह का ख़ौफ़ न हो। देखिए दोनों मियां बीवी के दरमियान इतना क़रीबी ताल्लुक़ होता है कि उस से ज़्यादा क़रीबी ताल्लुक़ किसी और के दरमियान नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के राज़दार होते हैं, दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क़रीब होते हैं कि उस से ज़्यादा निकटता का तसव्वुर इस दुनिया में नहीं किया जा सकता। दोनों के आपस के ताल्लुक़ात ऐसे हैं कि वे कभी भी दूसरों के सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकते। इसलिए तन्हाई के उस आ़लम में जब कि एक दूसरे के साथ ऐकान्त है, उस वक़्त एक दूसरे को तक्लीफ़ पहुंचाएं या हक़-तलफ़ी करें तो कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं। बहुत से हुक़ूक़ तो ऐसे हैं कि अगर कोई शख़्स आपकी हक़-तलफ़ी करे तो पुलिस के ज़रिए वह हक़ वुसूल किया जा सकता है। या अ़दालत में दावा दायर करके अ़दालत के ज़रिए वह हक़ वुसूल किया जा

सकता है। लेकिन मियां बीवी के बहुत से हुकूक़ ऐसे हैं कि उनको न तो पुलिस के ज़रिए वुसूल किया जा सकता है और न अदालत के ज़रिए हासिल किया जा सकता है, अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यह करेगी कि बीवी को ख़र्च दिला देगी और मेहर दिला देगी. लेकिन अगर शौहर घर में आकर मुंह चढ़ाकर बैठ जाता है, और जब बात करता है तो जली कटी सुनाता है, तो अब यह जली कटी सुनाने का और मुंह चढ़ाकर बैठ जाने का जो दुख है उसको कौन सी अदालत और कौन सी पुलिस दूर करेगी?

"अल्लाह का ख़ौफ़" हुकूक़ की अदायेगी करा सकता है

अगर कोई चीज़ इस दुख को दूर कर सकती है तो वह सिर्फ़ एक चीज़ है, वह है "अल्लाह का डर" जब शौहर के दिल में इस बात का एहसास हो कि बीवी का वजूद अल्लाह तआला ने मेरे साथ जोड़ दिया है, तो इसके मेरे ज़िम्मे कुछ हक़ हैं जो मुझे अदा करने हैं, अगर मैं अदा नहीं करूंगा तो अल्लाह तआला के यहां मेरी पकड़ होगी। जब तक यह एहसास दिल में न हो, इन्सान उसके तमाम हुकूक़ अदा नहीं कर सकता। ये हुकूक़ न अदालत दिलवा सकती है न पुलिस दिलवा सकती है।

यह तो दरिन्दे की सिफ़त है

मेरे एक सबक़ के साथी थे। एक बार वह फ़ख़्र के अन्दाज़ में यह बयान करने लगे कि जब मैं घर में दाख़िल होता हूं तो मेरी बीवी और बच्चों की हिम्मत नहीं होती कि मुझ से कोई बात करें या मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ कर सकें। वह अपनी मर्दानगी ज़ाहिर करने के लिए यह बात बयान कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यह जो आप अपनी ख़ूबी बयान कर रहे हैं यह किसी दरिन्दे की सिफ़त तो हो सकती है इन्सान की तो यह सिफ़त नहीं हो सकती। इन्सान की सिफ़त तो वह है जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फ़रमाया कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घर के अन्दर तशरीफ़ लाते तो इस तरह तशरीफ़ लाते कि आपका मुबारक चेहरा खिला हुआ होता, और आपके मुबारक चेहरे पर तबस्सुम होता था, और जितना समय मैंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ गुज़ारा, उस समय में आपने मुझे कोई बड़ी तंबीह नहीं फ़रमाई।

आज तक लहजा बदल कर बात नहीं की

यह है इन्सान का काम, जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने करके दिखाया। यह काम उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक दिल में तक़्वा न हो, अल्लाह का ख़ौफ़ न हो। मेरे शैख़ हज़रत डॉ. अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह तआला उनके दर्जे बुलन्द फ़रमाए, आमीन। अपना मामूल बयान फ़रमाते थे कि आज मेरी शादी को पचपन साल हो गए, लेकिन आज तक घर वालों से गुस्से की हालत में लहजा बदल कर बात करने की नौबत नहीं आई। लोग करामत इसको समझते हैं कि कोई हवा में उड़ने लगे, या जलती हुई आग में से गुज़र जाए। लेकिन असली करामत यह है कि मियां बीवी के दरमियान इतना क़रीबी ताल्लुक़ होने के बावजूद पचपन साल इस तरह गुज़ारे कि कभी बीवी से लहजा बदल कर गुस्से की हालत में बात करने की नौबत नहीं आई।

ख़ुद हज़रत डॉ. साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि की बीवी साहिबा फ़रमाया करती थीं कि सारी उम्र हज़रत ने मुझे किसी काम के करने का हुक्म नहीं दिया। जैसे कभी यह नहीं कहा कि पानी पिला दो, या यह काम कर दो, बल्कि मैंने अपने शौक़ से कोई काम कर लिया तो कर लिया। यह एहतिमाम कि कभी बीवी से लहजा बदल कर बात न करूं, यह उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक दिल में ख़ुदा के ख़ौफ़ का पहरा न हो, तक़्वे का पहरा न हो, इसलिए कि यह काम न तो पुलिस करा सकती है, और न अदालत करा सकती है।

बीवी का हाथ कौन रोक सकता है?

इसी तरह अगर बीवी शौहर को तक्लीफ़ पहुंचाने पर उतर आए तो कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई अदालत कोई पुलिस उसको नहीं रोक सकती। बस एक चीज़ बीवी को इस चीज़ से रोक सकती है, वह है तक़्वा और अल्लाह का डर। इसलिए इस नाज़ुक मौक़े पर जब ज़िन्दगी का दोराहा शुरू हो रहा है, उस वक़्त जो ख़ुतबा मसनून क़रार दिया, उसमें ऐसी आयतों का चयन फ़रमाया जिनमें इस बात की ताकीद फ़रमाई कि तक़्वा इख़्तियार करो, और अल्लाह तआला का ख़ौफ़ दिल में पैदा करो और अल्लाह तआला के सामने जवाब देही का ऐहसास दिल में पैदा करो, उसके ज़रिए ही तुम एक दूसरे के हुकूक़ अदा कर सकोगे, उसके बग़ैर एक दूसरे के हुकूक़ अदा नहीं हो सकते।

हर काम का सही होना "तक़्वे" में है

सच्ची बात यह है कि "तक़्वे" के बग़ैर और अल्लाह के ख़ौफ़ के बग़ैर दुनिया का कोई काम सही नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर निकाह के मामलात और मियां बीवी के आपसी हुक़ूक़ तक़्वे के बग़ैर दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक ज़िन्दगी पर इन्सान की निगाह हो, और सुन्नत की पैरवी का जज़्बा दिल में हो, और अल्लाह तआला का ख़ौफ़ दिल में हो, और आख़िरत में जवाब देही का ऐहसास दिल में हो, तब एक दूसरे के हुकूक़ अदा हो सकते हैं। इसी लिए फ़रमाया कि रिश्तेदारियों के हुकूक़ अदा करते हुए अल्लाह से डरो। उनमें से हर हर चीज़ के बारे में वहां पर तुम से सवाल होगा कि तुमने किसके साथ किस क़िस्म का मामला किया था।

निकाह करना सुन्नत है

निकाह के ख़ुतबे में इन आयतों के अलावा कुछ हदीसें भी तिलावत की जाती हैं, चुनांचे मैंने एक हदीस यह तिलावत की कि

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि:

"النکاح من سنتی" (ابن ماجہ شریف)

यानी निकाह मेरी सुन्नत है। इसके ज़रिए इस बात की तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि यह सिर्फ़ दुनियादारी का काम नहीं है, अल्लाह तआला ने इसको सवाब का काम बनाया है। इसी से यह बात निकलती है कि दुनिया के तमाम काम जिनको हम दुनिया समझते हैं, अगर ज़रा सी नियत बदल लो, ज़रा सा नुक़्ता–ए–निगाह बदल लो, और उसके करने का तरीक़ा बदल लो तो हक़ीक़त में ये सब दीन हैं। चुनांचे यह निकाह भी दीन है, ख़रीदना और बेचना (यानी तिजारत) भी दीन है, यह तिजारत भी दीन है, यह खेती भी दीन है, यह नौकरी भी दीन है, बीवी बच्चों के साथ हंसना बोलना भी दीन है, बस शर्त यह है कि इन सब कामों में तुम्हारी नियत अल्लाह को राज़ी करना हो, और अल्लाह तआला की रिज़ा हासिल करने की नियत हो तो फिर खाना पीना, तिजारत व कारीगरी सब दीन बन जाती है।

निकाह ख़ानदानों को जोड़ने का ज़रिया

दूसरी हदीस यह तिलावत की थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"لم تر للمتحابین مثل النکاح" (مصنف ابن ابی شیبۃ: ج٤ ص١٢٨)

यानी अगर दो ख़ानदानों में आपस में मुहब्बत है, तो उस मुहब्बत को पक्का करने वाली निकाह से ज़्यादा असरदार कोई चीज़ नहीं। इसलिए अगर दो ख़ानदानों में आपस में मुहब्बत है तो उस मुहब्बत को पायदार करने के लिए उन ख़ानदानों के बाज़ अफ़राद के दरमियान आपस में रिश्ता क़ायम हो जाए तो उस मुहब्बत को और ज़्यादा मज़बूती हासिल हो जाती है, और अल्लाह तआला उस मुहब्बत में और ज़्यादा बर्कत अता फ़रमाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि दोनों अल्लाह तआला से डरने वाले हों, और दोनों

एक दूसरे के हुकूक़ की रियायत करने वाले हों। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अनेक निकाह करने का बहुत बड़ा सबब यह था कि बहुत से क़बीलों से ताल्लुक़ात क़ायम करने मन्ज़ूर थे, इसलिए आपने उन क़बीलों की औरतों से निकाह फ़रमाया। उस ज़माने में भी इसका रिवाज था कि जिनके दरमियान आपसी क़रीबी ताल्लुक़ात होते उस ताल्लुक़ को निकाह के ज़रिए और ज़्यादा मज़बूत बना दिया जाता था।

दुनिया की बेहतरीन चीज़ "नेक औ़रत"

तीसरी हदीस में जो मैंने तिलावत की उसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة" (مسلم شريف)

यानी यह सारी दुनिया नफ़ा उठाने की चीज़ है, क्योंकि यह दुनिया अल्लाह तआ़ला ने इन्सान के नफ़ा उठाने के लिए बनाई है, ताकि इन्सान इस से जायज़ तरीक़े से नफ़ा उठाए। और दुनिया के अन्दर सब से बेहतर नफ़ा उठाने की चीज़ नेक औ़रत है। नेक औ़रत को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सब से बड़ी नेमत क़रार दिया।

दुनिया की जन्नत

शैख़ुल इस्लाम हज़रत अ़ल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि दुनिया की जन्नत यह है कि मियां बीवी एक हों और नेक हों। यानी अगर दो बातें जमा हो जाएं कि दोनों के दरमियान इत्तिहाद और मुहब्बत भी हो, और दोनों नेक भी हों तो यह दुनिया की जन्नत है। अगर इनमें से एक चीज़ भी न हो तो दुनिया में जहन्नम है। इसलिए कि उस सूरत में दुनिया बेकैफ़ और बेमज़ा हो जाती है, और इसमें कदूरत पैदा हो जाती है।

तीन चीज़ों का हासिल होना नेक-बख़्ती की निशानी

इसी लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर तीन चीज़ें इन्सान को दुनिया में हासिल हो जाएं तो उसकी सआदत का हिस्सा है, उसकी नेक–बख़्ती की निशानी है। (१) एक कुशादा यानी बड़ा सा घर (२) दूसरे नेक औरत (३) तीसरे पसन्दीदा सवारी। अगर यही तीन चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर यह बद–बख़्ती हैं, यानी पूरी ज़िन्दगी के लिए नहूसत और वबाल है। इस हदीस के ज़रिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस तरफ़ इशारा फ़रमाया कि शौहर को बीवी का चयन करते हुए और बीवी को शौहर का चयन करते हुए यह बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि उसमें ख़ुदा का ख़ौफ़ कितना है, और दीन पर चलने का जज़्बा कितना है। क्योंकि इसके बग़ैर निकाह के फ़ायदे हासिल नहीं होते।

बरकत वाला निकाह

चौथी हदीस यह तिलावत की थी कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"أعظم النكاح بركةً أيسره مؤنةً" (مسند احمد: ج ٦ص ٨٢)

यानी सब से ज़्यादा बरकत वाला निकाह वह है जिसमें मेहनत और मशक़्क़त और ख़र्च कम हो। निकाह जितनी सादगी से किया जायेगा उतनी ज़्यादा उसकी बरकतें हासिल होंगी।

बहर हाल! निकाह के बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ये इर्शादात हैं। अगर हक़ीक़त में इन पर अमल हो जाए तो दीन व दुनिया की ख़ैर व ख़ूबी हासिल हो जाए। आज हमारे समाज में चारों तरफ़ जो ख़राबियां फैली हुई हैं, और जो फ़साद फैल रहा है, इसकी बुनियादी वजह इन इर्शादात से ग़फ़लत है। अल्लाह तआला हम सब को इन इर्शादात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ताना देने

और तन्ज़ करने से बचिए

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعّان ولا الفاحش ولا البذى.

हकीकी आफ़त और मुसीबत

पिछले चन्द जुमों से ज़बान के गुनाहों का बयान चल रहा है। ज़बान के इन गुनाहों को सूफ़िया-ए-किराम "आफ़ाते लिसानी" से ताबीर करते हैं। यानी ज़बान की आफ़तें। "आफ़त" के मायने हैं "मुसीबत" हम और आप ज़ाहिरी एतिबार से मुसीबत इसको समझते हैं जैसे कोई बीमारी आ जाए, या जान या माल को नुक़सान पहुंच जाए, या और कोई दुनियावी तक्लीफ़ लाहिक़ हो जाए, तो हम उसको आफ़त और मुसीबत समझते हैं। लेकिन जिन अल्लाह के बन्दों को अल्लाह तआ़ला हक़ीक़त पहचानने वाली निगाह अ़ता फ़रमाते है, वे यह फ़रमाते हैं कि हकीकी आफ़त वह है जिसके ज़रिए इन्सान के दीन को नुक़सान लाहिक़ हो जाए।

दुनिया ग़म और खुशी से मिली हुई है

अगर किसी को कोई दुनियावी नुक़सान पहुच गया तो वह

इतना चिन्ताजनक नहीं, क्योंकि दुनिया में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कभी फ़ायदे और कभी नुक़सान, कभी ख़ुशी और कभी ग़म, न तो दुनिया का ग़म पायदार है और न ख़ुशी पायदार है। अगर किसी को कोई ग़म या परेशानी आई है तो वह इन्शा अल्लाह चन्द दिनों के बाद दूर हो जायेगी और इन्सान उस तक्लीफ़ और ग़म को भूल जायेगा। लेकिन ख़ुदा न करे अगर दीन को कोई मुसीबत लाहिक़ हो जायेगी तो यह ना-क़ाबिले तलाफ़ी है।

हमारे दीन पर मुसीबत न आए

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी क्या क्या अजीब व ग़रीब दुआएं तल्क़ीन फ़रमाई हैं। आदमी उसके एक एक लफ़्ज़ पर क़ुर्बान हो जाए। चुनांचे एक दुआ के अन्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"اَللّٰهُمَّ لا تجعل مصيبتنا فى ديننا"

ऐ अल्लाह! कोई मुसीबत हमारे दीन पर न आए।

इसलिए कि जब इन्सान इस दुनिया में आया है तो उसको किसी न किसी मुसीबत से साबक़ा पेश आना ही है, कोई बड़े से बड़ा बादशाह हो या मालदार हो या रुतबे वाला हो, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई न कोई मुसीबत पेश न आई हो। इस दुनिया में मुसीबत तो ज़रूर पेश आयेगी, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ फ़रमा रहे हैं कि ऐ अल्लाह! जो मुसीबत पेश आए वह दुनिया की मुसीबत हो, दीन की मुसीबत पेश न आए। फिर आगे इर्शाद फ़रमायाः

हमारी सोच और इल्म का मेहवर दुनिया को न बना

"ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا"

ऐ अल्लाह! हमारी सारी सोच विचार दुनिया ही के बारे में न बनाइए कि हर वक़्त दुनिया ही के बारे में सोचते रहें और आख़िरत का कुछ ख़्याल न हो। और ऐ अल्लाह! न इस दुनिया को ऐसा

बनाइए कि हमारा सारा इल्म इस दुनिया ही के बारे में हो और दीन के बारे में हमें कुछ इल्म न हो। और न हमारी सारी ख़्वाहिशों का मर्कज़ इस दुनिया को बनाइए कि हमारी सारी ख़्वाहिशें और हमारी सारी उमंगें इस दुनिया ही से मुताल्लिक़ हों और आख़िरत के बारे में हमारे दिल में कोई ख़्वाहिश और उमंग न हो।

तमाम गुनाह आफ़तें हैं

इसलिए हक़ीक़ी मुसीबत वह है जो इन्सान के दीन को लाहिक़ हो। और जितने भी गुनाह हैं वे हक़ीक़त में आफ़त और मुसीबत हैं। अगरचे ज़ाहिरी एतिबार से उस गुनाह के करने में लज़्ज़त आती है, लेकिन हक़ीक़त में वह लज़्ज़त दुनिया में भी तबाही लाने वाली है और आख़िरत में भी तबाही लाने वाली है। इस वजह से सूफ़िया-ए-किराम गुनाहों को "आफ़तों" से ताबीर करते हैं। ये सब आफ़तें हैं। और ज़बान के गुनाहों को "आफ़ातुल-लिसान" कहते हैं। यानी ज़बान पर आने वाली आफ़तें और मुसीबतें, जिनके ज़रिए इन्सान मुसीबत का शिकार होता है। इन आफ़तों में से एक आफ़त यानी "ग़ीबत" का बयान हो चुका।

एक मोमिन ये चार काम नहीं करता

जो हदीस मैंने तिलावत की है, उसमें बाज़ दूसरी आफ़तों को बयान फ़रमाया है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, लानत करने वाला नहीं होता, गन्दी बातें करने वाला नहीं होता और बद-कलामी करने वाला नहीं होता। यानी मोमिन का काम यह है कि उसकी ज़बान से कोई ऐसा लफ़्ज़ न निकले जो ताने में शामिल हो या लानत में शामिल हो, या अश्लीलता में शामिल हो, या बदगोई में शामिल हो। इस हदीस में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चार चीज़ें बयान फ़रमाईं। इन चारों चीज़ों का ताल्लुक़

इन्सान की ज़बान से है।

ताना क्या चीज़ है?

इस हदीस में पहली चीज़ यह बयान फरमाई कि "मोमिन ताना देने वाला नहीं होता" ताना देना यह है कि किसी शख़्स के मुंह पर लपेट कर ऐसी बात करना जिस से उसका दिल दुखे। देखिए! एक सूरत यह है कि इन्सान दूसरे को बराहे रास्त यह कह दे कि तुम्हारे अन्दर यह बुराई है, लेकिन "ताना" उसे कहते हैं कि गुफ़्तगू किसी और मौज़ू पर हो रही है, मगर दरमियान में आपने एक जुम्ला और एक लफ़्ज़ बोल दिया, और उस लफ़्ज़ को बोलने से उस शख़्स पर तन्ज़ करना और ताना देना और एतिराज़ करना मकसूद था, और उस "तन्ज़ और ताने" के नतीजे में उसका दिल दुखी हो। यह "तन्ज़ और ताना" बहुत सख़्त गुनाह है। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तो यहां तक फ़रमा दिया कि मोमिन का यह काम नहीं है कि वह दूसरे को ताना दे।

ज़बान से दिल ज़ख़्मी हो जाते हैं

अ़रबी ज़बान में "ताने" के मायने हैं "किसी को नेज़ा यानी भाला बल्लम मारना" इस लफ़्ज़ के अन्दर इस तरफ़ इशारा है कि "ताना देना" ऐसा है जैसे दूसरे को नेज़ा मारना। अ़रबी का एक मश्हूर शेर है:

"جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ماجرح اللسان

यानी नेज़े के ज़ख़्म तो भर जाते हैं, लेकिन ज़बान के लगाए हुए ज़ख़्म नहीं भरते।

इसलिए कि जब दूसरे के लिए "ताना" का कोई लफ़्ज़ बोला, और उस से उसका दिल टूटा, और उसका दिल दुखा तो दिल दुखाने का ज़ख़्म नहीं भरता। इन्सान एक मुद्दत तक यह बात नहीं भूलता कि उसने फ़लां वक़्त मुझे इस तरह ताना दिया था। इसलिए यह तन्ज़ करना, दूसरे पर एतिराज़ करना और ताना देने के

अन्दाज़ में बात करना यह दूसरे का दिल दुखाना है और उसकी आबरू पर हमला है, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह अमल इन्सान के ईमान के ख़िलाफ़ है।

मोमिन के जान व माल और इज़्ज़त की हुर्मत

एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी आबरू, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनकी इतनी हुर्मत (यानी बड़ाई और क़द्र) बयान फ़रमाई है जिसका हम और आप अन्दाज़ा नहीं कर सकते। आख़री हज के मौक़े पर जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुतबा दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा कि यह दिन जिसमें मैं तुम से गुफ़्तगू कर रहा हूं, कौन सा दिन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! यह अर्फ़े का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूसरा सवाल किया कि यह जगह जहां मैं खड़ा हूं, यह कौन सी जगह है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फ़रमाया कि यह हरम का इलाक़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फिर तीसरा सवाल किया कि यह महीना जिसमें मैं ख़िताब कर रहा हूं, यह कौन सा महीना है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फ़रमाया: यह ज़िल्हिज्जा का पाक और बड़ाई वाला महीना है। फिर फ़रमाया कि ऐ मुसलमानो! तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी आबरूएं एक दूसरे पर ऐसी ही हराम हैं जैसे आज का यह दिन। आज की यह जगह और आज का यह महीना हराम है। यानी जो इज़्ज़त व हुर्मत अल्लाह तआला ने इस पाक जगह को और इस बरकत वाले वक़्त को अता फ़रमाई है, वही इज़्ज़त व हुर्मत एक मोमिन के जान व माल और आबरू की है।

ऐसा शख़्स काबे को ढाने वाला है

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फ़रमाते

हैं कि एक बार हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमा रहे थे। तवाफ़ करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने "काबे" से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि ऐ बैतुल्लाह! तू कितनी हुर्मत वाला है, कितनी पाकीज़गी वाला है, तू कितनी बड़ी शान वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से पूछा कि ऐ अब्दुल्लाह! क्या दुनिया में कोई चीज़ है जिसकी हुर्मत और जिसकी पाकीज़गी बैतुल्लाह से ज़्यादा हो? मैंने अर्ज़ किया कि "अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं" सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का यह मुताय्यन जवाब था कि अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ इस से ज़्यादा हुर्मत वाली है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया: मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूं जिसकी हुर्मत इस बैतुल्लाह की हुर्मत से भी ज़्यादा है। वह है एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी आबरू। अगर इनमें से किसी चीज़ को कोई शख़्स नाहक़ नुक़सान पहुंचाता है तो वह शख़्स काबे को ढाने वाले की तरह है।

मोमिन का दिल तजल्ली की जगह है

किसी को ताना देना, असल में उसकी आबरू पर हमला करना और उसका दिल दुखाना है। हमारे हज़रत डॉ. अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि मोमिन का दिल तो अल्लाह तआला ने एक ही काम के लिए बनाया है। वह यह कि मोमिन का दिल सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलवे का मक़ाम हो। इस दिल में उनका ज़िक्र और उनकी याद हो, उनकी फ़िक्र हो, उनकी मुहब्बत हो, यहां तक कि बाज़ सूफ़िया-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम ने यह फ़रमा दिया कि मोमिन का दिल "अल्लाह का अर्श" है। यानी मोमिन का दिल अल्लाह तआला की मुहब्बत उतरने की जगह है, यह दिल अल्लाह तआला की

"तजल्ली का मक़ाम" है। चाहे इन्सान कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन अगर उसके दिल में ईमान है तो किसी न किसी वक़्त उसमें अल्लाह की मुहब्बत ज़रूर उतरेगी, इन्शा अल्लाह। और जब यह दिल अल्लाह तआ़ला ने अपनी मुहब्बत के लिए बनाया है तो एक मोमिन के दिल को तोड़ना, हक़ीक़त में अल्लाह जल्ल शानुहू की जलवे की जगह पर हमला करना है। 'अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए' इसलिए फ़रमाया कि तुम्हें यह हक़ नहीं पहुंचता कि तुम किसी दूसरे मुसलमान का दिल तोड़ो।

मुसलमान का दिल रखना सवाब का सबब है

अगर तुमने किसी का दिल रख लिया, उसको तसल्ली दे दी, या कोई ऐसी बात कह दी जिस से उसका दिल खुश हो गया, तो यह अ़मल तुम्हारे लिए बहुत बड़े अज्र व सवाब को वाजिब करने वाला है। इसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाते हैं कि:

दिल बदस्त आवर कि हज्जे अकबर अस्त

यानी किसी मुसलमान के दिल को थामना, यह हज्जे अकबर का सवाब रखता है। और ताना देना दूसरे का दिल तोड़ना है, और यह बहुत बड़ा गुनाह है।

एक सवाल और उसका जवाब

बाज़ लोगों के दिल में यह सवाल पैदा होता है कि एक तरफ़ तो यह कहा जा रहा है कि नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। यानी लोगों को अच्छाई की दावत दो और अगर कोई ग़लत काम में मुब्तला है तो उसको बता दो और उसको रोक दो। और दूसरी तरफ़ यह कहा जा रहा है कि दूसरे मुसलमान का दिल मत तोड़ो। अब दोनों के दरमियान ततबीक़ (अनुकूलता) किस तरह की जायेगी? इसका जवाब यह है कि दोनों के दरमियान ततबीक़ इस तरह होगी कि जब दूसरे शख़्स से कोई बात कहो तो ख़ैर ख़्वाही से कहो, तन्हाई में कहो, नर्मी से कहो, मुहब्बत से कहो और इस

अन्दाज़ में कहो कि जिस से उसका दिल कम से कम टूटे। जैसे तन्हाई में उस से कहे कि भाई! तुम्हारे अन्दर यह बात सुधार के काबिल है, तुम इसकी इस्लाह कर लो। लेकिन ताना देने के अन्दाज़ में कहना या लोगों के सामने सरे बाज़ार उसको रुस्वा करना, यह चीज़ इन्सान के दिल में घाव डाल देती है, इसलिए हराम और गुनाह है।

एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है

एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

"المؤمن مرآة المؤمن"

एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। यानी जिस तरह अगर कोई शख़्स अपना चेहरा आईने में देख ले तो चेहरे में जो कोई ऐब या दाग़ धब्बा होता है वह नज़र आ जाता है और इन्सान उसकी इस्लाह कर लेता है। इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन के सामने आने के बाद उसको बता देता है कि तुम्हारे अन्दर फ़लां बात है, उसको दुरुस्त कर लो। यह हदीस का मज़मून है।

आईने से तश्बीह देने की वजह

यह हदीस हमने भी पढ़ी है और आप हज़रात ने भी इसको पढ़ा और सुना होगा, लेकिन जिस शख़्स को अल्लाह तआ़ला हकीकी इल्म अ़ता फ़रमाते हैं, उसकी निगाह बहुत दूर तक पहुंचती है। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि इस हदीस की तश्रीह करते हुए फ़रमाते हैं कि इस हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मोमिन को आईने से तश्बीह दी है। लोग इतना तो जानते हैं कि आईने के साथ यह तश्बीह इस वजह से दी है कि जिस तरह आईना चेहरे और जिस्म के ऐबों को बता देता है, इसी तरह मोमिन भी दूसरे मोमिन के ऐबों को बता देता है। लेकिन आईने के साथ तश्बीह

देने में एक और वजह भी है, वह यह कि आईने का यह काम है कि वह आईना ऐब और बुराई सिर्फ़ उसको बताता है जिसके अन्दर वह ऐब होता है, और जो उसके सामने खड़ा है। लेकिन दूसरा शख़्स जो दूर खड़ा है, उसको नहीं बताता कि देखो इसके अन्दर यह ऐब है। इसी तरह मोमिन का काम यह है कि जिसके अन्दर कमज़ोरी या नुक़्स या ऐब है, उसको तो मुहब्बत और प्यार से बता दे कि तुम्हारे अन्दर यह नुक़्स और कमज़ोरी है, लेकिन दूसरे को बताता और गाता न फिरे, कि फ़लां के अन्दर फ़लां ऐब है और फ़लां नुक़्स है। इसलिए दूसरों को ज़लील करना, रुस्वा करना, उसकी बुराईयां बयान करना मोमिन का काम नहीं।

ग़लती बताए, ज़लील न करे

इसलिए इस एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दोनों बातें बयान फ़रमा दीं: एक यह कि मोमिन का काम यह भी है कि अगर वह दूसरे मोमिन के अन्दर कोई ग़लती देख रहा है तो उसको बताए। दूसरे यह कि उसको दूसरों के सामने ज़लील और रुस्वा न करे, उसका ऐब दूसरों को न बताए।

"तन्ज़" एक फ़न बन गया है

आज हमारे समाज में ताना देने का रिवाज पड़ गया है, अब तो "तन्ज़" बाक़ायदा एक फ़न बन गया है और इसको एक हुनर समझा जाता है, कि किस ख़ूबसूरती के साथ बात लपेट कर कह दी गई। इस से बहस नहीं कि उसके ज़रिए दूसरों का दिल टूटा या दिल दुखा।

अंबिया तन्ज़ और ताना नहीं देते थे

मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआ़ला ने तक़रीबन एक लाख चौबीस हज़ार अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, और ये सब अल्लाह के दीन की दावत लेकर

आए। किसी नबी की ज़िन्दगी में कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी नबी ने अपने मुख़ालिफ़ को या किसी काफ़िर को ताना दिया हो, या तन्ज़ किया हो, बल्कि जो बात वे दूसरों से कहते थे वह मुहब्बत और ख़ैर ख़्वाही से कहते थे। ताकि उसके ज़रिए दूसरे की इस्लाह हो। आजकल तो ताना देने और तन्ज़ करने का एक सिलसिला चला हुआ है।

जब आदमी को अदबियत (साहित्य कला) और मज़मून लिखने का शौक़ होता है या तक़रीर में आदमी को दिलचस्पी पैदा करने का शौक़ होता है तो फिर उस मज़मून लिखने में और उस तक़रीर में तन्ज़ करना, ताने देना और दूसरों पर छींटे मारना भी उसका एक लाज़मी हिस्सा बन जाता है।

मेरा एक वाक़िआ

चुनांचे आज से तक़रीबन तीस पैंतीस साल पहले की बात है, मैं उस वक़्त दारुल उलूम कराची से नया नया फ़ारिग़ हुआ था। उस वक़्त अय्यूब ख़ां साहिब मरहूम के दौर में जो आइली (शादी विवाह से मुताल्लिक़) क़ानून नाफ़िज़ हुए थे, उनके ख़िलाफ़ मैंने एक किताब लिखी। जिन लोगों ने उन क़ानूनों की हिमायत की थी, उनका ज़िक्र करते हुए और उनकी दलीलों का जवाब देते हुए उस किताब में जगह जगह तन्ज़ का अन्दाज़ इख़्तियार किया था। उस वक़्त चूंकि मज़मून निगारी का शौक़ था, उस शौक़ में बहुत से तन्ज़िया जुम्ले और तन्ज़िया फ़िक़रे लिखे, और उस पर बड़ी ख़ुशी होती थी कि यह बड़ा अच्छा जुम्ला चुस्त कर दिया। जब वह किताब मुकम्मल हो गई तो मैंने वह किताब हज़रत वालिद माजिद रह्मतुल्लाहि अलैहि को सुनाई, तक़रीबन दो सौ पेज की किताब थी।

यह किताब किस मक़सद से लिखी है?

जब वालिद साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि पूरी किताब सुन चुके

तो फ़रमायाः यह बताओ कि तुमने यह किताब किस मक़सद के लिए लिखी है? अगर इस मक़सद से लिखी है कि जो लोग पहले से तुम्हारे हम ख़्याल हैं वे तुम्हारी इस किताब की तारीफ़ करें कि वाह वाह कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, और यह तारीफ़ करें कि मज़्मून निगारी के एतिबार से और फ़न्नी एतिबार से बहुत आला दर्जे की किताब लिखी है। अगर इस किताब लिखने का यह मन्शा है तो तुम्हारी यह किताब बेहतरीन है।

लेकिन इस सूरत में यह देख लें कि इस किताब की अल्लाह तआला के नज़्दीक क्या क़ीमत होगी? और अगर किताब लिखने का मक़सद यह है कि जो आदमी ग़लती पर है, इस किताब के पढ़ने से उसकी इस्लाह हो जाए, तो याद रखो! तुम्हारी इस किताब के पढ़ने से ऐसे आदमी की इस्लाह नहीं होगी, बल्कि इस किताब को पढ़ने से उसके दिल में और ज़िद पैदा होगी। देखो! हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने दीन की दावत दी और कुफ़्र व शिर्क का मुक़ाबला किया, लेकिन उनमें से एक नबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने तन्ज़ का रास्ता इख़्तियार किया हो। इसलिए देख लो कि यह किताब अल्लाह के वास्ते लिखी है या मख़्लूक़ के वास्ते लिखी है, अगर अल्लाह के वास्ते लिखी है तो फिर इस किताब से इस तन्ज़ को निकालना होगा, और इसका लिखने का अन्दाज़ बदलना होगा।

यह अंबिया का तरीक़ा नहीं है

मुझे याद है कि जब वालिद साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि ने यह बात इर्शाद फ़रमाई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सर पर पहाड़ तोड़ दिया, क्योंकि दो ढाई सौ पेजों की किताब लिखने के बाद उसको नए सिरे से उधेड़ना बड़ा भारी मालूम होता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब कि मज़्मून निगारी का भी शौक़ था और उस किताब में बड़े मज़ेदार जुम्ले भी थे। उन जुम्लों को निकालते

भी दिल कटता था, लेकिन यह हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैहि का फ़ैज़ था कि अल्लाह ने इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और मैंने फिर पूरी किताब को उधेड़ा और नये सिरे से उसको लिखा। फिर अल्हम्दु लिल्लाह वह किताब "हमारे आइली क़वानीन" के नाम से छपी। लेकिन वह दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दु लिल्लाह यह बात दिल में बैठ गई कि एक हक़ के दाई के लिए तन्ज़ का तरीक़ा और ताना देने का तरीक़ा इख़्तियार करना दुरुस्त नहीं, यह अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा नहीं है।

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला की हिदायत

हज़रत वालिद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेज रहे थे कि जाओ उसको जाकर हिदायत करो और उसको दावत दो, तो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को यह हिदायत दी जा रही थी कि:

"فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى" (سورہ طٰہٰ: آیت ٤٤)

यानी फ़िरऔन के पास तुम दोनों नर्मी से बात करना, शायद वह नसीहत हासिल करे या डर जाए। हज़रत वालिद साहिब यह बात बयान करते हुए फ़रमाते थे कि आज तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े इस्लाह और सुधार करने वाले नहीं हो सकते, और तुम्हारा मुख़ातब फ़िरऔन से बड़ा गुमराह नहीं हो सकता। वह फ़िरऔन जिसके बारे में अल्लाह तआला को मालूम था कि वह ईमान नहीं लायेगा, कुफ़्र ही पर मरेगा, लेकिन इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि उस से जाकर नर्मी से बात करना। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नर्मी से बात करने को कहा जा रहा है तो हम और आप किस गिनती में हैं।

हक़ बात कोई लठ नहीं है

आज एक तरफ़ तो यह फ़िक्र ही किसी को नहीं होती कि दीन

की बात किसी को सिखाई जाए, या किसी को "बुराई से मना" किया जाए, और अगर किसी के दिल में यह बात आ गई कि हक़ बात दूसरों को बतानी है, तो वह उसको इस तरह बताता है जैसे कि वह हक़ बात एक लठ है जो उसने जिस तरह दिल चाहा उठाकर मार दिया, या जैसे वह एक पत्थर है जो खींच कर उसको मार दिया।

हज़राते अंबिया के जवाब का अन्दाज़

हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा यह है कि वे दावत देने के वक़्त ताना नहीं देते, यहां तक कि अगर कोई सामने वाला शख़्स ताना भी दे तो जवाब में ये हज़रात ताना नहीं देते।

ग़ालिबन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की क़ौम का वाक़िआ है कि उनकी क़ौम ने उनसे कहा कि:

"اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ"

नबी से कहा जा रहा है कि हमारा ख़्याल यह है कि तुम इन्तिहाई दर्जे के बेवक़ूफ़ हो, अहमक़ हो, और हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं, तुम झूठे मालूम होते हो। वे अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिन पर हिक्मत और सच्चाई क़ुरबान हैं, उनके बारे में ये अल्फ़ाज़ कहे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ जवाब में पैग़म्बर फ़रमाते हैं:

"یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ سَفَاهَةٌ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ"

ऐ क़ौम! मैं बेवक़ूफ़ नहीं हूं, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ़ से एक पैग़ाम लेकर आया हूं।

एक और पैग़म्बर से कहा जा रहा है कि:

"اِنَّا لَنَرٰکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ"

हम तुम्हें देख रहे हैं कि तुम गुमराही में पड़े हुए हो।

जवाब में पैग़म्बर फ़रमाते हैं:

"یٰقَوْمِ لَیْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰکِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ"

ऐ क़ौम! मैं गुमराह नहीं हूं, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन

की तरफ़ से पैग़म्बर बनकर आया हूं।

आपने देखा कि पैग़म्बर ने ताने का जवाब ताने से नहीं दिया।

हज़रत शाह इसमाईल शहीद रह. का वाक़िआ

मैंने वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैहि से हज़रत शाह इसमाईल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़िआ सुना। ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती कि पिछले क़रीबी ज़माने में उसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। शाही ख़ानदान के शहज़ादे थे, अल्लाह तआला के दीन की सर बुलन्दी के लिए निकल पड़े और कुरबानियां दीं। एक बार देहली की जामा मस्जिद में ख़िताब फ़रमा रहे थे, ख़िताब के दौरान भरे मजमे में एक शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि (अल्लाह अपनी पनाह में रखे) हमने सुना है कि आप हराम ज़ादे हैं। इतने बड़े आलिम और शहज़ादे को एक बड़े मजमे में यह गाली दी, और वह मजमा भी मोतक़िद लोगों का है। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि हम जैसा कोई आदमी होता तो उसको सज़ा देता, अगर वह सज़ा न भी देता तो उसके मोतक़िद लोग उसकी तिका बोटी कर देते, और कम से कम उसको तुर्की बतुर्की यह जवाब तो दे ही देते कि तू हराम ज़ादा, तेरा बाप हराम ज़ादा। लेकिन हज़रत मौलाना शाह इसमाईल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि जो पैग़म्बराना दावत के हामिल थे, जवाब में फ़रमायाः

आपको ग़लत इत्तिला मिली है, मेरी वालिदा के निकाह के गवाह तो आज भी दिल्ली में मौजूद हैं।

इस गाली को एक मसला बना दिया, लेकिन गाली का जवाब गाली से नहीं दिया।

तुर्की बतुर्की जवाब मत दो

इसलिए ताने का जवाब ताने से न दिया जाए। अगरचे शरई तौर पर एक आदमी को यह हक़ हासिल है कि जैसी दूसरे शख़्स ने तुम्हें गाली दी है, तुम भी वैसी ही गाली उसको दे दो, लेकिन

हज़राते अंबिया अलैहिमुस्सलाम और उनके वारिस इन्तिकाम का यह हक़ इस्तेमाल नहीं करते। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सारी ज़िन्दगी यह हक़ कभी इस्तेमाल नहीं फ़रमाया, बल्कि हमेशा माफ़ कर देने और दरगुज़र कर देने का शेवा रहा है और अंबिया के वारिसों का भी यही शेवा रहा है।

बदला लेने के बजाए माफ़ कर दो

अरे भाई! अगर किसी ने तुम्हें गाली दे दी तो तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम्हारी कौन सी आख़िरत ख़राब हुई? बल्कि तुम्हारे तो दर्जों में इज़ाफ़ा हुआ। अगर तुम इन्तिक़ाम (बदला) नहीं लोगे, बल्कि माफ़ कर दोगे और दरगुज़र कर दोगे, तो अल्लाह तआला तुम्हें माफ़ कर देंगे। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इर्शाद फ़रमाते हैं कि जो शख़्स दूसरे की ग़लती को माफ़ कर दे तो अल्लाह तआला उसको उस दिन माफ़ फ़रमायेंगे जिस दिन वह माफ़ी का सब से ज़्यादा मोहताज होगा, यानी क़ियामत के दिन। इसलिए इन्तिक़ाम लेने की फ़िक्र छोड़ दो, माफ़ कर दो और दरगुज़र कर दो।

बुज़ुर्गों की अलग अलग शानें

एक बुज़ुर्ग से किसी ने सवाल किया कि हज़रत हमने सुना है कि औलिया-ए-किराम की शानें अजीब व ग़रीब होती हैं, किसी का कोई रंग है, किसी का कोई रंग है और किसी की कोई शान है। मेरा दिल चाहता है कि उन औलिया-ए-किराम की मुख़्तलिफ़ शानें देखूं कि वे क्या शानें होती हैं। उन बुज़ुर्ग ने उनसे फ़रमाया कि तुम किस चक्कर में पड़ गए, वलियों और बुज़ुर्गों की शानें देखने की फ़िक्र में मत पड़ो, अपने काम में लगो। उन साहिब ने इसरार किया कि नहीं! मैं ज़रा देखना चाहता हूं कि दुनिया में कैसे कैसे बुज़ुर्ग होते हैं। उन बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि अगर तुम देखना ही चाहते हो तो ऐसा करो कि देहली की फ़लां मस्जिद में चले जाओ,

वहां तुम्हें तीन बुज़ुर्ग अपने ज़िक्र व अज़कार में मश्ग़ूल नज़र आयेंगे। तुम जाकर हर एक की पीठ पर एक मुक्का मार देना, फिर देखना कि औलिया-ए-किराम की शानें क्या होती हैं। चुनांचे वह साहिब गए, वहां जाकर देखा तो वाक़ई तीन बुज़ुर्ग बैठे हुए ज़िक्र में मश्ग़ूल हैं। उन्होंने जाकर पहले बुज़ुर्ग को पीछे से एक मुक्का मारा तो उन्होंने पलट कर देखा तक नहीं, बल्कि अपने ज़िक्र और पढ़ने में मश्ग़ूल रहे। जब दूसरे बुज़ुर्ग को मुक्का मारा तो उन्होंने भी पलट कर उनको मुक्का मार दिया और फिर अपने काम में मश्ग़ूल हो गए। जब तीसरे बुज़ुर्ग को मुक्का मारा तो उन्होंने पलट कर उनका हाथ सहलाना शुरू कर दिया कि आपको चोट तो नहीं लगी।

उसके बाद यह साहिब उन बुज़ुर्ग के पास वापस आए जिन्होंने इनको भेजा था। उन बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने बताया कि बड़ा अजीब क़िस्सा हुआ। जब मैंने पहले बुज़ुर्ग को मारा तो उन्होंने पलट कर मुझे देखा भी नहीं, और दूसरे बुज़ुर्ग ने पलट कर मुझे मुक्का मार दिया, और तीसरे ने पलट कर मेरा हाथ सहलाना शुरू कर दिया।

मैं अपना वक़्त बदला लेने में क्यों ज़ाया करूं

उन बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि अच्छा यह बताओ कि जिन्होंने तुम्हें मुक्का मारा था, उन्होंने ज़बान से कुछ कहा था? उन साहिब ने बताया कि ज़बान से तो कुछ नहीं कहा, बस मुक्का मारा और फिर अपने काम में मश्ग़ूल हो गए। उन बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि अब सुनो! पहले बुज़ुर्ग जिन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने यह सोचा कि अगर इसने मुझे मुक्का मारा तो मेरा क्या बिगड़ गया, अब मैं पीछे मुडकर उसको देखूं कि किसने मारा है और फिर इसका बदला लूं, जितना वक़्त इसमें ख़र्च होगा वह वक़्त मैं अल्लाह के ज़िक्र में ख़र्च कर दूं।

पहले बुज़ुर्ग की मिसाल

उन पहले बुज़ुर्ग की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख़्स को बादशाह ने बुलाया और उस से कहा कि मैं तुम्हें एक आलीशान इनाम दूंगा। अब वह शख़्स उस इनाम के शौक़ में दौड़ता हुआ बादशाह के महल की तरफ़ जा रहा है और वक़्त कम रह गया है और उसको वक़्त पर पहुंचना है। रास्ते में एक शख़्स ने उसको मुक्का मार दिया, अब यह शख़्स उस मुक्का मारने वाले से उलझेगा या अपना सफ़र जारी रखेगा, कि मैं जल्द से जल्द किसी तरह बादशाह के पास पहुंच जाऊं? ज़ाहिर है कि उस मुक्का मारने वाले से नहीं उलझेगा, बल्कि वह तो इस फ़िक्र में रहेगा कि मैं किसी तरह जल्द से जल्द बादशाह के पास पहुंच जाऊं और जाकर उस से इनाम वुसूल करूं।

दूसरे बुज़ुर्ग का अन्दाज़

दूसरे बुज़ुर्ग जिन्होंने बदला ले लिया, उन्होंने यह सोचा कि शरीअत ने यह हक़ दिया है कि जितनी ज़्यादती कोई शख़्स तुम्हारे साथ करे, उतनी ज़्यादती तुम भी उसके साथ कर सकते हो। उस से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब तुमने उनको एक मुक्का मारा तो उन्होंने भी तुम्हें एक मुक्का मार दिया, तुमने ज़बान से कुछ नहीं बोला तो उन्होंने भी ज़बान से कुछ नहीं बोला।

बदला लेना भी भलाई चाहना है

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों से यह जो नक़ल किया गया है कि उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला ले लिया, यह बदला लेना भी हक़ीक़त में उस शख़्स की ख़ैर–ख़्वाही (भला चाहने) की वजह से होता है। इसलिए कि बाज़ अल्लाह के वलियों का यह हाल होता है कि अगर कोई इन्सान उनको तक्लीफ़ पहुंचाए या उनकी शान में कोई गुस्ताख़ी करे और वह सब्र कर जाएं तो उनके सब्र के नतीजे में वह शख़्स

तबाह व बरबाद हो जाता है।

हदीसे कुदसी में अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाते हैं:

"من عادى لى وليا اذنته بالحرب"

यानी जो शख़्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, उसके लिए मेरी तरफ़ से जंग का ऐलान है।

कभी कभी अल्लाह तआला अपने प्यारों के साथ की हुई ज़्यादती पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फ़रमाते हैं कि ऐसे अज़ाब से अल्लाह तआला हिफ़ाज़त फ़रमाए। क्योंकि उस वली का सब्र उस शख़्स पर पड़ जाता है। इसी वजह से अल्लाह वाले कभी कभी अपने साथ की हुई ज़्यादती का बदला ले लेते हैं ताकि उसका मामला बराबर हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का अज़ाब उस पर नाज़िल हो जाए।

अल्लाह तआला क्यों बदला लेते हैं?

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि अगर किसी शख़्स को इस पर इश्काल हो कि अल्लाह तआला का यह अजीब मामला है कि अल्लाह के वली तो इतने मेहरबान होते हैं कि वे अपने ऊपर की हुई ज़्यादती का बदला नहीं लेते, लेकिन अल्लाह तआला अज़ाब देने पर तुले हुए हैं कि वह ज़रूर अज़ाब देंगे, अगर बदला न लिया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नेक बन्दों की शफ़क़त व मेहरबानी अल्लाह तआला की शफ़क़त और रहमत के मुक़ाबले में ज़्यादा हो गई। फिर इसका जवाब देते हुए फ़रमाया कि बात असल में यह है कि शेरनी को अगर कोई जाकर छेड़े तो वह शेरनी टाल देती है और बदला नहीं लेती और उस पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई जाकर उस शेरनी के बच्चों को छेड़ दे तो फिर शेरनी उसको बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि छेड़ने वाले पर हमला कर देती है। इसी तरह अल्लाह तआला की शान में लोग गुस्ताख़ियां करते हैं, कोई शिर्क कर रहा है, कोई अल्लाह के

वजूद का इन्कार कर रहा है, लेकिन अल्लाह तआला अपने तहम्मुल और बर्दाश्त की शान से उसको दरगुज़र फ़रमा देते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह जो अल्लाह तआला के प्यारे हैं, उनकी शान में गुस्ताख़ी करना अल्लाह तआला को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए यह गुस्ताख़ी इन्सान को तबाह कर देती है। इसलिए जहां कहीं यह नक़ल किया गया है कि किसी अल्लाह के वली ने बदला ले लिया, वह बदला लेना उसकी भलाई के लिए होता है। क्योंकि अगर बदला न लिया तो न मालूम अल्लाह तआला का क्या अज़ाब उस पर नाज़िल हो जायेगा।

जहां तक तीसरे बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ है और जिन्होंने तुम्हारा हाथ सहलाना शुरू कर दिया था, उनको अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूक़ पर रहमत और शफ़क़त की सिफ़त व ख़ूबी अता फ़रमाई थी, इसलिए उन्होंने पलट कर हाथ सहलाना शुरू कर दिया।

पहले बुज़ुर्ग का तरीक़ा सुन्नत था

लेकिन असल तरीक़ा सुन्नत का वह है जिसको पहले बुज़ुर्ग ने इख़्तियार फ़रमाया। इसलिए कि अगर किसी ने तुम्हें नुक़सान पहुंचाया है तो मियां! कहां तुम उस से बदला लेने के चक्कर में पड़ गए। क्योंकि अगर तुम बदला ले लोगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा मिल जायेगा? बस इतना ही तो होगा कि सीने की आग ठन्डी हो जायेगी। लेकिन अगर तुम उसको माफ़ कर दोगे और दरगुज़र कर दोगे तो सीने की आग क्या बल्कि जहन्नम की आग भी ठन्डी हो जायेगी। इन्शा अल्लाह, अल्लाह तआला जहन्नम की आग से नजात अता फ़रमायेंगे।

माफ़ करना अज्र व सवाब का सबब है

आजकल हमारे घरों में, ख़ानदानों में, मिलने जुलने वालों में, दिन रात यह मसाइल पेश आते रहते हैं कि फ़लां ने मेरे साथ यह कर दिया, फ़लां ने यह कर दिया। अब उस से बदला लेने की

सोच रहे हैं, दूसरों से शिकायत करते फिर रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं, उसकी दूसरों से बुराई और ग़ीबत कर रहे हैं, हालांकि ये सब गुनाह के काम हैं। लेकिन अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुज़र कर दो तो तुम बड़ी फ़ज़ीलत और सवाब के हक़दार बन जाओगे। क़ुरआने करीम में अल्लाह तआला का इर्शाद है:

"وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ" (الشوریٰ: آیت۴۳)

जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया बेशक यह बड़े हिम्मत के कामों में से है।

दूसरी जगह इर्शाद फ़रमाया कि:

"اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ"

(سورۂ حم السجدۃ: آیت۳۴)

यानी दूसरे की बुराई का बदला अच्छाई से दो, इसका नतीजा यह होगा कि जिनके साथ दुश्मनी है वे सब तुम्हारे गरवीदा हो जायेंगे। लेकिन उसके साथ यह भी इर्शाद फ़रमाया:

"وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَآ إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ"۔

(سورۃ حم السجدۃ: آیت۳۵)

यानी यह अमल उन्ही को नसीब होता है जिनको अल्लाह तआला सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। और यह दौलत बड़े नसीब वाले को हासिल होती है।

ताना देने से बचें

बहर हाल! पहली चीज़ जो इस हदीस में बयान फ़रमाई, वह यह है कि मोमिन का काम ताना देना नहीं है, इसलिए यह तन्ज़ और ताना जिस से दूसरे का दिल दुखे, एक मोमिन के लिए इस से मुकम्मल परहेज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ताना देने के नतीजे में किसी का दिल दुख गया और किसी का दिल टूटा तो आपके इस अमल से ऐसे बड़े गुनाह का जुर्म हुआ जो उस वक़्त तक माफ़ नहीं हो सकता जब तक वह हक़ वाला माफ़ न करे।

सिर्फ़ तौबा कर लेने से माफ़ नहीं होगा। अल्लाह की पनाह। इसलिए सुबह से शाम तक की ज़िन्दगी में हम अपना जायज़ा लेकर देखें कि जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता पेश आता है और उनसे शिकायतें होती हैं तो उसमें कहीं हम से ताना देने और दिल दुखाने का जुर्म तो नहीं होता है। इसका ख़्याल करते हुए इन्सान ज़िन्दगी गुज़ारे। जो बात भी दूसरे से कहनी है वह नर्मी से और शफ़कत से कह दो। अगर शिकायत भी किसी से हुई है तो उसको तन्हाई में बुलाकर कह दो कि तुम से यह शिकायत है, ताकि उसका दिल न टूटे। अल्लाह तआला हम सब को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु का वाक़िआ

इस हदीस में दूसरा लफ़्ज़ यह इर्शाद फ़रमायाः "वला बिल्लअ़आनि" यानी मोमिन लानत करने वाला नहीं होता। यानी लानत के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकालना यह मोमिन का काम नहीं है। एक बार हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपने ग़ुलाम पर ग़ुस्सा आ गया, ज़ाहिर है कि किसी संगीन ग़लती पर ही ग़ुस्सा आया होगा, बिला वजह तो वह ग़ुस्सा करने वाले नहीं थे, उस ग़ुस्से में कोई लानत का कलिमा ज़बान से निकल गया, पीछे से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, आपने वह लानत का कलिमा उनकी ज़बान से सुन लिया, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वह कलिमा सुनकर इर्शाद फ़रमायाः

"لعّانين و صديقين كلّا و ربّ الكعبة"

"सिद्दीक़" भी हो और लानत भी करते हो, काबे के रब की क़सम ऐसा नहीं हो सकता।

यानी ये दो चीज़ें एक साथ जमा नहीं हो सकतीं। इसलिए कि जो "सिद्दीक़" हो वह लानत करने वाला नहीं होता। जब सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की

ज़बाने मुबारक से यह जुम्ला सुना कि सिद्दीक़ का यह काम नहीं कि वह लानत करे, लेकिन चूंकि यह ग़लती उनसे हो गई थी, इसलिए फ़ौरन कहा कि या रसूलल्लाह! मैं इस गुलाम को आज़ाद करता हूं। और उस गुलाम को तभी आज़ाद कर दिया।

रिवायत में आता है कि बाज़ दूसरे गुलामों को भी आज़ाद कर दिया। इसलिए ताना देना और लानत दोनों से बचने की ज़रूरत है।

बद-दुआ के अल्फ़ाज़

फिर लानत के अन्दर वे सारी बद–दुआएं दाख़िल हैं जो हमारे समाज में राईज हैं, ख़ास तौर पर औरतों की ज़बान पर जारी रहती हैं। जैसे किसी को कमबख़्त कह दिया, किसी को यह कह दिया कि उसने झाड़ू पीटा है। ये सब लानत के अन्दर दाख़िल हैं, और बिला वजह ज़बान पर लानत के अल्फ़ाज़ जारी करना अपने आमाल नामे में गुनाहों का इज़ाफ़ा करना है। इसलिए अगर किसी दूसरे पर गुस्सा भी आए तो गुस्से में भी लानत के अल्फ़ाज़ ज़बान से न निकाले।

यह लानत जायज़ है

अलबत्ता किसी इन्सान को शख़्सी (व्यक्तिगत) तौर पर लानत करना तो हराम है, लेकिन किसी अमल करने वाले पर लानत करना, जैसे यह कहना कि जो शख़्स यह अमल करे उस पर लानत है, या जो लोग ऐसा अमल करने वाले हैं उन पर लानत है, यह सूरत जायज़ है। जैसा कि ख़ुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस तरह से लानत करना नक़ल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"لعن الله اكل الربا و مؤكله"

यानी अल्लाह तआला की लानत सूद खाने वाले पर भी है और सूद खिलाने वाले पर भी है। इसी तरह एक जगह पर आप

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"لَعَنَ اللهُ المُصَوِّرِينَ"

तस्वीर बनाने वालों पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह और बहुत से बुरे अमल करने वालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई है, लेकिन किसी आदमी का नाम लेकर शख़्सी तौर पर लानत करना हराम है, इसलिए कि यह मोमिन का काम नहीं।

गन्दी बात ज़बान से निकालना

इस हदीस शरीफ़ में तीसरी बात यह बयान फ़रमाई कि "वलल्फ़ाहिशि" मोमिन गन्दी और बेहयाई की बातें करने वाला नहीं होता। यानी वह ऐसी बात ज़बान से नहीं निकालता जो बेशर्मी की बात हो। इसलिए जहां गुस्सा करने का और बोलने का मौक़ा हो वहां भी गन्दी ज़बान बोलने से काम न लिया जाए, और बेहयाई के अल्फ़ाज़ ज़बान से न निकाले जायें, यह मोमिन का शेवा नहीं है।

बदगोई करना

चौथा जुम्ला यह इर्शाद फ़रमाया "वलल्बज़ी" मोमिन 'बज़ी' नहीं होता। 'बज़ी' के मायने हैं "बदगो" "बद अख़्लाक़" मोमिन किसी से बात करते हुए बदगोई से काम लेने वाला और बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपनी ज़बान को बुरे कलिमात से रोकता है।

यहूदियों की मक्कारी

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने के यहूदी बड़े अय्यार थे, इसलिए उनकी फ़ितरत में हमेशा से अय्यारी और मक्कारी है। जब उन्होंने यह देखा कि मुसलमान जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं: "अस्सलामु अलैकुम व रह्मतुल्लाह" तो उन्होंने यह तरीक़ा निकाला कि जब वे किसी मुसलमान से मिलते तो "अस्सलामु अलैकुम" के बजाए "अस्सामु अलैकुम"

कहते। दरमियान से "लाम" को गिरा देते थे, अरबी में "साम" के मायने हैं "मौत" इसलिए "अस्सामु अ़लैकुम" के मायने यह हुए कि तुम्हारे ऊपर मौत आ जाए।

एक बार यहूदियों की एक जमाअ़त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में आई और कहा "अस्सामु अ़लैकुम"। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा मौजूद थीं, वह समझ गईं कि ये "अस्सामु अ़लैकुम" कह कर बज़ाहिर सलाम कर रहे हैं लेकिन हक़ीक़त में बद-दुआ़ दे रहे हैं। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने उसका जवाब देते हुए फ़रमाया "अ़लैकुमुस्सामु वल्लानतु" यानी तुम्हारे ऊपर मौत हो और तुम पर लानत हो। जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ये अल्फ़ाज़ सुने तो आपने फ़रमायाः "ऐ आयशा! नरमी से काम लो"। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमायाः या रसूलल्लाह! आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या बद तमीज़ी की है। उन्होंने "अस्सामु अ़लैकुम" कह कर आपको बद-दुआ़ दी है, इसलिए मैंने इस तरीक़े से उसका जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुमने नहीं देखा कि मैंने क्या जवाब दिया, मैंने तो यह जवाब दिया "व अ़लैकुम" यानी जो कुछ तुम मेरे बारे में कह रहे हो, वह तुम्हारे ऊपर हो। (बुख़ारी शरीफ़)

नरमी ज़ीनत बख़्शती है

दूसरी रिवायत में आता है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से फ़रमायाः

"ان الرفق لا یکون فی شئ الا زانه و لا ینزع من شئ إلا شانه" (مسلم)

यानी नरमी जिस चीज़ में भी होगी वह नरमी उसको ज़ीनत बख़्शेगी, और जिस चीज़ से नरमी को ख़त्म कर दिया जायेगा वह उसको ऐबदार बना देगा। इसलिए इस तरीक़ से जवाब देकर तुम क्यों अपनी ज़बान ख़राब करती हो, सिर्फ़ "व अ़लैकुम" कहने से ज़बान ख़राबी से बच जाती है।

इसलिए जब आदमी कलाम करे, चाहे गुस्से के वक़्त भी कलाम करे, उस वक़्त भी बदगोई के अल्फ़ाज़ ज़बान पर न लाए। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ये सिफ़ात जो पिछली आसमानी किताबों यानी तौरात और इन्जील में निशानी के तौर पर ज़िक्र हुए थे, उसमें एक जुम्ला यह भी था:

"وَلَا فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا بالأسواق ولكن يعفو و يصفح"

यानी न वह फ़ुहश कहने वाले होंगे, न बद–कलामी करने वाले होंगे, और न बाज़ारों में शोर मचाने वाले होंगे, लेकिन वह माफ़ी और दरगुज़र से काम लेंगे। और ये कलिमे तो आज भी "बाईबल" में मौजूद हैं कि 'बाज़ारों में उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी' और 'वह मसले हुए सरकन्डे को नहीं तोड़ेगा' और 'टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझायेगा'। ये हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सिफ़ात हैं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अख़्लाक़ में भी पैरवी करें

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी सिर्फ़ ज़ाहिरी आमाल की हद तक सीमित नहीं है कि मस्जिद में दाख़िल होते हुए दायां पांव पहले दाख़िल कर दिया और निकलते वक़्त बायां पांव निकाल दिया। बेशक ये भी बड़े अज्र व सवाब की सुन्नतें हैं, इन पर ज़रूर अमल करना चाहिए, लेकिन सुन्नत की पैरवी इन आमाल के साथ सीमित नहीं। सुन्नत की पैरवी का एक लाज़मी हिस्सा यह भी है कि नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अख़्लाक़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़ा–ए–कार को अपनाया जाए। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब कोई शख़्स दूसरों के साथ मामला करे तो वह बेहयाई की बात करने वाला और बदगो और बद अख़्लाक़ न हो, और बद कलामी न करे और ताना न दे।

लानत का वबाल

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लानत की एक और वईद यह बयान फ़रमाई है कि जब एक इन्सान दूसरे पर लानत करता है तो पहले वह लानत आसमान की तरफ़ जाती है और फिर वह लानत उस शख़्स की तरफ़ आती है जिस पर वह लानत की गई है। अगर वह लानत का मुस्तहिक़ होता है तो उसको वह लानत लग जाती है, और अगर वह लानत का मुस्तहिक़ नहीं होता तो वह लानत वापस उस शख़्स पर जाकर लग जाती है जिसने लानत की थी। इस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स लानत को ग़लत इस्तेमाल करे तो उस लानत करने वाले का काम तमाम कर देती है।

अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से हमारी ज़बानों की उन तमाम गुनाहों से हिफ़ाज़त फ़रमाए जिनका ज़िक्र हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन हदीसों में फ़रमाया है, आमीन।

واٰخردعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

अ़मल के बाद मदद आयेगी

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

عن ابی ذر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم: یقول اللّٰہ تعالیٰ من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فجزاء مثلها أواغفره. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا جعلت له مثلها مغفرةً، ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعًا،ومن اقترب إلى ذراعًا اقترب إليه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.

(کتاب الزهد، عبداللّٰہ بن مبارکؒ)

नेकी और बदी का बदला

यह हदीस हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की गयी है, और सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में यह दुरवेश सिफ़त सहाबी थे। वह फ़रमाते हैं कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं। यह हदीस कुदसी है, "हदीस कुदसी" उसको कहते हैं कि जिसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह तआ़ला की कोई बात नक़ल फ़रमाएं कि अल्लाह तआ़ला ने यों फ़रमाया। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि:

जो शख़्स इस दुनिया में कोई नेक अ़मल करता है तो मैं उस नेक अ़मल पर दस गुना अज्र व सवाब देता हूं। और जो शख़्स बुराई या गुनाह करता है तो उसकी सज़ा उतनी ही देता हूं जितना

उसने ना जायज़ काम किया, गुनाह की सज़ा दोगुनी भी नहीं करता, बल्कि गुनाह के बराबर सज़ा देता हूं या माफ़ कर देता हूं।

हर नेकी का सवाब दस गुना

बहर हाल! अल्लाह तआला फ़रमा रहे हैं कि तुम कोई भी नेकी करो तो उसका दस गुना सवाब मेरे पास तैयार है, और नेकी के इस सवाब का वायदा किसी मख़्लूक़ की तरफ़ से नहीं है बल्कि अल्लाह तआला की तरफ़ से वायदा है। और इस सवाब को किसी ख़ास नेकी के साथ मख़्सूस नहीं फ़रमाया, बल्कि यह फ़रमाया कि वह किसी भी किस्म की नेकी हो, चाहे वह इबादत फ़र्ज़ हो या नफ़िल हो, या एक बार "सुब्हानल्लाह" कहना हो, या एक बार "अल्हमदुलिल्लाह" कहना हो, इन सब का सवाब दस गुना देना लाज़िम है।

रमज़ान और शव्वाल के छह रोज़ों का सवाब

यह शव्वाल का महीना है और इस महीने में "शश ईद" के रोज़े रखे जाते हैं। हदीस शरीफ़ में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि जो शख़्स रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में छह रोज़े रख ले तो अल्लाह तआला उसको सारे साल रोज़े रखने का सवाब अता फ़रमाते हैं। यह सारे साल रोज़े रखने का सवाब इसी उसूल पर आधारित है कि हर नेकी का सवाब दस गुना दिया जायेगा। इसलिए रमज़ान मुबारक के तीस रोज़े हुए, चाहे रमज़ान उन्तीस दिन का हुआ हो, लेकिन अल्लाह तआला के यहां तीस ही शुमार होते हैं। क्योंकि हदीस शरीफ़ में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"شهرا عيد لا ينقصان رمضان و ذی الحجة" (بخاری)

यानी ईद के दोनों महीने कम नहीं होते, अगर उन्तीस दिन हों तब भी तीस ही शुमार होते हैं। बहर हाल! रमज़ान के तीस रोज़े हुए और छह रोज़े शव्वाल के हुए, इस तरह कुल छत्तीस रोज़े हो

गए, छत्तीस को दस से गुणा कर दिया जाए तो तीन सौ साठ हो जायेंगे, और साल के तीन सौ साठ दिन होते हैं, इस तरह इन छत्तीस रोज़ों के बदले अल्लाह तआला सारे साल रोज़े रखने का सवाब अता फ़रमा देते हैं। हर नेकी का यही हाल है कि अल्लाह तआला हर नेकी का दस गुना सवाब अता फ़रमाते हैं।

बुराई का बदला एक गुना

बुराई के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि मैं उतनी ही सज़ा दूंगा जितनी उसने बुराई की है (उसको बढ़ाया नहीं जाता) या माफ़ ही कर दूंगा। यानी अगर बन्दे ने तौबा कर ली, इस्तिग़फ़ार कर लिया, और अल्लाह तआला के सामने शर्मिन्दगी का इज़हार कर लिया कि या अल्लाह! मुझ से ग़लती हो गई, मुझे माफ़ फ़रमा। तो अल्लाह तआला उसको माफ़ फ़रमा देगा। इस तरह उस बुराई की एक गुना सज़ा भी ख़त्म हो जायेगी।

अच्छाई और बुराई लिखने वाले फ़रिश्तों में एक अमीर दूसरा उसका मातहत

मैंने अपने शैख़ हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह ख़ां साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि से एक हदीस सुनी, लेकिन किसी किताब में यह हदीस नहीं देखी, कि अल्लाह तआला ने हर इन्सान के साथ दो फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाए हैं, एक नेकियां लिखता है और दूसरा गुनाह लिखता है। हज़रते वाला फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने उन दोनों फ़रिश्तों में यह इन्तिज़ाम फ़रमाया है कि नेकी लिखने वाले फ़रिश्ते को बदी लिखने वाले फ़रिश्ते का अमीर मुक़र्रर फ़रमाया है। अल्लाह तआला और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम यह है कि जब दो आदमी किसी काम पर जाएं तो अपने में से एक को अमीर बना लें। इसलिए एक फ़रिश्ते को दूसरे का अमीर बना दिया, और जब इन्सान कोई नेकी करता है तो नेकी लिखने वाला फ़रिश्ता फ़ौरन उस नेकी को उसके

आमाल नामे में लिख लेता है। लेकिन जब बन्दा कोई गुनाह करता है तो बदी लिखने वाला फ़रिश्ता फ़ौरन उस बदी को नहीं लिखता, बल्कि वह अपने अमीर से यानी नेकी लिखने वाले फ़रिश्ते से पूछता है कि इस बन्दे ने यह बदी की है, इसको लिखूं या न लिखूं? वह फ़रिश्ता कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, हो सकता है कि यह तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। अगर इसने तौबा कर ली तो फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है कि अब लिखूं? वह फ़रिश्ता कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, शायद तौबा कर ले। फिर जब तीसरी बार वह फ़रिश्ता पूछता है और बन्दा तौबा नहीं करता तो उस वक़्त नेकी वाला फ़रिश्ता कहता है कि अब तौबा की उम्मीद नहीं है, अब लिख लो। चुनांचे वह बदी वाला फ़रिश्ता उस गुनाह को उसके आमाल नामे में लिख लेता है।

अल्लाह तआला अज़ाब देना नहीं चाहते

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला यह नहीं चाहते कि किसी बन्दे को अज़ाब दें। कुरआने करीम में अजीब अन्दाज़ से अल्लाह तआला ने फ़रमाया:

"مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ" (سورة النساء: آیت ۱۴۷)

यानी अगर ईमान ले आओ और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करो तो अल्लाह तआला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा?

इसलिए अल्लाह तआला तो अज़ाब देना नहीं चाहते, लेकिन कोई बन्दा नाफ़रमानी पर कमर ही बांध ले और अल्लाह तआला को नाराज़ करने पर तुल जाए तो उसके बाद उसको अज़ाब दिया जाता है। और फिर आख़िर वक़्त तक अल्लाह तआला ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है कि मौत से पहले जब भी तौबा कर लोगे तो अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा देंगे।

बन्दों को माफ़ करने का क़ायदा

बहर हाल! फ़रमाया कि जो कोई नेकी करेगा उसको दस गुना अज्र व सवाब दिया जायेगा और जो बुराई करेगा उसको सिर्फ़ एक गुना सज़ा दी जायेगी, या मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा। फिर इस हदीसे क़ुदसी में माफ़ करने का क़ायदा बयान फ़रमाया किः

"من عمل قراب الأرض خطيئةً ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة"

यानी जो शख़्स सारी ज़मीन भर कर गुनाह कर ले और फिर मेरे पास आ जाए, बशर्ते कि उसने मेरे साथ शिर्क न किया हो तो मैं उसको उतनी ही मग़फ़िरत अता कर दूंगा जितने उसके गुनाह थे।

यानी एक शख़्स गुनाहों से सारी ज़मीन भर दे और फिर मेरे सामने नदामत और शर्मिन्दगी के साथ तौबा करने और इस्तिग़फ़ार करने के लिए आ जाए तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। उसके ज़रिए माफ़ करने का क़ायदा बता दिया कि माफ़ी का यह दरवाज़ा हमने खोल रखा है और मरते दम तक जब तक मौत की हालत तारी नहीं होती, उस वक़्त तक यह दरवाज़ा खुला रहेगा, आ जाओ आ जाओ, कितने भी दूर चले गए हो, तब भी हमारे पास आ जाओ। एक बार सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लो, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। और सिर्फ़ यह नहीं कि उन गुनाहों पर सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि आमाल नामे से मिटा दिए जायेंगे। गोया कि वे गुनाह किए ही नहीं थे। यह अल्लाह तआला की रहमत देखिए। इसी लिए एक हदीसे क़ुदसी में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

"سبقت رحمتي غضبي"

यानी मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले गई।

फिर इसी को अल्लाह तआला ने क़ानून बना दिया। (मुस्लिम)

गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें

और यह क़ानून इसलिए बना दिया कि हम इसी क़ानून से

फ़ायदा उठा लें और तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लें। तौबा व इस्तिग़फ़ार की अहमियत को समझें। हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"اِنِّیْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِیْنَ مَرَّۃً"

यानी मैं अल्लाह तआला से रोज़ाना सत्तर मर्तबा इस्तिग़फ़ार करता हूं।

हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गुनाह से मासूम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से गुनाह हो ही नहीं सकता, फिर भी इस्तिग़फ़ार फ़रमा रहे हैं। क्यों? ताकि हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार का सबक़ सिखाएं कि जब मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं तो तुम भी इस्तिग़फ़ार करो। सुबह व शाम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो।

अल्लाह तआला की रहमत

इस हदीसे कुदसी का अगला जुम्ला यह इर्शाद फ़रमाया किः

"مَنِ اقْتَرَبَ اِلَیَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْتُ اِلَیْهِ ذِرَاعًا وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَیَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ اِلَیْهِ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِیْ یَمْشِیْ اَتَیْتُهٗ هَرْوَلَةً"

यानी जो बन्दा मेरे क़रीब एक बालिश्त आता है तो मैं एक हाथ उसके क़रीब चला जाता हूं, और जो बन्दा एक हाथ मेरे क़रीब आता है तो मैं दो हाथ उसके क़रीब चला जाता हूं, और जो बन्दा मेरी तरफ़ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ़ दौड़ कर आता हूं।

इस से अल्लाह तआला की रहमत का अन्दाज़ा लगाएं! गोया कि फ़रमाया कि तुम मेरे जितना क़रीब आने की कोशिश करोगे तो मैं उस से कई गुना ज़्यादा तुम्हारे क़रीब आ जाऊंगा।

अल्लाह की निकटता की मिसाल

इस हदीस में फ़रमाया कि जो बन्दा मेरी तरफ़ चलकर आता है मैं उसकी तरफ़ दौड़ कर आता हूं। इस बात को हज़रत

हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी प्यारी मिसाल के ज़रिए समझाया है। फ़रमाया कि इसकी मिसाल यों समझो कि एक छोटा बच्चा है, जिसको चलना नहीं आता, बाप यह चाहता है कि मैं इसको चलना सिखाऊं। तो बाप दूर खड़े होकर उस बेटे को अपनी तरफ़ बुलाता है कि बेटा मेरे पास आओ। अब अगर वह बच्चा दूर ही खड़ा रहेगा और एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ायेगा तो बाप उस से दूर ही रहेगा, लेकिन अगर वह बच्चा एक क़दम बढ़ाता है और चलना न जानने की वजह से जब वह गिरने लगता है तो बाप उसको गिरने नहीं देता बल्कि बाप दौड़ कर उसके क़रीब जाता है और उसको गोद में उठा लेता है ताकि वह गिरने न पाए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि इसी तरह जब कोई बन्दा अल्लाह तआला की तरफ़ क़दम बढ़ाता है और गिरने लगता है तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि हम उसको गिरने नहीं देंगे, बल्कि आगे बढ़कर उसको उठा लेंगे। इसलिए यह अल्लाह के रास्ते में चलने वालों के लिए ख़ुशख़बरी है।

नवाज़ने का एक बहाना

यह हक़ीक़त में अल्लाह तआला की तरफ़ से एक बहाना है, अल्लाह तआला तो यह देखना चाहते हैं कि यह बन्दा हमारी तरफ़ चलना चाह रहा है या नहीं? यह बन्दा अपने हिस्से का काम कर रहा है या नहीं? अगर वह बन्दा अपने हिस्से का इतना काम कर रहा है जो उसकी क़ुदरत और ताक़त में है तो फिर अल्लाह तआला अपनी रहमत से उसकी तक्मील ख़ुद फ़रमा देते हैं और फिर अल्लाह के रास्ते में चलते हुए बन्दा लड़खड़ा जाए और गिर जाए तो इसकी भी परवाह न करे।

यह बहुत बड़ा धोखा है

इसलिए जो बात इस हदीस में देखने की है, वह यह कि अल्लाह तआला यह देखना चाहते हैं कि कौन सा बन्दा मेरी तरफ़

बढ़ता है और मेरी तरफ़ आने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई बन्दा कोशिश ही न करे तो उसके लिए फिर कोई वायदा नहीं है। एक क़ौम इस ग़फ़लत में और इस इन्तिज़ार में पड़ी हुई है कि कोई ग़ैबी लतीफ़ा सामने आए और वह हमें ज़बरदस्ती नेकी और परहेज़गारी के मक़ाम तक पहुंचा दे। चुनांचे बाज़ लोग जब किसी शैख़ के हाथ पर बैअत कर लेते हैं और उस से इस्लाही ताल्लुक़ क़ायम कर लेते हैं तो वे यों समझते हैं कि अब हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि उस शैख़ के पास ऐसी ग़ैबी ताक़त है जिसके ज़रिए वह हमें उठाकर जन्नत में पहुंचा देगा।

अ़मल ख़ुद करना पड़ेगा

याद रखिए! यह बहुत बड़ा धोखा है, कोई भी किसी को उठाकर जन्नत में नहीं पहुंचायेगा, बल्कि हर इन्सान को ख़ुद ही चलकर जन्नत में जाना होगा और जन्नत में ले जाने वाले आमाल ख़ुद ही करने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने इतना वायदा फ़रमा लिया कि अगर तुम थोड़ा सा चलोगे तो मैं तुम्हें उस से कहीं ज़्यादा अपनी निकटता अ़ता करूंगा। क़ुरआने करीम में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

"وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" (سورة العنكبوت: آيت ٦٩)

जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं तो हम उनके हाथ पकड़ कर अपने रास्ते पर ले जाते हैं।

इसलिए यह समझना कि कुछ किए बग़ैर बैठे बैठे काम बन जायेगा, या किसी के हाथ पर हाथ रखने से काम बन जायेगा, या यह समझना कि सिर्फ़ तमन्नाओं और आरज़ुओं से जन्नत मिल जायेगी, यह बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए तुम अ़मल करो, चाहे तुम्हारा वह अ़मल ना मुकम्मल और अधूरा ही सही, नाक़िस ही सही, लेकिन अ़मल करो और उस अ़मल को जारी रखो। फिर अल्लाह तआ़ला किसी न किसी वक़्त तुम्हें खींच लेंगे, और उस

नाक़िस अमल की बेक़द्री मत करो, अगर नाक़िस अमल की भी तौफ़ीक़ हो गई है तो उस पर भी अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करो, इसलिए कि इन्शा अल्लाह यह नाक़िस अमल भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से खींच लेने का ज़रिया बन जायेगा।

अपनी तलब और कोशिश शर्त है

इसलिए इस हदीस से यह सबक़ मिला कि हिम्मत के बग़ैर कोई काम नहीं होता। चुनांचे हज़रत थानवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाते हैं कि बाज़ लोग अपने शैख़ से जाकर कहते हैं कि हज़रत! कोई ऐसा तरीक़ा बता दीजिए जिसके ज़रिए अमल हो जाया करें और गुनाह छूट जाया करें। हज़रत थानवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाते हैं कि याद रखिए! ऐसा तरीक़ा किसी शैख़ के पास नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में कोई काफ़िर न होता, अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाते थे तो उनकी यही ख़्वाहिश होती थी कि सब लोग मुसलमान हो जायें और सब लोगों की इस्लाह हो जाए। तो अगर कोई ऐसा नुस्ख़ा होता तो अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम इस नुस्ख़े को ज़रूर इस्तेमाल करते और एक छू मन्तर करते, या एक नज़र डालते और सब लोग मुसलमान हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अगर किसी शख़्स से जब तक कुछ न कुछ अमल न हो उस वक़्त तक नबी की ज़ियारत भी फ़ायदा नहीं देती। देखिए अबू जहल ने और अबू लहब ने भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ियारत की, लेकिन चूंकि अन्दर तलब नहीं थी, अमल और इरादा नहीं था, इसलिए उस ज़ियारत ने भी फ़ायदा नहीं दिया।

हर मोजिज़े में नबी के अमल का दख़ल

और यह देखिए कि अल्लाह तआ़ला अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम के हाथ पर मोजिज़े ज़ाहिर फ़रमाते हैं। ये मोजिज़े अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होते हैं, लेकिन हर मोजिज़े में यह नज़र आयेगा कि कुछ

न कुछ अमल उस नबी से ज़रूर करवाया गया। जैसे हदीसों में कई वाकिए ऐसे आए हैं जिस से ज़ाहिर होता है कि मोजिज़े के तौर पर आपकी बरकत से खाने में या पानी में बरकत हो गई। अहज़ाब की लड़ाई के मौक़े पर एक सहाबी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरे पर भूख के आसार देखे तो वह घर गए और बीवी से कहा कि मैंने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चेहरा-ए-अनवर पर भूख के आसार देखे हैं, कुछ खाना हो तो तैयार कर लो। बीवी ने कहा कि थोड़ा खाना है, दो चार आदमियों के लिए काफ़ी हो जायेगा। इसलिए आप चुपके से हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ एक दो हज़रात को दावत दें, मजमे में सब के सामने दावत न दें, कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा लोग आ जाएं और यह खाना नाकाफ़ी हो जाए। चुनांचे बीवी ने खाने की हांडी पकाने के लिए चूल्हे पर रख दी, और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुंचे और चुपके से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! घर पर आपके लिए कुछ खाना तैयार किया है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ दो चार हज़रात तशरीफ़ ले आएं। जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सुना तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूरे लश्कर को दावत दे दी कि चलो जाबिर के यहां दावत है।

मोजिज़े के तौर पर खाने में बरकत

अब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए कि खाना तो सिर्फ़ दो चार आदमियों का है और आपने सारे लश्कर को दावत दे दी, और बीवी ने कहा था कि चुपके से दावत देना। अब पूरा लश्कर चला आ रहा है। जब घर के अन्दर गए तो बीवी को बताया कि यह तो पूरा लश्कर आ गया है, उनकी बीवी पहले तो नाराज़

हुई और उनको कहा "बि-क व बि-क" तुम्हारा ऐसा हो और वैसा हो! तुमने चुपके से हुज़ूरे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने चुपके से कहा था, लेकिन हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सब को दावत दे दी। वह बीवी भी तो आख़िर सहाबिया थीं, चुनांचे उन बीवी ने कहा कि अगर तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह कह दिया था कि चन्द आदमियों का खाना है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सारे लश्कर को दावत दे दी तो फिर मुझे कोई ख़ौफ़ नहीं, इसलिए कि फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़िम्मेदार हैं।

जब हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि जाओ बीवी से कह दो कि हांडी से खाना निकाल कर देती जाएं और हांडी को चूल्हे पर चढ़ी रहने दें। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि सारा लश्कर खाने के लिए बैठ गया और मैं खाना लाकर उनको खिलाता रहा, लेकिन वह हांडी ख़त्म ही नहीं होती थी, यहां तक कि पूरे लश्कर ने सैर होकर खाना खा लिया। अब यह सिर्फ़ तीन चार आदमियों का खाना था लेकिन पूरे लश्कर को काफ़ी हो गया। अल्लाह तआला ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक हाथ पर यह मोजिज़ा ज़ाहिर फ़रमाया।

खाना तुम पकाओ, बर्कत हम डालेंगे

देखने की बात है कि यह मोजिज़ा इस तरह भी तो ज़ाहिर हो सकता था कि कोई हांडी ही न होती, कोई सालन ही न होता, और अल्लाह तआला ग़ैब से खाना भेज देते। लेकिन इस तरह मोजिज़ा ज़ाहिर नहीं किया गया, बल्कि इस तरह ज़ाहिर किया गया कि खाना तुम पकाओ, अगरचे वह थोड़ा ही हो, फिर हम उस थोड़े खाने में हम बर्कत डाल देंगे और उसके अन्दर इज़ाफ़ा कर देंगे।

इसके ज़रिए यह सबक़ दे दिया कि अपनी तरफ़ से कुछ न कुछ अ़मल करना है, तभी मोजिज़ा ज़ाहिर होगा, तुम्हारे अ़मल के बग़ैर मोजिज़ा भी ज़ाहिर नहीं होगा।

पानी में बरकत का वाक़िआ

तबूक की लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तश्रीफ़ लेजा रहे थे, पानी की कमी थी, लश्कर बड़ा था, प्यास लगी हुई थी और पानी नहीं मिल रहा था। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फ़लां मक़ाम पर रास्ते में एक चश्मा आयेगा। जब वह चश्मा आ जाए तो मुझे इत्तिला करें और मेरी इजाज़त के बाद लश्कर उस चश्मे से पानी पिए। चुनांचे रास्ते में चश्मा आया, उस चश्मे में थोड़ा सा पानी था जिसको चन्द आदमी पी सकते थे, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस चश्मे के पानी में डाला और फिर फ़रमाया कि अब लश्कर इस पानी को इस्तेमाल करे। चुनांचे सारा लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। यहां भी अगर अल्लाह तआ़ला चाहते तो वैसे ही आसमान से पानी नाज़िल फ़रमा देते, या कोई और ऐसा तरीक़ा हो जाता जिसके ज़रिए सब सैराब हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि पहले यह हुक्म दिया कि चश्मा तलाश करो और उसके ज़रिए थोड़ा सा पानी तुम अपने अ़मल से हासिल करो और फिर अपना हाथ उसके अन्दर दाख़िल करो, उसके बाद उसके अन्दर हम बर्कत डालेंगे। इस वाक़िए के ज़रिए भी अल्लाह तआ़ला ने यह सबक़ दे दिया कि अपना अ़मल करना शर्त है। जब तक आदमी अपने हाथ पांव नहीं हिलायेगा उस वक़्त तक अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से किसी मदद का वायदा नहीं।

'यदे बैज़ा' का मोजिज़ा

अंबिया अ़लैहिमुस्सलाम के तमाम मोजिज़ों में यह नज़र आता है कि हर नबी से थोड़ा सा अ़मल ज़रूर कराया गया। हज़रत मूसा

अलैहिस्सलाम को "यदे बैज़ा" (यानी हाथ के चमकदार हो जाने) का मोजिज़ा दिया गया। उनसे फ़रमाया कि अपना हाथ बग़ल में दाख़िल करके फिर निकालो। जब निकाला तो वह हाथ चमकने लगा। यह भी तो हो सकता था कि बग़ल में हाथ दाख़िल किए बग़ैर चमकने लगता, लेकिन फ़रमाया कि थोड़ा सा अ़मल तुम करो कि इस हाथ को बग़ल में ले जाओ, जब तुम उसको निकालोगे तो हम उसको चमकदार बना देंगे।

जब मोजिज़ों में यह बात है कि नबी से कुछ न कुछ अ़मल ज़रूर कराया गया तो दूसरी चीज़ों में यह उसूल और भी ज़्यादा पाया जाना ज़रूरी है कि अपनी तरफ़ से कुछ न कुछ अ़मल ज़रूर करना है, जब अपना अ़मल कर लोगे तो फिर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बर्कत और मदद आयेगी। इसलिए क़दम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आदमी दूर ही से अपने ऊपर हव्वा सवार करके बैठ जाए और यह कहने लगे कि आज तो ज़माना ख़राब है, हालात ख़राब हैं, माहौल ख़राब है, और इसकी वजह से आदमी फिर हाथ पांव हिलाना छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता।

जब चलोगे तो रास्ता खुलता चला जायेगा

हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि इसकी एक मिसाल दिया करते थे जो याद रखने की है। फ़रमाते थे कि अगर तुम किसी लम्बी और सीधी सड़क पर खड़े हो और उस सड़क के दोनों तरफ़ पेड़ों की क़तारें हों, अब अगर यहां खड़े खड़े सड़क को देखोगे तो यह नज़र आयेगा कि आगे चलकर पेड़ों की क़तारें आपस में मिल गई हैं, और आगे रास्ता बन्द है। अब अगर कोई अहमक़ यहां खड़े होकर कहे कि आगे चूंकि रास्ता बन्द है, इसलिए इस रास्ते पर चलना बेकार है, और वह आगे क़दम न बढ़ाये तो वह अहमक़ सारी उम्र वहीं खड़ा रहेगा और कभी मन्ज़िल तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन अगर वह चलना शुरू करेगा तब उसको पता

चलेगा कि हक़ीक़त में रास्ता बन्द नहीं था बल्कि मेरी निगाह धोखा दे रही थी।

गुनाह छोड़ने की कोशिश करो

अल्लाह तआ़ला के दीन का मामला भी यही है, अगर आदमी दूर से यह सोच कर बैठ जाए कि आजकल के दौर में दीन पर अ़मल करना बड़ा मुश्किल है, यह तो बीसवीं सदी है, इसमें गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। इस ज़माने में हम कैसे अपना माहौल तब्दील करें? टी. वी. कैसे छोड़ें? वी. सी. आर. कैसे छोड़ें? बे पर्दगी कैसे छोड़ें? बद निगाही कैसे छोड़ें? झूठ कैसे छोड़ें? रिश्वत कैसे छोड़ें? अगर इन कामों को मुश्किल समझ कर इन्सान बैठा रहे तो वह इन्सान कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर इन्सान यह सोचे कि पहले मैं यह गुनाह सौ बार करता था और अब मैं इसमें कुछ तो कमी करूं, सौ में से पचास बार कम करूं। जब इन्सान कमी करने का इक़दाम ख़ुद से करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसमें तुम्हारी मदद फ़रमायेंगे। अगर तुमने सौ में से पचास कर लिया तो अल्लाह तआ़ला फिर पचास के पच्चीस भी करा देंगे इन्शा अल्लाह, और अगर तुमने पचास से पच्चीस कर लिए तो अल्लाह तआ़ला शून्य (यानी ख़त्म) भी करा देंगे।

सुबह से शाम तक के कामों का जायज़ा लो

हमारे हज़रत वाला फ़रमाया करते थे कि हर शख़्स अपनी सुबह से लेकर शाम तक की ज़िन्दगी का जायज़ा ले कि मैं क्या क्या करता हूं? कितने फ़राईज़ व वाजिबात मैं अदा नहीं करता? कितनी सुन्नतें मैं छोड़ता हूं? कितने नेक आमाल ऐसे हैं जो मैं नहीं करता? और कितनी बुराईयां, कितनी ग़लतियां और कितने गुनाह ऐसे हैं जो मैं करता हूं? उन सब की एक फ़ेहरिस्त बनाओ, फिर उस फ़ेहरिस्त में ग़ौर करके देखो कि कितने गुनाह ऐसे हैं जो तुम किसी तक्लीफ़ के बग़ैर फ़ौरन छोड़ सकते हो। उनको तो

फ़ौरन छोड़ दो। और जिन गुनाहों के छोड़ने में थोड़ा सा वक़्त दरकार है, उनको छोड़ने के लिए कोशिश शुरू कर दो, और अल्लाह तआ़ला से मदद मांगते रहो कि या अल्लाह! जितने गुनाह छोड़ना मेरे बस में था, उनको तो मैंने छोड़ दिया, ऐ अल्लाह! बक़िया गुनाहों को छोड़ना मेरे बस में नहीं है, आप अपने फ़ज़्ल से उनको छुड़ा दीजिए। यह काम करो फिर अल्लाह तआ़ला मदद फ़रमायेंगे।

क़दम बढ़ाओ और फिर दुआ़ करो

दो काम हमेशा याद रखो! एक यह कि अपनी तरफ़ से क़दम बढ़ाना और दूसरे यह कि अल्लाह तआ़ला से उसके पूरा होने की दुआ़ करना। सारी उम्र ये दो काम करते रहो, फिर इन्शा अल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे हज़रत फ़रमाया करते थे कि अल्लाह तआ़ला से बातें किया करो, और कहो कि या अल्लाह! मैं फ़लां फ़लां गुनाहों के अन्दर मुब्तला था, मैंने क़दम बढ़ाया और इतने गुनाह छोड़ दिए, लेकिन बाक़ी गुनाहों के छोड़ने में नफ़्स व शैतान से मग़लूब हो रहा हूं, हालात और माहौल से मग़लूब हो रहा हूं, इसलिए वे गुनाह मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, और आप इस मग़लूबियत को ख़त्म कर सकते हैं, मेरे बस में नहीं है। ऐ अल्लाह! आप इस रुकावट को और मग़लूबियत को दूर फ़रमा दीजिए या मुझ से रुकावट को दूर फ़रमा दीजिए, या मुझे फिर आख़िरत में अ़ज़ाब न दीजियेगा। इस तरह बातें करो, फिर देखो कैसे काम बनता है और किस तरह अल्लाह तआ़ला गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाते हैं। इसलिए अपने हिस्से का काम करो जितना तुम कर सकते हो, बाक़ी के पूरा होने के लिए अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करते रहो।

हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम का दरवाज़े की तरफ़ भागना

हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को देखिए! ज़ुलेख़ा ने उनको

गुनाह की दावत दी और दावत देते वक़्त तमाम दरवाज़ों पर ताले डाल दिए ताकि भागने का रास्ता बाक़ी न हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि दरवाज़ों पर ताले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दरवाज़े की तरफ़ दौड़े, दरवाज़े तक इसलिए भागे ताकि अल्लाह मियां से कह सकें कि या अल्लाह! दरवाज़े तक भागना मेरा काम था और आगे दरवाज़े खोलना आपका काम है। अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरवाज़े तक न भागते तो दरवाज़ों के ताले खुलने की कोई गारन्टी नहीं थी, लेकिन चूंकि दरवाज़े तक भागे और वहां पहुंच कर यह कह दिया कि या अल्लाह! इतना मेरे बस में था जो मैंने कर दिया, आगे दरवाज़े खोलना मेरे बस का काम नहीं। फ़रमायाः

"إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ"

(سورة يوسف: آيت ۳۳)

अगर आपने मुझ से इनके फ़ितनों को दूर न फ़रमाया तो मैं इसमें मुब्तला हो जाऊंगा और उसके नतीजे में जाहिलों में से हो जाऊंगा।

फिर अल्लाह तआला ने अपने हिस्से का काम कर दिया

जब अल्लाह तआला ने यह देखा कि मेरे बन्दे ने अपने हिस्से का काम कर लिया, तो अब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। चुनांचे दरवाज़ों के ताले टूट गए और दरवाज़े खुल गए। इसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

गरचे रख़्ना नेस्त आलम रा पदीद
ख़ैरा यूसुफ़ वार मी बायद दवीद

यानी अगरचे इस आलम में भी तुम्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, और गुनाहों से, बेहयाई से, नंगेपन से, बद दीनी से भागने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह

हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े तक भागे थे, तुम भी दरवाज़े तक तो भाग कर दिखाओ, और फिर अल्लाह मियां से कहो कि या अल्लाह! आगे बचाना आपका काम है। उस वक़्त इन्शा अल्लाह दरवाज़े खुल जायेंगे और अल्लाह की मदद आयेगी। यही मज़मून है उस हदीसे कुदसी का जिसमें अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि जो बन्दा मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ़ बढ़ता हूं।

रात को सोते वक़्त यह कर लो

इसलिए जब रात को सोने लगो तो अल्लाह तआला से कुछ बातें कर लो, और अल्लाह तआला से कह दो कि या अल्लाह! आज का दिन गुज़र गया, आज के दिन में इतने गुनाहों से बच सका और इतने गुनाहों से नहीं बच सका, इतना काम कर सका और इतना काम नहीं कर सका और मैं मग़लूब हो गया। या अल्लाह! अपनी रहमत से इस मग़लूबियत को दूर फ़रमा दीजिए। मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूं लेकिन यह नफ़्स और शैतान और मेरा यह माहौल मुझे आपके रास्ते से बहकाते हैं। ऐ अल्लाह! मुझे इनके ऊपर ग़लबा अ़ता फ़रमा। यह दुआ रात को कर लो।

सुबह उठकर यह अ़हद कर लो

हमारे हज़रत डॉ. अ़ब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि रोज़ाना सुबह को बैठकर अल्लाह तआला से अ़हद व पैमान कर लिया करो कि या अल्लाह! आज का दिन शुरू हो रहा है और आज जब मैं अपने ज़िन्दगी के कारोबार में निकलूंगा तो खुदा जाने गुनाहों के क्या क्या मौक़े और असबाब सामने आयेंगे और कैसे हालात गुज़रेंगे, मैं उस वक़्त आपकी बारगाह में बैठकर अ़हद कर रहा हूं और इरादा कर रहा हूं कि आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़ चलूंगा और आपकी रिज़ा के रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन ऐ अल्लाह! मुझे अपनी

ताक़त और हिम्मत पर भरोसा नहीं है, चलना तो चाह रहा हूं लेकिन हो सकता है कि गिर पड़ूं, लड़खड़ा जाऊं, ऐ अल्लाह! मैं जहां गिरने लगूं अपनी रहमत से मुझे थाम लीजियेगा और मुझे उस ग़लत रास्ते से बचा लीजियेगा। मैं बेहिम्मत हूं, बेहौसला हूं। हिम्मत देने वाले भी आप हैं, हौसला देने वाले भी आप हैं, अपनी रहमत से हिम्मत और हौसला भी अता फ़रमा दीजिए। और अगर उसके बाद भी मैं गिरा तो फिर आप मुझ से क़ियामत के दिन पूछ और पकड़ न फ़रमाइयेगा, फिर मेरी गिरफ़्त न फ़रमाइयेगा, इसलिए कि मैं चलना चाहता हूं, अगर आप नहीं थामेंगे तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। अब अगर मैं गुमराह हो गया तो आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर आप मेरी पकड़ न फ़रमाइयेगा।

रोज़ाना सुबह के वक़्त अल्लाह तआला से यह अ़हद व पैमान करो, और फिर जहां तक मुम्किन हो अपने अमल के वक़्त कोशिश कर लो, फिर भी मान लो कि अगर भूल चूक से इन्सानी तक़ाज़े से कहीं लड़खड़ा गए और उस पर अल्लाह तआला से इस्तिग़फ़ार कर लिया और तौबा कर ली तो इन्शा अल्लाह फिर रास्ते पर आ जाओगे। लेकिन सुबह के वक़्त यह अ़हद व पैमान कर लो।

सुबह यह दुआ कर लिया करो

हमारे हज़रत रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद वज़ीफ़ों और ज़िक्र व अज़कार से फ़ारिग़ होकर यह पढ़ लिया करो कि:

"اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ"

ऐ अल्लाह! मेरी नमाज़, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना, सब आपके लिए है। मैं इस वक़्त इरादा कर रहा हूं कि जो कुछ करूंगा सब आपकी रिज़ा के लिए करूंगा, लेकिन मुझे अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं, ख़ुदा जाने कहां लड़खड़ा जाऊं, आप मेरी मदद फ़रमाईए। यह करने के बाद फिर ज़िन्दगी के काम धंधों के अन्दर

निकलो, इन्शा अल्लाह फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद होगी। रोज़ाना यह काम कर लो, फिर देखोगे क्या से क्या हो जायेगा। और अगर फिर किसी जगह पर लड़खड़ा भी गए तो अल्लाह तआला से बात तो कर ली है कि या अल्लाह! मेरा साबित कदम रहना मेरे बस से बाहर है, तो उम्मीद है कि माफ़ी का सामान हो ही जायेगा। उसके बाद जब दोबारा अगले दिन सुबह को बैठो तो पहले इस्तिगफ़ार कर लो और फिर दोबारा इस अ़हद और इरादे को ताज़ा कर लो।

आज को गुज़रे हुए कल से अच्छा बनाओ

और यह तहिय्या कर लो कि आज मैं कल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अ़मल करूंगा, और आज मैं गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करूंगा। हदीस शरीफ़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसका आज और कल बराबर होगा व शख़्स बड़े घाटे में है। इसलिए कि उसने कोई तरक़्क़ी नहीं की, कल के मुकाबले में आज उसने कुछ तो तरक़्क़ी की होती, कुछ तो आगे बढ़ा होता। इसलिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ़ तल्क़ीन फ़रमाई कि यह दुआ़ कर लिया करो:

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ يَوْمَنَا خَيْرًا مِّنْ اَمْسِنَا وَغَدَنَا خَيْرًا مِّنْ يَوْمِنَا"

ऐ अल्लाह! हमारे आज को गुज़रे हुए कल से बेहतर बना दीजिए। और हमारे आने वाले कल को आज से बेहतर बना दीजिए।

यह दुआ़ करो और अ़ज़्म और तहिय्या करके काम करो, और अल्लाह तआ़ला से मदद मांगो तो फिर अल्लाह तआ़ला मदद फ़रमायेंगे और इन्शा अल्लाह धीरे धीरे गिरते पड़ते मन्ज़िल तक पहुंच जायेंगे। अल्लाह तआ़ला मुझे भी और आप सब को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

दूसरों की चीज़ों का इस्तेमाल

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

عن مستورد بن شداد رضی اللّٰه عنه حدثه ان رسو ل اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم قال من اکل برجل مسلم اکلة فإن اللّٰه یطعمه مثلها من جهنم، ومن کسی ثوبًا برجل مسلم فان اللّٰه عزوجل یکسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فان اللّٰه يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة.

(ابوداؤد شریف)

दूसरों को तक्लीफ़ देकर अपना फ़ायदा हासिल करना

हज़रत मस्तूरिद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः जो शख़्स किसी मुसलमान के ज़रिए कोई लुक़्मा खाए। इसका मतलब यह है कि किसी मुसलमान की हक़ तल्फ़ी करके या किसी मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर या किसी मुसलमान को बदनाम करके अपना कोई मफ़ाद (स्वार्थ) हासिल करे। जैसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके रोज़गार का दारोमदार इस पर है कि दूसरों को तक्लीफ़ पहुंचा कर अपने खाने का सामान करते हैं, जैसे रिश्वत लेकर खाना खाया, अब उसने हक़ीक़त में एक मुसलमान को नाहक़ तक्लीफ़ पहुंचा कर खाना खाया। इसी तरह अगर किसी को धोखा देकर उस से पैसे हासिल कर लिए तो उसने भी एक मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर खाना खाया।

इसी तरह अगर किसी मुसलमान को बदनाम करके पैसे हासिल कर लिए, जैसे आजकल पब्लिसिटी का ज़माना है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिसिटी के ज़रिए लोगों की ब्लैक मेलिंग को अपना पेशा और आमदनी का ज़रिया बना रखा है। अब ऐसा शख़्स दूसरे को बदनाम करके पैसे हासिल करता है और खाना खाता है। ये तमाम सूरतें इस हदीस के मफ़हूम के अन्दर दाख़िल हैं कि जो शख़्स किसी मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर खाना खाए तो जितना खाना उसने इस तरीक़े से हासिल करके खाया है, अल्लाह तआला उसको उस खाने के वज़न के बराबर जहन्नम के अंगारे खिलायेंगे।

दूसरों को तक्लीफ़ देकर लिबास या शोहरत हासिल करना

इसी तरह जो शख़्स किसी दूसरे मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर और उसकी हक़ तल्फ़ी करके पैसे लायेगा और फिर उन पैसों से लिबास बनायेगा तो उसके बदले में अल्लाह तआला उसको जहन्नम का उतना ही लिबास पहनायेंगे, यानी आग के अंगारों का लिबास पहनायेंगे।

इसी तरह जो शख़्स दूसरे मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर शोहरत के मक़ाम तक पहुंचे, जैसे बाज़ लोग दूसरों की बुराई करके अपनी अच्छाई साबित करते हैं। चुनांचे वोट के दौरान लोग यह काम करते हैं कि चुनावी सभाओं में दूसरों की ख़राबी बयान करके अपनी अच्छाई बयान करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तआला क़ियामत के दिन बदनामी के मक़ाम पर खड़ा करेंगे। यहां दुनिया में तो उसने नेक शोहरत हासिल कर ली, लेकिन इसके नतीजे में अल्लाह तआला वहां उसको बुरी शोहरत अता फ़रमायेंगे, और सब के सामने उसको रुस्वा करेंगे कि यह वह शख़्स है जिसने मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचा कर शोहरत का मक़ाम हासिल किया

था।

इस हदीस से आप अन्दाज़ा लगाएं कि किसी मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचाना और उसके हक़ को पामाल करना कितना ख़तरनाक काम है, और यह कितनी बड़ी बला है। इसलिए मैं बार बार यह अर्ज़ करता हूं कि हर शख़्स अपने बर्ताव और अपने तर्ज़े अमल में इस बात को मद्देनज़र रखे कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरे का हक़ ज़ाया हो जाए और फिर कियामत के दिन अल्लाह तआला उसका हिसाब हम से ले। अल्लाह तआला हम सब को इस से महफ़ूज़ रखे, आमीन।

दूसरे की चीज़ लेना

एक और हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम में से कोई शख़्स अपने किसी साथी या दोस्त का सामान न मज़ाक़ में ले और न सन्जीदगी में ले। एक चीज़ दूसरे की मिल्कियत है तो आपके लिए यह जायज़ नहीं कि उसकी इजाज़त बल्कि उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर वह चीज़ इस्तेमाल करें या उसको क़ब्ज़े में लें, न तो सन्जीदगी में ऐसा करना जायज़ है और न ही मज़ाक़ में ऐसा करना जायज़ है, चाहे वह दूसरा शख़्स तुम्हारा क़रीबी दोस्त और रिश्तेदार ही क्यों न हो लेकिन उसकी चीज़ को उसकी इजाज़त और उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर इस्तेमाल करना हरगिज़ जायज़ नहीं।

ख़ुशदिली के बग़ैर दूसरे की चीज़ हलाल नहीं

एक और हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه"

किसी भी मुसलमान का कोई माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर दूसरे के लिए हलाल नहीं। इस हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इजाज़त का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं फ़रमाया

बल्कि ख़ुशदिली का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया। जैसे आपने किसी शख़्स से ऐसी चीज़ मांग ली कि उसका दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन मरव्वत के दबाव में आकर उसने वह चीज़ दे दी और अन्दर से उसका दिल ख़ुश नहीं है, उस सूरत में अगर आप उसकी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। इसलिए कि आपने उसका माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर ले लिया।

"मौलवियत" बेचने की चीज़ नहीं

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि अपने किसी उस्ताद या शैख़ का वाक़िआ़ नक़ल फ़रमाते हैं कि एक बार वह किसी दुकान पर कोई चीज़ ख़रीदने गए, और उन्होंने उस चीज़ की क़ीमत पूछी, दुकानदार ने क़ीमत बता दी, जिस वक़्त क़ीमत अदा करने लगे तो उस वक़्त एक और साहिब वहां पहुंच गए जो उनको जानने वाले थे, वह दुकानदार उनको नहीं जानता था कि यह फ़लां मौलाना साहिब हैं, चुनांचे उन साहिब ने दुकानदार से कहा कि यह फ़लां मौलाना साहिब हैं, इसलिए उनके साथ रियायत करें। हज़रत मौलाना ने फ़रमाया कि:

मैं अपने मौलवी होने की क़ीमत नहीं लेना चाहता, इस चीज़ की जो असल क़ीमत है वही मुझ से ले लो। इसलिए कि पहले जो क़ीमत तुमने बताई थी, उस क़ीमत पर तुम ख़ुशदिली से यह चीज़ देने के लिए तैयार थे, अब अगर दूसरे आदमी के कहने से तुमने रियायत कर दी और दिल अन्दर से मुत्मइन नहीं है तो उस सूरत में वह ख़ुशदिली से देना नहीं होगा, और फिर मेरे लिए इस चीज़ में बर्कत नहीं होगी और इसका लेना भी मेरे लिए हलाल नहीं होगा, इसलिए जितनी क़ीमत तुमने लगाई है उतनी क़ीमत ले लो।

इस वाक़िए से इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि यह "मौलवियत" बेचने की चीज़ नहीं, कि बाज़ार में इसको बेचा जाए

कि लोग इसकी वजह से चीज़ों की क़ीमत कम कर दें।

इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि की वसीयत

बल्कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने जिनके हम सब मुक़ल्लिद हैं, अपने शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि को यह वसीयत फ़रमाई कि:

"जब तुम कोई चीज़ ख़रीदो या किराये पर लो तो जितना किराया और जितनी क़ीमत आम लोग देते हैं, तुम उस से कुछ ज़्यादा दे दो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कम देने की वजह से इल्म और दीन की बेइज़्ज़ती और बे क़द्री हो"।

जिन हज़रात को अल्लाह तआला ने एहतियात का यह मक़ाम अता फ़रमाया है वह इस हद तक रियायत फ़रमाते हैं कि दूसरे की चीज़ कहीं उसकी खुशदिली के बग़ैर हमारे पास न आ जाए। जैसे आपने किसी से कोई चीज़ मांग ली तो मांगने से पहले ज़रा यह सोचो कि अगर तुम से कोई दूसरा शख़्स यह चीज़ मांगता तो क्या तुम ख़ुशदिली से उसको देने पर राज़ी हो जाते? अगर तुम खुशदिली से राज़ी न होते तो फिर वह चीज़ दूसरे से भी मत मांगो। इसलिए कि हो सकता है कि मरव्वत के दबाव में आकर वह शख़्स तुम्हें वह चीज़ दे दे लेकिन उसका दिल अन्दर से राज़ी न हो, और उसके नतीजे में तुम नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद का मिस्दाक़ बन जाओ कि किसी मुसलमान का माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर हलाल नहीं।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एहतियात का एक वाक़िआ

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क्या बुलन्द मक़ाम था कि आपने इस हद तक एहतियात फ़रमाई कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत फ़ारूक़े आज़म

रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाने लगे कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए जो महल जन्नत में बनाया है, वह मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वह महल इतना शानदार था कि मेरा दिल चाहा कि मैं उस महल के अन्दर चला जाऊं, लेकिन जब मैंने अन्दर जाने का इरादा किया तो मुझे तुम्हारी ग़ैरत याद आ गई। मतलब यह था कि अल्लाह तआला ने तुम्हें बड़ी ग़ैरत बख़्शी है। अगर कोई दूसरा शख़्स तुम्हारे घर के अन्दर इजाज़त के बग़ैर दाख़िल हो तो तुम्हें ग़ैरत आती है, इसलिए मैंने यह सोचा कि तुम्हारे बग़ैर इसमें दाख़िल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दाख़िल न हुआ। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर रो पड़े और फ़रमायाः "अ–व अलै–क अग़ारु या रसूलल्लाहि?" या रसूलल्लाह! मेरे मां बाप आप पर कुरबान हों, क्या मैं आप से ग़ैरत करूंगा?

उम्मत के लिए सबक़

अब आप अन्दाज़ा लगाएं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जानते हैं कि फ़ारूके आज़म जैसा इन्सान जो अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त व आबरू, अपना सब कुछ आप पर कुरबान करने के लिए तैयार हैं। उनके पास अगर कोई बड़ी से बड़ी नेमत हो और वह नेमत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस्तेमाल में आ जाए तो वह उसको अपने लिए फ़ख़्र का ज़रिया समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद आप उनके महल में दाख़िल नहीं हुए, जब कि वह जगह भी जन्नत की थी जो तक्लीफ़ की जगह नहीं होती। लेकिन उलमा–ए–किराम ने फ़रमाया कि इस हदीस से हक़ीक़त में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मत को यह सबक़ देना चाहते हैं कि देखो! मैं भी अपने ऐसे फ़िदाकार और जांनिसार सहाबी के घर में उसकी इजाज़त के बग़ैर दाख़िल नहीं हुआ, तो तुम लोगों के लिए आम हालात में दूसरों की चीज़ उनकी ख़ुशदिली और इजाज़त के बग़ैर

इस्तेमाल करना कैसे जायज़ होगा।

सलाम के जवाब के लिए तयम्मुम करना

अल्लाह तआला हमारे हदीस के इमामों और फ़ुकहा-ए-किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की क़ब्रों को नूर से भर दे, आमीन। ये हज़रात हमारे लिए अजीब ज़खीरा छोड़ गए हैं। चुनांचे एक सहाबी ने एक हदीस बयान फ़रमाई कि हुज़ूरे अक़्दस एक बार एक रास्ते से गुज़र रहे थे, एक सहाबी ने आपको देख कर आपको सलाम किया। यह इस्लाम के शुरूआती दौर का ज़माना था, और उस वक़्त अल्लाह तआला का नाम वुज़ू के बग़ैर लेना मकरूह था, और "सलाम" भी अल्लाह तआला के पाक नामों में से है, उस वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वुज़ू से नहीं थे, अब अगर उस हालत में "व अलैकुमुस्सलाम" फ़रमाते तो अल्लाह तआला का नाम वुज़ू के बग़ैर लेना हो जाता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वुज़ू के बग़ैर नाम लेने से बचने के लिए यह किया कि क़रीब में जो मकान था, उसकी दीवार से तयम्मुम फ़रमाया और फिर आपने "व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व ब-रकातुहू" कहकर जवाब दिया।

उलमा का हदीसों से मसाइल का निकालना

उन सहाबी ने यह हदीस बयान फ़रमा दी, लेकिन फ़ुकहा-ए-किराम का मामला ऐसा है कि एक हदीस से उम्मत के लिए क्या क्या हिदायतें निकल रही हैं। उनके निकालने में लग जाते हैं। हदीसों से अहकाम निकालने का जब मैं तसव्वुर करता हूं तो मेरे सामने यह मन्ज़र आ जाता है कि जब कोई हवाई जहाज़ एयर पोर्ट पर उतरता है तो जैसे ही वह उतरता है फ़ौरन तमाम लोग अपनी अपनी ड्यूटियां अन्जाम देना शुरू कर देते हैं। कोई उसकी सफ़ाई कर रहा है, कोई उसमें पैट्रोल भर रहा है, कोई मुसाफ़िरों को उतार रहा है, कोई खाना चढ़ा रहा है, सब लोग

अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कोई हदीस सामने आती है तो उम्मत के उलमा भी मुख़्तलिफ़ जेहतों से उस हदीस पर काम करने लग जाते हैं। कोई उस हदीस की सनद छान बीन कर रहा है कि उसकी सनद सही है या नहीं? कोई रावियों की जांच पड़ताल कर रहा है, कोई उस हदीस से निकलने वाले अहकाम बता रहा है कि इस हदीस से क्या क्या अहकाम निकल रहे हैं। क्या क्या रहनुमाई इस से हासिल हो रही है। तो हज़राते फ़ुक़हा-ए-किराम का काम यह है कि जब कोई हदीस उनके सामने आती है तो उस हदीस के एक एक जुज़ की बाल की खाल निकाल कर अहकाम निकालते हैं।

बुलबुल वाली हदीस से ११० मसाइल का निकालना

याद आया कि शमाईले तिर्मिज़ी में हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के एक छोटे भाई थे, जो बच्चे थे, उन्होंने एक बुलबुल पाल रखा था, वह बुलबुल मर गया। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन उनके पास तशरीफ़ ले गए तो उस बच्चे से आपने पूछा:

"يا أبا عمير ما فعل النغير؟"

ऐ अबू उमैर! तुमने वह जो बुलबुल पाल रखा था, उसका क्या हुआ? सिर्फ़ एक इस हदीस से हज़राते फ़ुक़हा-ए-किराम ने एक सौ दस (११०) फ़िक़्ही मसाइल निकाले हैं। और एक मुहद्दिस ने इस एक हदीस की तशरीह और इस से निकलने वाले अहकाम पर मुस्तक़िल किताब लिखी है।

सलाम के जवाब के लिए तयम्मुम करना जायज़ है

बहर हाल! उन सहाबी के सलाम के जवाब के लिए आपने पहले तयम्मुम फ़रमाया फिर सलाम का जवाब दिया। इस हदीस से भी फ़ुक़हा-ए-किराम ने बहुत से मसाइल निकाले हैं। चुनांचे इस

हदीस से फ़ुक़हा ने एक मसला यह निकाला है कि जिस काम के लिए वुज़ू करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है तो उस काम के लिए वुज़ू के बजाए तयम्मुम करना जायज़ है। जैसे दुआ करने के लिए अल्लाह तआ़ला ने वुज़ू को ज़रूरी और वाजिब क़रार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तआ़ला ने अपना दरवाज़ा खटखटाने और दुआ करने को आसान कर दिया कि उसके लिए वुज़ू की शर्त नहीं रखी बल्कि पाकी की शर्त भी नहीं रखी, इसलिए अगर कोई शख़्स जनाबत और नापाकी की हालत में भी दुआ करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन बेहतर और मुस्तहब यह है कि आदमी दुआ करते वक़्त वुज़ू के साथ हो, और अगर वुज़ू का मौक़ा न हो तो तयम्मुम कर ले, क्योंकि तयम्मुम करके दुआ करना बेवुज़ू दुआ करने से बेहतर है। अगरचे उस तयम्मुम से नमाज़ पढ़ना और ऐसे काम करना जायज़ नहीं होगा जिनके लिए वुज़ू करना वाजिब है, लेकिन उस तयम्मुम से दुआ कर सकता है।

ज़िक्र के लिए तयम्मुम करना

जैसे कोई शख़्स ज़िक्र करना चाहता है या तस्बीह पढ़ना चाहता है तो अल्लाह तआ़ला ने अपना नाम लेना इतना आसान फ़रमा दिया है कि उसके लिए वुज़ू की शर्त नहीं, लेकिन वुज़ू करके ज़िक्र करना मुस्तहब है, इसलिए अगर वुज़ू करने का मौक़ा नहीं है और ज़िक्र करना चाहता है तो कम से कम यह करे कि तयम्मुम करके ज़िक्र कर ले, क्योंकि तयम्मुम करके ज़िक्र करना बे वुज़ू ज़िक्र करने से बेहतर है। लेकिन उस तयम्मुम से किसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं होगा।

दूसरे की दीवार से तयम्मुम करना

फ़ुक़हा-ए-किराम ने इस हदीस से दूसरा मसला यह निकाला है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दीवार से तयम्मुम फ़रमाया और वह किसी दूसरे शख़्स के घर की दीवार थी।

तो अब सवाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दूसरे शख़्स के घर की दीवार को उसकी इजाज़त के बग़ैर तयम्मुम के लिए कैसे इस्तेमाल फ़रमाया? इसलिए कि दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त और उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। फ़ुक़हा–ए–किराम ने यह सवाल उठाया, वह भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में उठाया कि आपने वह दीवार किस तरह इस्तेमाल फ़रमाई।

फिर फ़ुक़हा–ए–किराम ने इसका जवाब भी ख़ुद दिया, कि बात असल में यह थी कि मकान के बाहर की दीवार से तयम्मुम करने की सूरत में यह बात सौ फ़ीसद यक़ीनी थी कि कोई भी आपको उस अमल से मना न करता, इसलिए आपके लिए उस दीवार से तयम्मुम करना जायज़ था। इसलिए जहां इस बात का सौ फ़ीसद मुकम्मल यक़ीन हो कि दूसरा शख़्स न सिर्फ़ यह कि उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा बल्कि वह ख़ुश होगा तो उस सूरत में उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना जायज़ है। अब आप अन्दाज़ा लगाएं कि फ़ुक़हा–ए–किराम ने कितनी बारीक बात को पकड़ लिया।

किसी क़ौम की कूड़ी का इस्तेमाल करना

फ़ुक़हा–ए–किराम ने यही सवाल एक और हदीस पर भी उठाया है। वह हदीस शरीफ़ यह है कि एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहीं तशरीफ़ लेजा रहे थे, आपको पेशाब करने की ज़रूरत हुई। एक जगह पर किसी क़ौम की "कूड़ी" थी, जहां लोग अपना कचरा डालते थे। उस कूड़ी पर आपने पेशाब किया। हदीस के अल्फ़ाज ये हैं कि "अता सुबात–त क़ौमिन" यानी किसी क़ौम के कूड़ा डालने की जगह पर आप पहुंचे। अब फ़ुक़हा ने इस पर सवाल उठाया है कि वह कूड़ा डालने की जगह किसी क़ौम की मिल्कियत थी तो आपने उसको उनकी इजाज़त के बग़ैर कैसे इस्तेमाल फ़रमा लिया?

फिर ख़ुद ही फ़ुक़हा ने इसका जवाब भी दिया कि असल में वह आम इस्तेमाल की जगह थी और इसी मक़सद के लिए वह जगह छोड़ी गई थी, इसलिए किसी शख़्स की मिल्कियत में कोई ख़लल डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

मेज़बान के घर की चीज़ इस्तेमाल करना

इस से आप अन्दाज़ा लगाएं कि शरीअत में किसी दूसरे शख़्स की चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में कितनी हस्सासियत पाई जाती है। जैसे हम दूसरे शख़्स के घर मेहमान बनकर गए, अब अगर उसके घर की कोई चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करने से पहले ज़रा यह सोचो कि मेरे लिए उसका इस्तेमाल ज़ायज़ है या नहीं? और यह सोचो कि मेरे इस्तेमाल करने से मेज़बान ख़ुश होगा या उसके दिल में तंगी पैदा होगी? अगर उसके दिल में तंगी पैदा होने का ज़रा भी अन्देशा हो तो उस सूरत में उस चीज़ को आपके लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं।

हमारे समाज में इस बारे में बहुत बे एहतियाती पाई जाती है। चुनांचे होता यह है कि दोस्त के घर में चले गए और सोचा कि यह तो हमारा बे–तकल्लुफ़ दोस्त है, अब दोस्ती और बे–तकल्लुफ़ी की मद में उसको लूटना शुरू कर दिया और उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह जायज़ नहीं, क्योंकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने साफ़ साफ़ फ़रमा दिया कि मज़ाक़ में भी दूसरे की चीज़ उठाकर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, तो फिर सन्जीदगी में कैसे जायज़ हो सकता है। इसलिए हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि हम बे–तकल्लुफ़ी की आड़ में कहां कहां हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हैं।

बेटे के कमरे में दाख़िल होने के लिए इजाज़त

मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब

रहमतुल्लाहि अलैहि का सारी उम्र यह मामूल हमने देखा कि जब कभी आप किसी काम से अपनी औलाद के कमरे में दाख़िल होने का इरादा फ़रमाते तो दाख़िल होने से पहले इजाज़त लेते, हालांकि वह कमरा हमारी मिल्कियत नहीं होता था, उन्हीं की मिल्कियत होता था, इसके बावजूद पहले इजाज़त लेते कि अन्दर आ जाएं? और अगर कभी हज़रत वालिद साहिब को वह चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती जो हमारे इस्तेमाल में है, तो हमेशा पहले पूछ लेते कि यह तुम्हारी चीज़ मैं इस्तेमाल कर लूं? अब आप अन्दाज़ा लगाएं कि एक बाप अपने बेटे से पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी चीज़ इस्तेमाल कर लूं? हालांकि हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "अन्–त व मालु–क लिअबी–क" यानी तुम ख़ुद और तुम्हारा माल सब तुम्हारे बाप का है। लेकिन इसके बावजूद इस दर्जा एहतियात थी कि बेटे से पूछ कर उसकी चीज़ इस्तेमाल फ़रमा रहे हैं। तो जब अपनी औलाद की चीज़ इस्तेमाल करने में यह एहतियात होनी चाहिए तो जिनके साथ यह रिश्ता नहीं है, उनकी चीज़ों को उनकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना कितनी संगीन बात है।

इत्तिला के बग़ैर दूसरे के घर जाना

ये तमाम चीज़ें हमने अपने दीन से ख़ारिज कर दी हैं। बस आजकल तो इबादतों का और नमाज़ रोज़े का नाम दीन समझ लिया है, और इस से आगे जो मामले हैं उनको हमने दीन से ख़ारिज कर दिया है। जैसे किसी दूसरे के घर में इत्तिला के बग़ैर खाने के वक़्त पहुंच जाना दीन के ख़िलाफ़ है। जैसे आजकल होता है कि पीर साहिब अपने मुरीदों का लश्कर लेकर किसी मुरीद पर हमलावर हो गए, और पीर साहिब के ज़ेहन में यह है कि यह तो हमारा मुरीद है। इसलिए इसको तो हर हाल में हमारी ख़ातिर तवाज़ो करनी ही करनी है। यह मैं आपको आखों देखा वाक़िआ

बता रहा हूं। अब वह मुरीद बेचारा परेशान कि ऐन वक़्त पर मैं क्या इन्तिज़ाम करूं। इतनी बड़ी फ़ौज आ गई है इसके लिए कहां से तवाज़ो का इन्तिज़ाम करूं? अब देखिए! नमाज़ें भी हो रही हैं, तहज्जुद, इश्राक़, चाश्त, ज़िक्र व अज़कार, सब इबादतें हो रही हैं, और पीर साहिब बने हुए हैं। लेकिन बग़ैर इत्तिला के मुरीद के घर पहुंच गए। याद रखिए! यह उस हदीस के अन्दर दाख़िल है जिसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه"

यानी किसी भी मुसलमान का कोई माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर किसी के लिए जायज़ नहीं।

लेकिन पीर साहिब को इसकी कोई परवाह नहीं कि इस से मुरीद को तक्लीफ़ हो रही है या परेशानी हो रही है, या उसका माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर हासिल किया जा रहा है। आज हमारे समाज में ये बातें फैल गई हैं और इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। अल्लाह तआ़ला हम सब को दीन की सही समझ अ़ता फ़रमाए और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखने का ज़ौक़ अ़ता फ़रमाए कि जिस चीज़ का जो मक़ाम और जगह है उसी के मुताबिक़ उस पर अ़मल हो।

ख़ुशदिली के बग़ैर चन्दा लेना

इसी तरह आजकल चन्दे का मसला है। यह चन्दा चाहे किसी भी मक़सद के लिए हो, चाहे मदरसे के लिए हो, चाहे मस्जिद के लिए हो, या जिहाद के लिए हो, या तब्लीग़ के लिए हो, लेकिन अगर चन्दा करते वक़्त किसी मौक़े पर ज़रा सा भी दबाव का माद्दा आ जायेगा तो वह चन्दा हराम हो जायेगा। हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अ़लैहि का इस मौज़ू पर मुस्तक़िल रिसाला है, जिसमें उन्होंने फ़रमाया कि आजकल जो चन्दे का तरीक़ा है कि बड़ी शख़्सियतें अपनी शख़्सियत का दबाव डाल कर चन्दा वुसूल करती हैं, क्योंकि अगर मदरसे के किसी

मामूली सफ़ीर को चन्दे के लिए भेजा जायेगा तो चन्दा कम वुसूल होगा, इसलिए किसी बड़े और हैसियत वाले को चन्दे के लिए भेजा जाए, इसका नतीजा यह होता है कि जिसके पास वह साहिबे हैसियत चन्दे के लिए पहुंचेगा तो वह यह सोचेगा कि इतना बड़ा आदमी मेरे पास आया है तो अब थोड़े पैसे क्या दूं, चुनांचे वह ज़्यादा पैसे देगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि यह हक़ीक़त में शख़्सियत (व्यक्तित्व) का दबाव डालना है, और शख़्सियत का दबाव डाल कर जो चन्दा वुसूल किया जायेगा वह ख़ुशदिली का चन्दा नहीं होगा, और जब वह चन्दा ख़ुशदिली का नहीं है तो वह हराम है, और उस हदीस के तहत दाख़िल है जिसमें आपने फ़रमायाः

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه"

यानी किसी भी मुसलमान का कोई माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर किसी के लिए जायज़ नहीं।

आम मजमे में चन्दा करना

इसी तरह आम मजमे के अन्दर चन्दे का ऐलान करके वहीं चन्दा जमा किया जा रहा है। अब जो हैसियत वाला उस मजमे के अन्दर बैठा है, वह सोच रहा है कि सब लोग तो चन्दा दे रहे हैं, अगर मैं चन्दा नहीं दूंगा तो मेरी नाक कट जायेगी। और अगर थोड़ा चन्दा दूंगा तो भी बेइज़्ज़ती हो जायेगी, इसलिए मुझे ज़्यादा देना चाहिए। अब इस दबाव में आकर उसने ज़्यादा चन्दा दे दिया। याद रखिए! उस दबाव में आकर जो चन्दा देगा वह ख़ुशदिली का चन्दा नहीं है, और इस हदीस के तहत दाख़िल है जिसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه"

यानी किसी भी मुसलमान का कोई माल उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर किसी के लिए जायज़ नहीं।

इसी लिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि का अपने

मुताल्लिक़ीन के लिए आम मामूल यह था कि आम मजमे में चन्दा करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए कि उसमें लोग शर्म हुज़ूरी में और मरव्वत में आकर चन्दा दे देते हैं जो जायज़ और हलाल नहीं।

तबूक की लड़ाई के वाक़िए से इश्काल और उसका जवाब

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि की यह बात मैंने एक बार बयान की तो एक साहिब ने कहा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी तबूक की जंग के मौक़े पर मजमे में चन्दा किया था। जब तबूक की लड़ाई में ज़रूरत पेश आई तो आपने खड़े होकर ऐलान फ़रमाया कि इस वक़्त जिहाद के लिए सामान की सख़्त ज़रूरत है, जो शख़्स भी इसमें ख़र्च करेगा उसको यह सवाब मिलेगा। चुनांचे हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु यह ऐलान सुनकर घर का सारा माल लेकर आ गए थे। इस से मालूम हुआ कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी मजमे में चन्दे का ऐलान फ़रमाया।

इसका जवाब यह है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह नहीं फ़रमाया था कि इसी वक़्त और इसी जगह पर चन्दा करो, बल्कि आपने यह ऐलान फ़रमा दिया था कि इतनी ज़रूरत है, जो शख़्स भी अपनी सहूलत के मुताबिक़ जिस वक़्त जितना चाहे लाकर दे दे। चुनांचे सहाबा-ए-किराम बाद में चीज़ें ला लाकर जमा कराते रहे। यह ऐलान नहीं था कि अभी और यहीं जमा करो।

दूसरा जवाब यह है कि सहाबा-ए-किराम के हालात को हम अपने हालात पर कहां क़यास कर सकते हैं। अल्लाह तआला ने सहाबा-ए-किराम के अख़्लाक़ ऐसे पाकीज़ा और रोशन फ़रमा दिए थे कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सिर्फ़ दिखावे की ख़ातिर चन्दा दे। अल्लाह के लिए चन्दा देना होता देते, न देना होता न देते। हमारे समाज के लोग दबाव में आ जाते हैं, और उस दबाव

के नतीजे में शर्मा शर्मी में देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आजकल के हालात को सहाबा-ए-किराम के हालात पर क़यास नहीं किया जा सकता। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि आम मजमे में इस तरह चन्दा करना जिस तरह आम दस्तूर है, यह जायज़ नहीं। क्योंकि ऐसे चन्दे में ख़ुशदिली का माद्दा नहीं होता है।

चन्दा करने का सही तरीक़ा

चन्दा करने का सही तरीक़ा यह है कि आप लोगों को मुतवज्जह कर दें कि यह एक ज़रूरत है और दीन का सही मसरफ़ (ख़र्च की जगह) है, और इसमें देने में सवाब है। इसलिए जो चाहे अपनी ख़ुशी के साथ जब चाहे इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए और सवाब के हासिल करने के लिए चन्दा दे दे। ये तमाम अहकाम इसी हदीस से निकल रहे हैं कि कोई शख़्स दूसरे का माल और दूसरे का सामान न तो सन्जीदगी में ले और न मज़ाक़ में ले।

मांगी हुई चीज़ जल्दी वापस न करना

फिर हदीस में एक जुम्ला यह इर्शाद फ़रमाया कि:

"فإذا اخذ احدكم عصى صاحبه فليردها إليه"

यानी अगर तुमने किसी वक़्त दूसरे की लाठी भी ले ली है तो उसको वापस कर दो।

मतलब यह है कि अगर तुमने कोई चीज़ मांगे के तौर पर इस्तेमाल के लिए ले ली है और उसने ख़ुशदिली से तुम्हें दे दी है, ख़ुशदिली से उसने वह चीज़ देकर कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए जब तुम्हारी वह ज़रूरत पूरी हो जाए जिस ज़रूरत के लिए तुमने वह चीज़ ली थी तो फिर उस चीज़ को जल्द से जल्द वापस लौटाओ। इस बारे में भी हमारे यहां कोताहियां और ग़फ़लतें होती हैं। एक चीज़ किसी ज़रूरत की वजह से किसी से ले ली थी, अब

वह घर में पड़ी है, वापस करने की फ़िक्र नहीं। अरे भाई! जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई तो अब वापस करो, अब जिस शख़्स की वह चीज़ है हो सकता है कि उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, लेकिन वह मांगते हुए शर्माता हो कि उसके पास जाकर वह चीज़ क्या मांगू। अब अगर तुम उस चीज़ को इस्तेमाल करोगे तो तुम उसकी ख़ुशदिली के बग़ैर इस्तेमाल करोगे। इसलिए यह इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए हराम है।

किताब लेकर वापस न करना

इसी तरह हमारे समाज में यह मसला बाक़ायदा घड़ लिया गया है कि किताब की चोरी, यह कोई चोरी नहीं होती। यानी अगर किसी दूसरे से किताब पढ़ने के लिए ले ली तो अब उस किताब को वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए पढ़ने के बाद किताब घर में पड़ी है, उसकी वापसी की कोई फ़िक्र नहीं होती। जब कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इर्शाद है कि जब तुमने दूसरे की कोई चीज़ ली हो तो उसको वापस करने की फ़िक्र करो और जल्द से जल्द उसको असल मालिक तक वापस पहुंचाओ।

अल्लाह तआ़ला हम सब को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन इर्शादात पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(पहला हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

عن أبی الدرداء رضی اللّٰه تعالیٰ عنه عن النبی صلی اللّٰه علیه وسلم قال: آلا أخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلوٰة والصدقة قالوا: بلیٰ قال: اصلاح ذات البین، وفساد ذات البین الحالقة۔ (ابوداؤد شریف)

उम्मते मुहम्मदिया के दानिश्वर

यह हदीस हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गयी है। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा-ए-किराम में बड़े ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको "हकीमु हाज़िहिल उम्मत" का लक़ब अता फ़रमाया था, यानी यह उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हकीम और फ़लॉस्फ़र हैं। अल्लाह तआला ने उनको "हिक्मत" अता फ़रमाई थी।

सवाल के ज़रिए तलब पैदा करना

वह रिवायत करते हैं कि एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने सहाबा–ए–किराम से पूछाः क्या मैं तुम्हें ऐसा दर्जा न बताऊं जो नमाज़, रोज़े और सदके से भी अफ़ज़ल है? यह हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गुफ़्तगू का अन्दाज़ था कि जब किसी चीज़ की अहमियत बयान करनी मन्ज़ूर होती तो सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से खुद ही सवाल फ़रमाया करते थे, ताकि उनके दिल में तलब पैदा हो जाए। अगर दिल में तलब हो तो उस वक़्त जो बात कही जाए उसका असर भी होता है, और अगर दिल में तलब न हो तो कैसी भी अच्छी से अच्छी बात कह दी जाए, कैसा ही अच्छे से अच्छा नुस्खा बता दिया जाए, बेहतर से बेहतर तालीम दे दी जाए, उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। यह तलब बड़ी चीज़ है।

दीन की तलब पैदा करें

इसलिए बुज़ुर्गाने दीन ने फ़रमाया कि इन्सान की कामयाबी का राज़ इसमें है कि इन्सान अपने अन्दर दीन की तलब और दीन की बातों पर अमल करने की तलब पैदा कर ले। जब यह तलब पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह तआला खुद नवाज़ देते हैं। अल्लाह तआला की आदत और तरीका यही है। इसी को मौलाना रूमी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

आब कम जो तिश्नगी आवर ब-दस्त
ता बजोशद आब अज़ बाला व पस्त

यानी पानी कम तलाश करो, प्यास ज़्यादा पैदा करो, जब प्यास पैदा हो जाती है तो अल्लाह तआला की आदत व तरीका यह है कि फिर ऊपर और नीचे हर तरफ़ पानी जोश मारता है। यह तलब बड़ी चीज़ है। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से हम सब के दिलों में पैदा फ़रमा दे, आमीन।

"तलब" बेचैनी पैदा करती है

यह "तलब" ही वह चीज़ है कि जब एक बार इन्सान के

अन्दर पैदा हो जाए तो फिर इन्सान को चैन लेने नहीं देती, बल्कि उसको बेताब रखती है। जब तक इन्सान को मक़सूद हासिल न हो जाए इन्सान को चैन नहीं आता। इसकी मिसाल यों समझिए कि जब इन्सान को भूख लग जाए और "भूख" के मायने हैं "खाने की तलब" तो जब इन्सान को भूख लगी हुई होगी तो क्या इन्सान को चैन आयेगा? किसी दूसरे काम को करने का दिल चाहेगा? जब खाने की तलब लगी हुई है तो आदमी को उस वक़्त चैन नहीं आयेगा, जब तक कि उसको खाना न मिल जाए। अगर इन्सान को प्यास लगी हुई है तो "प्यास" के मायने हैं "पानी की तलब" जब तक पानी नहीं मिल जायेगा उस वक़्त तक चैन नहीं आयेगा।

अल्लाह तआला हमारे दिलों में "दीन" की भी ऐसी तलब पैदा फ़रमा दे, जब यह तलब पैदा हो जाती है तो इन्सान को उस वक़्त तक चैन नहीं आता जब तक दीन हासिल न हो जाए बल्कि बेचैनी लगी रहती है।

सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीन की तलब

हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का यही हाल था कि उनमें से हर शख़्स को यह बेचैनी लगी हुई थी कि मरने के बाद मेरा क्या अन्जाम होना है? अल्लाह तआला के सामने पेश होना है, उसके बाद या तो जहन्नम है या जन्नत है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरा अन्जाम क्या होने वाला है। उस बेचैनी का नतीजा यह था कि सुबह से लेकर शाम तक मामूली मामूली कामों में भी फ़िक्र लगी हुई है कि मालूम नहीं कि यह काम अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के मुताबिक़ है या नहीं? कहीं इसकी वजह से मैं जहन्नम का हक़दार तो नहीं हो गया।

हज़रत हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को आख़िरत की फ़िक्र

यहां तक कि हज़रत हन्ज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में आए और आकर अर्ज़

किया कि "या रसूलल्लाह! नाफ़-क़ हन्ज़-लतु" हन्ज़ला तो मुनाफ़िक़ हो गया। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं तो मुनाफ़िक़ हो गया। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि कैसे मुनाफ़िक़ हो गए? उन्होंने फ़रमाया कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मज्लिस में बैठता हूं तो उस वक़्त आख़िरत की फ़िक्र लगी होती है और ऐसा मालूम होता है कि जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से अपने सामने देख रहे हैं, और उसकी वजह से दिल में रिक़्क़त और नरमी पैदा होती है और अल्लाह तआ़ला की इताअ़त का जज़्बा पैदा होता है। लेकिन जब आपकी मज्लिस से उठकर बीवी बच्चों के पास घर जाते हैं तो उस वक़्त दिल की यह कैफ़ियत बाक़ी नहीं रहती। ऐसा मालूम होता है कि मैं तो मुनाफ़िक़ हो गया, इसलिए कि आपके एक हालत होती है और घर जाकर दूसरी हालत हो जाती है।

सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको इत्मीनान दिलाया और फ़रमाया कि ऐ हन्ज़ला! यह वक़्त वक़्त की बात होती है, किसी वक़्त इन्सान पर एक हाल का ग़ल्बा हो जाता है और दूसरे वक़्त दूसरी हालत का ग़ल्बा हो जाता है, इसलिए परेशान न हों, बल्कि जो काम अल्लाह तआ़ला ने बताए हैं उनमें लगे रहो, इन्शा अल्लाह बेड़ा पार हो जायेगा। इसलिए यह फ़िक्र कि मैं कहीं मुनाफ़िक़ तो नहीं हो गया, यह आख़िरत की तलब है जो बेचैन कर रही है।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म और आख़िरत की फ़िक्र

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु इतने बड़े रुतबे वाले सहाबी, दूसरे ख़लीफ़ा जिनके बारे में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह फ़रमा दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, और जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस रास्ते से उमर (रज़ियल्लाहु अ़न्हु)

गुज़र जाते हैं, उस रास्ते से शैतान नहीं गुज़रता, शैतान रास्ता बदल देता है। वह उमर जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैंने जन्नत के अन्दर तुम्हारा महल देखा है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ये तमाम बातें सुनने के बावजूद आपका यह हाल था कि आप हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को क़सम देकर पूछते हैं कि ऐ हुज़ैफ़ा! खुदा के लिए यह बताओ कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुनाफ़िक़ों की जो फ़ेहरिस्त तुम्हें बताई है, उसमें कहीं मेरा नाम तो नहीं है? यह फ़िक्र और तलब लगी हुई है।

तलब के बाद मदद आती है

और जब तलब लग जाती है तो फिर अल्लाह तआला अपनी रहमत से अता फ़रमा ही देते हैं। इसलिए मौलाना रूमी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

आब कम जो तिश्नगी आवर ब-दस्त
ता बजोशद आब अज़ बाला व पस्त

"पानी तलाश करने से ज़्यादा प्यास पैदा करो" दिल में हर वक़्त खटक और बेचैनी और बेताबी लगी हुई हो कि मुझे सही बात का इल्म हो जाए, और जब यह तलब पैदा हो जाती है तो अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से अता फ़रमा ही देते हैं। उनका तरीक़ा यह है कि किसी सच्चे तालिब को जिसके दिल में सच्ची तलब हो आज तक अल्लाह तआला ने रद्द नहीं फ़रमाया। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरबियत का यह अन्दाज़ था कि आप सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में पहले तलब पैदा फ़रमाते थे। इसलिए पहले आपने उनसे सवाल किया कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह तआला की रज़ामन्दी का और अज्र व सवाब का ऐसा दर्जा न बताऊं जो नमाज़ से भी अफ़ज़ल, रोज़ों से भी अफ़ज़ल और सदक़े से भी अफ़ज़ल हो? यह सवाल करके उनके अन्दर शौक़ और तलब पैदा

फ़रमा रहे हैं।

नमाज़ के ज़रिए अल्लाह की नज़्दीकी

सहाबा–ए–किराम ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! ज़रूर बताइए, इसलिए कि सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को तो हर वक़्त यह धुन लगी हुई होती थी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अल्लाह तआ़ला की नज़्दीकी अ़ता करने वाली है, और अल्लाह तआ़ला की रिज़ा अ़ता करने वाली है। और अब तक रोज़े की नमाज़ की और सदके की फ़ज़ीलत सुन चुके थे कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि नमाज़ दीन का सतून है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने इर्शाद फ़रमाया कि बन्दा नवाफ़िल के ज़रिए मेरा कुर्ब यानी निकटता हासिल करता रहता है, और जितने नवाफ़िल ज़्यादा पढ़ता है वह उतना ही मेरे क़रीब हो जाता है, यहां तक कि एक दर्जा ऐसा आ जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिस से वह देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिस से वह सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिस से वह पकड़ता है, गोया कि नवाफ़िल की कसरत के नतीजे में वह इन्सान अल्लाह तआ़ला के इतना क़रीब हो जाता है कि उस इन्सान का पूरा का पूरा वजूद अल्लाह तआ़ला की रिज़ा का प्रतीक बन जाता है। सहाबा–ए–किराम नमाज़ की यह फ़ज़ीलत सुन चुके थे, इसलिए उनके ज़ेहनों में यह था कि नमाज़ से ज़्यादा अफ़ज़ल क्या चीज़ होगी।

रोज़े की फ़ज़ीलत

रोज़े की यह फ़ज़ीलत भी सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम सुन चुके थे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि दूसरी इबादतों का अज्र तो मैंने मुक़र्रर कर दिया है कि फ़लां इबादत का सवाब दस गुना, फ़लां इबादत का सवाब सौ गुना और फ़लां इबादत का सवाब

सात सौ गुना, लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि:

"الصوم لی وأنا أجزی بہ" (نسائی شریف)

यह रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। यानी रोज़े का जो अज्र व सवाब मैं अता करने वाला हूं वह तुम्हारी गिनती में और तुम्हारे पैमानों में उस अज्र व सवाब का तसव्वुर आ ही नहीं सकता। यह रोज़ा चूंकि मेरे लिए है, इसलिए इसका अज्र व सवाब भी अपनी शान के मुताबिक़ दूंगा, अपनी बड़ाई के मुताबिक़ दूंगा। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रोज़े की यह फ़ज़ीलत सुन चुके थे। इसलिए उनके ज़ेहनों में यह था कि रोज़ा बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल इबादत है।

सदके की फ़ज़ीलत

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सदके की यह फ़ज़ीलत सुन चुके थे कि अल्लाह के रास्ते में सदका करने से सात सौ गुना अज्र व सवाब मिलना तो यकीनी है और यह सात सौ गुना सवाब भी हमारे हिसाब से नहीं बल्कि जन्नत के हिसाब से मिलना है। इसलिए सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम यह समझते थे कि सदका करना बहुत अफ़ज़ल इबादत है।

सब से अफ़ज़ल अमल झगड़े ख़त्म कराना

इसलिए हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया कि क्या मैं ऐसी चीज़ न बताऊं जो इस नमाज़ से भी अफ़ज़ल है, इस रोज़े से भी अफ़ज़ल है, इस सदका करने से भी अफ़ज़ल है जिनकी फ़ज़ीलतें तुमने सुन रखी हैं? चुनांचे यह सुनकर सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिल में शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! वह चीज़ ज़रूर बताएं ताकि हम वह चीज़ हासिल करें और उसके नतीजे में अल्लाह तआला हमें इन इबादतों से भी

ज़्यादा सवाब अता फ़रमा दें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह चीज़ है:

"اصلاح ذات البین"

यानी अगर दो मुसलमानों के दरमियान नाचाक़ी, इख़्तिलाफ़ और कटाव हो गया है, या दो मुसलमानों के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार नहीं है तो अब कोई ऐसा काम करो जिसके नतीजे में उनके दरमियान वह झगड़ा ख़त्म हो जाए और दोनों के दिल आपस में मिल जाएं और दोनों एक हो जाएं। तुम्हारा यह अमल नमाज़ से भी अफ़ज़ल है, रोज़े से भी अफ़ज़ल है, सदक़े से भी अफ़ज़ल है। नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह अन्दाज़े बयान था।

सुलह कराना नफ़िल नमाज़ रोज़े से अफ़ज़ल है

लेकिन एक बात याद रखें कि इस हदीस में नमाज़ रोज़े से नफ़्ली नमाज़ रोज़े मुराद हैं। मतलब यह है कि अगर एक तरफ़ तुम सारी रात नफ़्ली नमाज़ें पढ़ते रहे, सारा दिन नफ़्ली रोज़ा रखो और बहुत सा माल नफ़्ली सदक़ा करो, तो इनमें से हर काम बड़ी फ़ज़ीलत और सवाब का है, लेकिन दूसरी तरफ़ दो मुसलमान भाईयों के दरमियान झगड़ा है, और उस झगड़े की वजह से दोनों के दरमियान नाचाक़ी पैदा हो गई है, तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए अगर तुम थोड़ा सा वक़्त ख़र्च करोगे और उनके दिल और गले मिलवा दोगे और उनके दरमियान मुहब्बत पैदा करा दोगे तो उस सूरत में तुमने जो सारी रात नफ़िल नमाज़ें पढ़ी थीं, नफ़िल रोज़े रखे थे और सैंकड़ों रुपये नफ़िल सदक़े के तौर पर दिए थे, उन सब से ज़्यादा अज्र व सवाब तुम्हें इस अमल में हासिल हो जायेगा। आप अन्दाज़ा करें कि कितनी बड़ी बात हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमा दी।

आपस के झगड़े दीन को मूंडने वाले हैं

एक तरफ़ तो यह फ़रमा दिया कि मुसलमनों के दरमियान आपस में मुहब्बतें, भाई चारा और प्यार व मुहब्बत क़ायम करना तमाम नफ़्ली इबादतों से अफ़ज़ल है, और दूसरी तरफ़ अगला जुम्ला इसके बिल्कुल उलट इर्शाद फ़रमा दिया कि:

"وفساددات البين هي الحالقة"

यानी आपस के झगड़े, आपस की नफ़रतें और नाचाक़ियां ये मूंडने वाली चीज़ें हैं। एक दूसरी हदीस में इसकी तश्रीह करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं यह नहीं कहता कि आपस के ये झगड़े तुम्हारे बालों को मूंडने वाले हैं, बल्कि ये झगड़े तुम्हारे दीन को मूंडने वाले हैं। क्योंकि जब आपस में नफ़रतें होती हैं और झगड़े होते हैं तो उस झगड़े की वजह से इन्सान न जाने कितने बेशुमार गुनाहों के अन्दर मुब्तला हो जाता है, इन झगड़ों के नतीजे में एक दूसरे की ग़ीबत होती है, एक दूसरे पर बोहतान लगाया जाता है, एक दूसरे को तक्लीफ़ पहुंचाई जाती है, एक दूसरे पर तोहमतें लगाई जाती हैं। तो ये झगड़े बेशुमार गुनाहों का मजमूआ होता है।

झगड़ों की नहूसत

इन झगड़ों की नहूसत यह होती है कि इन्सान दीन से बेगाना हो जाता है और दीन का नूर जाता रहता है, और दिल में अंधेरा पैदा हो जाता है। इसी वजह से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जगह जगह यह ताकीद फ़रमाई कि आपस के झगड़ों से बचो।

मेल-मिलाप के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जमाअत छोड़ देना

देखिए! हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पूरी मुबारक ज़िन्दगी में मस्जिदे नबवी में इमामत के फ़राइज़ अन्जाम देते रहे।

ज़ाहिर है कि आपकी मौजूदगी में कौन नमाज़ पढ़ायेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा कौन नमाज़ बा जमाअत की पाबन्दी करेगा, लेकिन पूरी मुबारक ज़िन्दगी में सिर्फ़ एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ के वक़्त मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ नहीं ला सके, यहां तक कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। और नमाज़ के वक़्त हाज़िर न होने की वजह यह हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पता चला कि फ़लां क़बीले में मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान झगड़ा हो गया है, चुनांचे उनके झगड़े को ख़त्म कराने के लिए और उनके दरमियान सुलह कराने के लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस क़बीले में तशरीफ़ ले गए, उस सुलह और मेल–मिलाप कराने में देर लग गई, यहां तक कि नमाज़ का वक़्त आ गया। सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब देखा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मौजूद नहीं हैं, तो उस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमामत फ़रमाई और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाद में तशरीफ़ लाए।

पूरी मुबारक ज़िन्दगी में सिर्फ़ यह एक वाक़िआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सेहत की हालत में नमाज़ के वक़्त मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ न ला सके, इसकी वजह सिर्फ़ यह थी कि आप लोगों के दरमियान सुलह कराने और झगड़ा ख़त्म कराने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। इसलिए क़ुरआने व हदीस इन इर्शादात से भरे हुए हैं कि ख़ुदा के लिए मुसलमानों के दरमियान झगड़ों को किसी क़ीमत पर बर्दाश्त न करो। जहां कहीं झगड़े का कोई सबब पैदा हो, फ़ौरन उसको ख़त्म कराने की कोशिश करो, इसलिए कि ये झगड़े दीन को मूंड देने वाले हैं।

जन्नत के बीच में मकान दिलाने की ज़मानत

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

इर्शाद फ़रमायाः

"أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق"

मैं उस शख़्स के लिए जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने की ज़मानत लेता हूं जो शख़्स हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। यानी वह शख़्स हक़ पर था और हक़ पर होने की वजह से अगर वह चाहता तो अपने हक़ को वुसूल करने के लिए मुक़द्दमा दायर कर देता, या कोई और ऐसा तरीक़ा इख़्तियार कर लेता जिसके नतीजे में उसको उसका हक़ मिल जाता, लेकिन उसने यह सोच कर कि झगड़ा बढ़ेगा और झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा, इसलिए अपना हक़ ही छोड़ दिया। ऐसे शख़्स के लिए आपने फ़रमाया कि मैं उसको जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने का ज़िम्मेदार हूं। इतनी बड़ी बात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमा दी, यह कोई मामूली बात नहीं है।

यह ज़मानत दूसरे आमाल पर नहीं

यह ज़िम्मेदारी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी दूसरे अमल पर नहीं ली, लेकिन हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ने वाले के लिए यह ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। इसके ज़रिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह तालीम दे रहे हैं कि आपस के झगड़े ख़त्म कर दो, अल्लाह के बन्दे बन जाओ और आपस में भाई भाई बन जाओ। और झगड़े के जो जो असबाब हो सकते हैं उनको भी ख़त्म करो, इसलिए कि अल्लाह तआला ने इत्तिफ़ाक़ में, भाईचारे में और मुहब्बत में एक नूर रखा है, उस नूर के ज़रिए इन्सान की दुनिया भी रोशन होती है और आख़िरत भी रोशन होती है। और अगर आपस में झगड़े हों, फ़साद हों तो यह अंधेरा है, दुनिया में भी अंधेरा और आख़िरत में भी अंधेरा, जो इन्सान के दीन को मूंड कर रख देता है।

क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नम में

एक हदीस में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

ने इर्शाद फ़रमायाः

"إذا التقى المسلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول كلهما فى النار"

यानी अगर दो मुसलमान तलवार के ज़रिए एक दूसरे का मुक़ाबला करने खड़े हो जाएं और आपस में लड़ाई करना शुरू कर दें तो अगर उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर देगा तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नम में जायेंगे। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सवाल कियाः या रसूलल्लाह! क़ातिल तो जहन्नम में जायेगा क्योंकि उसने एक मुसलमान को नाहक़ क़त्ल किया, लेकिन मक़्तूल जहन्नम में क्यों जायेगा? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जवाब में फ़रमायाः

"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"

क्योंकि यह मक़्तूल (यानी क़त्ल होने वाल शख़्स) भी अपने सामने वाले को मारने के इरादे से चला था, इसी लिए तलवार उठाई थी कि अगर मेरा दाव चल गया तो मैं मार दूंगा, लेकिन इत्तिफ़ाक़ से दाव उसका नहीं चला बल्कि दूसरे का दाव चल गया, इसलिए यह मक़्तूल बन गया और वह क़ातिल बन गया, इस वजह से यह भी जहन्नम में वह भी जहन्नम भी। इसलिए फ़रमाया कि किसी मुसलमान के साथ लड़ाई का मामला हरगिज़ न करो।

हब्शी गुलाम हाकिम की इत्तिबा करो

एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई हब्शी गुलाम भी तुम पर हाकिम बनकर आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ भी तलवार मत उठाओ, जब तक वह खुलेआम कुफ़्र का इर्तिकाब न करे। क्योंकि अगर तुम उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाओगे तो कोई तुम्हारा साथ देगा और कोई दूसरे का साथ देगा, उसके नतीजे में मुसलमान दो गिरोहों में बंट जाएंगे और उनके दरमियान दुश्मनी व नफ़रत पैदा हो जाएगी और मुसलमानों के बीच फूट और बिखराव और ना इत्तिफ़ाक़ी को हुज़ूरे

अक्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने किसी क़ीमत पर भी बर्दाश्त नहीं फ़रमाया, आपने फ़रमा दिया कि:

"كونوا عباد الله اخوانًا"

ऐ अल्लाह के बन्दो! आपस में भाई भाई बन जाओ।

आज ज़िन्दगी जहन्नम बनी हुई है

जब हमारे ज़ेहनों में इबादत का ख़्याल आता है तो नमाज़ रोज़े का तो ख़्याल आता है, सदक़े का ख़्याल आता है, ज़िक्र और तस्बीह का ख़्याल आता है, कुरआने करीम के पढ़ने का ख़्याल आता है, और अल्हम्दु लिल्लाह ये सब भी ऊंचे दर्जे की इबादतें हैं, लेकिन सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे हैं कि इनसे भी ऊंचे दर्जे की चीज़ मुसलमानों के दरमियान आपस में सुलह कराना है। और आज हमारा समाज हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इस इर्शाद से इतना दूर चला गया है कि क़दम क़दम पर आपसी दुश्मनी है, झगड़े और लड़ाईयां हैं, ना इत्तिफ़ाक़ियां हैं, और इसकी वजह से ज़िन्दगी जहन्नम बनी हुई है। हालांकि आपने यह फ़रमा दिया कि यह चीज़ दीन को मूंडने वाली है, इसने आज हमारे दीन को मूंड डाला है, जिसकी वजह से इसकी बुराई और ख़राबी हमारे दिलों में बैठी हुई नहीं है।

लोगों के दरमियान इख़्तिलाफ़ डालने वाले काम करना

अगर हमारे समाज में कोई बेनमाज़ी है या कोई शराब पीता है या किसी और गुनाह में मुब्तला है, तो उसको तो हमारे समाज में अल्हम्दु लिल्लाह यह समझा जाता है कि यह शख़्स बुरा काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई शख़्स ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से लोगों के दरमियान लड़ाईयां हो रही हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान झगड़े हो रहे हैं, तो उसकी तरफ़ से किसी के दिल में यह ख़्याल नहीं आता कि यह इतना बड़ा मुजिरम है जितना सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको

मुजिरम क़रार दे रहे हैं। और इस बात की फ़िक्र भी किसी के दिल में नहीं है कि इन झगड़ों को कैसे ख़त्म किया जाए? इसलिए यह बहुत बड़ा बाब (अध्याय) है जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने खोला और आपस में सुलह कराने को नमाज़ रोज़े और सदके से भी अफ़ज़ल क़रार दिया।

ऐसा शख़्स झूठा नहीं

यहां तक कि एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह फ़रमा दिया कि:

"ليس الكذاب الذى ينمى خيرا"

यानी जो शख़्स एक मुसलमान भाई के दिल में दूसरे की मुहब्बत पैदा करने के लिए और नफ़रत दूर करने के लिए कोई ऐसी बात कह दे जो बज़ाहिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ हो, तो वह झूठ बोलने वालों में शुमार नहीं होगा। जैसे एक शख़्स को मालूम हुआ कि फ़लां दो मुसलमान भाईयों के दरमियान झगड़ा है और दोनों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। यह शख़्स चाहता है कि दोनों के दरमियान मुहब्बत हो जाए। अब अगर यह शख़्स जाकर उनमें से किसी से ऐसी बात कह दे जो बज़ाहिर हक़ीक़त के ख़िलाफ़ है, जैसे यह कह दे कि आप तो फ़लां से इतनी नफ़रत करते हैं लेकिन वह तो आप से बहुत मुहब्बत करता है। वह तो आपके हक़ में दुआ करता है, मैंने उसको आपके हक़ में दुआ करते देखा है।

अब अगरचे उसका नाम लेकर दुआ करते हुए नहीं देखा था, लेकिन दिल में यह नियत कर ली कि वह यह दुआ तो करता ही होगा कि:

"ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

जिसके मायने यह हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको दुनिया में भी अच्छाई अ़ता फ़रमा और आख़िरत में भी अच्छाई अ़ता फ़रमा। लफ़्ज़ "हम" में सारे मुसलमान दाख़िल हो गए।

यह हर मुसलमान के लिए दुआ है

इसी तरह कहने वाले ने यह नियत कर ली कि यह नमाज़ में "अत्तहिय्यात" तो पढ़ता है, और "अत्तहिय्यात" में ये अल्फ़ाज़ हैं:

"السلام علينا وعلىٰ عباد الله الصالحين"

इन अल्फ़ाज़ में वह तमाम मुसलमानों के लिए सलामती की दुआ करता है। इसी तरह नमाज़ के आख़िर में सलाम फेरते वक़्त कहता है:

"السلام عليكم ورحمة الله"

"अस्सलामु अलैकुम" के मायने यह हैं कि ऐ अल्लाह! उन पर सलामती नाज़िल फ़रमा। और फ़ुक़हा-ए-किराम ने फ़रमाया है कि जब आदमी नमाज़ के आख़िर में दाईं तरफ़ सलाम फेरे तो सलाम फेरते वक़्त यह नियत कर ले कि दाईं तरफ़ जितने फ़रिश्ते, जिन्नात और मुसलमान हैं उन सब के लिए सलामती की दुआ करता हूं। और जब बाईं तरफ़ सलाम फेरे तो यह नियत कर ले कि बाईं तरफ़ जितने फ़रिश्ते, जिन्नात और मुसलमान हैं, उन सब के लिए सलामती की दुआ करता हूं।

इसलिए इस नियत के साथ अगर दूसरे मुसलमान से यह कह दे कि फ़लां तो तुम्हारे हक़ में दुआ करता है, तो सामने वाले के दिल में उसकी क़द्र पैदा होगी कि मैं तो उसको बुरा समझता था लेकिन वह तो मेरे हक़ में दुआ करता है, इसलिए मुझे उस से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए।

बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने इस हदीस की शरह में फ़रमाया कि मुसलमानों के दरमियान सुलह कराने के लिए खुला झूठ भी बोलना पड़े तो खुला झूठ बोलना भी जायज़ है। अगर उसके नतीजे में दो दिल मिल रहे हों। बहर हाल! आपस के झगड़ों की ख़राबी इतनी ज़्यादा है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहां तक फ़रमा दिया कि ऐसे हालात में हक़ीक़त के ख़िलाफ़ बात कह

देना भी जायज़ है जिस से दूसरे के दिल में क़द्र व मुहब्बत और इज़्ज़त पैदा हो जाए। इसलिए जहां कहीं मौक़ा मिले तो आपस में सुलह कराने के अज़ीम दर्जे और बड़े सवाब को हासिल कर लो। कहां तुम सारी रात तहज्जुद पढ़ोगे, कहां तुम सारी उम्र रोज़े रखोगे, कहां तुम सारा माल सदक़ा करोगे, लेकिन अगर तुमने मुसलमानों के दरमियान इत्तिफ़ाक़ और एकता और मुहब्बत पैदा कराने की कोशिश कर ली तो अल्लाह तआला तुम्हें इस से भी आगे का दर्जा अता फ़रमा देंगे।

बाज़ लोग बिल्कुल इसके उलट होते हैं। उनको दो मिले हुए दिल कभी अच्छे नहीं लगते, जहां कहीं देखा कि फ़लां दो शख़्सों में मुहब्बत है तो वे उनके दरमियान ऐसा शोशा छोड़ देते हैं, जिस से दोनों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है। याद रखिए! इस से ज़्यादा बद-तरीन गुनाह कोई और नहीं है।

शैतान का सही उत्तराधिकारी कौन?

शैतान ने अपने छोटे शैतानों की एक फ़ौज बना रखी है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। और वह लोगों को सही रास्ते से बहकाने का काम करती है। हदीस शरीफ़ में आता है कि यह इब्लीस (शैतान) कभी कभी समुद्र पर अपना दरबार आयोजित करता है और उनसे रिपोर्ट तलब करता है और उसकी तमाम फ़ौज उसको अपनी अपनी कारगुज़ारी सुनाती है। चुनांचे एक शैतान आकर कहता है कि एक शख़्स नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मैंने उसके दिल में ऐसी बात डाली कि वह नमाज़ के लिए न जा सका और उसकी नमाज़ क़ज़ा हो गई। मैंने उसको नमाज़ से महरूम कर दिया। इब्लीस उसको शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा काम किया। दूसरा शैतान आता है और कहता है कि एक शख़्स रोज़ा रखने का इरादा कर रहा था, मैंने उसके दिल को ऐसा पलटा कि वह रोज़े से बाज़ आ गया। इब्लीस उसको शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद तीसरा शैतान आता है और

कहता है कि फलां शख़्स सदक़ा ख़ैरात करना चाहता था, मैंने उसके हालात ऐसे पैदा कर दिए कि वह सदक़ा करने से रुक गया। इब्लीस उसको भी शाबाशी देता है कि तुमने अच्छा काम किया। आख़िर में एक शैतान आकर कहता है कि दो मियां बीवी बड़ी मुहब्बत से ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, मैंने जाकर उनके दरमियान ऐसा मसला खड़ा कर दिया कि दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार न रहे, यहां तक कि दोनों के दरमियान जुदाई हो गई। इब्लीस यह सुनकर अपने तख़्त से खड़ा हो जाता है और उसको गले लगा लेता है और कहता है कि तू मेरा सही उत्तराधिकारी है, तूने सही काम किया और मेरे मतलब के मुताबिक़ काम किया।

नफ़रतें डालने वाला बड़ा मुज्रिम है

बहर हाल! शैतान का सब से बड़ा हर्बा और सब से कामयाब मन्सूबा यह होता है कि लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करे। इसलिए जिन लोगों की यह आदत होती है कि अच्छे ख़ासे रहते बसते लोगों के दरमियान और मुहब्बत करने वाले दोस्तों के दरमियान नफ़रत पैदा कर देते हैं, और इधर की बात उधर लगा देते हैं, लगाई बुझाई शुरू कर देते हैं। इस हदीस की रू से वे बहुत ख़तरनाक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, नमाज़ रोज़े से रोक देना भी शैतानी अमल है लेकिन यह ऐसा शैतानी अमल है कि शैतान इस से बहुत ख़ुश होता है। अल्लाह तआला हर मुसलमान को इस से महफ़ूज़ रखे, आमीन। इसलिए इस से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए।

झगड़ों से कैसे बचें?

अब सवाल यह है कि इन झगड़ों से कैसे बचें और आपस में मुहब्बतें कैसे पैदा हों। और ये आपस के इख़्तिलाफ़ात कैसे ख़त्म हों? इसके लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

उम्मत को बड़ी बारीक बीनी से हिदायतें अ़ता फ़रमाई हैं। उन हिदायतों में से एक एक हिदायत आपस में मुहब्बत को पैदा करने वाली है और आपस के झगड़ों को ख़त्म करने वाली है। लेकिन उन हिदायतों के बयान से पहले एक उसूली बात समझ लें।

झगड़े ख़त्म करने की एक शर्त

उसूली बात यह है कि आपस के झगड़े ख़त्म करने और आपस में मुहब्बत पैदा करने और आपस में इत्तिफ़ाक़ और एकता पैदा करने की एक ख़ास शर्त है। जब तक वह शर्त नहीं पाई जायेगी, उस वक़्त तक झगड़े दूर नहीं होंगे। आज हर तरफ़ से यह आवाज़ बुलन्द हो रही है कि मुसलमानों में इत्तिहाद और एकता होना चाहिए, झगड़े ख़त्म होने चाहिएं, और यहां तक कि जो लोग झगड़ों का बीज बोने वाले हैं वे भी इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद का नारा लगाते हैं। लेकिन फिर भी इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ क़ायम नहीं होता, क्योंकि इत्तिहाद क़ायम नहीं होता? इसके बारे में एक बुज़ुर्ग की बात सुन लीजिए, जिसने इस बीमारी की दहकती हुई रग पर हाथ रख कर इस बीमारी की तश्ख़ीस (यानी जांच) की है। और मर्ज़ की सही तश्ख़ीस हमेशा अल्लाह वाले ही करते हैं, क्योंकि हर बीमारी की सही तश्ख़ीस और उसका सही इलाज अल्लाह तआ़ला अपने नेक बन्दों के दिलों पर ही नाज़िल फ़रमाते हैं।

हाजी इमदादुल्लाह साहिब रह्मतुल्लाहि अ़लैहि

जमाअ़ते देवबन्द के सरदार और शैख़े वक़्त हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रह्मतुल्लाहि अ़लैहि जो हमारे शैख़ के शैख़ के शैख़ हैं। अगर उनके हालात पूछो तो वह किसी मदरसे के फ़ारिग़ भी नहीं, बाक़ायदा ज़ाबते में सनद याफ़्ता आ़लिम भी नहीं, सिर्फ़ काफ़िया और क़ुदूरी तक किताबें पढ़े हुए थे, लेकिन जब अल्लाह तआ़ला अपने किसी बन्दे पर मारिफ़त के दरवाज़े खोलते हैं तो हज़ार इल्म व तहक़ीक़ के माहिर उसके आगे क़ुरबान

हो जाते हैं। हज़रत मौलाना क़ासिम साहिब नानौतवी रह्मतुल्लाहि अलैहि जैसे इल्म के पहाड़ और हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहिब गंगोही रह्मतुल्लाहि अलैहि जैसे इल्म के पहाड़ भी अपनी तरबियत के लिए, अपने बातिन की सफ़ाई के लिए और अपने अख़्लाक़ को दुरुस्त करने के लिए उनके पास जाकर शागिर्दी इख़्तियार कर रहे हैं।

इत्तिहाद के लिए दो शर्तें, तवाज़ो और ईसार

उन्होंने यह गिरह खोली कि जब सब लोग इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद इत्तिहाद क्यों क़ायम नहीं हो रहा है? इसके जवाब में जो हकीमाना बात हज़रत हाजी साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि ने इर्शाद फ़रमाई है, मैं दावे से कहता हूं कि अगर उस बात को हम लोग पल्ले बांध लें तो हमारे समाज के सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, फ़रमाया कि:

इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ का बुनियादी रास्ता यह है कि अपने अन्दर दो चीज़ें पैदा करो, अगर ये दो चीज़ें पैदा हो गईं तो इत्तिहाद क़ायम हो जायेगा और अगर इनमें से एक चीज़ भी न पाई गई तो कभी इत्तिहाद क़ायम नहीं होगा। वे दो चीज़ें ये हैं: एक तवाज़ो, दूसरे ईसार।

"तवाज़ो" का मतलब यह है कि आदमी अपने आपको यों समझे कि मेरी कोई हक़ीक़त नहीं, मैं तो अल्लाह का बन्दा हूं और बन्दा होने की हैसियत से अल्लाह तआला के अहकाम का पाबन्द हूं। और अपनी ज़ात में मेरे अन्दर कोई फ़ज़ीलत नहीं, मेरा कोई हक़ नहीं, इसलिए अगर कोई शख़्स मेरी हक़ तल्फ़ी करता है तो वह कौन सा बुरा काम करता है। मैं तो हक़ तल्फ़ी का ही हक़दार हूं।

इत्तिहाद में रुकावट "तकब्बुर"

हज़रत हाजी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि

इत्तिहाद इसलिए क़ायम नहीं होता कि हर आदमी के दिल में तकब्बुर है। वह यह समझता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे फ़लां हुकूक़ हैं, फ़लां ने मेरी शान के ख़िलाफ़ बात की है, फ़लां ने मेरे दर्जे के ख़िलाफ़ काम किया है, मेरी हक़ तल्फ़ी की है। मेरा हक़ यह था कि वह मेरा सम्मान करता, लेकिन उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं उसके घर गया, उसने मेरी ख़ातिर तवाज़ो नहीं की, इस तकब्बुर का नतीजा यह हुआ कि झगड़ा खड़ा हो गया।

तकब्बुर की वजह से अपने आपको बड़ा समझा और बड़ा समझने के नतीजे में अपने लिए कुछ हुकूक़ घड़ लिए, और यह सोचा कि मेरे रुतबे का तक़ाज़ा तो यह था कि फ़लां शख़्स मेरे साथ ऐसा सुलूक करता, जब दूसरे ने ऐसा सुलूक नहीं किया तो अब दिल में शिकायत हो गई, और उसके नतीजे में गिरह बैठ गई और उसके बाद नफ़रत पैदा हो गई, और उसके बाद उसके साथ मामलात ख़राब करना शुरू कर दिए। इसलिए झगड़े की बुनियाद "तकब्बुर" यानी घमण्ड है।

राहत वाली ज़िन्दगी के लिए बेहतरीन नुस्ख़ा

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली साहिब थानवी रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें मज़ेदार और राहत वाली ज़िन्दगी का एक नुस्ख़ा बताता हूं। अगर तुम इस नुस्ख़े पर अमल कर लोगे तो फिर इन्शा अल्लाह किसी की तरफ़ से दिल में कोई शिकवा शिकायत और गिला पैदा नहीं होगा। वह यह कि दिल में यह सोच लो कि यह दुनिया ख़राब चीज़ है और इसकी असल बनावट ही तक्लीफ़ पहुंचाने के लिए है इसलिए अगर मुझे किसी इन्सान या जानवर से तक्लीफ़ पहुंचती है तो यह तक्लीफ़ पहुंचना दुनिया की फ़ितरत की पैदाइश के ऐन मुताबिक़ है, और अगर दुनिया में किसी की तरफ़ से तुम्हें अच्छाई पहुंचे तो उस पर तुम्हें ताज्जुब करना चाहिए और उस पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए।

अच्छी उम्मीदें न बांधो

इसलिए दुनिया में किसी भी अपने मिलने जुलने वाले से, चाहे वह दोस्त हो, या रिश्तेदार हो, या क़रीबी अज़ीज़ हो, किसी से अच्छाई की उम्मीद क़ायम न करो कि यह मुझे कुछ दे देगा, या यह मुझे कुछ नफ़ा पहुंचा देगा, या यह मेरी इज़्ज़त करेगा, या यह मेरी मदद करेगा। किसी भी मख़्लूक़ से किसी भी क़िस्म की उम्मीद क़ायम न करो, और जब किसी मख़्लूक़ से नफ़े की कोई उम्मीद नहीं होगी, फिर अगर किसी मख़्लूक़ ने कोई फ़ायदा पहुंचा दिया और तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक कर लिया तो उस से तुम्हें ख़ुशी होगी, उस पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह! आपने अपने फ़ज़्ल से उसके दिल में बात डाल दी जिसके नतीजे में उसने मेरे साथ अच्छा सुलूक किया।

दुश्मन से शिकायत नहीं होती

और अगर किसी मख़्लूक़ ने तुम्हारे साथ बद सुलूकी की, तो उस से तक्लीफ़ नहीं होगी, क्योंकि पहले ही से उस से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। देखिए! अगर कोई दुश्मन तुम्हें कोई तक्लीफ़ पहुंचाए तो उस से तुम्हें कोई शिकायत होती है? नहीं होती, क्योंकि वह तो दुश्मन ही है, उसका काम ही तक्लीफ़ पहुंचाना है। इसलिए उसके तक्लीफ़ पहुंचाने से ज़्यादा सदमा और रन्जिश नहीं होती, शिकवा और गिला नहीं होता। शिकवा उस वक़्त होता है कि जब किसी से अच्छाई की उम्मीद थी, लेकिन उसने बुराई कर ली। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि सारी मख़्लूक़ से उम्मीद मिटा दो।

सिर्फ़ एक ज़ात से उम्मीद रखो

उम्मीद तो सिर्फ़ एक ज़ात से क़ायम करनी चाहिए, उसी से मांगो, उसी से अपेक्षा रखो, उसी से उम्मीद रखो, बाक़ी सारी दुनिया से उम्मीदें छोड़ दो। सिर्फ़ अल्लाह तआला से उम्मीदें बांधो।

चुनांचे हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ मांगा करते थे:

"اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِیْ قَلْبِیْ رَجَاءَكَ، وَاقْطَعْ رَجَائِیْ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ"

ऐ अल्लाह! मेरे दिल में अपनी उम्मीद डाल दीजिए और मेरी उम्मीदें अपने सिवा हर एक मख़्लूक़ से ख़त्म कर दीजिए।

यह दुआ मांगा करो।

इत्तिहाद की पहली बुनियाद "तवाज़ो"

और जब इन्सान के अन्दर तवाज़ो (आजज़ी और इन्किसारी) होगी तो वह अपना हक़ दूसरों पर नहीं समझेगा कि मेरा कोई हक़ दूसरे के ज़िम्मे है, बल्कि वह तो यह समझेगा कि मैं तो अल्लाह का बन्दा हूं, मेरा कोई मक़ाम और कोई दर्जा नहीं, अल्लाह तआला जो मामला मेरे साथ फ़रमायेंगे मैं उस पर राज़ी हूं। जब दिल में यह तवाज़ो पैदा हो गई तो दूसरे से उम्मीद भी क़ायम नहीं होगी। जब उम्मीद नहीं होगी तो फिर दूसरे से शिकवा शिकायत भी नहीं होगी। और जब शिकवा नहीं होगा तो झगड़ा भी पैदा नहीं होगा। इसलिए इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की पहली बुनियाद "तवाज़ो" है।

इत्तिहाद की दूसरी बुनियाद "ईसार"

इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की दूसरी बुनियाद "ईसार" है। यानी खुदा की मख़्लूक़ के साथ ईसार का रवैया इख़्तियार करो। ईसार के मायने यह हैं कि दिल में यह जज़्बा हो कि मैं अपनी राहत की क़ुरबानी दे दूं और अपने मुसलमान भाई को राहत पहुंचा दूं। मैं ख़ुद तक्लीफ़ उठा लूं लेकिन अपने मुसलमान भाई को तक्लीफ़ से बचा लूं। ख़ुद नुक़सान उठा लूं लेकिन अपने मुसलमान भाई को नफ़ा पहुंचा दूं। यह ईसार का जज़्बा अपने अन्दर पैदा कर लो।

इस नफ़े व ज़रर की दुनिया में
यह हमने लिया है दर्से जुनूं
अपना तो ज़ियां तस्लीम मगर
औरों का ज़ियां मन्ज़ूर नहीं

अपना नुक़सान कर लेना मन्ज़ूर है, लेकिन औरों का नुक़सान मन्ज़ूर नहीं। यही वह सबक़ है जो नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अता फ़रमाया।

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और ईसार

और क़ुरआने करीम ने अन्सारी सहाबा–ए–किराम के ईसार को बयान करते हुए फ़रमायाः

"يُؤْثِرُونَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"

यानी ये अन्सारी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे हैं कि चाहे सख़्त तंगदस्ती और नादारी की हालत हो, लेकिन उस हालत में भी अपने ऊपर दूसरों का ईसार करते हैं। कैसे करते हैं? एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में कुछ मुसाफ़िर आ गए जो तंगदस्त थे। ऐसे मौक़े पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाते कि कुछ मेहमान बाहर से आ गए हैं जो तंगदस्त हैं, इसलिए जिनको गुन्जाइश हो वे अपने साथ मेहमान को ले जाएं, और उनके खाने का बन्दो बस्त कर दें।

एक सहाबी का ईसार

चुनांचे उस मौक़े पर यह इर्शाद सुनकर एक अन्सारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मेहमान को अपने घर ले गए। घर जाकर बीवी से पूछा कि खाना है? मेहमान आए हैं। बीवी ने जवाब दिया कि इतना खाना नहीं है कि मेहमान को भी खिला सकें, या तो मेहमान खायेंगे या हम खायेंगे। सब नहीं खा सकते। उन सहाबी ने फ़रमाया कि खाना मेहमान के सामने रख दो और चिराग़ बुझा दो। चुनांचे बीवी ने खाना मेहमान के सामने रख दिया और चिराग़ बुझा दिया। उन सहाबी ने मेहमान से कहा कि खाना खाइए, मेहमान ने खाना शुरू किया और यह सहाबी उनके साथ बैठ गए, लेकिन खाना नहीं खाया बल्कि अपना खाली हाथ खाने तक ले जाते और

अपना नुक़सान कर लेना मन्ज़ूर है, लेकिन औरों का नुक़सान मन्ज़ूर नहीं। यही वह सबक़ है जो नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़ता फ़रमाया।

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और ईसार

और क़ुरआने करीम ने अन्सारी सहाबा–ए–किराम के ईसार को बयान करते हुए फ़रमायाः

"يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"

यानी ये अन्सारी सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ऐसे हैं कि चाहे सख़्त तंगदस्ती और नादारी की हालत हो, लेकिन उस हालत में भी अपने ऊपर दूसरों का ईसार करते हैं। कैसे करते हैं? एक बार हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में कुछ मुसाफ़िर आ गए जो तंगदस्त थे। ऐसे मौक़े पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से फ़रमाते कि कुछ मेहमान बाहर से आ गए हैं जो तंगदस्त हैं, इसलिए जिनको गुन्जाइश हो वे अपने साथ मेहमान को ले जाएं, और उनके खाने का बन्दो बस्त कर दें।

एक सहाबी का ईसार

चुनांचे उस मौक़े पर यह इर्शाद सुनकर एक अन्सारी सहाबी रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक मेहमान को अपने घर ले गए। घर जाकर बीवी से पूछा कि खाना है? मेहमान आए हैं। बीवी ने जवाब दिया कि इतना खाना नहीं है कि मेहमान को भी खिला सकें, या तो मेहमान खायेंगे या हम खायेंगे। सब नहीं खा सकते। उन सहाबी ने फ़रमाया कि खाना मेहमान के सामने रख दो और चिराग़ बुझा दो। चुनांचे बीवी ने खाना मेहमान के सामने रख दिया और चिराग़ बुझा दिया। उन सहाबी ने मेहमान से कहा कि खाना खाइए, मेहमान ने खाना शुरू किया और यह सहाबी उनके साथ बैठ गए, लेकिन खाना नहीं खाया बल्कि अपना खाली हाथ खाने तक ले जाते और

मुंह तक लाते, ताकि मेहमान यह समझे कि खाना खा रहे हैं, हक़ीक़त में वह ख़ाली हाथ चला रहे थे। चुनांचे मियां बीवी और बच्चों ने रात भूख में गुज़ारी और मेहमान को खाना खिला दिया। अल्लाह तआला को उनका यह अन्दाज़ इतना पसन्द आया कि कुरआने करीम में उसका बयान फ़रमा दिया कि:

"يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"

ये वे लोग हैं जो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे ख़ुद उन पर तंगदस्ती की हालत हो। ख़ुद भूखा रहना गवारा कर लिया, लेकिन दूसरे को राहत पहुंचा दी और उसको खाना खिला दिया। यह है ईसार।

ईसार का मतलब

इसलिए ईसार यह है कि अपने ऊपर थोड़ी सी तक्लीफ़ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने मुसलमान भाई का दिल ख़ुश कर दे। याद रखिए। जिसको अल्लाह तआला यह सिफ़त अता फ़रमाते हैं, उसको ईमान की ऐसी मिठास अता फ़रमाते हैं कि दुनिया की सारी हलावतें और मिठास उसके सामने कुछ नहीं। जब इन्सान अपनी ज़ात पर तंगी बर्दाश्त करके दूसरे मुसलमान भाई को ख़ुश करता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है तो उसकी जो लज़्ज़त है उसके आगे दुनिया की सारी लज़्ज़तें कुछ नहीं हैं। यह दुनिया मालूम नहीं कितने दिन की है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, बैठे बैठे आदमी रुख़्सत हो जाता है, इसलिए ईसार पैदा करो, जब ईसार पैदा हो जाता है तो अल्लाह तआला उसकी बर्कत से दिलों में मुहब्बतें पैदा फ़रमा देते हैं, और ईसार करने वाले को अपनी नेमतों से नवाज़ते हैं।

एक शख़्स की मग़फ़िरत का वाक़िआ

हदीस शरीफ़ में आता है कि पिछली उम्मतों में एक शख़्स था, जब उसका इन्तिक़ाल हो गया और अल्लाह तआला के दरबार में

पेश हुआ तो उसके आमाल नामे में कोई बड़ी इबादत नहीं थी, अल्लाह तआला ने आमाल नामा लिखने वाले फ़रिश्तों से पूछा कि इसके आमाल नामे में कोई नेकी है या नहीं? फ़रिश्तों ने जवाब दिया कि इसके आमाल नामे में कोई बड़ी नेकी तो नहीं है, लेकिन एक नेकी इसकी यह है कि जब किसी से कोई माल ख़रीदता तो माल बेचने वाले से झगड़ता नहीं था, बस जो पैसे उसने बता दिए, उस से थोड़ा कम कराया और माल ख़रीद लिया।

"سهلا اذا باع، سهلا اذا اشترى"

और जब माल बेचने जाता तो उसमें भी नरमी करता उस पर ज़िद नहीं करता था कि बस मैं इतने पैसे लूंगा, बल्कि जब यह देखा कि ख़रीदने वाला ग़रीब है तो पैसे कम कर दिए। इसी तरह अगर इसका क़र्ज़ा दूसरे पर होता और यह देखता कि यह अपना क़र्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा है तो उसको माफ़ कर देता था।

बस इसकी सिर्फ़ यह नेकी आमाल नामे में है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि जब यह मेरे बन्दों को क़र्ज़ से माफ़ कर देता था तो मैं इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ हूं कि इसको माफ़ कर दूं, इसलिए मैंने इसको माफ़ कर दिया। इस बुनियाद पर अल्लाह तआला ने उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दी। यह क्या चीज़ थी? यह "ईसार" था।

खुद ग़र्ज़ी ख़त्म कर दो

बहर हाल! हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि अपने अन्दर से तकब्बुर को निकालो और ईसार पैदा कर लो, तमाम झगड़े ख़त्म हो जायेंगे। और "खुद ग़र्ज़ी" यह ईसार की ज़िद है, खुद ग़र्ज़ी का मतलब यह है कि इन्सान हर वक़्त अपनी कायनात में उलझा हुआ है कि किस तरह मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएं, किस तरह मुझे इज़्ज़त ज़्यादा मिल जाए, किस तरह मुझे शोहरत मिल जाए, किस तरह लोगों की

निगाह में मेरा रुतबा बुलन्द हो जाए। दिन रात इसी फ़िक्र में पड़ा हुआ है। यह है "खुद ग़र्ज़ी" ईसार इसकी ज़िद है।

"तवाज़ो" की ज़िद है "तकब्बुर" इसलिए अगर इन्सान तकब्बुर और खुद ग़र्ज़ी छोड़ दे और तवाज़ो और ईसार इख़्तियार कर ले तो फिर इत्तिहाद और मुहब्बत क़ायम हो जायेगी, इन्शा अल्लाह। इसलिए हर मुसलमान इसको पल्ले बांध ले। बहर हाल! एक अमल तो यह हो गया जो हज़रत हाजी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान फ़रमाया।

पसन्दीदगी का मेयार एक हो

दूसरी बात जो हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान फ़रमाई जो हक़ीक़त में तमाम उम्दा और ऊंचे अख़्लाक़ की बुनियाद है, अगर यह चीज़ हमारे अन्दर पैदा हो जाए तो सारे झगड़े हमारे अन्दर से ख़त्म हो जाएं, वह बात यह इर्शाद फ़रमाई:

أحب لاخيك ماتحب لنفسك   واكره لأخيك ماتكره لنفسك

यानी अपने भाई के लिए वही बात पसन्द करो जो अपने लिए पसन्द करते हो। और अपने भाई के लिए वही बात ना पसन्द करो जो अपने लिए ना पसन्द करते हो। इसलिए जब भी किसी के साथ कोई मामला पेश आए तो खुद को उसकी जगह पर रख कर सोच लो कि अगर मैं उसकी जगह पर होता और यह मेरी जगह पर होता और मेरे साथ यह मामला करता तो मैं किस बात को पसन्द करता और किस बात को ना पसन्द करता। इसलिए जिस बात को मैं पसन्द करता मुझे उसके साथ भी वही मामला करना चाहिए। और जो चीज़ मैं ना पसन्द करता मुझे भी उसके साथ वह चीज़ नहीं करनी चाहिए। यह बेहतरीन पैमाना है कि इसके ज़रिए आप दूसरों के साथ किए गए हर मामले को जांच सकते हैं।

दोहरे पैमाने ख़त्म कर दो

हमारे समाज की बहुत बड़ी बीमारी यह है कि हमने दोहरे पैमाने बना रखे हैं। अपने लिए मेयार कुछ और है और दूसरे के लिए मेयार कुछ और है। अपने लिए जो बात पसन्द करते हैं वह दूसरों के लिए पसन्द नहीं करते। आप ज़रा ग़ौर करके देखें कि अगर हर शख़्स हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इस नसीहत पर अमल करना शुरू कर दे कि अपने भाई के लिए भी वही पसन्द करे जो अपने लिए पसन्द करता है तो फिर कोई झगड़ा बाक़ी नहीं रहेगा। इसलिए कि उस सूरत में हर शख़्स ऐसे अमल से परहेज़ करेगा जो दूसरों को तक्लीफ़ देने वाला होगा।

बहर हाल! अपने दरमियान इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद यानी एकता पैदा करने की ये चन्द उसूली बातें हैं, अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से इनकी समझ भी अता फ़रमाए और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(दूसरा हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

पिछले इतवार को ख़ानदानी झगड़े और उनको ख़त्म करने के बारे में कुछ अर्ज़ किया था। एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन इख़्तिलाफ़ों और झगड़ों को ख़त्म करने का एक और तरीक़ा बयान फ़रमाया है। वह हदीस यह है कि:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اذا كان يخالط الناس ويصبر على أذا هم خير من المسلم الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذا هم. (ترمذی شریف)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया: एक मुसलमान वह है जो लोगों से अलग थलग होकर बैठ गया, लोगों से किनारा इख़्तियार कर लिया। जैसे वह किसी मस्जिद में या मदरसे में या इबादत गाह में बैठ गया ताकि लोगों से साबक़ा पेश न आए, और यह सोचा कि मैं तन्हाई में इबादत करता रहूंगा।

दूसरा मुसलमान वह है जिसने तन्हाई इख़्तियार नहीं की, बल्कि लोगों से मिला जुला रहा, लोगों से ताल्लुक़ात भी हैं, रिश्तेदारियां और दोस्तियां भी हैं, और उनके साथ उठता बैठता भी है, और फिर साथ रहने और उनके साथ मामलात करने के नतीजे में लोगों से तक्लीफ़ें भी पहुंचती हैं, और वह उन तक्लीफ़ों पर सब्र करता है। फ़रमाया कि यह दूसरा मुसलमान जो लोगों के साथ मिलकर रहता है और उनकी तक्लीफ़ों पर सब्र करता है, यह मुसलमान उस मुसलमान से जो लोगों से अलग थलग रहता है और उसके नतीजे में उसको तक्लीफ़ों पर सब्र करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती, कहीं ज़्यादा बेहतर है।

इस्लाम में रहबानियत नहीं

यह आप हज़रात को मालूम ही है कि हमारे दीन ने ईसाई मज़हब की तरह रहबानियत (यानी दुनियावी मामलात से बिल्कुल बे ताल्लुक़ हो जाने) की तालीम नहीं दी, ईसाइयों के यहां अल्लाह तआला की नज़्दीकी हासिल करना उस वक़्त तक मुम्किन नहीं है जब तक इन्सान अपने सारे दुनियावी कारोबार को न छोड़े और अपने तमाम ताल्लुक़ात को न छोड़ दे, और रहबानियत की ज़िन्दगी न गुज़ारे। लेकिन हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें यह तालीम दी कि लोगों के साथ मिले जुले रहो और फिर लोगों से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र करो।

साथ रहने से तक्लीफ़ पहुंचेगी

अगर आप ग़ौर करें तो यह अजीब व ग़रीब तालीम है, क्योंकि इस हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों के साथ मिले जुले रहने को और उनसे पहुंचने वाली तक्लीफ़ को एक साथ ज़िक्र फ़रमाया है। जिस से यह मालूम हो रहा है कि ये दोनों काम एक दूसरे के लिए लाज़िम और मलज़ूम हैं। यानी जब तुम लोगों के साथ मिलो जुलोगे और उनके साथ रहोगे तो उनसे

तुम्हें ज़रूर तक्लीफ़ पहुंचेगी। और जब तुम्हारा किसी भी दूसरे इन्सान से वास्ता पेश आयेगा तो यह मुम्किन नहीं कि उस से तुम्हें कभी भी कोई तक्लीफ़ न पहुंचे, लाज़मी बात है कि तक्लीफ़ पहुंचेगी, चाहे वह तुम्हारा कितना ही क़रीबी अज़ीज़ हो, और चाहे वह कितना ही क़रीबी दोस्त हो। अब सवाल यह है कि यह तक्लीफ़ क्यों पहुंचेगी? इसको भी समझ लेना चाहिए।

अल्लाह तआ़ला की कामिल कुदरत इन्सान के चेहरे में

इसका जवाब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने जब से हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया, उस वक़्त से लेकर आज तक अरबों खरबों इन्सानों को पैदा फ़रमाया, आगे क़ियामत तक पैदा होते रहेंगे, और हर इन्सान को अल्लाह तआ़ला ने एक चेहरा अ़ता फ़रमाया है जो बालिश्त भर का है, उसमें आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, दांत भी हैं, और कान भी हैं, रुख़्सार भी हैं, और ठोड़ी भी है, हर इन्सान के चेहरे में ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन इतने अरबों, खरबों, पदमों इन्सानों में किसी दो इन्सानों का चेहरा सौ फ़ीसद एक जैसा नहीं होता। अल्लाह तआ़ला की कामिल कुदरत देखिए कि हर इन्सान के चेहरे की लम्बाई एक बालिश्त है, और यह भी नहीं कि किसी इन्सान की नाक हो किसी की नाक न हो, किसी के कान हों किसी के कान न हों, किसी की आंखें हों किसी की न हों, बल्कि तमाम इन्सानों के चेहरे में ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन किसी दो इन्सानों का चेहरा एक जैसा नहीं मिलेगा, बल्कि हर इन्सान का चेहरा दूसरे से अलग होगा। और यह अलग होना और इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ उन इन्सानों के चेहरों में नहीं जो अब तक पैदा हो चुके हैं, बल्कि जो नये इन्सान पैदा हो रहे हैं, उनके अन्दर भी यह इख़्तिलाफ़ मौजूद है। ऐसा नहीं है कि अब जो नया इन्सान पैदा होगा वह किसी पहले इन्सान की कॉपी और नक़ल होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि नया पैदा होने वाला इन्सान अपना चेहरा खुद लेकर आयेगा। इस तरह अल्लाह तआ़ला ने एक इन्सान को

दूसरे इन्सान से ऐसा मुम्ताज़ और अलग कर दिया कि चेहरे के नुकूश देख कर पता चल जाता है कि यह फ़लां इन्सान है और यह फ़लां इन्सान है।

रंगों की विभिन्नता में कुदरत का नज़ारा

और यह भी अल्लाह तआला की कुदरत का करिश्मा है कि मुख़्तलिफ़ नस्लों के इन्सानों के नुकूश में एक चीज़ ऐसी है जो सब में मुश्तरक है, और एक चीज़ ऐसी है जिस से उसकी पहचान और फ़र्क होती है। जैसे अफ़रीकी नस्ल के जो इन्सान होंगे वे दूर से देख कर पहचान लिए जायेंगे कि यह अफ़रीकी नस्ल का है। "योरप" वाला अलग पहचान लिया जायेगा कि यह योरप का है, इसके बावजूद उनके दरमियान भी आपस में फ़र्क है, कोई दो फ़र्द एक जैसे नहीं हैं। इसलिए मुश्तरक होने के बावजूद फ़र्क और इम्तियाज़ भी मौजूद है। ये सब अल्लाह तआला की कुदरत का नज़ारा है, इन्सान कहां इस कुदरत का इहाता कर सकता है।

उंगलियों के पोरों में अल्लाह की कुदरत

और चीज़ों को छोड़िए! उंगलियों के पोरों को ले लें, हर इन्सान के हाथ की उंगलियों के पोरे दूसरे इन्सान के पोरे से मुख़्तलिफ़ और अलग हैं। चुनांचे काग़ज़ों पर बेशुमार ज़रूरतों के लिए दस्तख़त (हस्ताक्षर) लेने के साथ साथ अंगूठा भी लगवाया जाता है, इसलिए कि उंगूठे के पोरे में जो छोटी छोटी लकीरें हैं, वे किसी एक इन्सान की लकीरें दूसरे इन्सान की लकीरों से नहीं मिलतीं। हर एक की लकीरें अलग हैं। अगर वैसे दो इन्सानों के अंगूठे मिलाकर देखें तो यह नज़र आयेगा कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यह बात पूरी दुनिया में मुसल्लम और तयशुदा है कि दो इन्सानों के अंगूठों की लकीरें एक जैसी नहीं हैं। इसलिए जब किसी इन्सान ने किसी काग़ज़ पर अंगूठा लगा दिया तो यह मुताय्यन हो गया कि यह फ़लां इन्सान के अंगूठे के निशान हैं,

क्योंकि दूसरे इन्सान के अंगूठे के निशान उस से अलग होंगे।

अंगूठे की लकीरों के माहिरीन का दावा

अब तो ऐसे माहिरीन भी पैदा हो गए हैं कि जिनका यह दावा है कि हमारे सामने किसी इन्सान के अंगूठे के निशान रख दिए जाएं, हम उसके निशानों को बड़ा करके देखेंगे, और उसके ज़रिए हम उस इन्सान के सर से लेकर पांव तक सारी शक्ल व सूरत और जिस्मानी बनावट का नक़शा खींच सकते हैं। इसलिए कि वे लकीरें यह बता देती हैं कि उस इन्सान की आंखें कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी, उसके दांत कैसे होंगे और हाथ कैसे होंगे?

हम अंगूठे के पोरे को दोबारा बनाने पर क़ादिर हैं

मैंने अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अ़लैहि से सुना कि कुरआने करीम की सूरः "क़ियामत" में एक आयत है, जिसमें अल्लाह तआ़ला ने काफ़िरों का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि:

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ.

(سورة القيامة: آيت ٣،٤)

क्या यह (काफ़िर) इन्सान यह समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा नहीं कर सकेंगे। ये काफ़िर जो आख़िरत के इन्कारी हैं, वे यह कहा करते थे कि जब हम मर जायेंगे और मिट्टी हो जायेंगे और हमारी हड्डियां तक गल जायेंगी, फिर किस तरह से हमें दोबारा ज़िन्दा किया जा सकेगा? और कौन ज़िन्दा करेगा?

इसके जवाब में अल्लाह तआ़ला फ़रमा रहे हैं कि क्या इन्सान यह गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां दोबारा जमा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं! हम तो इस पर भी क़ादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरों को भी वैसा ही दोबारा बना दें। इस कायनात का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं कर सकता कि वैसा ही अंगूठा बना दे, लेकिन हम इस पर क़ादिर हैं।

आयत सुनकर मुसलमान होना

अल्लाह तआला यह भी कह सकते थे कि हम इस पर क़ादिर हैं कि उसका चेहरा दोबारा बना दें, उसके हाथ दोबारा बना दें, उसके पांव दोबारा बना दें, लेकिन अल्लाह तआला ने ख़ास तौर पर पोरों का ज़िक्र फ़रमाया कि पोरे को दोबारा बनाने पर क़ादिर हैं। मेरे वालिद माजिद रह्मतुल्लाहि अलैहि फ़रमाया करते थे कि एक नौ मुस्लिम वैज्ञानिक इस आयत को पढ़कर मुसलमान हो गया, और उसने यह कहा कि यह बात सिवाए कायनात के पैदा करने वाले के कोई दूसरा नहीं कह सकता कि हम इस पोरे को दोबारा बना सकते हैं, यह बात सिर्फ़ वही कह सकता है जिसने इस कायनात को बनाया हो। जिसने इन्सान को पैदा किया हो, जिसने इन्सान के एक एक अंग को बनाया हो।

अल्लाह तआला की कामिल कुदरत

बहर हाल! कोई इन्सान अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में दूसरे इन्सान जैसा नहीं है, बल्कि अगर दो इन्सान एक जैसे हो जाएं तो इस पर ताज्जुब होता है कि देखो ये दो इन्सान हम–शक्ल हैं। अलग अलग होने पर कोई ताज्जुब नहीं होता, इसलिए कि हर इन्सान दूसरे से अलग है। हालांकि ताज्जुब की बात तो यह है कि अलग अलग कैसे हैं, अगर सारे इन्सान एक दूसरे के हम–शक्ल होते तो ताज्जुब की बात न होती, लेकिन अल्लाह तआला की कुदरते कामिला को देखिए कि उसने अरबों खरबों इन्सान पैदा फ़रमा दिए, मगर हर एक की सूरत दूसरे से अलग है। मर्द की सूरत अलग है, औरत की सूरत अलग है, हर एक सिन्फ़ में एक दूसरे से इम्तियाज़ और फ़र्क भी मौजूद है, एक दूसरे से इश्तिराक (यानी एक जैसा होना) भी मौजूद है।

दो इन्सान के मिज़ाजों में इख़्तिलाफ़

इसलिए जब दो इन्सानों के चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते, तो

फिर दो इन्सानों की तबीयतें कैसे एक जैसी हो सकती हैं। जब ज़ाहिर एक जैसा नहीं तो फिर उनकी तबीयतों में भी फ़र्क़ होगा। किसी की तबीयत कैसी है, किसी की कैसी है। किसी का मिज़ाज कैसा है, किसी का मिज़ाज कैसा है। किसी की पसन्द कुछ है किसी की कुछ है। हर इन्सान की पसन्द अलग, हर इन्सान का मिज़ाज अलग, हर इन्सान की तबीयत अलग। इसलिए तबीयतों के मुख़्तलिफ़ और अलग होने की वजह से कभी यह नहीं हो सकता कि दो आदमी एक साथ ज़िन्दगी गुज़ार रहे हों और एक साथ रहते हों, और कभी भी उनमें से एक को दूसरे से तक्लीफ़ न पहुंचे, ऐसा होना मुम्किन ही नहीं। तबीयत मुख़्तलिफ़ और अलग होने की वजह से एक को दूसरे से ज़रूर तक्लीफ़ पहुंचेगी, कभी जिस्मानी तक्लीफ़ पहुंचेगी, कभी रूहानी तक्लीफ़ पहुंचेगी, कभी नफ़्सियाती तक्लीफ़ पहुंचेगी, कभी दूसरे की तरफ़ से तबीयत के ख़िलाफ़ बात होगी जो दूसरे को बुरी लगेगी।

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मिज़ाज अलग अलग थे

देखिए! इस कायनात में अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज़्यादा अफ़ज़ल मख़्लूक़ इस ज़मीन व आसमान की निगाहों ने नहीं देखी। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से ज़्यादा अफ़ज़ल, उनसे ज़्यादा मुत्तक़ी, उनसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले, उनसे ज़्यादा ईसार करने वाले, उनसे ज़्यादा एक दूसरे पर जान निसार करने वाली कोई मख़्लूक़ पैदा नहीं हुई और न आईन्दा पैदा होगी। लेकिन सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तबीयतें भी मुख़्तलिफ़ और अलग थीं, उनके आपस के मिज़ाज में भी फ़र्क़ था।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी पाक बीवियों के दरमियान ना इत्तिफ़ाक़ी

रूए ज़मीन पर कोई बीवी अपने शौहर के लिए इतनी वफ़ादार और इतना ख़्याल रखने वाली नहीं हो सकती जितनी कि उम्महातुल मोमिनीन (यानी नबी करीम की पाक बीवियां जो तमाम मुसलमानों की मां होने का रुतबा रखती हैं) नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़्याल रखने वाली थीं, लेकिन उनको भी तबीयत के ख़िलाफ़ बातें पेश आ जाती थीं, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहिं व सल्लम को भी कभी कभी तबीयत के ख़िलाफ़ होने की वजह से उनसे कुछ गिरानी और नाराज़गी हो जाती थी। चुनांचे एक बार इस नागवारी की वजह से एक महीना ऐसा गुज़रा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसमें क़सम खा ली थी कि मैं एक महीने तक अपनी पाक बीवियों के पास नहीं जाऊंगा।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नाराज़गी

और फिर यह नहीं कि पाक बीवियों की तरफ़ से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को गिरानी होती थी बल्कि कभी कभी पाक बीवियों रज़ियल्लाहु अ़न्हुन्-न को भी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से गिरानी हो जाती थी। चुनांचे एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से फ़रमाया कि ऐ आयशा! मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझ से राज़ी होती हो और जब तुम मुझ से नाराज़ होती हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने पूछा कि कैसे? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम मुझ से ख़ुश होती हो तो क़सम खाते वक़्त यह कहती हो "व रब्बि मुहम्मद यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के

परवर्दिगार की कसम" और जब मुझ से नाराज़ होती हो तो कसम खाते वक्त यह कहती हो "व रब्बि इब्राहीम यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम" हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया: "ला अहजुरु इल्ला इस्म–क" या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! ऐसे मौके पर मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत दिल से जुदा नहीं होती। अब देखिए! सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा शफीक व मेहरबान कोई और हो सकता है? ख़ास तौर पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत का जो आलम था वह कोई छुपी चीज़ नहीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुछ गिरानी पैदा हो जाती थी, और उस गिरानी और नाराज़गी का एहसास नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भी हो जाता था।

मियां बीवी के ताल्लुक की हैसियत से नाराज़गी

लेकिन कोई यह न समझे कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तो तक्लीफ़ पहुंचाना मआज़ल्लाह कुफ्र है। तो अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तक्लीफ पहुंची तो यह कितनी बुरी बात हुई। बात असल में यह है कि अल्लाह तआला ने हैसियतें अलग अलग रखी हैं। इसलिए हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जो गिरानी होती थी वह एक शौहर होने की हैसियत से होती थी, जिस तरह बीवी को शौहर पर नाज़ होता है, ऐसे ही शौहर को भी बीवी पर नाज़ होता है, उस नाज़ के आलम में इस किस्म की नाराज़गी भी हो जाया करती थी। इसका रिसालत के मन्सब (ओहदे) से कोई ताल्लुक नहीं था।

हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मिज़ाजों में इख़्तिलाफ़

बहर हाल! हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी पाक बीवियों के दरमियान भी तबीयत के ख़िलाफ़ उमूर पैदा हो जाते थे। और आगे बढ़िए, हज़रत सिद्दीके अकबर और हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा जिनको "शैख़ैन" कहा जाता है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इन दोनों बुज़ुर्गों से ज़्यादा अफ़ज़ल इन्सान इस रूए ज़मीन पर पैदा नहीं हुए। और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ इन दोनों के ताल्लुक़ का आलम यह था कि सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़रमाते हैं कि इन दोनों के नाम हमेशा एक साथ आया करते थे।

चुनांचे हम यों कहा करते थे कि:

جاء أبو بكرؓ وعمرؓ، ذهب ابوبكرؓ وعمرؓ، خرج أبوبكرؓ و عمرؓ-

यानी अबू बक्र और उमर आए, अबू बक्र और उमर गए, अबू बक्र और उमर निकले।

जहां नाम आ रहा है दोनों का एक साथ आ रहा है। इस तरह एक जान दो क़ालिब थे। हर वक़्त इन दोनों का नाम सामने होता। जहां हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मश्विरा करने की ज़रूरत पेश आती, फ़रमाते ज़रा अबू बक्र और उमर को बुलाओ, कभी दोनों में जुदाई का तसव्वुर नहीं होता था।

और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इज़्ज़त करने का यह आलम था कि एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़रमाया कि आप मेरी ज़िन्दगी की सारी इबादतें मुझ से ले लीजिए और सारे आमाल मुझ से ले लें और वह एक रात जो आपने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के

साथ 'ग़ारे सौर' में गुज़ारी है वह मुझे दे दीजिए। दोनों के दरमियान सम्मान और मुहब्बत का यह आलम था, लेकिन दोनों की तबीयतों में इख़्तिलाफ़ था जिसकी वजह से कभी कभी उनके दरमियान इख़्तिलाफ़ भी हो जाता था।

हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान इख़्तिलाफ़ का एक वाक़िआ

चुनांचे हदीस शरीफ़ में आता है कि एक बार इन दोनों के दरमियान बात चीत हो रही थी, हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई बात कह दी जिसकी वजह से हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज़ होकर चल दिए। अब हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको मनाने के लिए और समझाने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। चलते चलते हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर में दाख़िल हो गए और दरवाज़ा बन्द कर लिया। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह देखा कि यह तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके चेहरे को देखकर समझ गए या "वही" के ज़रिए अल्लाह तआला ने आपको ख़बर दे दी। चुनांचे अभी हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस की तरफ़ आ रहे थे कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को जो मज्लिस में बैठे हुए थे, ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि यह जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, यह आज किसी से झगड़ा करके आ रहे हैं। चुनांचे हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मज्लिस में आकर बैठ गए।

दूसरी तरफ़ जब हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिन्होंने घर में दाख़िल होकर दरवाज़ा बन्द कर लिया था, जब

तन्हाई में पहुंचे तो उनको बड़ी शर्मिन्दगी और नदामत हुई कि मैंने यह बहुत बुरा किया कि अव्वल तो हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से नाराज़गी का इज़हार किया, फिर जब वह मेरे पीछे आए तो मैंने घर में दाख़िल होकर दरवाज़ा बन्द कर लिया। चुनांचे घर से बाहर निकले और हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे चल पड़े कि जाकर उनको मनाऊं। जब हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में पहुंचे तो देखा कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं और हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे हैं। मज्लिस में आकर अपनी नदामत और शर्मिन्दगी का इज़हार शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह! मुझ से ग़लती हो गई। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाने लगे: या रसूलल्लाह! मुझ से ग़लती हुई थी, उनसे ज़्यादा ग़लती नहीं हुई। आप उनको माफ़ कर दीजिए, असल में ग़लती मेरी थी। उस वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ख़िताब करते हुए अजीब व ग़रीब जुम्ला इर्शाद फ़रमाया। फ़रमाया कि:

क्या मेरे साथी को मेरे लिए छोड़ोगे या नहीं? यह वह शख़्स है कि जब मैंने यह कहा था कि:

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

ऐ लोगो! मैं तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। उस वक़्त तुम सब ने कहा था कि "कज़ब्–त" (यानी तुम झूठ बोलते हो) सिर्फ़ इसने कहा था "सदक़–त" (यानी आप सच कहते हैं) यह तन्हा वह शख़्स था जिसने कहा था कि तुम सच कहते हो।

बहर हाल! सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे इन्सान जिनका ज़िक्र हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मज्लिस में एक साथ आता था, उनकी तबीयतों में और मिज़ाजों में भी इख़्तिलाफ़ था जिसके

नतीजे में उनके दरमियान भी इस क़िस्म के वाक़िआत पेश आए।

मिज़ाजों का इख़्तिलाफ़ हक़ है

इस से मालूम हुआ कि कोई दो इन्सान ऐसे नहीं हैं जिनकी तबीयतें एक जैसी हों। जैसा तुम चाहते हो दूसरा भी वैसा ही हो, यह नहीं हो सकता। कोई बाप चाहे कि मेरा बेटा सौ फ़ीसद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ हो जाए, नहीं हो सकता, कोई बेटा यह चाहे कि मेरा बाप सौ फ़ीसद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ हो जाए, नहीं हो सकता, कोई शौहर यह चाहे कि मेरी बीवी सौ फ़ीसद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ हो जाए, नहीं हो सकती, कोई बीवी यह चाहे कि मेरा शौहर सौ फ़ीसद मेरी मर्ज़ी के मुताबिक़ हो जाए, नहीं हो सकता।

सब्र नहीं करोगे तो लड़ाईयां होंगी

इसलिए जब आदमियों के साथ रहना होगा तो फिर तक्लीफ़ें भी पहुंचेंगी, आदमियों के साथ रहना और उनसे तक्लीफ़ें पहुंचना यह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों को एक दूसरे से जुदा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जब आदमियों के साथ रहना है तो यह सोच कर रहना होगा कि उनसे मुझे तक्लीफ़ भी पहुंचेगी और उस तक्लीफ़ पर मुझे सब्र भी करना होगा, अगर सब्र नहीं करोगे तो लड़ाईयां, झगड़े, फ़ितने और फ़साद होंगे, और ये चीज़ें वे हैं जो दीन को मूंड देने वाली हैं।

इसलिए जिस किसी से कोई ताल्लुक़ हो, चाहे वह ताल्लुक़ रिश्तेदारी का हो, चाहे वह ताल्लुक़ दोस्ती का हो, चाहे वह निकाह का ताल्लुक़ हो, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि उन ताल्लुक़ात में तक्लीफ़ें भी पहुंचेंगी, और उन तक्लीफ़ों पर मुझे सब्र करना होगा, और उन तक्लीफ़ों को मुस्तक़िल झगड़ेग का ज़रिया नहीं बनाऊंगा। ठीक है साथ रहने के नतीजे में तल्ख़ी भी थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन उस तल्ख़ी को मुस्तक़िल झगड़े और नफ़रत पैदा करने का ज़रिया बनाना ठीक नहीं।

तक्लीफ़ों से बचने का तरीक़ा

अब सवाल यह है कि जब दूसरों के साथ रहने की वजह से तक्लीफ़ पहुंच रही है तो उस तक्लीफ़ पर अपने आपको कैसे तसल्ली दें? उस तक्लीफ़ से अपने आपको कैसे बचाएं? और तबीयत के ख़िलाफ़ होने के बावजूद आपस में कैसे मुहब्बतें पैदा करें? इसका नुस्ख़ा भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बतला दिया, कोई बात आप अधूरी छोड़ कर नहीं गए। चुनांचे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मियां बीवी के ताल्लुक़ के बारे में बयान फ़रमाया, क्योंकि सब से ज़्यादा तबीयत के ख़िलाफ़ बातें मियां बीवी के ताल्लुक़ात में ही पेश आती हैं। इसलिए कि जितनी निकटता ज़्यादा होगी, उतनी ही तबीयत के खिलाफ़ बातें पेश आने का भी इम्कान होगा, और मियां बीवी के दरमियान जितनी नज़्दीकी होती है वह किसी और रिश्ते में नहीं होती। चूंकि इस ताल्लुक़ में दूसरे ताल्लुक़ के मुक़ाबले में तक्लीफ़ पहुंचने के इम्कानात (संभावनाएं) ज़्यादा हैं, इसलिए इसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक क़ीमती नुस्ख़ा बयान फ़रमा दिया, वह यह है कि:

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقًا رضى منها آخر (مسلم شریف)

यानी कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ न रखे। मतलब यह है कि कोई शौहर अपनी बीवी से मुस्तक़िल बुग़्ज़ न रखे। क्योंकि अगर वह अपनी बीवी की किसी बात को ना पसन्द करेगा तो दूसरी किसी बात को पसन्द भी करेगा। यानी जब बीवी से तबीयत के ख़िलाफ़ कोई मामला पेश आता है तो तुम नाराज़ होते हो और बुरा मनाते हो, और उसी बात को लिए बैठे रहते हो कि यह ऐसी है, यह यों करती है, यों करती है, इसमें यह ख़राबी है, यह ख़राबी है। ख़ुदा के लिए यह देखो कि उसके अन्दर कुछ अच्छाईयां भी तो होंगी। इसलिए जब बीवी से कोई बात ऐसी

सामने आए जो तुम्हें बुरी लग रही है तो उस वक़्त उस बात का तसव्वुर करो जो तुम्हें पसन्दीदा है। जब अच्छाई का तसव्वुर करोगे तो उस बुराई के एहसास में कमी आयेगी।

सिर्फ़ अच्छाईयों की तरफ़ देखो

याद रखिए! दुनिया में कोई इन्सान पूरी तरह स्याह या सफ़ेद नहीं होता, कोई पूरा का पूरा ख़ैर या शर नहीं होता, अगर कोई बुरा है तो उसमें कुछ न कुछ भलाई भी ज़रूर होगी, अगर भला है तो उसमें कुछ न कुछ बुराई भी ज़रूर होगी। इसलिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम अपनी बीवी की अच्छाई की तरफ़ ध्यान करो, उसके नतीजे में तुम्हें नज़र आयेगा कि यह बात अगरचे उसके अन्दर तक्लीफ़ देने वाली है, लेकिन दूसरी बातें मेरी बीवी के अन्दर क़ाबिले क़द्र और तारीफ़ के क़ाबिल हैं। यह सोचने से सब्र आ जायेगा।

एक दिलचस्प वाक़िआ

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक साहिब का बड़ा अच्छा इलाज किया। वह इस तरह कि एक साहिब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपनी बीवी की शिकायत करने लगे कि उसमें फ़लां आदत बड़ी ख़राब है। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि: "तल्लिक़हा" यानी अगर वह इतनी ख़राब है कि तुम्हारे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त है तो उसको तलाक़ दे दो। अब उसका दिमाग़ ठीक हो गया और उसने सोचा कि अगर मैंने उसको तलाक़ दे दी और वह चली गई तो मुझ पर क्या गुज़रेगी। इसलिए उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा कि "ला अस्बिरु अन्हा" या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! उसके बग़ैर सब्र भी नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अमसिक्हा" फिर उसको रोके रखो। यानी जब उसके अन्दर

ख़राबी है, लेकिन उसके बग़ैर सब्र भी नहीं आता तो इसका इलाज इसके अलावा कुछ नहीं कि उसको रोके रखो और उसकी उस ख़राबी को बर्दाश्त करो। लेकिन अपनी तरफ़ से उसकी इस्लाह (सुधार) की जितनी कोशिश तुम से हो सकती है वह कर लो।

बीवी के कामों को सोचो

अब सवाल यह पैदा होता है कि जब उसने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने अपनी बीवी की ख़राबी बयान की तो आपने फ़ौरन उस से यह कह दिया कि उसको तलाक़ दे दो। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसको एक दम से तलाक़ देने का मश्विरा क्यों दे दिया? इसका जवाब यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तलाक़ देने का मश्विरा इसलिए दिया कि असल में उस शख़्स का सारा ध्यान अपनी बीवी की बुराई की तरफ़ लगा हुआ था, उसकी वजह से उसके दिल में उसकी बुराई इस तरह बैठ गयी थी कि उसका अपनी बीवी की अच्छाईयों की तरफ़ ध्यान ही नहीं जा रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसको आख़री बात कह दी कि अगर यह तुम्हारी बीवी इतनी बुरी है तो उसको तलाक़ देकर अलग कर दो। अब तलाक़ का नाम सुनकर उसके दिमाग़ में यह आया कि मेरी बीवी मेरा यह काम करती है, यह काम करती है, मेरे लिए वह इतनी फ़ायदेमन्द है, अगर मैंने तलाक़ दे दी तो ये सारे फ़ायदे जाते रहेंगे, तो मैं फिर क्या करूंगा और कैसे ज़िन्दगी गुज़ारूंगा। इसलिए फ़ौरन उसने कहा कि या रसूलल्लाह! मुझे उसके बग़ैर सब्र भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा तो फिर उसको रोके रखो।

बुराईयों की तरफ़ ध्यान करने का नतीजा

बात असल में यह है कि जब किसी की बुराईयां तुम्हारे दिल में बैठ जाती हैं, और उसकी बुराई की तरफ़ ध्यान लग जाता है तो

फिर उसकी अच्छाईयों से आंखों पर पर्दे पड़ जाते हैं। इसलिए उसकी अच्छाईयों का तसव्वुर करो, और जब अच्छाईयों का तसव्वुर करोगे तो उसकी क़द्र दिल में बैठेगी और सुकून महसूस होगा। उस वक़्त पता चलेगा कि तक्लीफ़ तो पहुंचनी है, कोई न कोई बात तबीयत के ख़िलाफ़ होगी, लेकिन उस तबीयत के ख़िलाफ़ बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

हो सकता है कि तुम ग़लती पर हो

यह बात समझ लें कि जब तुम किसी दूसरे की किसी बात को अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ समझ रहे हो तो यह ज़रूरी नहीं कि वह शख़्स ग़लती पर हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि वह दूसरा शख़्स ग़लती पर हो, और यह भी हो सकता है कि तुम ग़लती पर हो, क्योंकि तबीयतों का फ़र्क़ है।

जैसे एक आदमी को एक खाना पसन्द है, दूसरे को दूसरा खाना पसन्द है। एक आदमी को करेले पसन्द हैं, उसका सालन उसको मज़ेदार मालूम होता है, दूसरे आदमी को करेले ना पसन्द हैं, वह कहता है कि यह कड़वे हैं, मुझ से नहीं खाये जाते। यह तबीयत का इख़्तिलाफ़ है। अब यह ज़रूरी नहीं कि जो शख़्स यह कह रहा है कि मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, वह ग़लती पर है, या जो शख़्स यह कह रहा है कि मुझे करेले पसन्द नहीं, वह ग़लती पर है। बल्कि दोनों ग़लती पर नहीं हैं, लेकिन दोनों के मिज़ाजों का फ़र्क़ है, तबीयतों का फ़र्क़ है, वह भी अपनी जगह सही है और वह भी अपनी जगह पर सही है।

दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हों

इसलिए जिस जगह मुबाह (यानी जिनके करने में न सवाब हो और न गुनाह हो) चीज़ों के अन्दर आपस में इख़्तिलाफ़ होता है, वहां किसी एक फ़रीक़ को हक़ पर और दूसरे को बातिल पर नहीं कह सकते, बल्कि दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त होते हैं।

चुनांचे अक्सर मियां बीवी के दरमियान तबीयतों में इख़्तिलाफ़ होता है, जब दोनों इन्सानों की तबीयतों में इख़्तिलाफ़ होता है तो अगर सिन्फ़ भी बदल जाए कि एक मर्द है और एक औरत है, तो फिर तबीयतों का यह इख़्तिलाफ़ और ज़्यादा हो जाता है। औरत की एक फ़ितरत है और उसकी एक नफ़सियात है। मर्द की एक फ़ितरत है और उसकी एक नफ़सियात है। मर्द अपनी फ़ितरत के मुताबिक़ सोचता है, औरत अपनी फ़ितरत के मुताबिक़ सोचती है। इसलिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम उसकी सिर्फ़ बुराईयों को मत देखो बल्कि अच्छाईयों की तरफ़ भी देखो।

सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे

एक और बात याद आ गई वह यह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औरत को पस्ली से तश्बीह दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

المرأة كالضلع، إن اقمتها كسرتها، وان استمتعت بها، استمتعت بها وفيهاعوج (بخاری شریف)

औरत पस्ली की तरह है, अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो उसको तोड़ दोगे। और अगर तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे तो इसके बावजूद कि वह तुमको टेढ़ी नज़र आ रही है फिर भी तुम उस से फ़ायदा उठा सकोगे।

औरत का हुस्न उसके टेढ़ेपन में है

अब बाज़ हज़रात यह समझते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको टेढ़ी पस्ली कह दिया तो इस की बुराई बयान फ़रमा दी। चुनांचे बाज़ लोग इसको उसकी बुराई के मायने में इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका बीवी से झगड़ा होता है तो वह बीवी से ख़िताब करते हुए कहते हैं कि "ऐ टेढ़ी पस्ली मैं तुझे सीधा करके रहूंगा" हालांकि उन लोगों ने यह ग़ौर नहीं किया कि

हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पस्ली को टेढ़ी कह रहे हैं, पस्ली अगर टेढ़ी न हो बल्कि सीधी हो जाए तो वह पस्ली कहलाने के लायक नहीं। पस्ली का हुस्न और सेहत यह है कि वह टेढ़ी हो, अगर वह पस्ली सीधी हो जाए तो यह बीमार है।

टेढ़ा होना एक ज़ायद चीज़ है

हकीकत में इस हदीस के ज़रिए हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह बतलाना चाह रहे हैं कि टेढ़ा होना और सीधा होना एक इज़ाफी (ज़ायद) चीज़ है। जिसका मतलब यह है कि एक चीज़ को एक निगाह से देखो तो वह सीधी है और दूसरी निगाह से देखो तो वह टेढ़ी है। देखिए! सामने मस्जिद के बाहर जो सड़क है, अगर मस्जिद के अन्दर से देखो तो यह नज़र आयेगा कि यह सड़क टेढ़ी है, इसलिए कि मस्जिद के एतिबार से सड़क टेढ़ी है। और अगर सड़क पर खड़े होकर देखो तो यह नज़र आयेगा कि सड़क सीधी है और मस्जिद टेढ़ी है, हालांकि न सड़क टेढ़ी है और न मस्जिद टेढ़ी है। इसलिए कि मस्जिद के लिए यह ज़रूरी था कि वह किब्ले के रुख पर हो। इसलिए किसी चीज़ का सीधा और टेढ़ा होना इज़ाफी सिफत है। एक चीज़ एक लिहाज़ से टेढ़ी है और दूसरे लिहाज़ से सीधी है।

औरत का टेढ़ापन कुदरती है

बहर हाल! इस हदीस के ज़रिए यह बताना मकसूद है कि चूंकि तुम्हारी तबीयत औरत की तबीयत से अलग है। इसलिए तुम्हारे लिहाज़ से वह टेढ़ी है, लेकिन हकीकत में वह टेढ़ापन उसकी फ़ितरत का हिस्सा है। जिस तरह पस्ली की फ़ितरत का हिस्सा यह है कि वह टेढ़ी हो। अगर पसली सीधी हो जाए तो उसको "ऐब" कहा जायेगा और डॉक्टर उसको दोबारा टेढ़ी करने की कोशिश करेगा, इसलिए कि उसकी फ़ितरत के अन्दर टेढ़ापन मौजूद है। इसलिए इस हदीस के ज़रिए औरत की बुराई बयान

नहीं की जा रही है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि चूंकि औरत की तबीयत तुम्हारी तबीयत के लिहाज़ से अलग है, इसलिए तुम्हें टेढ़ी मालूम होती है। लिहाज़ा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उसको सीधा करने की फ़िक्र मत करना, क्योंकि उसको सीधा करना ऐसा ही होगा जैसे पस्ली को सीधा करना, और अगर तुम उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसको तोड़ डालोगे। और अगर तुम उसको उसकी हालत पर छोड़ दोगे तो उसके टेढ़ा होने के बावजूद तुम उस से फ़ायदा उठाओगे।

बुढ़िया और शिकारी परिन्दे का वाक़िआ

अरबी सिखाने की एक किताब 'मुफ़ीदुत्तालिबीन' में एक क़िस्सा लिखा है कि बादशाह का एक शिकारी परिन्दा उड़कर एक बुढ़िया के पास पहुंच गया, उस बुढ़िया ने उसको पकड़ कर उसको पालना शुरू किया। जब बुढ़िया ने यह देखा कि उसकी चोंच टेढ़ी है और उसके पन्जे टेढ़े हैं, तो बुढ़िया को उस पर तरस आया कि यह बेचारा परिन्दा है, अल्लाह की मख़्लूक़ है, जब इसको खाने की ज़रूरत होती होगी तो यह कैसे खाता होगा, क्योंकि इसकी चोंच टेढ़ी है, और जब इसको चलने की ज़रूरत होती होगी तो यह चलता कैसे होगा, इसलिए कि इसके पन्जे टेढ़े हैं। उस बुढ़िया ने सोचा कि मैं इसकी यह मुश्किल आसान करूं। चुनांचे कैंची से पहले उसकी चोंच काटी और फिर उसके पन्जे काटे, जिसके नतीजे में उसका ख़ून बहने लगा और वह ज़ख़्मी हो गया। जितना पहले चल सकता था, उस से भी वह माज़ूर हो गया। यह वाक़िआ नादान की मुहब्बत की मिसाल में पेश किया जाता है, क्योंकि उस बुढ़िया ने उस शिकारी परिन्दे के साथ मुहब्बत तो की, लेकिन नादानी और बेअक़्ली के साथ मुहब्बत की, और यह न सोचा कि इसकी चोंच और इसके पन्जों का टेढ़ा होना इसकी फ़ितरत का हिस्सा है और इसका हुस्न इसके टेढ़ेपन में है। अगर इसके ये अंग टेढ़े न हों तो यह "शिकारी परिन्दा" कहलाने का मुस्तहिक़ नहीं।

कभी सुकून नसीब नहीं होगा

बहर हाल! जब भी दो आदमियों के दरमियान ताल्लुक़ात होंगे, चाहे वे मर्द हों, या औरतें हों, उस ताल्लुक़ के नतीजे में तबीयतों का इख़्तिलाफ़ यानी अलग अलग होना ज़रूर ज़ाहिर होगा। और उस इख़्तिलाफ़ के नतीजे में एक को दूसरे से तक्लीफ़ भी पहुंचेगी। अब दो ही रास्ते हैं: एक रास्ता तो यह है कि जब भी दूसरे से तुम्हें कोई तक्लीफ़ पहुंचे तो उस पर उस से लड़ो, और उस तक्लीफ़ को आपस में नाराज़गी और झगड़े का सबब बनाओ। अगर तुम यह रास्ता इख़्तियार करोगे तो तुम्हें कभी भी चैन और सुकून नसीब नहीं होगा।

दूसरों की तक्लीफ़ों पर सब्र

दूसरा रास्ता यह है कि जब दूसरे से तक्लीफ़ पहुंचे तो यह सोच लो कि जब तबीयतें मुख़्तलिफ़ (यानी अलग अलग) हैं तो तक्लीफ़ तो पहुंचनी ही है, और ज़िन्दगी भी साथ गुज़ारनी है, और यह ज़िन्दगी हमेशा की ज़िन्दगी तो है नहीं कि हमेशा हमेशा यहीं रहना हो, बल्कि चन्द दिनों के लिए इस दुनिया में आए हैं, न जाने किस वक़्त यहां से रवाना हो जाएं। इसलिए इस चन्द दिन की ज़िन्दगी में अगर दूसरे से तुम्हें कोई तक्लीफ़ पहुंच रही है तो उस पर अल्लाह के लिए सब्र कर लो। यह ठीक है कि जब तुम्हें तक्लीफ़ पहुंचेगी तो उस वक़्त तुम्हारे दिल में इश्तिआल (उत्तेजना) पैदा होगा, ग़ुस्सा आयेगा और दिल यह चाहेगा कि मैं उसका मुंह नोच डालूं, उसको बुरा भला कहूं, उसकी ग़ीबत करूं, उसकी बुराई बयान करूं, उसको बदनाम करूं, इसलिए कि उसने तुम्हें तक्लीफ़ पहुंचाई है।

तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा?

लेकिन यह सोचो कि अगर तुमने ये काम कर लिए तो तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल हुआ? हां यह हुआ कि समाज में लड़ाई झगड़ा

फैला और ज़रा सा दिल का जज़्बा ठन्डा हो गया। लेकिन हक़ीक़त में दिल का जज़्बा ठन्डा नहीं होता, क्योंकि जब एक बार दुश्मनी की आग भड़क जाती है तो फिर वह ठन्डी नहीं होती बल्कि और बढ़ती रहती है। चलिए मान लीजिए कि यह थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो गया, लेकिन उस बदला लेने में तुमने जो ज़्यादती की होगी उसका तुम्हें कियामत के दिन जो हिसाब देना होगा और उस पर तुम्हें जो अज़ाब झेलना होगा वह अज़ाब इस से कहीं ज़्यादा है कि दुनिया में उसकी तक्लीफ़ पर सब्र कर लेते और यह सोचते कि चलो उसने अगरचे मेरे साथ ज़्यादती की है, लेकिन मैं इस पर सब्र करता हूं और अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं।

सब्र करने का अज्र

अगर सब्र कर लिया तो उस पर अल्लाह तआला का वायदा है:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورۃ الزمر: آیت ۱۰)

यानी अल्लाह तआला सब्र करने वालों को बे हिसाब अज्र अता फ़रमाते हैं।

कोई गिनती ही नहीं, अगर अल्लाह तआला चाहते तो गिनती बयान करते, लेकिन हम लोग गिनती से आजिज़ हैं, हमारे पास तो गिनती के लिए चन्द अदद (अंक) हैं, जैसे हज़ार, लाख, करोड़, अरब, खरब, पदम, बस आगे कोई और लफ़्ज़ नहीं है। अल्लाह तआला चाहते तो सब्र का अज्र देने के लिए कोई लफ़्ज़ पैदा फ़रमा देते, लेकिन अल्लाह तआला ने फ़रमा दिया कि सब्र करने वाले को अज्र देने के लिए कोई गिनती ही नहीं।

जैसे अगर किसी ने तुम्हें एक मुक्का मार दिया, अब अगर बदले में तुमने भी उसको एक मुक्का मार दिया, तो तुम्हारे लिए यह बदला लेना जायज़ था, लेकिन उस बदला लेने के नतीजे में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। और अगर तुमने सब्र कर लिया और बदला न लिया तो उस पर अल्लाह तआला का वायदा है कि तुम्हें इतना अज्र दूंगा कि तुम शुमार भी नहीं कर सकोगे। इसलिए सब्र

पर मिलने वाले इस अज्र व सवाब को सोच कर गुस्सा पी जाओ और बदला न लो।

बदला लेने से क्या फ़ायदा?

और अगर कोई दूसरा शख़्स तुम्हें तक्लीफ़ पहुंचा रहा है तो शरीअत ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है कि उस तक्लीफ़ को जिस हद तक रोकना तुम्हारे लिए मुम्किन है उस हद तक उसका रास्ता बन्द करने की कोशिश कर लो, लेकिन अपने क़ीमती समय को उस तक्लीफ़ देने वाले के पीछे पड़कर ख़र्च करना, वक़्त और समय की इस से बड़ी बर्बादी कोई नहीं। जैसे आपने किसी से सुना कि फ़लां आदमी मज्लिस के अन्दर आपकी बुराई कर रहा था, अब अगर तुम्हें पता ही न चलता कि फ़लां आदमी बुराई कर रहा था, फिर तो कुछ भी न होता, लेकिन दूसरे शख़्स ने तुम्हें बता दिया, इसके नतीजे में तुम्हारे दिल पर चोट लग गई, अब एक रास्ता यह है कि तुम इसकी खोज में लग जाओ कि उस मज्लिस में कौन कौन मौजूद थे, और फिर उनमें से हर एक के पास जाकर तफ़तीश करो कि फ़लां ने मेरी क्या बुराई बयान की? और हर एक से गवाही लेते फिरो, और अपना सारा वक़्त इस काम में ख़र्च कर दो, तो इसका हासिल क्या निकला? कुछ भी नहीं। इसके उलट अगर तुमने यह सोचा कि अगर फ़लां शख़्स ने मेरी बुराई बयान की थी तो वह जाने, उसका अल्लाह जाने, उसके अच्छा कहने से न मैं अच्छा हो सकता हूं और उसके बुरा कहने से न मैं बुरा हो सकता हूं, मेरा मामला तो मेरे अल्लाह के साथ है। अगर मेरा मामला मेरे अल्लाह के साथ दुरुस्त है तो फिर दुनिया मुझे कुछ भी कहती रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं।

ख़लके पसे ऊ दिवाना व दिवाना बकारे

यानी सारी मख़्लूक़ अगर मेरी बुराई करती है तो करती रहे। मेरा मामला तो अल्लाह तआला के साथ है।

अगर यह सोच कर तुम अपने काम में लग जाओ तो यह

"सब्र अलल् अज़ा" (यानी तक्लीफ़ पर सब्र करना) है जिस पर अल्लाह तआला बे हिसाब अज्र अ़ता फ़रमायेंगे।

बराबर का बदला लो

और अगर तुमने दिल की आग ठन्डी करने के लिए बदला लेने का ही इरादा कर लिया कि मैं तो बदला ज़रूर लूंगा, तो बदला लेने के लिए वह तराज़ू और पैमाना कहां से लाओगे जिस से यह पता चले कि मैंने भी उतनी ही तक्लीफ़ पहुंचाई है जितनी तक्लीफ़ उसने पहुंचाई थी? अगर तुम तक्लीफ़ पहुंचाने में एक इंच और एक तोला आगे बढ़ गए तो उस पर आख़िरत में जो पकड़ होगी उसका हिसाब कौन करेगा? इसलिए बदला लेने का आपको हक़ हासिल है, मगर यह हक़ बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन अगर तुमने माफ़ कर दिया तो उस पर बे हिसाब अज्र व सवाब के हक़दार बन जाओगे। अल्लाह तआला का इर्शाद है:

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ (سورة النحل: آيت ١٢٦)

यानी अगर सब्र करो तो सब्र करना हद दर्जा बेहतर है, सब्र करने वालों के लिए।

खुलासा

बहर हाल! जब लोगों के साथ रहोगे, उनके साथ ताल्लुक़ात रखोगे, और उनके साथ मामलात होंगे तो फिर तक्लीफ़ें भी पहुंचेंगी। लेकिन इसका नुस्ख़ा नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बता दिया कि उन तक्लीफ़ों पर सब्र करे, और हर शख़्स अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि अगर हर इन्सान इस नुस्ख़े पर अ़मल कर ले और यह सोच ले कि दूसरे की तरफ़ से जो तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ें पेश आयेंगी, उस पर जहां तक हो सकेगा सब्र करूंगा, तो दुनिया से तमाम झगड़े और फ़साद ख़त्म हो जाएं। अल्लाह तआला मुझे भी और आपको भी इस बेहतरीन नुस्ख़े पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واٰخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(तीसरा हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

عن ابی موسیٰ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال: ما أحد أصبر علی اذیٰ سمعہ من اللّٰہ یدعون لہ الولد ثم یعافیھم ویرزقھم۔

(بخاری شریف)

दूसरों से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र

पिछले इतवार को एक हदीस पढ़ी थी, जिसकी तश्रीह में मैंने अर्ज़ किया था कि मुसलमानों के दरमियान अपस में झगड़े और इख़्तिलाफ़ात और बुग़्ज़ व दुश्मनी यह एक बहुत बड़ी दीनी और समाजी बीमारी है, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस बीमारी से बचाने के लिए और मुसलमानों के दरमियान मुहब्बत और भाईचारा क़ायम करने के लिए बहुत सी हिदायतें अता फ़रमाई हैं, उन हिदायतों में से एक हिदायत पिछले बयान में अर्ज़ की थी कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स दूसरों के साथ मिलाजुला रहता है और फिर लोगों से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र करता है तो वह शख़्स उस से कहीं

बेहतर है जो लोगों के साथ मेलजोल नहीं रखता और जिसके नतीजे में लोगों से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र करने की नौबत नहीं आती। इस से मालूम हुआ कि आपस के इख़्तिलाफ़ और नाचाक़ी का बहुत बड़ा सबब यह होता है कि दूसरों से पहुंचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र न किया जाए, साथ रहने के नतीजे में दूसरे से कभी न कभी कोई तक्लीफ़ ज़रूर पहुंचेगी, लेकिन उस तक्लीफ़ पर इन्सान को सब्र करना चाहिए।

सब से ज़्यादा सब्र करने वाली ज़ात

इसी हिदायत के तौर पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वह हदीस इर्शाद फ़रमाई जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की, जिसका ख़ुलासा यह है कि हज़रत अबू मूसा अश्अ़री रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि इस कायनात में कोई भी ज़ात दूसरे से पहुंचने वाली तक्लीफ़ पर इतना सब्र करने वाली नहीं जितनी अल्लाह तआ़ला की ज़ात सब्र करने वाली है। लोग अल्लाह तआ़ला को ऐसी बातें कहते हैं जो तक्लीफ़ पहुंचाने का ज़रिया होती हैं। चुनांचे लोग अल्लाह तआ़ला के लिए बेटा मानते हैं जैसे ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम अल्लाह तआ़ला के बेटे हैं। अल्लाह की पनाह। बाज़ यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। बाज़ मुश्रिकों ने फ़रिश्तों को अल्लाह तआ़ला की बेटियां क़रार दे दिया। बहुत से लोगों ने पत्थरों को, पेड़ों को, यहां तक कि जानवरों को, गाय बैल को, सांप बिच्छू को ख़ुदा मानना शुरू कर दिया। जिस ज़ात ने इन सब इन्सानों को पैदा किया और फ़रिश्तों को यह बता कर पैदा किया कि मैं इन्सान को ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा बना रहा हूं, वही इन्सान अल्लाह तआ़ला के साथ दूसरों को शरीक ठहरा रहे हैं।

अल्लाह तआला की बुर्दबारी देखिए

ये इन्सान अल्लाह तआला को तक्लीफ़ पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तआला की बुर्दबारी देखिए कि ये सब बातें सुनते हैं, इसके बावजूद इन इन्सानों को सुकून व आफ़ियत भी दे रखी है और उनको रिज़्क़ भी दे रखा है। इस कायनात में आप देखें तो यह नज़र आयेगा कि काफ़िरों और मुश्रिकों की तादाद ज़्यादा है, और हमेशा इनकी तादाद ज़्यादा रही है, और कुरआने करीम ने भी कह दिया कि:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (الانعام:آیت١١٦)

यानी अगर आप ज़मीन में रहने वालों की अक्सरियत के पीछे चलेंगे तो वह आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देगी।

इसलिए कि इन्सानों की अक्सरियत तो कुफ़्र में शिर्क में और बुराई में मुब्तला है।

लोकतंत्र का फ़ल्सफ़ा मानने का नतीजा

आजकल दुनिया में "जम्हूरियत" (यानी लोकतंत्र) का शोर मचाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि अक्सरियत जो बात कह दे वह हक़ है। अगर यह उसूल तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब यह निकलेगा कि "कुफ़्र" बरहक़ है, और "इस्लाम" बातिल है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इसलिए कि रूए ज़मीन में बसने वाले इन्सानों की अक्सरियत या तो कुफ़्र में मुब्तला है या शिर्क में मुब्तला है, और जो लोग मुसलमान कहलाते हैं, अल्लाह तआला के एक होने के क़ायल हैं, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रसूल होने पर ईमान रखते हैं, आख़िरत पर ईमान रखते हैं, उनमें भी आप देखें तो यह नज़र आयेगा कि ठीक ठीक शरीअत के दायरे पर चलने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। और बेफ़िक्र, बेपरवाह और गुनाहों व बुराईयों के अन्दर मुब्तला और नाफ़रमानियों में गिरफ़्तार इन्सानों की तादाद

बहुत ज़्यादा है।

काफ़िरों के साथ अच्छा सुलूक

इस रूए ज़मीन पर कुफ़्र भी हो रहा है, शिर्क भी हो रहा है, नाफ़रमानी भी हो रही है, गुनाह और बुराईयां भी हो रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद उन्हीं लोगों को जो अल्लाह तआला के वजूद तक का इन्कार कर रहे हैं, अल्लाह तआला उनको रिज़्क़ अता फ़रमा रहे हैं, उनको आफ़ियत दे रखी है और उन पर दुनिया में नेमतों की बारिश हो रही है। यह है अल्लाह तआला का हिल्म और बुर्दबारी, अल्लाह तआला से ज़्यादा कौन इन तक्लीफ़ों पर सब्र करने वाला होगा। शैख़ सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं:

बर ख़्वाने यग़मा चे दुश्मन चे दोस्त

यानी अल्लाह तआला ने इस दुनिया में रिज़्क़ का जो दस्तरख़्वान बिछाया हुआ है, उसमें दोस्त दुश्मन सब बराबर हैं, दोस्त को भी खिला रहे हैं, दुश्मन को भी खिला रहे हैं। बल्कि कभी कभी दुश्मन को ज़्यादा खिला रहे हैं। इस वक़्त आप काफ़िरों और मुश्रिकों को देखें तो यह नज़र आयेगा कि उनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, जब कि मुसलमानों पर कभी कभी फ़क़्र व फ़ाक़ा भी गुज़र जाता है। अल्लाह तआला उन सब की बातों को सुनने के बावजूद उनके साथ बुर्दबारी का मामला फ़रमा रहे हैं, उनको आफ़ियत और रिज़्क़ अता फ़रमा रहे हैं।

अल्लाह तआला के अख़्लाक़ अपने अन्दर पैदा करो

बहर हाल! अल्लाह तआला के इस हिल्म और बुर्दबारी को देखिए और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस इर्शाद पर अमल करें कि आपने फ़रमाया:

تخلقوا باخلاق الله

ऐ इन्सानो! तुम अल्लाह तआला के अख़्लाक़ हासिल करने की

और उनको अपनाने की कोशिश करो, अगरचे सौ फ़ीसद तो हासिल नहीं हो सकते, लेकिन इस बात की कोशिश करो कि वे अख़्लाक़ तुम्हारे अन्दर भी आ जाएं। जब अल्लाह तआला लोगों के तक्लीफ़ पहुंचाने पर इतना सब्र फ़रमा रहे हैं तो ऐ अल्लाह के बन्दो! तुम भी लोगों के तक्लीफ़ पहुंचाने पर सब्र करो, और दूसरे से अगर तुम्हें तक्लीफ़ पहुंच रही है तो उसको बर्दाश्त करने की आदत डालो।

दुनिया में बदला न लो

अगर कोई यह सवाल करे कि अल्लाह तआला दुनिया में सब्र फ़रमा रहे हैं और काफ़िरों और मुश्रिकों को आफ़ियत और रिज़्क़ दे रखा है। ये दुनिया में तरक़्क़ी कर रहे हैं, लेकिन जब आख़िरत में अल्लाह तआला उनको पकड़ेंगे तो फिर छूट नहीं पायेंगे, और उनको ऐसा सख़्त अज़ाब देंगे कि ये उस से बच नहीं सकेंगे। इसका जवाब यह है कि जब अल्लाह तआला ने उनके साथ दुनिया में सब्र का मामला फ़रमाया है तो तुम भी यह मामला कर लो कि दुनिया में जिस शख़्स से तुम्हें तक्लीफ़ पहुंच रही है, उस से कह दो कि मैं तुम से बदला नहीं लेता और मैंने तुम्हारा मामला अल्लाह तआला के हवाले कर दिया। आख़िरत में अल्लाह तआला खुद इन्साफ़ करा देंगे। इसलिए तुम अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो। इसलिए कि तुम दुनिया में उस तक्लीफ़ पर जो बदला लोगे वह बदला उस इन्तिक़ाम के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखता जो आख़िरत में अल्लाह तआला लेंगे। इसलिए अगर तुम्हें बदला लेने का शौक़ है तो फिर यहां पर बदला न लो बल्कि अल्लाह तआला पर छोड़ दो।

माफ़ करना बेहतर है

तुम्हारे लिए बेहतर तो यह है कि माफ़ ही कर दो, इसलिए कि जब तुम माफ़ कर दोगे तो अल्लाह तआला खुद ज़िम्मेदारी लेंगे

और तुम्हारी जरूरतें पूरी फ़रमायेंगे और तुम्हें जो तक्लीफ़ें पहुंची हैं वह ख़त्म फ़रमायेंगे। चुनांचे अल्लाह के बन्दे माफ़ ही फ़रमा देते हैं। हमने अपने बुज़ुर्गों से हज़रत मियां जी नूर मुहम्मद साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि का वाकिआ सुना जो हमारे दादा पीर हैं और हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहिब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि के शैख थे। उनकी आदत यह थी कि जब कोई शख़्स उनको तक्लीफ़ पहुंचाता तो फ़रमाते कि या अल्लाह! मैंने उसको माफ़ कर दिया, यहां तक कि अगर कोई चोर माल चोरी करके ले जाता तो आप फ़रमाते कि या अल्लाह! मैंने यह माल उसके लिए हलाल कर दिया, मैं उस से बदला लेकर और उसको अज़ाब दिलवा कर क्या करूंगा। हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र में मश्गूल रहते। जब बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने जाते तो पैसों की थैली हाथ में होती, सामान ख़रीदने के बाद वह थैली दुकानदार को पकड़ा देते कि इस थैली में से इसकी क़ीमत ले ले, ख़ुद न गिनते। इसलिए कि जितना वक़्त निकाल कर गिनने में लगेगा उतना वक़्त मैं ज़िक्र में मश्गूल रहूंगा।

हज़रत मियां जी नूर मुहम्मद साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि का एक वाकिआ

एक बार बाज़ार से गुज़र रहे थे, हाथ में पैसों की थैली थी, एक चोर को पता चल गया कि मयां साहिब के पास पैसों की थैली है, वह चोर पीछे से आया और थैली छीन कर भाग गया। मियां जी ने मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन थैली छीन कर ले गाया। यह सोचा कि कौन उसके पीछे भागे और तहक़ीक़ करे कि कौन ले गया। बस ज़िक्र करते हुए अपने घर की तरफ़ चल दिए और दिल में यह नियत कर ली कि ऐ अल्लाह! जिस चोर ने ये पैसे लिएं हैं, वे पैसे मैंने उसको माफ़ कर दिए और उसके लिए वे पैसे हिबा कर दिए। अब वह चोर चोरी करके मुसीबत में फंस गया, अपने घर की

तरफ़ जाना चाहता है लेकिन उन गलियों से निकलने का रास्ता नहीं पाता। एक गली से दूसरी गली में, दूसरी से तीसरी गली में आ जाता, वे गलियां उसके लिए भूल भुलैयां बन गईं। जहां से चलता दोबारा वहां पहुंच जाता, निकलने का रास्ता ही उसको न मिलता। जब कई घन्टे गुज़र गए और चलते चलते थक गया तो उसके दिमाग़ में यह ख़्याल आया कि यह बड़े मियां की कोई करामत मालूम होती है, मैंने उनके पैसे छीने हैं तो अल्लाह तआला ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया, अब क्या करूं? उसने सोचा कि अब यही रास्ता है कि उन बुज़ुर्ग के पास दोबारा वापस जाऊं और उनसे दरख़्वास्त करूं कि ख़ुदा के लिए ये पैसे ले लो और अल्लाह तआला से दुआ करके मेरी जान छुड़ाओ।

चुनांचे मियां साहिब के घर के दरवाज़े पर पहुंचा और दस्तक दी, मियां साहिब ने पूछा कि कौन है? उसने कहा कि हुज़ूर! मैंने आपके पैसे छीन लिए थे, मुझ से ग़लती हो गई थी, ख़ुदा के लिए ये पैसे ले लो। मियां साहिब ने फ़रमाया कि मैंने ये पैसे तुम्हारे लिए हलाल कर दिए और तुम्हें हिबा कर चुका, अब ये पैसे मेरे नहीं रहे, मैंने तुम्हें दे दिए, अब मैं वापस नहीं ले सकता। उस चोर ने कहा कि ख़ुदा के लिए ये पैसे वापस ले लो। अब दोनों के दरमियान बहस हो रही है, चोर कहता है कि ख़ुदा के लिए पैसे ले लो। वह कहते हैं कि मैं नहीं लेता, मैं तो हिबा कर चुका। आख़िरकार मियां जी ने पूछा कि क्यों वापस करना चाहते हो? उसने कहा हज़रत! बात यह है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूं मगर रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कई घन्टों से इन गलियों में भटक रहा हूं। मियां जी ने फ़रमाया कि अच्छा मैं दुआ कर देता हूं, तुम्हें रास्ता मिल जायेगा। चुनांचे उन्होंने दुआ की और उसको रास्ता मिल गया।

किसी की तरफ़ से "बुग़्ज़" न रखो

बहर हाल! इन अल्लाह वालों को अगर कोई तक्लीफ़ पहुंचाये

भी तो ये अल्लाह वाले उसके साथ भी "बुग़्ज़" नहीं रखते, बुग़्ज़ उनकी गली में गुज़रा ही नहीं।

कुफ़्र अस्त दर तरीक़ते मा कीना दाश्तन
आईने मा अस्त सीना चूं आईना दाश्तन

हमारी तरीक़त में किसी शख़्स से "बुग़्ज़" रखना कुफ़्र की तरह है। हमारा कानून तो यह है कि हमारा दिल आईने की तरह होता है, उस पर किसी के बुग़्ज़, बैर और दुश्मनी का कोई दाग़ नहीं है।

बदला अल्लाह पर छोड़ दो

इसलिए जो तुम्हें तक्लीफ़ पहुंचाए उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, और अगर बदला लेना ही है तो उस बदले को अल्लाह पर छोड़ दो। इसलिए कि अगर ख़ुद बदला लोगे तो उस से लड़ाई झगड़े पैदा होने का अन्देशा है, क्योंकि यह मालूम नहीं होगा कि जितना तुम्हें बदला लेने का हक़ था उतना ही बदला लिया या उस से ज़्यादा बदला ले लिया। इसलिए अगर ज़्यादा बदला ले लिया तो कियामत के दिन तुम्हारी गर्दन पकड़ी जायेगी, इसलिए बदला अल्लाह पर छोड़ दो।

हर इन्सान अपने फ़राइज़ को अदा करे

लेकिन यहां एक बात समझ लेनी चाहिए, वह यह कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमेशा हर इन्सान को उसके फ़राइज़ की तरफ़ तवज्जोह दिलाते हैं कि तुम्हारा फ़रीज़ा यह है, तुम्हारा यह काम होना चाहिए, तुम्हारा काम का तरीका यह होना चाहिए। इसलिए जिस शख़्स को तकलीफ़ पहुंची है उसको तो आप सब्र करने की तल्क़ीन फ़रमा रहे हैं कि तुम सब्र करो और माफ़ कर दो, बदला न लो, उस से बुग़्ज़ और दुश्मनी न रखो, और उस तकलीफ़ को झगड़े और फूट का ज़रिया न बनाओ। लेकिन दूसरी तरफ़ हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम ने तक्लीफ़ पहुंचाने वाले को दूसरे अन्दाज़ से ख़िताब फ़रमाया ताकि लोग यह न समझें कि जब हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस शख़्स को तक्लीफ़ पहुंची है उसको सब्र की तल्क़ीन फ़रमा रहे हैं तो फिर तक्लीफ़ पहुंचाने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं।

दूसरों को तक्लीफ़ मत दो

बल्कि तक्लीफ़ पहुंचाने वाले के बारे में अल्लाह तआला का तो यह फ़रमान है कि किसी भी इन्सान को अगर तुम्हारी ज़ात से कोई तक्लीफ़ पहुंची तो मैं उस वक़्त तक माफ़ नहीं करूंगा जब तक वह बन्दा माफ़ न कर दे, या तुम उसके हक़ की तलाफ़ी न कर दो। इसलिए किसी भी इन्सान को तक्लीफ़ पहुंचाने से बचो, किसी भी क़ीमत पर ऐसा इक़दाम न करो जिस से दूसरे को तक्लीफ़ पहुंचे।

चीफ़ जस्टिस का रोज़ाना दो सौ रक्अ़त नफ़िल पढ़ना

हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्द हैं, लेकिन अल्लाह के वली होने की हैसियत से मशहूर नहीं हैं, लेकिन उनके वाक़िआत में लिखा है कि जब "क़ाज़ियुल क़ुज़ात" (चीफ़ जस्टिस) बन गए, तो उसके बाद अपनी तमाम मशगूलियत के बावजूद दिन भर में दो सौ रक्अ़त नफ़िल पढ़ा करते थे। जब उनकी वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो किसी ने देखा कि उनके चेहरे पर फ़िक्र और चिन्ता के आसार हैं। उनसे पूछा कि आपको किस चीज़ की फ़िक्र और चिन्ता है? फ़रमाया कि अल्लाह तआला की बारगाह में हाज़िर होने का वक़्त क़रीब आ रहा है, अल्लाह तआला के सामने हाज़िर होना है, वहां पर अपनी ज़िन्दगी के आमाल का क्या जवाब दूंगा। और तमाम वाक़िआत के बारे में मुझे याद है कि मैं उनसे तौबा कर चुका हूं और इस्तिग़फ़ार कर चुका हूं। अल्लाह तआला की ज़ात से

उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देंगे।

यह ना इन्साफ़ी मुझ से हो गई

लेकिन एक वाक़िआ ऐसा याद आ रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत सख़्त तश्वीश है। वह वाक़िआ यह है कि जिस वक़्त "क़ाज़ी" के ओहदे पर था, और लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करता था, उस दौरान एक बार एक मुसलमान और एक ग़ैर मुस्लिम का मुक़द्दमा मेरे पास आया, मैंने मुक़द्दमा सुनते वक़्त मुसलमान को तो अच्छी जगह पर बिठाया और ग़ैर मुस्लिम को उस से कमतर जगह पर बिठाया, हालांकि शरीअ़त का हुक्म यह है कि जब तुम्हारे पास मुक़द्दमे के दो फ़रीक़ आएं तो उनके दरमियान मज्लिस भी बराबर होनी चाहिए। जिस जगह पर मुद्दई (दावा दायर करने वाले) को बिठाया है उसी जगह पर 'मुद्दआ़ अ़लैहि' (जिस पर दावा किया गया है) को भी बिठाओ। ऐसा न हो कि दोनों के दरमियान बिठाने के अन्दर फ़र्क़ करके ना इन्साफ़ी की जाए। मुझ से यह ना इन्साफ़ी हो गई, अगरचे मैंने फ़ैसला तो हक़ के मुताबिक़ किया, अल्हमदु लिल्लाह, लेकिन बिठाने की तरतीब में शरीअ़त का जो हुक्म है उसमें रियायत न रह सकी। मुझे इसकी तश्वीश हो रही है कि अगर उसके बारे में अल्लाह तआ़ला ने मुझ से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जो कि तौबा से माफ़ नहीं हो सकती जब तक कि हक़ वाला माफ़ न करे।

असली मुसलमान कौन?

इसलिए सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, ग़ैर मुस्लिमों के भी शरीअ़त ने हुक़ूक़ बताए हैं, यहां तक कि जानवरों के भी हुक़ूक़ शरीअ़त ने बयान किए हैं। हदीसों में कई वाक़िए आए हैं जिस से मालूम होता है कि जानवरों के साथ ज़्यादती करने के नतीजे में लोगों पर कैसे कैसे अ़ज़ाब आए। बहर हाल! एक तरफ़ तो यह कहा जा रहा है कि ख़बरदार! अपनी एक एक हर्कत में और अपने एक एक अन्दाज़

व अदा में इस बात का ख़्याल रखो कि तुम्हारी ज़ात से दूसरे को मामूली सी भी तक्लीफ़ न पहुंचे। एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इर्शाद है:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده (بخاری شریف)

"मुसलमान वही है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें"। उसकी ज़ात से दूसरे को तक्लीफ़ न पहुंचे।

यह इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसकी माफ़ी का कोई रास्ता नहीं, सिवाए इसके कि हक़ वाला माफ़ करे। इसलिए एक तरफ़ तो हर एक इन्सान को यह तंबीह कर दी कि तुम्हारी ज़ात से दूसरे को तक्लीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, और दूसरी तरफ़ यह कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरे से तक्लीफ़ पहुंचे तो उस पर सब्र करो और उसको माफ़ कर दो। उसकी वजह से उस से बुग़्ज़ और दुश्मनी न रखो, और उसको फूट और बिखराव का ज़रिया न बनाओ। यह वह तालीम है जो नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तल्क़ीन फ़रमाई।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरबियत का अन्दाज़

हदीस शरीफ़ में आता है कि जिस वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दस हज़ार सहाबा–ए–किराम के साथ मक्का मुकर्रमा फ़तह फ़रमा लिया, उन सहाबा में मुहाजिरीन भी थे और अन्सार भी थे। फिर मक्का के फ़तह होने के बाद हुनैन की जंग पेश आई, वहां भी अल्लाह तआ़ला ने आख़िरकार फ़तह अता फ़रमाई। इस पूरे सफ़र में बड़ी मिक़्दार (मात्रा) में माले ग़नीमत मुसलमानों के हाथ में आया, उस ज़माने में गाय, बैल, बकरी की शक्ल में माल होता था। चुनांचे जिसके पास जितने ज़्यादा जानवर होते उतना ही बड़ा मालदार समझा जाता था। तो माले ग़नीमत के अन्दर बड़ी मिक़्दार में जानवर मुसलमानों के हाथ

आए।

नये मुसलमानों के दरमियान ग़नीमत के माल की तक़सीम

जब माले ग़नीमत की तक़सीम का वक़्त आया तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह महसूस फ़रमाया कि वे लोग जो मक्का मुकर्रमा के आस पास रहने वाले हैं, ये अभी ताज़ा मुसलमान हुए हैं, अभी इस्लाम उनके दिलों के अन्दर पूरी तरह जमा नहीं, और उनमें से बाज़ तो ऐसे हैं कि अभी मुसलमान भी नहीं हुए बल्कि इस्लाम की तरफ़ थोड़ा सा झुकाव हुआ है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह महसूस किया कि अगर उनके साथ अच्छा सुलूक किया जायेगा तो जो लोग ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए हैं वे इस्लाम पर पुख़्ता हो जायेंगे, और जो लोग इस्लाम की तरफ़ माईल हुए हैं वे भी उसके नतीजे में मुसलमान हो जायेंगे। फिर ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िश नहीं करेंगे, इसलिए जितना माले ग़नीमत आया था हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वह सारा का सारा माल वहां के लोगों के दरमियान तक़सीम फ़रमा दिया।

मुनाफ़िक़ों का काम लड़ाई कराना

उस वक़्त कोई मुनाफ़िक़ अन्सार सहाबा के पास चला गया और उनसे जाकर कहा कि देखो तुम्हारे साथ कैसा सुलूक हो रहा है, लड़ने के लिए मदीना मुनव्वरा से तुम चलकर आए, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का साथ तुमने दिया, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जिहाद करके तुमने अपनी जानें दीं, लेकिन माले ग़नीमत उन लोगों में तक़सीम हो गया जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं, और जिनके ख़िलाफ़ तुम्हारी तलवारें चल रही थीं, और जिनके ख़ून से तुम्हारी तलवारें अब भी भरी हुई हैं, और तुम्हें माले ग़नीमत में से कुछ न मिला। चूंकि मुनाफ़िक़ लोग हर जगह होते थे, उनमें से किसी ने सहाबा

के दरमियान लड़ाई कराने के लिए यह बात छेड़ी थी। अब अन्सार सहाबा में जो बड़ी उम्र के और तजुर्बेकार हज़रात थे, उनके दिलों में कोई ख़्याल पैदा नहीं हुआ, वे जानते थे कि इस माल व दौलत की हकीकत क्या है?

लेकिन अन्सार सहाबा में जो नौजवान थे, उनके दिल में यह ख़्याल पैदा होने लगा कि यह अजीब मामला हुआ कि सारा माले ग़नीमत उन्हीं में तक़सीम हो गया और हम लोग जो जिहाद में शरीक थे, हमें कुछ न मिला।

आपका हकीमाना ख़िताब

हुज़ूरे अक़्दस नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह इत्तिला मिली कि बाज़ अन्सार सहाबा को यह ख़्याल हो रहा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ऐलान फ़रमाया कि तमाम अन्सार सहाबा को एक जगह जमा किया जाए। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से ख़िताब करते हुए फ़रमायाः

ऐ गिरोहे अन्सार! तुम्हें अल्लाह तआ़ला ने ईमान की दौलत अ़ता फ़रमाई, तुम्हें अल्लाह तआ़ला ने नबी की मेज़बानी का शर्फ़ अ़ता फ़रमाया, और मैंने यह ग़नीमत का माल उन लोगों में बांट दिया जो यहां के रहने वाले हैं ताकि ये ईमान पर पुख़्ता और मज़बूत हो जाएं, और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जिसको माले ग़नीमत नहीं देता हूं वह ज़्यादा मुअ़ज़्ज़ज़ (यानी सम्मानित) और महबूब होता है उसके मुकाबले में जिसको मैं माले ग़नीमत देता हूं। लेकिन मैंने सुना है कि बाज़ लोगों के दिलों में इस क़िस्म का ख़्याल पैदा हुआ है। फिर फ़रमायाः ऐ गिरोहे अन्सार! क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि जब ये लोग अपने घरों को वापस जायें तो उनके साथ गाय, बैल बकरियां हों, और जब तुम अपने घरों की तरफ़ वापस जाओ तो तुम्हारे साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हों, बताओ इनमें से कौन अफ़ज़ल है?

जिस वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह बात इर्शाद फ़रमाई, उस वक़्त तमाम लोगों के दिलों में ठन्डक पड गई। अन्सारी सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने फ़रमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल! सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम, हमारे लिए तो इस से बड़ा ऐज़ाज़ कोई नहीं है, यह बात सिर्फ़ चन्द नौजवानों ने कह दी थी वर्ना हमारे जो बड़े हैं उनमें से किसी के दिल में कोई ख़्याल पैदा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जैसा फ़ैसला फ़रमाएं, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही का फ़ैसला बरहक़ है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़्यादा ख़ास कौन थे?

जब यह सारा क़िस्सा ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर अन्सारी सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़िताब करते हुए फ़रमाया:

ऐ अन्सार ख़ूब सुन लो! तुम मेरे ख़ासुल ख़ास लोग हो:

لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ

अगर लोग एक रास्ते पर जाएं और अन्सार दूसरे रास्ते पर जाएं तो मैं अन्सार वाला रास्ता इख़्तियार करूंगा।

अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम को सब्र करने की वसीयत

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

ऐ अन्सार! अभी तक तो तुम्हारे साथ ना इन्साफ़ी नहीं हुई, और मुझे तुम्हारे साथ जो मुहब्बत और ताल्लुक़ है वह इन्शा अल्लाह बरक़रार रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कि मेरे दुनिया से उठ जाने के बाद तुम्हें इस बात से वास्ता पेश आयेगा कि तुम्हारे मुक़ाबले में दूसरों को ज़्यादा तरजीह दी जायेगी। यानी जो अमीर और हाकिम लोग बाद में आने वाले हैं, वे तुम्हारे साथ इतना अच्छा सुलूक नहीं करेंगे, जितना अच्छा सुलूक मुहाजिरों और दूसरों के साथ करेंगे।

ऐ गिरोहे अन्सार! मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक हो तो:

فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ۔

उस वक़्त तुम सब्र करना यहां तक कि हौज़े कौसर पर तुम मुझ से आ मिलो।

इस इर्शाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले से यह बता दिया कि आज तो तुम्हारे साथ ना इन्साफ़ी नहीं हुई, लेकिन आगे तुम्हारे साथ ना इन्साफ़ी होगी और तुम्हें वसीयत करता हूं कि उस ना इन्साफ़ी के मौक़े पर सब्र करना।

अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का इस वसीयत पर अमल

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से यह नहीं फ़रमाया कि उस मौक़े पर अन्सार के हुक़ूक़ की सुरक्षा के लिए एक समिति बना लेना, फिर अपने हुक़ूक़ तलब करने के लिए झन्डा लेकर खड़े हो जाना और बग़ावत का झण्डा बुलन्द कर देना। बल्कि यह फ़रमाया कि उस वक़्त तुम सब्र करना यहां तक कि तुम मुझ से हौज़े कौसर पर आकर मिल जाओ। चुनांचे अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस हुक्म पर ऐसा अमल करके दिखाया कि पूरी इस्लामी तारीख़ में अन्सार की तरफ़ से कोई लड़ाई और झगड़ा आपको नहीं मिलेगा। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान इख़्तिलाफ़ात हुए और उसके नतीजे में जंगे जुमल और जंगे सिफ़्फ़ीन भी हुई, लेकिन अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ़ से अमीरों और हाकिमों के ख़िलाफ़ कोई बात पेश नहीं आई।

अन्सार के हुक़ूक़ का ख़्याल रखना

एक तरफ़ तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने

अन्सार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह वसीयत फ़रमाई, दूसरी
तरफ़ हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी वफ़ात
की बीमारी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मस्जिदे नबवी
में नमाज़ के लिए भी तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, उस वक़्त लोगों को
जो वसीयतें फ़रमाईं, उन वसीयतों में एक यह थी कि ये अन्सार
सहाबा, इन्होंने मेरी मदद की है और इन्होंने क़दम क़दम पर ईमान
का मुज़ाहरा किया है, इसलिए इनके हुक़ूक़ का ख़्याल रखना। ऐसा
न हो कि इन अन्सार के दिल में ना इन्साफ़ी का ख़्याल पैदा हो
जाए। इसलिए एक तरफ़ तो सहाबा-ए-किराम को आपने यह
तल्क़ीन फ़रमाई कि इन अन्सार के हुक़ूक़ का ख़्याल रखना, और
दूसरी तरफ़ अन्सार को यह तल्क़ीन की कि अगर कभी तुम्हारे
साथ ना इन्साफ़ी हो तो सब्र का मामला करना।

हर शख़्स अपने हुक़ूक़ पूरे करे

इसलिए हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम
और तल्क़ीन यह है कि हर शख़्स अपने फ़रीज़े को देखे कि मेरे
ज़िम्मे क्या फ़रीज़ा आयद होता है? मुझ से क्या मुतालबा है? और
मैं उस फ़रीज़े को और उस मुतालबे को पूरा कर रहा हूं या नहीं?
और जब हर इन्सान को यह धुन लग जाती है कि मैं अपना
फ़रीज़ा सही तौर पर अदा करूं और मेरे ज़िम्मे अल्लाह तआला की
तरफ़ से जो मुतालबा है वह पूरा करूं तो उस सूरत में सब के
हुक़ूक़ अदा हो जाते हैं।

आज हर शख़्स अपने हुक़ूक़ का मुतालबा कर रहा है

आज दुनिया में उल्टी गंगा बह रही है। और आज यह सबक़
क़ौम को पढ़ाया जा रहा है कि हर शख़्स अपने हुक़ूक़ का मुतालबा
करने के लिए झण्डा लेकर खड़ा हो जाए कि मुझे मेरे हुक़ूक़
मिलने चाहिएं। उसके नतीजे में वह इस बात से बेपरवाह है कि
मेरे ज़िम्मे क्या फ़राइज़ और हुक़ूक़ आयद होते हैं? मुझ से क्या

मुतालबे हैं? मज़दूर यह नारा लगा रहा है कि मेरे हुकूक़ मुझे मिलने चाहिएं। काम पर लगाने वाला कह रहा है कि मुझे मेरे हुकूक़ मिलने चाहिएं, लेकिन न मज़दूर को अपने फ़राइज़ की परवाह है और न काम पर लगाने वाले को अपने फ़राइज़ की परवाह है। आज मज़दूर को यह हदीस तो ख़ूब याद है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दो, लेकिन इसकी फ़िक्र नहीं कि जो काम उसने किया है उसमें पसीना भी निकला या नहीं? उसको इसकी फ़िक्र नहीं कि मैंने जो काम किया है वह हक़ीक़त में इस लायक़ है कि उस पर मज़दूरी दी जाए?

हर इन्सान अपना जायज़ा ले

इसलिए हर इन्सान अपना जायज़ा ले, अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे कि मैं जो काम कर रहा हूं, वह दुरुस्त है या नहीं? अगर एक शख़्स दफ़्तर में काम कर रहा है, उसको इसकी फ़िक्र तो होती है कि मेरी तन्ख़्वाह बढ़नी चाहिए, मेरा फ़लां ग्रेड होना चाहिए, मुझे इतनी तरक़्क़ियां मिलनी चाहिएं, लेकिन क्या उस मुलाज़िम ने कभी यह भी सोचा कि दफ़्तर के अन्दर जो फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे आयद हैं, वे फ़राइज़ में ठीक तरीक़े पर अदा कर रहा हूं या नहीं? इसका नतीजा यह है कि आज लोगों के हुकूक़ ज़ाया हो रहे हैं। आज किसी को अपना हक़ नहीं मिल रहा है, जब कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तरीक़ा है कि हर एक को उसके फ़राइज़ से ख़बरदार फ़रमाते हैं कि तुम्हारा यह फ़रीज़ा है, इसलिए तुम अपने इस फ़रीज़े को अदा करो। सिर्फ़ यही तरीक़ा है जो समाज को सुधार की तरफ़ ला सकता है।

खुलासा

बहर हाल! हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस हदीस में इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला से ज़्यादा बर्दाश्त

करने वाला और बुर्दबार कोई नहीं है। अल्लाह तआला लोगों की ना फ़रमानियां और उनके कुफ़्र व शिर्क को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सब्र करते हैं और उनको आफ़ियत और रिज़्क़ देते हैं। इसलिए तुम भी अल्लाह तआला के इस अख़्लाक़ को अपने अन्दर पैदा करो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(चौथा हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

झगड़ों का एक और सबब

गुज़िश्ता चन्द हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख़्तलिफ़ असबाब का बयान चल रहा है। हमारे ख़ानदानों में जो इख़्तिलाफ़ और झगड़े फैले हुए हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह शरीअ़त के एक और हुक्म का लिहाज़ न रखना है। शरीअ़त का वह हुक्म यह है कि:

تعاشروا كالاخوان، تعاملوا كالاجانب.

यानी तुम आपस में तो भाईयों की तरह रहो और एक दूसरे के साथ भाईयों जैसा बर्ताव करो। भाईचारे और मुहब्बत का बर्ताव करो, लेकिन जब लेन-देन के मामले पेश आएं, और ख़रीद व बेच और कारोबारी मामले आपस में पेश आएं तो उस वक़्त अजनबियों की तरह मामला करो, और मामला बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई ग़ैर वाज़ेह और पेचीदगी न हो, बल्कि जो बात हो वह साफ़ हो। यह नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ी

ज़बरदस्त तालीम है।

मिल्कियत अलग होनी चाहिए

और नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बात इर्शाद फ़रमाई कि मुसलमानों की एक एक बात वाज़ेह और साफ़ होनी चाहिए। मिल्कियतें अलग अलग होनी चाहिएं, और कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है, यह वाज़ेह होना चाहिए। शरीअ़त के इस हुक्म का लिहाज़ न रखने की वजह से आज हमारा समाज फ़सादों और झगड़ों से भरा हुआ है।

बाप बेटे का मुश्तरक कारोबार

जैसे एक कारोबार बाप ने शुरू किया, अब बेटों ने भी उस कारोबार में काम शुरू कर दिया। अब यह मुतअय्यन नहीं है कि बेटा जो बाप के कारोबार में काम कर रहा है, वह पार्टनर और साझी की हैसियत से काम कर रहा है, या वैसे ही बाप की मदद कर रहा है। या बेटा मुलाज़िम की हैसियत से बाप के साथ काम कर रहा है और उसकी तन्ख़्वाह मुक़र्रर है। इनमें से कोई बात तय नहीं हुई और मामला अन्धेरे में है। अब दिन रात बाप बेटे कारोबार में लगे हुए हैं, बाप को जितने पैसों की ज़रूरत होती है, वह कारोबार में से उतने पैसे निकाल लेता है, और जब बेटे को ज़रूरत होती है तो वह निकाल लेता है। अब इसी तरह काम करते हुए सालों साल गुज़र गए और धीरे धीरे दूसरे बेटे भी उस कारोबार में आकर शामिल होते रहे। अब कोई बेटा पहले आया, कोई बाद में आया, किसी बेटे ने ज़्यादा काम किया और किसी बेटे ने कम काम किया।

अब हिसाब किताब आपस में कुछ नहीं रखा, बस जिसको जितनी रक़म की ज़रूरत होती वह उतनी रक़म कारोबार में से निकाल लेता। और यह भी मुतअय्यन नहीं किया कि उस कारोबार का मालिक कौन है और किसकी कितनी मिल्कियत है? और न यह

मालूम कि कारोबार में किसका कितना हिस्सा है? न यह मालूम कि किसकी तन्ख़्वाह कितनी है? अब अगर दूसरा उनसे कहे कि आपस में हिसाब व किताब रखो, तो जवाब यह दिया जाता है कि भाईयों के दरमियान क्या हिसाब व किताब, बाप बेटे में क्या हिसाब व किताब, यह तो दूई की और ऐब की बात है कि बाप बेटे या भाई भाई आपस में हिसाब व किताब करें। एक तरफ़ ऐसी मुहब्बत का इज़हार है।

बाद में झगड़े खड़े हो गए

लेकिन जब दस बारह साल गुज़र गए, शादियां हो गईं, बच्चे हो गए। या बाप जिन्होंने कारोबार शुरू किया था, दुनिया से चल बसे, तो अब भाईयों के दरमियान लड़ाई झगड़े खड़े हो गए और अब सारी मुहब्बत ख़त्म हो गई और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि उसने ज़्यादा ले लिया, मैंने कम लिया, फ़लां भाई ज़्यादा खा गया, मैंने कम खाया। अब ये झगड़े ऐसे शुरू हुए कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। और ऐसे पेचीदा हो गए कि असल हक़ीक़त का पता ही नहीं चलता। आख़िर में जब मामला तनाव पर आ गया और एक दूसरे से बात चीत करने और शक्ल व सूरत देखने के भी रवादार नहीं रहे, और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो गए, तो आख़िर में मुफ़्ती साहिब के पास आ गए कि अब आप मसला बताएं कि क्या करें? अब मुफ़्ती साहिब मुसीबत में फंस गए। भाई! जब कारोबार शुरू किया था, उस वक़्त तो एक दिन भी बैठकर यह नहीं सोचा कि तुम किस हैसियत में कारोबार कर रहे हो? अब जब मामला उलझ गया तो मुफ़्ती बेचारा क्या बताए कि क्या करो।

मामलात साफ़ हों

ये सारे झगड़े इसलिए खड़े हुए कि शरीअत के इस हुक्म पर अमल नहीं किया कि मामलात साफ़ होने चाहिएं। चाहे कारोबार

बाप बेटे के दरमियान हो या भाई भाई के दरमियान हो, या शौहर और बीवी के दरमियान हो, लेकिन हर एक की मिल्कियत दूसरे से मुम्ताज़ और अलग होनी चाहिए। किसका कितना हक़ है? वह मालूम होना चाहिए। याद रखिए! बग़ैर हिसाब व किताब के जो ज़िन्दगी गुज़र रही है, वह गुनाह की ज़िन्दगी गुज़र रही है। इस लिए कि यह मालूम ही नहीं कि जो खा रहे हो वह अपना हक़ खा रहे हो या दूसरे का हक़ खा रहे हो।

मीरास फ़ौरन तक़सीम कर दो

शरीअत का हुक्म यह है कि जैसे ही किसी का इन्तिक़ाल हो जाए, फ़ौरन उसकी मीरास तक़सीम करो, और शरीअत ने जिसका जितना हक़ रखा है वह अदा करो। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैहि का इन्तिक़ाल हुआ तो मेरे शैख़ हज़रत डॉ. अब्दुल हई साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ताज़ियत के लिए तशरीफ लाए। अभी तदफ़ीन नहीं हुई थी, जनाज़ा रखा हुआ था। उस वक़्त हज़रते वाला की तबीयत ख़राब थी, कमज़ोरी थी, और साथ में हज़रत वालिद साहिब की वफ़ात के सदमे का भी तबीयत पर बड़ा असर था। हज़रत वालिद साहिब का ख़मीरा रखा हुआ था, हम वह ख़मीरा हज़रत डॉक्टर साहिब के पास ले गए कि हज़रत थोड़ा सा खा लें ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए।

हज़रत डॉक्टर साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़मीरा हाथ में लेने से पहले फ़रमाया कि भाई! अब इस ख़मीरे का खाना मेरे लिए जायज़ नहीं, क्योंकि यह ख़मीरा अब वारिसों की मिल्कियत हो गया, और जब तक सारे वारिस इजाज़त न दें उस वक़्त तक मेरे लिए इसका खाना जायज़ नहीं है। हमने अर्ज़ किया कि हज़रत! सारे वारिस बालिग़ हैं और सब यहां मौजूद हैं, और सब ख़ुशी से इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए आप इसमें से खा लें, तब जाकर आपने वह ख़मीरा खाया। बहर हाल! अल्लाह तआला ने मीरास तक़सीम करने की ताकीद फ़रमाई कि किसी के इन्तिक़ाल पर फ़ौरन उसकी

मीरास वारिसों के दरमियान तक़सीम कर दो ताकि बाद में कोई झगड़ा पैदा न हो।

मीरास जल्द तक़सीम न करने का नतीजा

लेकिन आज हमारे समाज में जहालत और नादानी का नतीजा यह है कि अगर किसी के मरने पर उसके वारिसों से यह कहा जाए कि भाई मीरास तक़सीम करो, तो जवाब में यह कहा जाता है कि तौबा तौबा, अभी तो मरने वाले का कफ़न भी मैला नहीं हुआ और तुमने मीरास की तक़सीम की बात शुरू कर दी। चुनांचे मीरास की तक़सीम को दुनियावी काम क़रार देकर उसको छोड़ देते हैं। अब एक तरफ़ तो इतना तक़्वा है कि यह कह दिया कि अभी तो मरने वाले का कफ़न भी मैला नहीं हुआ, इसलिए माल व दौलत की बात ही न करो। और दूसरी तरफ़ यह हाल है कि जब मीरास तक़सीम नहीं हुई और मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते रहे तो साल के बाद वही लोग जो माल व दौलत की तक़सीम से बहुत नागवारी का इज़हार कर रहे थे, वही लोग उसी माल व दौलत के लिए एक दूसरे का ख़ून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि फ़लां ज़्यादा खा गया, फ़लां ने कम खाया।

घर के सामान में मिल्कियतों का फ़र्क़

इसलिए शरीअत ने मीरास की तक़सीम का फ़ौरी हुक्म इसलिए दिया ताकि मिल्कियतें अलग हो जाएं, और हर शख़्स की मिल्कियत वाज़ेह हो कि कौन सी चीज़ किसकी मिल्कियत है। आज हमारे समाज का यह हाल है कि मियां बीवी को मालूम ही नहीं होता कि घर का कौन सा सामान मियां का है और कौन सा बीवी का है। ज़ेवर मियां का है या बीवी का है। जिस घर में रहते हैं उसका मालिक कौन है। इसका नतीजा यह है कि बाद में झगड़े खड़े हो जाते हैं।

हज़रत मुफ़्ती साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि की एहतियात

मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अलैहि की बात याद आ गई, आख़िर ज़माने में वफ़ात से कुछ अर्से पहले बीमार थे, और बिस्तर पर थे। और अपने कमरे ही के अन्दर सीमित होकर रह गए थे। उस कमरे में एक चारपाई होती थी, उसी चारपाई पर सारे काम अन्जाम देते थे। वालिद साहिब के कमरे के बराबर में मेरा एक छोटा सा कमरा होता था। मैं उसमें बैठा रहता था। खाने के वक़्त जब वालिद साहिब के लिए ट्रे में खाना लाया जाता तो आप खाना तनावुल फ़रमाते और खाने के बाद फ़रमाते कि ये बरतन जल्दी से वापस अन्दर ले जाओ, या मदरसे से कोई किताब या कोई चीज़ मंगवाई तो फ़ारिग़ होते ही फ़रमाते कि इसको जल्दी से वापस कर दो, यहां मत रखो। कभी कभी हमें वह बरतन या किताब वग़ैरह वापस ले जाने में देर हो जाती तो नाराज़गी का इज़हार फ़रमाते कि देर क्यों की, जल्दी ले जाओ।

हमारे दिल में कभी कभी यह ख़्याल आता कि वालिद साहिब बरतन और किताब वापस करने में बहुत जल्दी करते हैं। अगर पांच सात मिनट देर हो जायेगी तो कौन सी क़ियामत आ जायेगी। उस दिन यह राज़ खुला जब आपने एक दिन हम से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि मैंने अपने वसीयत नामे में यह बात लिखी हुई है कि यह मेरा कमरा जिसमें मेरी चारपाई है, इस कमरे के अन्दर जो चीज़ें हैं, सिर्फ़ ये चीज़ें मेरी मिल्कियत हैं, और घर की बाक़ी सब चीज़ें मैं अपनी बीवी की मिल्कियत कर चुका हूं। अब अगर मेरा इन्तिक़ाल इस हालत में हो जाए कि मेरे कमरे में बाहर की कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो इस वसीयत नामे के मुताबिक़ लोग यह समझेंगे कि यह मेरी मिल्कियत है, और फिर उस चीज़ के साथ मेरी मिल्कियत जैसा मामला करेंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे इस कमरे में कोई बाहर की चीज़ देर तक पड़ी न रहे, जो चीज़ भी आए वह जल्दी वापस चली जाए।

बहर हाल! मिल्कियत वाज़ेह करने का इस दर्जा एहतिमाम था कि बेटों की मिल्कियत से, बीवी की मिल्कियत से, मिलने जुलने वालों की मिल्कियत से भी अपनी मिल्कियत अलग और मुम्ताज़ थी। अल्हम्दु लिल्लाह, इसका नतीजा यह था कि कभी कोई मसला पैदा नहीं हुआ।

भाईयों के दरमियान भी हिसाब साफ़ हो

इसलिए शरीअत ने हमें यह हुक्म दिया कि अपनी मिल्कियत वाज़ेह होनी चाहिए। जब यह मसला हम अपने मिलने जुलने वालों को बताते हैं कि भाई! अपना हिसाब किताब साफ़ कर लो और बात वाज़ेह कर लो, तो जवाब में कहते हैं कि यह हिसाब किताब करना दूई और ग़ैर होने की बात है। लेकिन चन्द ही सालों के बाद यह होता है कि वही लोग जो उस वक़्त अपनाईयत का मुज़ाहरा कर रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपस के इख़्तिलाफ़ात और झगड़ों का एक बहुत बड़ा सबब मिल्कियतों को साफ़ न रखना है।

मकान की तामीर और हिसाब का साफ़ रखना

या जैसे एक मकान तामीर हो रहा है, उस एक मकान में कुछ पैसे बाप ने लगाए, कुछ पैसे एक बेटे ने लगाए, कुछ पैसे दूसरे बेटे ने लगाए, कुछ पैसे कहीं से कर्ज़ ले लिए, और इस तरह वह मकान तामीर हो गया। उस वक़्त आपस में कुछ तय नहीं किया कि बेटे इस तामीर में जो पैसे लगा रहे हैं, वे कर्ज़ के तौर पर लगा रहे हैं? या बाप की मदद कर रहे हैं? या वे बेटे उस मकान में अपना हिस्सा लगाकर पार्टनर बनना चाहते हैं? इसका कुछ पता नहीं, और पैसे सब के लग रहे हैं, लेकिन कोई बात वाज़ेह नहीं है। जब उनमें से एक का इन्तिक़ाल हुआ तो अब झगड़ा खड़ा हो गया कि यह मकान किसका है? एक कहता है कि मैंने इस मकान में इतने पैसे लगाए हैं, दूसरा कहता है कि मैंने इतने पैसे लगाए हैं,

तीसरा कहता है कि ज़मीन तो मैंने ख़रीदी थी, और उस झगड़े के नतीजे में एक फ़साद बर्पा हो गया। उस वक़्त फ़ैसले के लिए मुफ़्ती के पास पहुंचते हैं कि अब आप बताएं कि इसका क्या हल है? ऐसे वक़्त में फ़ैसला करते वक़्त कभी कभी ना इन्साफ़ी हो जाती है।

इसलिए यह मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि शरीअत का क़ायदा यह है कि अगर बाप के कारोबार में बेटा काम कर रहा है, और बात वाज़ेह हुई नहीं कि वह बेटा किस हैसियत में काम कर रहा है? आया वह बाप का शरीक है या बाप का मुलाज़िम है। तो अगर बेटा सारी उम्र भी इस तरह काम करता रहे तो यह समझा जायेगा कि उसने अल्लाह के लिए बाप की मदद की है, कारोबार में उसका कुछ हिस्सा नहीं है। इसलिए पहले से बात वाज़ेह करनी चाहिए।

दूसरे को मकान देने का सही तरीक़ा

और अगर वज़ाहत करते हुए तक़सीम का मामला करना है तो तक़सीम करने के लिए भी शरीअत ने तरीक़ा बताया है कि तक़सीम करने का सही तरीक़ा क्या है? सिर्फ़ यह कह देने से नहीं होता कि मैंने तो अपना मकान बीवी के नाम कर दिया था। यानी उसके नाम मकान रजिस्ट्री करा दिया था। अब रजिस्ट्री करा देने से वह यह समझे कि वह मकान बीवी के नाम हो गया, हालांकि शरई एतिबार से कोई मकान किसी के नाम रजिस्ट्री कराने से उसकी तरफ़ मुन्तक़िल नहीं होता, जब तक उस पर उसका क़ब्ज़ा न करा दिया जाए, और उस से यह न कहा जाए कि मैंने यह मकान तुम्हारी मिल्कियत कर दिया, अब तुम इसके मालिक हो। इसके बग़ैर दूसरे की मिल्कियत उस पर नहीं आती।

तमाम मसाइल का हल, शरीअत पर अमल

इन सारे मसाइल का आज लोगों को इल्म नहीं। इसका

नतीजा यह है कि अलल् टप मामला चल रहा है, और उसके नतीजे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। फ़ितना फ़साद फैल रहा है, और समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा है, आपस में मुक़द्दमे बाज़ियां चल रही हैं। अगर आज लोग शरीअत पर ठीक ठीक अ़मल कर लें तो आधे से ज़्यादा मुक़द्दमे तो ख़ुद बख़ुद ख़त्म हो जाएं।

ये ख़राबियां और झगड़े तो उन लोगों के मामलात में हैं जिनकी नियत ख़राब नहीं है। वे लोग जान बूझकर दूसरों का माल दबाना नहीं चाहते, लेकिन जहालत की वजह से उन्होंने ऐसा तरीक़ा इख़्तियार किया कि उसके नतीजे में लड़ाई झगड़ा खड़ा हो गया। लेकिन जो लोग बद–दियानत हैं, जिनकी नियत ही ख़राब है, जो दूसरों का माल हड़प करना चाहते हैं, उनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं।

खुलासा

बहर हाल! यह बहुत बड़ा फ़साद है जो हमारे समाज में फैला हुआ है। इस मसले को ख़ुद को भी अच्छी तरह समझना चाहिए और अपने तमाम मिलने जुलने वालों और अ़ज़ीज़ों व रिश्तेदारों को भी यह मसला बताना चाहिए कि एक बार हिसाब साफ़ कर लें और फिर आपस में मुहब्बत के साथ मामलात करें। लेकिन हिसाब साफ़ होना चाहिए और हर बात वाज़ेह होनी चाहिए, कोई बात ग़ैर वाज़ेह और ना मुकम्मल न रहे। अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व करम से हम सब को इस पर अ़मल करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए, आमीन।

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(पांचवां हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

गुज़िश्ता (यानी गत) चन्द हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख़्तलिफ़ असबाब का बयान चल रहा है। उन असबाब में से एक सबब वह है जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस हदीस में बयान फ़रमाया है। वह हदीस यह है कि:

ना इत्तिफ़ाक़ी का एक और सबब

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया गया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

لا تمار اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه (ترمذی شریف)

इस हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तीन हुक्म इर्शाद फ़रमाए। पहला हुक्म यह दिया कि अपने किसी भाई से झगड़ा मत करो। दूसरा हुक्म यह दिया कि उसके साथ ना मुनासिब मज़ाक़ मत करो। तीसरा हुक्म यह दिया कि उसके साथ कोई ऐसा वायदा न करो जिसको पूरा न कर सको। यानी वायदा

खिलाफ़ी न करो।

अपने भाई से झगड़ा न करो

पहला हुक्म यह दिया कि:

"لا تمارك أخاك"

अपने भाई से झगड़ा न करो।

यह हमारी उर्दू ज़बान बहुत तंग ज़बान है, जब हम अरबी से उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो हमारे पास बहुत सीमित अल्फ़ाज़ होते हैं, इसलिए हमें इस तंग दायरे में रह कर ही तर्जुमा करना पड़ता है। इसलिए इस हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह लफ़्ज़ "ला तुमारि" इर्शाद फ़रमाया। इसके तर्जुमा के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई लफ़्ज़ नहीं है कि "झगड़ा न करो" लेकिन अरबी ज़बान में यह लफ़्ज़ "मिराउन" से निकला है जो इसका मस्दर है, और "मिराउन" का लफ़्ज़ बहुत विस्तरित मायने रखता है। इसके अन्दर "बहस व मुबाहसा करना" झगड़ा करना, जिस्मानी लड़ाई करना, ज़बानी तू तू मैं मैं करना, ये सब इसके मफ़हूम के अन्दर दाख़िल हैं। इसलिए चाहे जिस्मानी झगड़ा हो, या ज़बानी झगड़ा हो, या बहस व मुबाहसा हो, ये तीनों चीज़ें मुसलमानों के दरमियान आपसी इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद, मुहब्बत और मिलाप पैदा करने में रुकावट बनती हैं। इसलिए जहां तक मुम्किन हो इस बात की कोशिश करो कि झगड़ा करने की नौबत न आए।

ज़रूरत के वक़्त अदालत से रुजू करना

हां! कभी कभी यह होता है कि एक मौक़े पर इन्सान यह महसूस करता है कि उसके हक़ ज़ाया हो गया है, अगर वह अदालत में उसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा नहीं करेगा तो सही तौर पर ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकेगा, उसके साथ ना इन्साफ़ी होगी और उसके साथ ज़ुल्म होगा, तो उस ज़ुल्म और ज़्यादती की वजह से मजबूरन उसको अदालत में जाना पड़े तो यह और बात है, वर्ना

जहां तक हो सके झगड़ा चुकाओ, झगड़े में पड़ने से परहेज़ करो।

बहस व मुबाहसा न करो

यह हिदायत ख़ास तौर पर उन लोगों को दी जा रही है जो दूसरों की हर बात में टेढ़ निकालते हैं, और दूसरों की हर बात को रद्द करने की कोशिश करते हैं। यह चीज़ उनके मिज़ाज का एक हिस्सा बन जाती है कि दूसरे से ज़रूर बहस करनी है, ज़रा सी बात लेकर बैठ गए, और उस पर बहस व मुबाहसे का एक महल तामीर कर लिया। हमारे समाज में यह जो फ़ुज़ूल बहसों का रिवाज चल पड़ा है, न उनका दीन से कोई ताल्लुक़, न दुनिया से कोई ताल्लुक़, जिनके बारे में न क़ब्र में सवाल होगा, न हश्र में सवाल होगा, न आख़िरत में सवाल होगा, लेकिन उनके बारे में लम्बी लम्बी बहस हो रही है। यह सब फ़ुज़ूल काम है। इसके नतीजे में लड़ाई झगड़े होते हैं, और फ़िर्क़े बन जाते हैं, और आपस में नफ़रत व दुश्मनी बढ़ती है।

झगड़े से इल्म का नूर चला जाता है

हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का मक़ूला है कि:

المراء يذهب بنور العلم.

यानी यह बहस व मुबाहसा इल्म के नूर को ग़ारत कर देता है। इल्म का नूर उसके साथ मौजूद नहीं रहता। बस जिस बात को तुम हक़ समझते हो, उसको हक़ तरीक़े से और हक़ नियत से दूसरे को बता दो कि मेरे नज़्दीक यह हक़ है। अब दूसरा शख़्स अगर मानता है तो मान ले, नहीं मानता तो वह जाने उसका अल्लाह जाने। क्योंकि तुम दारोग़ा बनाकर उसके ऊपर नहीं भेजे गए कि ज़बरदस्ती अपनी बात उस से मनवाओ। जितना तुम्हारे बस में हो उसको हिक्मत से, मुहब्बत से, नर्मी से समझा दो, इस से ज़्यादा के तुम मुकल्लफ़ नहीं हो। तुम ख़ुदाई दारोग़ा बनाकर नहीं भेजे गए कि लोगों की इस्लाह तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ हो, कि अगर

उनकी इस्लाह नहीं होगी तो तुम से पूछा जायेगा, ऐसा नहीं है।

तुम्हारी ज़िम्मेदारी बात पहुंचा देना है

अरे जब अल्लाह तआला ने यह फ़रमा दिया कि:

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ (سورة المائدة:آیت۹۹)

यानी रसूल पर सिर्फ़ बात पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है। ज़बरदस्ती करना अंबिया का काम नहीं। तो तुम क्यों ज़बरदस्ती करते हो। इसलिए एक हद तक सवाल व जवाब करो, और जब यह देखो कि बात बहस व मुबाहसे की हदों में दाख़िल हो रही है और सामने वाला शख़्स हक़ को क़बूल करने वाला नहीं है तो उसके बाद ख़ामोश हो जाओ और बहस व मुबाहसे का दरवाज़ा बन्द कर दो।

शिकवा व शिकायत न करें

बाज़ लोगों को हर बात में शिकवा और शिकायत करने की आदत होती है। जहां किसी जानने वाले से मुलाक़ात हुई तो फ़ौरन कोई शिकायत जड़ देंगे कि तुमने फ़लां वक़्त यह किया था, तुमने फ़लां वक़्त यह नहीं किया था। और कभी कभी यह काम मुहब्बत के नाम पर किया जाता है, और यह जुम्ला ऐसे लोगों को बहुत याद होता है कि "शिकायत मुहब्बत ही से पैदा होती है" जिस से मुहब्बत होती है उस से शिकवा भी होता है। यह बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस शिकायत की भी एक हद होती है। जब कोई अहम बात हुई तो उस पर शिकवा कर लिया, लेकिन ज़रा ज़रा सी बात लेकर बैठ जाना कि फ़लां मौक़े पर तुमने फ़लां को दावत दी और हमें दावत नहीं दी। अरे भाई! दावत देने वाले को शरीअत ने यह हक़ दिया है कि जिसको चाहे दावत दे और जिसको चाहे दावत न दे, तुम्हारे पास शिकायत करने का क्या जवाज़ है कि तुम यह कहो कि हमें दावत में क्यों नहीं बुलाया था? तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम्हें बुलाने का दिल नहीं चाहा। उस वक़्त तुम्हें बुलाने के

हालात नहीं थे। लेकिन तुम इस शिकायत को लिए बैठे हो। आज हम लोग ज़रा ज़रा सी बात पर दूसरे की शिकायत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके नतीजे में सामने वाले उस से शिकायत करते हैं कि फ़लां मौके पर तुमने भी हमें नहीं बुलाया था। चुनांचे शिकवा और जवाबे शिकवा का एक सिलसिला चल पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि दिलों में मुहब्बत पैदा होने के बजाए दुश्मनी पैदा हो रही है, और आपस में नफ़रत पैदा हो रही है।

उसके अ़मल की तावील कर लो

आज मैं तजुर्बे की बात कह रहा हूं कि उसके नतीजे में घराने के घराने उजड़ गए। ज़रा ज़रा सी बात लिए बैठे हैं। अरे भाई! अगर किसी से ग़लती हो गई है तो उसको माफ़ कर दो और उसको अल्लाह के हवाले कर दो।

जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माफ़ करने की कितनी तल्कीन फ़रमाई है। इसलिए अगर तुम माफ़ कर दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायेगा। तुम्हारा क्या नुकसान हो जायेगा, कौन सा पहाड़ तुम पर टूट पड़ेगा, कौन सी कियामत तुम पर आ जायेगी? इसलिए नज़र अन्दाज़ कर जाओ, और उसके अ़मल की कोई तावील तलाश कर लो कि शायद इस वजह से दावत नहीं दी होगी, वग़ैरह।

हज़रत मुफ़्ती अ़ज़ीज़ुर्रहमान साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि का तर्ज़े अ़मल

मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाहि अ़लैहि के उस्ताज़ थे हज़रत मौलाना मुफ़्ती अ़ज़ीज़ुर्रहमान साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि, जो दारुल उलूम देवबन्द के मुफ़्ती–ए–आज़म थे। जिनके फ़तावा का मजमूआ "फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द" के नाम से दस जिल्दों में छप गया है। जिसमें उलूम के दरिया बहा दिए, अ़जीब व ग़रीब बुज़ुर्ग थे। हज़रत वालिद साहिब रहमतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि

मैंने उनको हमेशा इस तरह देखा कि कभी किसी आदमी की मुंह पर तरदीद (खंडन) नहीं करते थे कि तुमने यह बात ग़लत कही, बल्कि अगर किसी ने ग़लत बात भी कह दी तो आप सुनकर फ़रमाते किः अच्छा गोया कि आपका मतलब यह होगा, इस तरह उसकी तावील करके उसका सही मतलब उसके सामने बयान कर देते। उसके ज़रिए उसको तंबीह भी फ़रमा देते कि तुमने जो बात कही है वह सही नहीं है, लेकिन अगर यह बात इस तरह कही जाए तो सही हो जायेगा। सारी उम्र कभी किसी के मुंह पर तरदीद नहीं फ़रमाई।

अपना दिल साफ़ कर लो

इसलिए अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई है, दोस्त है, या अज़ीज़ व क़रीब है, या रिश्तेदार है। अगर उस से कोई ग़लत मामला ज़ाहिर हुआ है तो तुम भी उसकी कोई तावील तलाश कर लो कि शायद फ़लां मजबूरी पैदा हो गई होगी। तावील करके अपना दिल साफ़ कर लो। और अगर शिकायत करनी ही है तो नरम लफ़्ज़ों में उस से शिकायत कर लो कि फ़लां वक़्त तुम्हारी बात मुझे नागवार गुज़री, अगर कोई वज़ाहत पेश करे तो उसको क़बूल कर लो, यह न करो कि उस शिकायत को लेकर बैठ जाओ और उसकी बुनियाद पर झगड़ा खड़ा कर दो। इसी लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "ला तुमारि अख़ा-क" अपने भाई से झगड़ा न करो।

यह दुनिया चन्द दिन की है

मियां! यह दुनिया कितने दिन की है, चन्द दिन की दुनिया है, कितने दिन की गारन्टी लेकर आए कि इतने दिन ज़िन्दा रहोगे। और आम तौर पर शिकायतें दुनिया की बातों पर होती हैं कि फ़लां ने मुझे दावत में नहीं बुलाया, फ़लां ने मेरी इज़्ज़त नहीं की, फ़लां ने मेरा एहतिराम नहीं किया। ये सब दुनिया की बातें हैं। यह

दुनिया का माल व दौलत, दुनिया का असबाब, दुनिया का रुतबा, दुनिया की शोहरत, दुनिया का ओहदा, इन सब की कोई हक़ीक़त नहीं है, न जाने कब फ़ना हो जाएं, कब ये चीज़ें छिन जाएं। इसके बजाए वहां के बारे में सोचो जहां हमेशा रहना है, जहां हमेशा हमेशा की ज़िन्दगी गुज़ारनी है। वहां क्या हाल होगा? वहां किस तरह ज़िन्दगी बसर करोगे? वहां पर अल्लाह तआला के सामने क्या जवाब दोगे? इसकी फ़िक्र करो। हदीस शरीफ़ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اعمل لدنياك بقدرك بقائك فيها،واعمل لآخرتك بقدربقائك فيها.

यानी दुनिया के लिए इतना काम करो जितना दुनिया में रहना है, और आख़िरत के लिए उतना काम करो जितना आख़िरत में रहना है।

याद रखिए! यह माल व दौलत, यह शोहरत, यह इज़्ज़त, सब आनी जानी चीज़ें हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगी।

कल क्या थे? आज क्या हो गए

वे लोग जिनका दुनिया में डंका बज रहा था, जिनका तूती बोल रहा था, जिनकी हुकूमत थी, जिनके नाम से लोग कांपते थे, आज जेलख़ानों में पड़े सड़ रहे हैं। और जिन लोगों के नामों के साथ इज़्ज़त व सम्मान के अलक़ाब लगाए जाते थे, आज उन पर अपराधों की फ़ेहरिस्तों के अंबार लगे हुए हैं कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने डाका डाला, उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने ख़ियानत की। अरे! किस इज़्ज़त पर, किस शोहरत पर, किस पैसे पर लड़ते हो, न जाने किस दिन और किस वक़्त अल्लाह तआला ये चीज़ें तुम से छीन ले। इन छोटी छोटी बातों पर तुमने झगड़े खड़े किए हुए हैं, इन बातों पर तुमने ख़ानदान उजाड़े हुए हैं। इसी वजह से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः "ला तुमारि अख़ा-क" अपने भाई से झगड़ा मत करो।

कौन सा मज़ाक़ जायज़ है?

इस हदीस में सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दूसरा हुक्म यह दिया कि:

"وَلَا تُمَازِحْهُ"

अपने मुसलमान भाई के साथ दिल्लगी और मज़ाक़ न करो।

इस हदीस में "मज़ाक़" से मुराद वह मज़ाक़ है जो दूसरे की गिरानी का सबब हो। अगर ऐसा मज़ाक़ है जो शरीअ़त की हदों के अन्दर है और तबीयत को ख़ुश करने के लिए किया जा रहा है, सुनने वाले को भी उस से कोई गिरानी नहीं है तो ऐसे मज़ाक़ में कोई हर्ज नहीं। बल्कि अगर वह मज़ाक़ हक़ है और उस मज़ाक़ में दूसरे को ख़ुश करने की नियत है तो उस पर सवाब भी मिलेगा।

मज़ाक़ उड़ाना और दिल्लगी करना जायज़ नहीं

एक होता है मज़ाक़ करना, एक होता है मज़ाक़ उड़ाना। मज़ाक़ करना तो दुरुस्त है, लेकिन किसी का मज़ाक़ उड़ाना कि उसके ज़रिए उसकी हंसी उड़ाई जाए और उसके साथ ऐसा मज़ाक़ और ऐसी दिल्लगी की जाए जो उसके लिए नागवार हो और उसके दिल को तक्लीफ़ पहुंचने का सबब हो, ऐसा मज़ाक़ हराम और नाजायज़ है। बाज़ लोग दूसरे की चिड़ बना लेते हैं, और यह सोचते हैं कि जब उसके सामने यह बात करेंगे तो वह गुस्सा होगा और इसके नतीजे में हम ज़रा मज़ा लेंगे। यह वह मज़ाक़ है जिसको हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मना फ़रमा रहे हैं। इतना मज़ाक़ करो जिसको दूसरा आदमी बर्दाश्त कर सके। अब आपने दूसरे के साथ इतना मज़ाक़ किया कि उसके नतीजे में उसको परेशान कर दिया, अब वह अपने दिल में तंगी महसूस कर रहा है, तो याद रखिए! अगरचे इस मज़ाक़ के नतीजे में दुनिया में तुम्हें थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आख़िरत में उसका अ़ज़ाब बड़ा सख़्त है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। क्योंकि

उसके ज़रिए तुम ने एक मुसलमान का दिल दुखाया और मुसलमान का दिल दुखाना बड़ा सख़्त गुनाह है।

इन्सान की इज़्ज़त "बैतुल्लाह" से ज़्यादा

इब्ने माजा में एक हदीस है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ फ़रमा रहे थे, तवाफ़ करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बैतुल्लाह से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि:

ऐ बैतुल्लाह! तू कितना अज़ीम है, तेरी क़द्र व रुतबा कितना अज़ीम है कि इस रूए ज़मीन पर अल्लाह तआला ने तुझे अपना घर क़रार दिया, तेरी हुर्मत कितनी अज़ीम है, लेकिन ऐ बैतुल्लाह! एक चीज़ ऐसी है जिसकी हुर्मत (इज़्ज़त) तेरी हुर्मत से भी ज़्यादा है, वह है मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी आबरू।

अगर कोई शख़्स ऐसा संगदिल और बद–बख़्त हो कि वह बैतुल्लाह को ढा दे, अल्लाह की पनाह। तो सारी दुनिया उसको बुरा कहेगी कि उसने अल्लाह के घर की कितनी बेहुरमती की है, मगर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़रमा रहे हैं कि अगर किसी ने किसी मुसलमान की जान, माल, आबरू पर हमला कर दिया, या उसका दिल दुखा दिया तो बैतुल्लाह को ढाने से ज़्यादा संगीन गुनाह है। लेकिन तुमने इसको मामूली समझा हुआ है और तुम दूसरे का मज़ाक़ उड़ा रहे हो, और उसकी वजह उसका दिल दुखा रहे हो और तुम मज़े ले रहे हो? अरे यह तुम बैतुल्लाह को ढा रहे हो, उसकी हुर्मत को पामाल कर रहे हो। इसलिए किसी को मज़ाक़ का निशाना बना लेना और उसकी हंसी उड़ाना हराम है।

ऐसा मज़ाक़ दिल में नफ़रत पैदा करता है

और यह मज़ाक़ भी उन चीज़ों में से है जो दिलों के अन्दर गिरहें डालने वाली हैं और दिलों के अन्दर दुश्मनियां और नफ़रतें

पैदा कर देती हैं। अगर दूसरा तुम्हारे बारे में यह महसूस करे कि यह मेरा मज़ाक़ उड़ाता है, मेरी तौहीन करता है, तो बताओ क्या कभी उसके दिल में तुम्हारी मुहब्बत पैदा होगी? कभी भी मुहब्बत पैदा नहीं होगी, बल्कि उसके दिल में तुम्हारी तरफ़ से नफ़रत पैदा होगी कि यह आदमी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है और फिर उस नफ़रत के नतीजे में आपस में झगड़ा और फ़साद फैलेगा। लेकिन अगर यार दोस्त या अज़ीज़ और रिश्तेदार आपस में ऐसा मज़ाक़ कर रहे हैं जिसमें किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, तो शरई तौर पर ऐसे मज़ाक़ की इजाज़त है। शरीअत ने ऐसे मज़ाक़ पर पाबन्दी नहीं लगाई।

वायदों को पूरा करो

इस हदीस में तीसरा हुक्म यह दिया कि:

ولا تعده موعدًا فتخلفه.

यानी कोई ऐसा वायदा न करो जिसको तुम पूरा न कर सको।

बल्कि जिस से जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो, उस वायदे को निभाओ, वायदा करके पूरा न करने को हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने निफ़ाक़ की निशानी क़रार दी है। हदीस शरीफ़ में आता है कि नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया:

ثلاث من كن فيه فهو منافق: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا أوتمن خان (نسائی شریف)

मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां

तीन बातें जिस शख़्स में पाई जाएं वह ख़ालिस मुनाफ़िक़ है। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वायदा करे तो वायदे के ख़िलाफ़ करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वह उस अमानत में ख़ियानत करे। ये तीन बातें जिस शख़्स में पाई जाएं वह पक्का मुनाफ़िक़ है। इस से मालूम हुआ कि वायदे के ख़िलाफ़ करना निफ़ाक़ की अलामत और निशानी है। इसलिए अगर तुम्हें

भरोसा न हो कि मैं वायदा पूरा कर सकूंगा, तो वायदा मत करो। लेकिन जब एक बार वायदा कर लो तो जब तक कोई उज़्र पेश न आ जाए, उस वक़्त तक उसकी पाबन्दी लाज़िम है।

बच्चों से किया हुआ वायदा पूरा करो

हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहां तक फ़रमाया कि बच्चों से भी जो वायदा करो उसको पूरा करो। रिवायत में आता है कि एक सहाबी ने एक बच्चे को बुलाते हुए कहा कि मेरे पास आओ, हम तुम्हें चीज़ देंगे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा वाक़ई उसको कुछ देने का इरादा था या वैसे ही उसको बहलाने के लिए कह दिया। उन सहाबी ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह! मेरे पास खजूर है, वह देने का इरादा था। आपने फ़रमाया कि अगर तुम वैसे ही वायदा कर लेते और कुछ देने का इरादा न होता तो तुम्हें उस बच्चे के साथ वायदा ख़िलाफ़ी करने का गुनाह होता। और बच्चे के साथ वायदा ख़िलाफ़ी करने का मतलब यह है कि तुमने बच्चे को शुरू से यह तालीम दे दी कि वायदा ख़िलाफ़ी करना कोई बुरी बात नहीं है, और तुम ने पहले दिन से ही उसकी तरबियत ख़राब कर दी। इसलिए बच्चों के साथ वायदा ख़िलाफ़ी नहीं करनी चाहिए, बच्चों के साथ भी जो वायदा किया है उसको पूरा करो।

और बाज़ वायदा ख़िलाफ़ियां तो ऐसी होती हैं कि आदमी यह समझता है कि मैंने फ़लां के साथ वायदा किया हुआ है, मुझे उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाज़ वायदा ख़िलाफ़ियां ऐसी होती हैं जिनकी तरफ़ हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता कि वह भी कोई वायदा ख़िलाफ़ी है।

उसूल और क़ानून की पाबन्दी न करना वायदा ख़िलाफ़ी है

जैसे हर इदारे के अपने कुछ क़ायदे और क़ानून होते हैं। चुनांचे जब हम किसी इदारे में नौकरी करते हैं तो उस इदारे के

साथ जुड़ते वक़्त हम अमली तौर पर यह वायदा करते हैं कि उस इदारे के कायदे और क़ानूनों की पाबन्दी करेंगे। या जैसे आपने पढ़ने के लिए दारुल उलूम में दाख़िला ले लिया, तो दाख़िला लेते वक़्त तालिब इल्म से एक लिखित वायदा भी लिया जाता है कि मैं यह यह काम नहीं करूंगा और यह यह काम करूंगा, और अगर किसी तालिब इल्म से लिखित वायदा न भी लिया जाए तब भी दाख़िल होने के मायने ही यह हैं कि वह यह इक़रार कर रहा है कि दारुल उलूम के जो क़ायदे क़ानून हैं मैं उनकी पाबन्दी करूंगा, अब अगर कोई तालिब इल्म उन क़ायदे क़ानूनों की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करेगा तो यह उस वायदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी और यह अमल नाजायज़ और गुनाह होगा।

जो क़वानीन शरीअ़त के ख़िलाफ़ न हों उनकी पाबन्दी लाज़िम है

इसी तरह जो आदमी किसी मुल्क की शहरियत (नागरिकता) इख़्तियार करता है तो यह शख़्स अमली तौर पर उस मुल्क के साथ यह मुआहदा करता है कि मैं इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करूंगा, जब तक कि कोई क़ानून मुझे शरीअ़त के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी काम पर मजबूर न करे। अगर कोई क़ानून ऐसा है जो शरीअ़त के ख़िलाफ़ काम करने पर मजबूर करता है तो उसके बारे में नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमा दिया कि:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

यानी ख़ालिक़ की नाफ़रमानी में मख़्लूक़ की इताअ़त नहीं है।

अगर किसी काम से शरीअ़त तुम्हें रोक दे तो फिर उस काम के करने को चाहे कोई बादशाह कहे या कोई राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री कहे, या कोई क़ानून उस काम का हुक्म दे, लेकिन तुम उस

हुक्म के मानने के पाबन्द नहीं हो, बल्कि तुम अल्लाह तआला का हुक्म मानने के पाबन्द हो।

क़ानून के ख़िलाफ़ करना वायदा ख़िलाफ़ी है

इसलिए अगर कोई क़ानून आपको गुनाह पर मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि जायज़ चीज़ों से मुताल्लिक़ कोई क़ानून बना हुआ है तो उस सूरत में हर नागरिक चाहे वह मुसलमान हो या ग़ैर मुस्लिम हो, अपनी हुकूमत से यह मुआहदा करता है कि मैं क़वानीन की पाबन्दी करूंगा। अगर कोई शख़्स बिला उज़्र क़ानून के ख़िलाफ़ करता है तो यह भी वायदा ख़िलाफ़ी में दाख़िल है।

ट्रैफ़िक के क़ानूनों की पाबन्दी करें

जैसे ट्रैफ़िक के क़ानून हैं कि जब लाल बत्ती जले तो रुक जाओ और जब हरी बत्ती जले तो चल पड़ो। इस क़ानून की पाबन्दी शरई तौर पर भी ज़रूरी है, इसलिए कि तुमने वायदा किया हुआ है कि मैं इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करूंगा। अगर तुम इस क़ानून को रौंदते हुए गुज़र जाते हो तो इस सूरत में वायदा ख़िलाफ़ी के गुनाह के मुजि्रम होते हो और अ़हद तोडने के गुनाह के मुजि्रम होते हो। चाहे वह मुस्लिम मुल्क हो या ग़ैर मुस्लिम मुल्क हो।

बेरोज़गारी भत्ता वुसूल करना

इंग्लैण्ड की हुकूमत एक बेरोज़गारी भत्ता जारी करती है। यानी जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनको एक भत्ता दिया जाता है। गोया कि रोज़गार मिलने तक हुकूमत उनकी किफ़ालत करती है। यह एक अच्छा तरीक़ा है। लेकिन हमारे बाज़ भाई जो यहां से वहां गए हैं, उन्होंने उस बेरोज़गारी को अपना पेशा बना रखा है। अब ऐसे लोग रात को चोरी छुपे नौकरी कर लेते हैं और साथ में बेरोज़गारी भत्ता भी वुसूल करते हैं। अच्छे ख़ासे नमाज़ी और दीनदार लोग यह धन्धा कर रहे हैं। एक बार एक साहिब ने मुझ से इसके बारे में

मसला पूछा तो मैंने बताया कि यह अमल तो बिल्कुल ना जायज़ और गुनाह है। अव्वल तो यह झूठ है कि बेरोज़गार नहीं हो लेकिन अपने को बेरोज़गार ज़ाहिर कर रहे हो, दूसरे यह कि तुम हुकूमत के क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम उस मुल्क में दाख़िल हो गए हो तो अब उस मुल्क के जायज़ क़ानून की पाबन्दी लाज़िम है। उन साहिब ने जवाब में कहा कि यह तो ग़ैर मुस्लिम हुकूमत है, और ग़ैर मुस्लिम हुकूमत का पैसा जिस तरह भी हासिल हो उसको लेकर ख़र्च करना जायज़ है। अल्लाह की पनाह! अरे भाई! जब तुम उस मुल्क में दाख़िल हुए थे उस वक़्त तुमने यह वायदा किया था कि हम इस मुल्क के क़वानीन की पाबन्दी करेंगे, इसलिए अब उस मुल्क के क़ानून की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना जायज़ नहीं, और जिस तरह मुसलमान के साथ वायदे के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं, इसी तरह काफ़िरों के साथ भी वायदे के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं। और उस वायदे के ख़िलाफ़ करने के नतीजे में जो पैसा हासिल होगा वह भी नाजायज़ और हराम होगा।

ख़ुलासा

बहर हाल! झगड़े का एक बहुत बड़ा सबब यह वायदा ख़िलाफ़ी है। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल व करम से हम सब को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इन अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

واٰخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

ख़ानदानी झगड़ों के असबाब और उनका हल

(छठा हिस्सा)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ:

पिछले कई हफ़्तों से ख़ानदानी झगड़ों के मुख़्तलिफ़ असबाब का बयान चल रहा है। उन असबाब में से एक सबब वह है जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस हदीस में बयान फ़रमाया है, वह हदीस यह है कि:

यह बड़ी ख़ियानत है

हज़रत सुफ़ियान बिन उसैद हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि उन्होंने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهٗ بِهٖ كَاذِبٌ (ابوداؤد شریف)

यह बड़ी ही ख़ियानत की बात है कि तुम अपने भाई को कोई ऐसी बात सुनाओ जिसको वह समझ रहा हो कि तुम उसको सच्ची बात बता रहे हो लेकिन हक़ीक़त में तुम उसके सामने झूठ बोल रहे हो।

यह वह अमल है जिस से दिलों में दरारें पड़ जाती हैं। दिल

फट जाते हैं, और दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। झूठ बोलना तो हर हाल में बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है, लेकिन इस हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ास तौर पर उस झूठ को बयान फ़रमा रहे हैं जहां तुम्हारा मुख़ातब तुम पर एतिमाद कर रहा है, और वह यह समझ रहा है कि यह शख़्स जो बात मुझ से कहेगा वह सीधी और सच्ची बात कहेगा, लेकिन तुम उल्टा उसके एतिमाद को ज़ख़्मी करते हुए उसके साथ झूठ बोलो, तो इस अ़मल में झूठ का गुनाह तो है ही, साथ ही इसमें ख़ियानत का भी गुनाह है।

वह अमानतदार है

इसलिए कि जो शख़्स तुम से रुजू कर रहा है, वह तुम्हें अमनतदार और सच्चा समझ कर रुजू कर रहा है। हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमायाः

المستشار مؤتمن۔

यानी जिस शख़्स से मश्विरा तलब किया जाए वह अमानतदार होता है।

गोया कि मश्विरा तलब करने वाला उसके पास अमानत रखवाए हुए है कि तुम सही बात मुझे बताना, और उस पर एतिमाद और भरोसा भी कर रहा है, लेकिन तुमने उसके साथ झूठ बोला और ग़लत बात बताई, इसलिए तुम ख़ियानत के गुनाह के करने वाले भी हुए।

झूठा मैडिकल प्रमाण पत्र

आज हमारे समाज में जितनी तस्दीक़ात और सर्टीफ़िकिट जारी होते हैं, वे सब इस हदीस के तहत आते हैं। जैसे एक शख़्स बीमार है और उसको अपने महकमे से छुट्टी लेने के लिए यह ज़रूरी है कि वह इस बात का मैडिकल सर्टीफ़िकिट पेश करे कि वह वाक़ई बीमार है तो अब जिस डॉक्टर से सरटीफ़िकिट तलब किया जायेगा वह अमानतदार है, क्योंकि वह महकमा उस डॉक्टर पर भरोसा और

एतिमाद कर रहा है कि यह जो सर्टीफ़िकिट जारी करेगा, वह सच्चा सर्टीफ़िकिट जारी करेगा। वह शख़्स वाक़ई बीमार होगा तब ही सर्टीफ़िकिट जारी करेगा वर्ना जारी नहीं करेगा। अब अगर वह डॉक्टर पैसे लेकर या पैसे लिए बग़ैर सिर्फ़ दोस्ती की बिना पर इस ख़्याल से कि इस सर्टीफ़िकिट के ज़रिए इसको छुट्टी मिल जाए, झूठा सर्टीफ़िकिट जारी कर देगा तो यह डॉक्टर झूठ के गुनाह के साथ बड़ी ख़ियानत का भी मुजिरम होगा। और जो शख़्स ऐसा सर्टीफ़िकिट जारी कर दे, ऐसा शख़्स बेशुमार गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा है। एक यह कि खुद झूठ बोल रहा है और दूसरे यह कि डॉक्टर को झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। और अगर पैसे देकर यह सर्टीफ़िकिट हासिल कर रहा है तो रिश्वत देने के गुनाह का मुजिरम हो रहा है, और फिर झूठ बोल कर जो छुट्टी ले रहा है वह छुट्टी भी हराम है और उस छुट्टी की जो तन्ख़्वाह ली है वह तन्ख़्वाह भी हराम है, और उस तन्ख़्वाह से जो खाना खाया वह भी हराम है। इसलिए एक झूठा मैडिकल सर्टीफ़िकिट जारी कराने में इतने बेशुमार गुनाह जमा हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे।

आज हमारा समाज इन चीज़ों से भरा हुआ है, अच्छे ख़ासे पढ़े लिखे, दीनदार, नमाज़ी, शरीअत के पाबन्द लोगों को भी जब ज़रूरत पड़ती है तो वे भी झूठा सर्टीफ़िकिट निकलवाने में कोई शर्म और आर महसूस नहीं करते, और इस चीज़ को दीन से ख़ारिज ही कर दिया है।

मदरसों की तस्दीक़ करना

इसी तरह मदरसों की तस्दीक़ है, बहुत से मदारिस के हज़रात मेरे पास भी आते हैं कि आप हमारे मदरसे की तस्दीक़ कर दीजिए कि यह मदरसा क़ायम है और ठीक काम कर रहा है, अगर इसमें चन्दा दिया जायेगा तो वह चन्दा सही जगह में इस्तेमाल होगा। यह तस्दीक़ एक गवाही है। अब अगर किसी शख़्स ने यह कहा कि फ़लां से तस्दीक़ कराकर लाओ, तब हम तुम्हें चन्दा देंगे, गोया कि

उसने मुझ पर भरोसा किया, अब मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं उस वक़्त तक तस्दीक़ जारी न करूं जब तक मुझे हकीक़त में इस बात का यक़ीन न हो कि वाक़ई यह मदरसा इस चन्दे का मुस्तहिक़ है। अगर एक शख़्स मेरे पास आए और मैं सिर्फ़ दोस्ती या मरव्वत में आकर तस्दीक़ कर दूं तो इसका मतलब यह होगा कि लोग तो मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं और मैं उनके साथ झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने उस मदरसे को देखा नहीं, मैं उसके हालात से वाक़िफ़ नहीं, उसके काम करने के तरीक़े से मैं बाख़बर नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैंने तस्दीक़ नामा जारी कर दिया, तो मैं इस बदतरीन ख़ियानत का करने वाला हूंगा। अब मदरसे के हज़रात तस्दीक़ के लिए मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे माज़िरत करता हूं तो कहते हैं कि उनसे इतना छोटा सा काम नहीं किया जाता। वे समझते हैं कि इन्कार करना मरव्वत के ख़िलाफ़ है, हालांकि हकीक़त में यह शहादत और गवाही है, और हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह बदतरीन ख़ियानत है कि लोग तुम पर भरोसा करके तुम्हें सच्चा समझ रहे हैं और तुम उनके सामने झूठ बोल रहे हो।

झूठा कैरेक्टर सर्टीफ़िकिट

आजकल कैरेक्टर सर्टीफ़िकिट बनवाए जाते हैं, और सर्टीफ़िकिट जारी करने वाला उसमें लिखता है कि मैं इस शख़्स को पांच साल से जानता हूं या दस साल से जानता हूं, हालांकि वह उसको सिर्फ़ दो दिन से जानता है, मैं इसके हालात से वाक़िफ़ हूं, यह बहुत अच्छे अख़्लाक़ और क़िरदार का मालिक है। अब सर्टीफ़िकिट जारी करने वाला यह समझ रहा है कि मैं इस शख़्स के साथ भलाई कर रहा हूं, लेकिन उसको यह मालूम नहीं कि उस भलाई के नतीजे में क़ियामत के दिन गर्दन पकड़ी जायेगी कि तुमने तो यह लिखा था कि मैं इसको पांच साल से या दस साल से जानता हूं, हालांकि तुम इसको नहीं जानते थे। यह बदतरीन ख़ियानत के अन्दर

दाख़िल है, क्योंकि लोग तुम पर भरोसा कर रहे हैं, और तुम लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो।

आज सर्टीफ़िकिट की कोई क़ीमत नहीं

आज समाज इन बातों से भर गया है, इसका नतीजा यह है कि आज सर्टीफ़िकिट की भी कोई क़ीमत नहीं रही, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सब झूठे और बनावटी सर्टीफ़िकिट हैं। आज हमने सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इन इर्शादात को ज़िन्दगी से ख़ारिज ही कर दिया है, और सिर्फ़ नमाज़ रोज़े और तस्बीह का नाम दीन रख दिया है, लेकिन दुनिया की ज़िन्दगी में हम लोगों के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, इस तरफ़ ध्यान ही नहीं है।

यह भी इख़्तिलाफ़ात का सबब है

यह चीज़ भी हमारे आपस के इख़्तिलाफ़ात और झगड़ों के असबाब में से एक सबब है। इसलिए कि जब तुम एक आदमी पर भरोसा और एतिमाद कर रहे हो कि यह शख़्स तुम्हें सच बात बतायेगा, लेकिन वह शख़्स तुम से झूठ बोले, तो उस झूठ के नतीजे में उसके दिल में तुम्हारे ख़िलाफ़ गिरह पड़ जायेगी कि मैंने तो इस पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ झूठ बोला, मुझे धोखा दिया और मुझे ग़लत रास्ता दिखाया, इसलिए उसके दिल में तुम्हारे ख़िलाफ़ बैर और दुश्मनी पैदा होगी।

बहर हाल! आपसी इख़्तिलाफ़ात और ना इत्तिफ़ाक़ी का एक बहुत बड़ा सबब "झूठ" है। अगर इस झूठ को ख़त्म नहीं करोगे तो आपस के झगड़े और इख़्तिलाफ़ात कैसे ख़त्म होंगे? इसलिए इस झूठ को ख़त्म करो। वैसे तो हर झूठ हराम है, लेकिन ख़ास तौर पर वह झूठ जहां पर दूसरा शख़्स तुम पर भरोसा कर रहा हो और तुम उसके साथ झूठ बोलो, यह ख़तरनाक झूठ है।

जो गुज़र चुका उसकी तलाफ़ी कैसे करें?

अब एक सवाल ज़ेहनों में यह पैदा होता है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आपस के इख़्तिलाफ़ात और ना इत्तिफ़ाक़ी के जो असबाब बयान फ़रमाए हैं, अगर हम आज उनसे परहेज़ करने का इरादा कर लें और मेहनत करके अपने आपको इसका पाबन्द बना लें तो इन्शा अल्लाह आईन्दा की ज़िन्दगी तो दुरुस्त हो जायेगी, लेकिन जो ज़िन्दगी पहले गुज़र चुकी उसमें अब तक हम से हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इन तालीमात की ख़िलाफ़ वर्ज़ी हुई, जैसे किसी की ग़ीबत कर ली, किसी को बुरा कहा, किसी को दुख पहुंचाया, किसी को तक्लीफ़ पहुंचाई, किसी का दिल दुखाया, और इन ख़िलाफ़ वर्ज़ियों के नतीजे में और बन्दों के हुक़ूक़ को ज़ाया करने के नतीजे में हमारा आमाल नामा स्याह हो गया है, इसका क्या हल है? अगर हम अपनी पिछली ज़िन्दगी की तरफ़ नज़र दौड़ाएं तो यह नज़र आयेगा कि ज़िन्दगी के गुज़रे हुए सालों में न जाने कितने इन्सानों से राबता हुआ, कितने इन्सानों से ताल्लुक़ात हुए, हमने किसकी कितनी हक़ तल्फ़ी की? इसका हमारे पास न कोई हिसाब है, न पैमाना है और न उनसे माफ़ी मांगने की कोई सूरत है। इसलिए अगर हम आज से अपनी इस्लाह शुरू कर भी दें तो पिछले मामलों का और पिछली ज़िन्दगी का क्या बनेगा? और पिछला हिसाब किताब साफ़ करने का क्या रास्ता है? यह बड़ा अहम सवाल है और हम सब को इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का माफ़ी मांगना

लेकिन नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर क़ुरबान जाइए कि आपने हमारी हर मुश्किल का हल अपनी ज़िन्दगी के पाक नमूने में तज्वीज़ फ़रमा दिया है। जो आदमी अपनी पिछली ज़िन्दगी की इस्लाह करना चाहता हो, और उसको

ख़्याल हो कि मैंने बहुत से अल्लाह के बन्दों के हुकूक़ ज़ाया कर दिए हैं, तो इसका रास्ता भी नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया और ख़ुद इस पर इस तरह अमल करके दिखा दिया कि एक दिन आपने मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में खड़े होकर आम सहाबा के मजमे के सामने फ़रमाया:

मेरी ज़ात से कभी किसी इन्सान को कोई तक्लीफ़ पहुंची हो, या कभी मुझ से कोई ज़्यादती हुई हो, तो मैं आज अपने आपको उसके सामने पेश करता हूं। अगर वह उस ज़्यादती का बदला लेना चाहता है तो मैं बदला देने को तैयार हूं। और अगर वह मुझ से कोई सिला तलब करना चाहता है तो मैं वह देने के लिए तैयार हूं। और अगर वह माफ़ करना चाहता है तो मेरी दरख़्वास्त है कि वह माफ़ कर दे।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बुलन्द मक़ाम

यह ऐलान उस ज़ात ने फ़रमाया जिसके बारे में क़ुरआने करीम ने फ़रमा दिया कि:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورۃ فتح :آیت۲)

ताकि अल्लाह तआला आपकी सब अगली पिछली ख़ताएं माफ़ फ़रमा दे।

और जिनके बारे में यह फ़रमा दिया:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (سورۃ النساء :آیت ۶۵)

यानी परवर्दिगार की क़सम! लोग उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी इख़्तिलाफ़ात में आपको फ़ैसला करने वाला न बनाएं, और फिर जो कुछ आप फ़ैसला करें उसके बारे में वे अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करें और उसको मानने के लिए उसके आगे अपना सर न झुका लें।

इसलिए जिस ज़ात के बारे में क़ुरआने करीम में ये इर्शादात

नाज़िल हुए हों, और जिनके बारे में इस बात की वज़ाहत आ गई हो कि आपकी ज़ात से किसी को ज़ुल्म और ज़्यादती पहुंच सकती ही नहीं, इन सब बातों के बावजूद आपने मस्जिदे नबवी में खड़े होकर तमाम सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने वह ऐलान फ़रमाया जो ऊपर दर्ज हुआ।

एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का बदले के लिए आना

रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह ऐलान सुनकर एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं बदला लेना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा कि कैसा बदला? उन्होंने अर्ज़ किया कि एक बार आपने मेरी कमर पर मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे तो मारना याद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें याद है तो आ जाओ और बदला ले लो। चुनांचे वह सहाबी कमर के पीछे आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे मारा था उस वक़्त मेरी कमर पर कपड़ा नहीं था, बल्कि मेरी कमर नंगी थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी चादर कमर से हटा दी, तो नुबुव्वत की मुहर नज़र आने लगी। वह सहाबी आगे बढ़े और नुबुव्वत की मुहर को बोसा दिया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैंने नुबुव्वत की मुहर को बोसा देने के लिए यह बहाना इख़्तियार किया था। बहर हाल! हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने आपको पेश कर दिया कि जो बदला लेना चाहे तो मैं उसको बदला देने के लिए तैयार हूं।

सब से माफ़ी तलाफ़ी करा लो

इस अमल के ज़रिए हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उम्मत को सिखा दिया कि जब मैं यह अमल कर रहा हूं

तो तुम भी अगर अपनी पिछली ज़िन्दगी के दाग़ धोना चाहते हो तो अपने मिलने जुलने वालों, अपने अज़ीज़ों और रिश्तेदारों और अपने दोस्त अहबाब से यही पेशकश करो कि न जाने पिछली ज़िन्दगी में मुझ से आपकी क्या हक़ तल्फ़ी हुई हो, आज मैं उसका बदला देने को तैयार हूं। और अगर आप माफ़ कर दें तो आपकी मेहरबानी।

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि का माफ़ी मांगना

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़ास तौर पर एक रिसाला इस मौज़ू पर लिखा और उस रिसाले को शाया किया और फिर अपने तमाम मिलने जुलने वालों में वह रिसाला तक़सीम किया। उस रिसाले का नमा है "अल उज़्र वन्नुज़र" उस रिसाले में यही मज़मून लिखा कि चूंकि मेरे बहुत से लोगों से ताल्लुक़ात रहे हैं, न जाने मुझ पर किसका हक़ हो और वह हक़ मुझ से ज़ाया हो गया हो, या मुझ से कोई ज़्यादती हुई हो, आज मैं अपने आपको पेश करता हूं। अगर मुझ से उस हक़ का बदला लेना चाहता है तो बदला ले ले, अगर कोई माली हक़ मेरे ज़िम्मे वाजिब है वह मुझे माली हक़ याद दिला दे, मैं बदला दे दूंगा। या किसी को जानी तक्लीफ़ पहुंचाई है तो मैं उसका बदला देने को तैयार हूं, वर्ना मैं माफ़ी की दरख़्वास्त पेश करता हूं। और साथ में यह हदीस भी लिख दी कि:

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ से ग़लती हो गई, तो दूसरे मुसलमान भाई का फ़रीज़ा है कि उसको माफ़ कर दे। अगर वह माफ़ नहीं करेगा तो वह आख़िरत में अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी की उम्मीद न रखे।

रुपये पैसे का मामला अलग है। अगर दूसरे के ज़िम्मे रुपये पैसे वाजिब हैं तो उसको हक़ है कि उसको वुसूल कर ले। लेकिन

दूसरे क़िस्म के हुक़ूक़, जैसे किसी की ग़ीबत कर ली थी, या दिल दुखाया दिया था, या कोई और तक्लीफ़ पहुंचाई थी, और तक्लीफ़ पहुंचाने वाला अब माफ़ी मांग रहा है तो दूसरे मुसलमान को चाहिए कि वह माफ़ कर दे।

हज़रत मुफ़्ती साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि का माफ़ी मांगना

मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह्मतुल्लाहि अलैहि ने वफ़ात से तीन साल पहले जब पहली बार दिल का दौरा पड़ा, तो अस्पताल ही में मुझे बुलाकर फ़रमाया कि तुम मेरी तरफ़ से ऐसा ही एक मज़मून लिख दो जैसे हज़रत थानवी रह्मतुल्लाहि अलैहि ने "अल उज़्र वन्नुज़्र" में अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को लिखा था, और उसका नाम यह रखना "कुछ तलाफ़ी-ए-माफ़ात" उसमें लफ़्ज़ "कुछ" से इस तरफ़ इशारा फ़रमाया कि उसके ज़रिए यह दावा नहीं है कि मैं अपने पिछले सारे मामलों की तलाफ़ी कर रहा हूं, बल्कि यह "कुछ" तलाफ़ी कर रहा हूं। यह मज़मून लिखवाने के बाद शाया फ़रमाया, और अपने तमाम ताल्लुक़ रखने वालों को ख़त के ज़रिए भेजा ताकि उनकी तरफ़ से माफ़ी हो जाए।

अपना कहा सुना माफ़ करा लो

हमारे बुज़ुर्गों ने एक जुम्ला सिखाया है जो अक्सर व बेश्तर लोगों की ज़बान पर होता है, यह बड़ा अच्छा जुम्ला है। वह यह कि जब किसी से जुदा होते हैं तो उस से कहते हैं कि:

"भाई! हमारा कहा सुना माफ़ कर देना"।

यह बड़ा काम का जुम्ला है और इसमें बड़ी अज़ीम हिक्मत की बात है। अगरचे लोग इसको बग़ैर सोचे समझे कह लेते हैं, लेकिन हक़ीक़त में इस जुम्ले में इसी तरफ़ इशारा है कि इस वक़्त हम तुम से जुदा हो रहे हैं, अब दोबारा मालूम नहीं कि मुलाक़ात हो या न हो, मौक़ा मिले या न मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ

कहा सुना हो, या तुम्हारी कोई ज़्यादती की हो, तो आज मैं तुम से
उसकी माफ़ी मांगता हूं। इसलिए सफ़र में जाते हुए इसकी आदत
डालनी चाहिए कि जिनसे मेल मुलाक़ात रहती हो उनसे यह जुम्ला
कह देना चाहिए। जब वह सामने वाला जवाब में यह कह दे कि
मैंने माफ़ कर दिया तो इन्शा अल्लाह माफ़ी हो जायेगी।

जिनका पता नहीं उनसे माफ़ी का तरीक़ा

माफ़ कराने का यह तरीक़ा तो हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि
व सल्लम ने उन लोगों के बारे में बताया जिन तक रसाई और
पहुंच हो सकती है। लेकिन बहुत से ताल्लुक़ात रखने वाले ऐसे
होते हैं कि उन तक रसाई मुम्किन नहीं। जैसे हम लोग अक्सर
बसों में, रेलों में, हवाई जहाज़ों में सफ़र करते हैं, और उन सफ़रों
में न जाने कितने लोगों को हम से तक्लीफ़ पहुंच गई होगी। अब
हमें न उनका नाम मालूम है और न ही उनका पता मालूम है। अब
उन तक पहुंच कर उनसे माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे
लोगों से माफ़ी मांगने का भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व
सल्लम ने एक तरीक़ा बता दिया जो बहुत ही आसान है।

उनके लिए यह दुआ करें

वह यह कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे
लोगों के हक़ में यह दुआ फ़रमा दी कि:

ايما مؤمن او مؤمنة اذيتة او شتمتة او جلدتة اولعنتة فا جعلها له صلاة
وزكوة وقربة تقربه بها اليك

यानी ऐ अल्लाह! मेरी ज़ात से किसी मोमिन मर्द या औरत को
कभी कोई तक्लीफ़ पहुंची हो, या मैंने कभी किसी को बुरा भला
कहा हो, या मैंने कभी किसी को मारा हो, या कभी किसी को लानत
की हो, या कभी उसके हक़ में बद-दुआ की हो, तो ऐ अल्लाह! मेरे
उन सारे आमाल को उस शख़्स के हक़ में रहमत बना दीजिए और
उसको उसके पाक होने का ज़रिया बना दीजिए और मेरे उस

अमल के नतीजे में उसको अपना कुर्ब (निकटता) अता फ़रमा दीजिए।

इसलिए बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि जिन तक आप नहीं पहुंच सकते और जिनसे माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं है, उनके हक़ में यह दुआ कर दें। क्योंकि जब आपकी पहुंचाई हुई तक्लीफ़ उनके हक़ में रहमत बन जायेगी तो इन्शा अल्लाह वे खुद ही माफ़ कर देंगे। और उनके हक़ में ईसाले सवाब करें। यानी उनको सवाब पहुंचाएं।

ज़िन्दा को सवाब पहुंचाना

बाज़ लोग यह समझते हैं कि ईसाले सवाब (सवाब पहुंचाना) सिर्फ़ मुर्दों को हो सकता है जो दुनिया से जा चुके, ज़िन्दों को नहीं हो सकता। यह ख़्याल गलत है, ईसाले सवाब तो ज़िन्दा आदमी को भी किया जा सकता है। इसलिए इबादत करके, तिलावत करके उसका सवाब ऐसे लोगों को पहुंचा दो जिनको आपकी ज़ात से कभी तक्लीफ़ पहुंची हो, उसके नतीजे में तुमने उसके साथ जो ज़्यादती की है इन्शा अल्लाह उसकी तलाफ़ी हो जायेगी।

उमूमी दुआ कर लें

इसके अलावा एक उमूमी दुआ यह कर लो कि या अल्लाह! जिस जिस शख़्स को मुझ से तक्लीफ़ पहुंची हो, और जिस जिस शख़्स की मुझ से हक़ तल्फ़ी हुई हो, या अल्लाह! अपने फ़ज़्ल से उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाइए और मेरे इस अमल को उसके लिए रहमत का ज़रिया बना दीजिए और उसको मुझ से राज़ी कर दीजिए, और उसके दिल को मेरी तरफ़ से साफ़ कर दीजिए ताकि वह मुझे माफ़ कर दे।

एक गलत ख़्याल की तरदीद

हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली साहिब थानवी

रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक वाज़ (तक़रीर) में यह दुआ वाली हदीस बयान फ़रमाने के बाद इर्शाद फ़रमाया कि इस से किसी को यह ख़्याल न हो कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बहुत से गुनाह करने वालों को लानत की है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में फ़रमायाः

لَعَنَ اللّٰهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

अल्लाह तआला रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले पर लानत करे।

अब यह हदीस सुनकर रिश्वत देने वाला या लेने वाला इस ग़लत फ़हमी में मुब्तला न हो कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह लानत मेरे हक़ में दुआ बन जायेगी, इसलिए कि खुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह दुआ फ़रमा दी है कि ऐ अल्लाह! मैंने जिस जिसको लानत की है वह लानत उसको दुआ बनकर लगे।

वजह इसकी यह है कि दुआ की हदीस के शुरू में ये अल्फ़ाज़ भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाए किः

إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر.

ऐ अल्लाह! मैं तो एक इन्सान हूं और जिस तरह और इन्सानों को गुस्सा आ जाता है इसी तरह मुझे भी गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से के नतीजे में अगर कभी मैंने किसी को कोई तक्लीफ़ पहुंचाई हो या लानत की हो या बुरा भला कहा हो तो उसको उसके हक़ में दुआ बनाकर लगाइए।

इसलिए यह हदीस उस लानत के बारे में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गुस्से की हालत में बशरी तक़ाज़े से किसी पर लानत की हो, ऐसी लानत उसके हक़ में दुआ बनकर लगे। लेकिन अगर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी शख़्स पर गुनाह की वजह से लानत की हो, या दीन और शरीअत के तक़ाज़े से लानत की हो, तो यह दुआ वाली हदीस उस

लानत के बारे में नहीं है।

खुलासा

बहर हाल! जिन लोगों के हुकूक़ जाया किए हैं, और उनकी तलाफ़ी मुम्किन नहीं है तो अब उनके हक़ में दुआ करो। यह काम कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार बैठकर अल्लाह तआला से अर्ज़ मारूज़ कर लो कि या अल्लाह! पता नहीं कितने लोगों के हुकूक़ मुझ से बर्बाद हुए होंगे। ऐ अल्लाह! उन हक़ तल्फ़ियों को उनके हक़ में दुआ बना दीजिए और उनके लिए रहमत का ज़रिया बना दीजिए और उनके दिलों को मेरी तरफ़ से साफ़ फ़रमा दीजिए ताकि वे मुझे माफ़ कर दें।

इसलिए पिछले मामलों को साफ़ करने के लिए हर शख़्स ये दो काम ज़रूर कर ले जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत से साबित हैं, और बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहे हैं। अल्लाह तआला अपनी रहमत से इन पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين